इरकॉन 40 उत्कृष्ट वर्ष

वार्षिक रिपोर्ट
2015-2016

इरकॉन इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड
IRCON INTERNATIONAL LIMITED
iRCON

विज़न

आधार संरचना के क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों और सेवाओं के सम्पूर्ण आयाम को शामिल करते हुए इस क्षेत्र की सर्वोत्तम कंपनियों की तुलना में विशिष्टता प्राप्त निर्माण संगठन के रुप में देश तथा विदेशों में अपनी पहचान बनाना।

लक्ष्य

क) भारत तथा विदेशों में परिवर्तनशील आर्थिक परिदृश्य के अवसंरचनात्मक विकास की निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम्पनी को प्रभावपूर्ण रुप तैयार करना।

ख) सर्वोत्तम इंजीनियरिंग मानकों के अनुरुप व समय पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद व सेवाएं प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना।

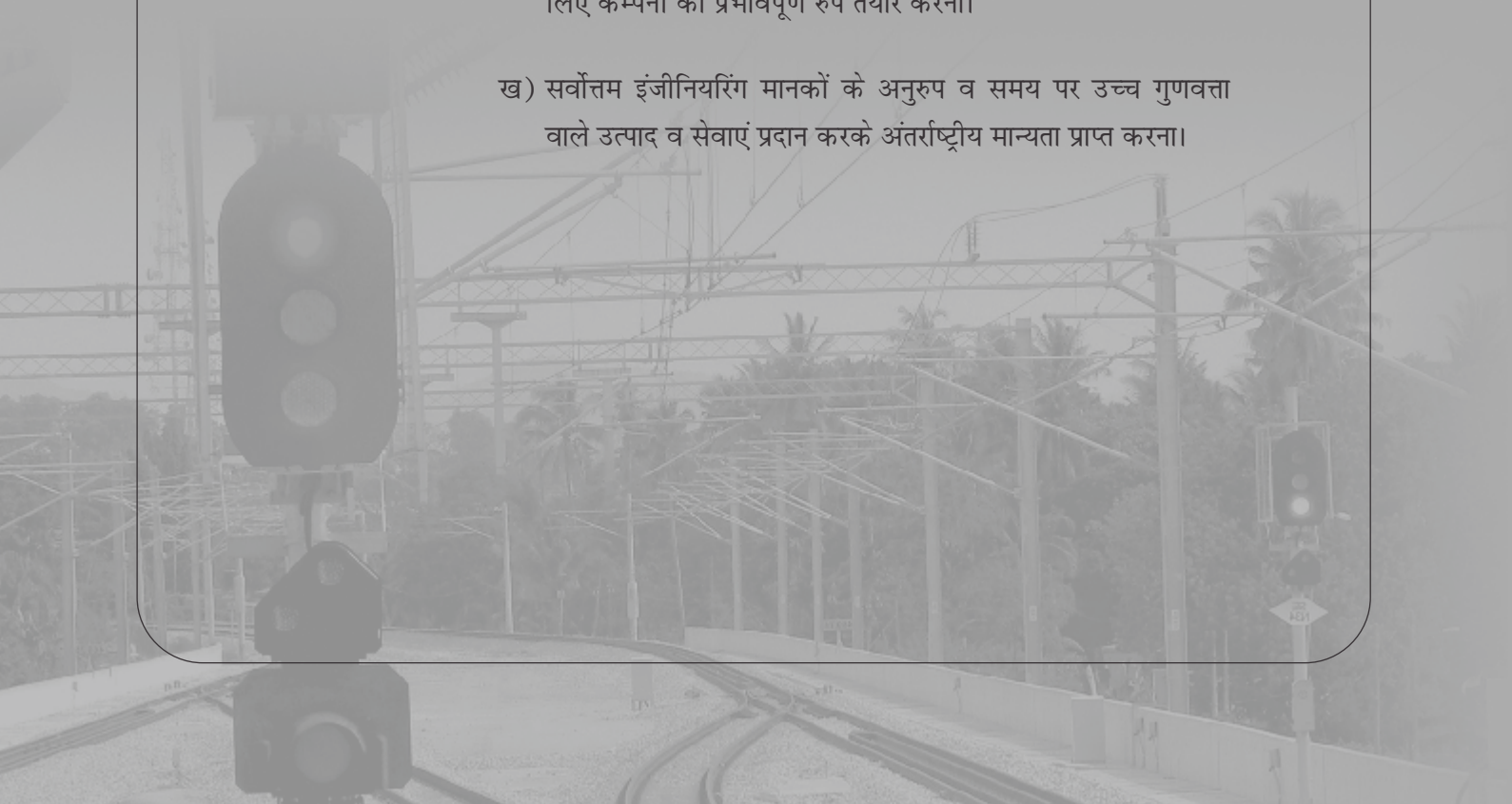

विषय-सूची

निदेशक मंडल 3

अध्यक्ष का संबोधन 5-6

निदेशक की रिपोर्ट 7-29

सीएसआर एवं धारणीय गतिविधियों पर रिपोर्ट 30-33

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट 34-39

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट 40-55

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 56-59

वार्षिक रिटर्न का उद्धरण (फॉर्म सं.एमजीटी-9) 60-67

संबंधित पक्ष संव्यवहार (फॉर्म सं.एओसी-2) 68-69

निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध 70

पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र 71-72

इरकॉन की वित्तीय विशेषताएं 73

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण:

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट 76-85

तुलन पत्र 86

लाभ और हानि का विवरण 87

रोकड़ प्रवाह विवरण 88

लेखाकरण की महत्वपूर्ण नीतियाँ - नोट सं 1 89-93

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां - नोट सं 2 से 50 94-134

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 135

समेकित वित्तीय विवरण :

फॉर्म सं- एओसी-1(सहायक कंपनियों/संबद्ध कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं का विवरण) 137-138

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट 139-143

तुलन पत्र 144

लाभ और हानि विवरण 145

रोकड़ प्रवाह विवरण 146

लेखाकरण की महत्वपूर्ण नीतियाँ - नोट सं 1 147-152

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां - नोट सं 2 से 52 153-193

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 194-195

पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,साकेत, नई दिल्ली-110017
दूरभाष: 91-11-29565666 | **फैक्स:** 91-11-26522000/26854000
ई-मेल: info@ircon.org | **वेबसाइट:** www.ircon.org | **सीआईएन:** यू45203डीएल1976जीओआई008171

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक
मैसर्स वी.के. ढींगरा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

लागत लेखापरीक्षक
मैसर्स चंद्रा वाधवा एंड कंपना
सनदी लेखाकार

कंपनी सचिव
सुश्री सुमिता शर्मा

सचिवीय लेखापरीक्षक
मैसर्स विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

मुख्य बैंकर
इंडियन ओवरसीज बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
एचडीएफसी बैंक

साकेत नई, दिल्ली में इरकॉन का निगमित कार्यालय भवन

निदेशक मंडल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री मोहन तिवारी

पूर्णकालीन निदेशक

श्री के.के. गर्ग
निदेशक वित्त
(30.04.2016 तक)

श्री एम.के.सिंह
निदेशक वित्त
(01.05.2016 से)

श्री दीपक सबलोक
निदेशक परियोजना

श्री हितेश खन्ना
निदेशक कार्य

अंशकालीन (सरकारी) निदेशक

श्री एच.के.काला
(30.06.2016 तक)

श्री अंजुम परवेज

स्वतंत्र निदेशक

श्री एस.के.सिंह
(05.04.2016 से)

श्री अविनीश माटा
(08.04.2016 से)

प्रो.वसुधा वी.कामत
(22.04.2016 से)

अध्यक्ष का संबोधन

गणमान्य शेयरधारकों,

इरकॉन की इस 40वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है।

आपकी कंपनी को भारत तथा विदेशों में प्रतिष्ठित तथा राष्ट्र निर्माण की अनेक परियोजनाओं के निष्पादन द्वारा निर्माण क्षेत्र मे निरंतर लाभ अर्जित करते हुए चार दशक का समय हो गया है। इस ट्रैक रिकार्ड के कारण आपकी कंपनी के लिए अपने शेयरधारकों को लाभांश के रुप मे 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वापस करना संभव हो पाया है जबकि इसकी आरंभिक पूंजी मात्र लगभग 5 करोड़ रुपए थी।

मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि टर्नओवर में कमी होने के बावजूद आपकी कंपनी भारत की उन चार कंपनियों में से एक है जिन्होंने अगस्त 2016 में इंजीनियरिंग न्यूज रिकार्ड (ईएनआर) द्वारा निर्धारित सूची के अनुसार शीर्ष 250 अंतरराष्ट्रीय संविदाकर्ताओं में अपना स्थान बनाया है। मुझे विश्वास है कि आपने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों और संबंधित रिपोर्टों का अध्ययन किया है। अब मैं कंपनी के कार्यनिष्पादन की कुछ मुख्य विशेषताओं और उजागर होते परिदृश्य के संबंध में आपको सूचित करना चाहता हूं।

वित्तीय विशेषता

बड़ी विदेशी परियोजनाओं के समाप्त होने के कारण पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस वर्ष प्रचालनिक टर्नओवर तथा कर पूर्व लाभ में कमी आई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आपकी कंपनी ने 2403 करोड़ रुपए का प्रचालनिक टर्नओवर रिकार्ड किया है। इस टर्नओवर में विदेशी परियोजनाओं का अंशदान 18 प्रतिशत है, जो कि पिछले वर्ष ऐसी परियोजनाओं द्वारा अंशदान से 51 प्रतिशत कम है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर पूर्व लाभ 567 करोड़ रुपए रहा, जो कि लगभग 33 प्रतिशत कम है।

आपकी कंपनी को विश्वास है कि वह 17000 करोड़ रुपए से अधिक के व्यापक आर्डर बुक के साथ टर्नओवर और लाभप्रदता में इस कमी से उभरने में सफल होगी।

लाभांश

मार्च 2016 में पहले से भुगतान किए गए प्रदत्त शेयर पूंजी पर 400 प्रतिशत के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने 89.08 करोड़ रुपए की राशि के प्रदत्त शेयर पूंजी पर 450 प्रतिशत के अतिरिक्त लाभांश का प्रस्ताव किया है। इस प्रकार, वर्ष 2015-16 के लिए भुगतान किए जाने वाला कुल लाभांश प्रदत्त शेयर पूंजी पर 850 प्रतिशत होगा जो कर पूर्व लाभ का 44.36 प्रतिशत है।

बोनस शेयर

31 मार्च 2016 को 3530 करोड़ रुपए की राशि की व्यापक निवल संपत्ति के कारण, आपकी कंपनी ने 11 वर्षों की अवधि में तीसरी बार बोनस शेयर जारी करने का प्रस्ताव किया है। अप्रैल 2005 तथा अक्तूबर 2012 में 1:1 के अनुपात में पूर्ववती बोनस के कारण प्रदत्त शेयर पूंजी 4.949 करोड़ रुपए से बढकर वर्तमान में 19.796 करोड़ रुपए हो गई है।

1:4 के अनुपात में यथा प्रत्येक धारित इक्विटी शेयर के लिए चार इक्विटी शेयर के वर्तमान प्रस्तावित बोनस इश्यु का आकार प्रदत्त शेयर पूंजी पर 98.98 करोड़ रुपए होगा।

प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी

प्रस्तावित बोनस इश्यु के साथ कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी (98.98 करोड़ रुपए), इसकी वर्तमान प्राधिकृत शेयर पूंजी (100 करोड़ रुपए) के समीप पहुंच जाएगी। कंपनी द्वारा अपने पूंजी आधार को व्यापक बनाने के लिए प्राधिकृत शेयर पूंजी को बढाकर 400 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है।

व्यावसायिक विशेषता

उच्चतर विकास गति प्राप्त करने के लिए, आपकी कंपनी विदेशों में और अधिक परियोजनाएं प्राप्त करने और भारतीय परियोजनाओं से टर्नओवर

में वृद्धि करने के लिए प्रयत्नशील है। इन नई विदेशी परियोजनाओं को प्राप्त करना महत्वपूर्ण है क्योंकि घरेलू परियोजनाओं की तुलना में इनमें बेहतर लाभ मार्जिन हैं।

आपकी कंपनी पहले ही दक्षिण अफ्रीका में मजूबा रेल परियोजना, अल्जीरिया में दोहरे रेलपथ के संस्थापन की परियोजना, भूटान मे टर्नकी विद्युत उप-स्टेशन परियोजना, तथा बांग्लादेश में खुलना-मोंगला पोत रेल लाइन, दूसरे भैरब रेलवे पुल वे निर्माण तथा इशुर्दी-दरसाना खंड के बीच सिग्नलिंग प्रणाली के लिए टर्नकी परियोजना, आदि को निष्पादित कर रही है।

घरेलू क्षेत्र में, आपकी कंपनी द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में रेल परियोजनाएं, सड़क परियोजनाएं, समर्मित मालभाड़ा गलियारा परियोजनाएं, टर्नकी विद्युत परियोजनाएं, मेट्रो परियोजनाएं आदि निष्पादित की जा रही हैं।

वर्तमान में भारतीय निर्माण उद्योग द्वारा परियोजना निष्पादन का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम ईपीसी है, जिसमें परियोजना स्वामी/ग्राहक, प्रदान की गई सम्पूर्ण परियोजनाओं को एकमुश्त टर्नकी ठेके के रुप में निष्पादित करते है। आपकी कंपनी, जिसके पास प्रौद्योगिकीय तथा वित्तीय क्षमताएं हैं, ने परियोजनाओं को पूरा करने के समग्र उत्तरदायित्व सहित ईपीसी माध्यम द्वारा टर्नकी परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया है।

आपकी कंपनी ने बीओटी/डीबीएफओटी पर सड़क परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए दो विशेष प्रयोजन समूहों का सृजन भी किया है और भारत के तीन राज्यों में कोयला संपर्कता परियोजनाओं के लिए सृजित संयुक्त उद्यम कंपनियों में नीतिगत शेयर भी धारित किया है।

इरकॉन - एक समूह के रुप में

दिनांक 5 मई, 2016 को एक और संयुक्त उद्यम कंपनी यथा बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड के सृजन के साथ इरकॉन समूह की कंपनियों का ब्यौरा अब इस प्रकार हैः

* चार सहायक कंपनियां यथा इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड, इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड, इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड, तथा
* भारत में छह संयुक्त उद्यम कंपनियां यथा इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, छत्तीसगढ पूर्वी रेलवे लिमिटेड, छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड, झारखंड मध्य रेलवे लिमिटेड, तथा बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड।

आपकी कंपनी ने रियायत के समाप्त होने से संबंधित विवाद के संबंध में मोजांबिक सरकार के साथ दिनांक 21 अक्तूबर 2015 को निपटान करार की शर्तों के अनुसार भुगतान की प्राप्ति के परिणामस्वरुप मोजांबिक में बेरा रेल रियायत परियोजना के निष्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी यथा कंपैनिया डोस केमीनोस डी फेरा डा बेरा एसए (सीसीएफबी) में अपने 25 प्रतिशत स्टेक को छोड़ दिया है। आपकी कंपनी निवेश पर युक्तिसंगत प्रतिपूर्ति सहित सीसीएफबी में अपने सम्पूर्ण निवेश की वसूली करने में सक्षम है।

समूह के रुप में इरकॉन रेलवे निर्माण, पुलों, सड़कों, राजमार्गों के निर्माण, वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा आवासीय परिसरों के निर्माण, विद्युत तथा संवितरण प्रणाली, मेट्रो और मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम आदि के क्षेत्रों सहित अवसंरचनात्मक सेवाओं के सम्पूर्ण आयाम में अपनी विशेषज्ञता उपलब्ध करा रही है।

निगमित शासन, सीएसआर तथा धारणीयता

आपकी कंपनी डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों तथा अन्य विधिक अपेक्षाओं के अंतर्गत निगमित शासन की आवश्यकताओं का अनुपालन करती है।

सीएसआर तथा धारणीयता के क्षेत्र में, आपकी कंपनी भिन्न रुप से सक्षम व्यक्तियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचनात्मक विकास, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। कंपनी ने 6.03 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान सीएसआर तथा धारणीयता पर 6.15 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है।

उभरता परिवेश

आपकी कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से आय सृजन के अपने उद्देश्य को परिवर्तित करके धारणीय संपत्ति सृजन कर दिया है। ये कंपनियां धारणीय आधार पर राजस्व और लाभ का सृजन करेंगी। यह आशा है कि इन कंपनियों द्वारा अगले पांच वर्षों में लगभग 12000 करोड़ रुपए की पूंजी व्यय वाली परियोजनाओं को निष्पादित किया जाएगा। कंपनी के पोर्टफोलियो में कोयला तथा कच्चे लोहे की संपर्कता के लिए 1232 लेन किमी टोल सड़क तथा 1000 रेलपथ किमी की रेल लाइनें होंगी। इन परिसंपत्तियों के अनुरक्षण की भी आवश्यकता होगी। इस प्रकार, आपकी कंपनी धीरे-धीरे निर्माण कंपनी से ईपीसी के पोर्टफोलियों तथा अन्य संविदाओं व संयुक्त उद्यमों/एसपीवी के माध्यम से परियोजना विकास और प्रचालन के क्षेत्र में अग्रसर हो रही है।

आभारोक्ति

पिछले चार दशकों में आपकी कंपनी ने एक लंबा सफर तय किया है किन्तु अभी इसे और आगे अग्रसर होना है।

मै, निदेशक मंडल की ओर से अपने सभी शेयरधारकों, ग्राहकों, रेलवे बोर्ड तथा अन्य मंत्रालयों, दूतावासों, बैंकरों तथा अन्य स्टेकधारकों को उनके विश्वास और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। मै कंपनी के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई निष्ठापूर्ण तथा समर्पित सेवाओं के लिए उनकी सराहना भी करता हूं, जिनके अथक प्रयासों के परिणामस्वरुप हमारी कंपनी विकास के पथ पर अग्रसर हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इरकॉन के पास अपनी उपलब्धियों, सक्षमता और कौशल के साथ देश में संवर्धित अवसंरचनात्मक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है।

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएनः 00191363]

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 सितंबर, 2016

निदेशक की रिपोर्ट

इरकॉन के विशिष्ट शेयरधारकगण

वित्तीय वर्ष 2015-16 की कम्पनी की 40वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कम्पनी के निदेशकों को अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

कार्य निष्पादन विशेषताएं

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, आपकी कंपनी ने 2403 करोड़ रुपए की कुल प्रचालनिक आय तथा 567 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ प्राप्त किया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रचालनिक आय 2950 करोड़ रुपए और कर पूर्व लाभ 844 करोड़ रुपए था।

प्रचालनिक आय में 18.54% की कमी आई है जो मुख्य रुप से श्रीलंका में बड़ी विदेशी परियोजनाओं के पूरा होने के कारण है। भूमि अधिग्रहण और सांविधिक क्लियरेंसों के कारण भारत में प्रमुख परियोजनाओं को आरंभ करने में विलंब के कारण भारतीय परियोजनाओं द्वारा प्रचालनिक आय में निम्न योगदान किया गया है। चूंकि विदेशी परियोजनाओं में उच्चतर लाभ मार्जिन हैं, इसलिए समग्र कर पूर्व लाभ में 32.82 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

वित्तीय विशेषताएँ

वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के वित्तीय निष्पादन के कुछ महत्वपूर्ण संकेतन निम्नानुसार हैः

क. वित्तीय निष्पादन संकेतन

(रुपये करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2015-16	2014-15	वृद्धि/(कमी) (%में)
1.	कुल आय	**2703**	3122	(13.42%)
2.	कुल प्रचालन आय	**2403**	2950	(18.54%)
3.	विदेशी परियोजनाओं से प्रचालन आय	**434**	877	(50.51%)
4.	भारतीय परियोजनाओं से प्रचालनिक आय	**1969**	2073	(5.02%)
5.	कर पूर्व लाभ	**567**	844	(32.82%)
6.	कर पश्चात लाभ	**379**	579	(34.54 %)
7.	निवल सम्पत्ति	**3530**	3354	5.25 %
8.	लाभांश	**168.26**	182.12	(7.61%)

ख. विदेशी विनिमय आमदनी और निर्गम

कंपनी ने वर्ष 2014-15 के दौरान 842 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान 480 करोड़ रुपए विदेशी विनिमय अर्जित किया है। विदेशी मुद्रा निर्गम वर्ष 2014-15 में 424 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2015-16 में 360 करोड़ रुपए रहा। इस प्रकार, उपर्युक्त विदेशी परियोजनाओं के पूरा होने के कारण वर्ष 2014-15 में 418 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2015-16 में 120 करोड़ रुपए की विदेशी विनिमय अर्जित की है जो कि 71.29% की कमी को दर्शाता है।

ग. लाभांश

निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के लिए 19.796 करोड़ रूपए की प्रदत्त शेयर पूँजी पर 40 रुपए प्रति शेयर यथा 400% की दर से, 79.184 करोड़ रूपए (लगभग) के अंतरिम लाभांश की घोषणा फरवरी 2016 में की थी, जिसका भुगतान शेयरधारकों को मार्च, 2016 में किया गया था। निदेशक मंडल ने शेयरधारकों द्वारा घोषित किए जाने के लिए 45 रुपए प्रति शेयर की दर से प्रदत्त शेयर पूँजी पर 450% के अंतिम लाभांश, (अंतरिम लाभांश के ऊपर) की सिफारिश की है जो लगभग 89.08 करोड़ रुपए होगा। इस प्रकार, 2015-16 के लिए कुल लाभांश प्रत्येक 10 रुपए के शेयर के लिए 85.00 रुपए की दर से 168.26 करोड़ रूपए हो गया है (यथा प्रदत शेयर पूंजी का 850%) जो 379.27 करोड़ रूपए के कर पूर्व लाभ का लगभग 44.36% है। प्रस्तावित लाभांश के अनुमोदन एवं भुगतान के पश्चात 2015-16 तक शेयरधारकों को दिया गया संचित लाभांश लगभग 1107.51 करोड़ रूपए हो गया है।

घ. विनियोजन/कर प्रावधान/आरक्षित निधि :

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2014-15
1	अंतरिम लाभांश	**79.18**	79.18
2	प्रस्तावित अंतिम लाभांश	**89.08**	102.94
3	अंतरिम लाभांश पर कर	**16.12**	15.83
4	प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर	**18.14**	20.96
5	सीएसआर गतिविधियां आरक्षित निधि में/ (से) अंतरण	-	(1.71)
6	सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	**176.75**	362.19

आर्डर बुक

कंपनी को वर्ष 2015-16 के दौरान 7461 करोड़ रुपए मूल्य के कार्य प्राप्त हुए हैं। 31.03.2016 को कार्य का भार 17569 करोड़ रुपए है जबकि

31.03.2015 को कार्य का भार लगभग 13293 करोड़ रुपए था। 31 अगस्त 2016 को वर्तमान कार्य भार 17910 करोड़ रूपए है।

प्रचालनिक निष्पादन

क. पूरी की गई विदेशी परियोजनाएं:

वर्ष 2015-16 के दौरान आपकी कंपनी ने निम्नलिखित परियोजनाएं पूरी की हैं:

मलेशिया

1. 22 वर्षों के निरंतर प्रचालन के पश्चात मलेशियन रेलवे प्रणाली (केटीएमबी) पर मीटर गेज डीजल इलैक्ट्रिकल इंजनों के पट्टे और अनुरक्षण के संविदा को 31 दिसंबर 2015 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था। केटीएमबी द्वारा इस संविदा का अंतिम समय विस्तार दो वर्ष के लिए दिया गया था, जो 6.988 मिलियन अमरीकी डालर के वार्षिक मूल्य पर 31 दिसंबर 2015 तक वैध था और इन दो वर्षों के लिए कुल संविदा मूल्य 13.976 मिलियन अमरीकी डालर था।

श्रीलंका

2. आपकी कंपनी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में पांच परियोजनाओं को पूरा किया था यथा (1) मेदवच्छिया से मधुरोड रेल लाइन के जीर्णोद्धार के लिए रेलपथ कार्य - वर्ष 2012-13 में पूरा किया गया (2) अनुराधापुरा से कनकसन्थुरई तक तथा मेदवच्छिया से तलईमन्नार पायर तक रेल लाइन के लिए सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणाली के अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन और परीक्षण व कार्यारंभ, (3) ओमनथाई से पल्लई तक रेल लाइन का पुनर्निर्माण - दोनों कार्य वर्ष 2013-14 में पूरे किए गए, (4) पल्लई से कनकसन्थुरई तक रेल लाइन का पुनर्निर्माण, (5) मधु रोड से तल्लई मन्नार तक रेल लाइन का पुनर्निर्माण - दोनों कार्य वर्ष 2014-15 में पूरे किए गए। इन परियोजनाओं के संविदा मूल्यों में परिवर्तन और संविदा मूल्यों के कार्यक्षेत्र में आशोधनों के कारण आपकी कंपनी ने 158 करोड़ रूपए मूल्य पर श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में परियोजना में अंतरों के लिए संशोधित संविदा करार पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्यक्षेत्र में इन अंतरों और आशोधनों को भी वर्ष 2015-16 में पूरा कर लिया गया है।

ख. नई/चालू विदेशी परियोजनाएं:

आपकी कंपनी विदेशों में निम्नलिखित छह प्रमुख परियोजनाओं को निष्पादित कर रही है- इनमें से बांग्लादेश में तीन परियोजनाएं तथा अल्जीरिया, भूटान और दक्षिण अफ्रीका में एक-एक परियोजना हैं।

बांग्लादेश

1 226 करोड़ रुपए (इरकॉन का भाग) के कुल मूल्य पर आपकी कंपनी और एफकॉन यथा इरकॉन-एफकॉन संयुक्त उद्यम के बीच गैर-निगमित संयुक्त उद्यम द्वारा पहुंच रेल लाइनों सहित दूसरे भैरब रेल पुल का निर्माण। भौतिक कार्य दिसंबर 2013 में आरंभ हो गया है। इस परियोजना के मार्च 2017 में पूरा होने की संभावना है।

2 60 करोड़ रुपए के मूल्य पर बांग्लादेश के इशुरदी-दरसाना खंड के बीच 11 स्टेशनों पर टर्नकी आधार पर कंप्यूटर आधारित इंटरलॉकिंग कलर लाइटिंग सिग्नलिंग प्रणाली के अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन,परीक्षण तथा प्रचालन आरंभ का कार्य। भौतिक कार्य जून 2014 में आरंभ हो गया है। इस परियोजना के सितंबर 2017 में पूरा होने की संभावना है।

3 971 करोड़ रूपए (147.80 मिलियन अमरीकी डालर) के मूल्य पर बांग्लादेश रेलवे के लिए खुलना-मोंगला पोर्ट रेल लाइन के निर्माण परियोजना के अंतर्गत पैकेज डब्ल्यूडी-1 के प्रति इम्बार्कमेंट, रेलपथ, सभी सिविल कार्य, प्रमुख और गौण पुल (रूपशा को छोड़कर) तथा पुलिया के निर्माण और ईएमपी के क्रियान्वयन कार्य। यह कार्य मार्च 2016 में आरंभ हुआ और सितंबर 2019 में समाप्त होने का कार्यक्रम है।

सुपरस्ट्रक्चर निर्माण - भैरब रेलवे पुल, बांग्लादेश

अल्जीरिया

4. 1103 करोड़ रुपए (230 मिलियन अमरीकी डालर) मूल्य पर एएनईएसआरआईएफ, परिवहन मंत्रालय, अल्जीरिया सरकार द्वारा प्रदत्त ओयड स्लाय तथा येल्लेल के बीच 93 किमी के दोहरे ट्रैक को बिछाने के कार्य, जिसमें अल्जीर-ओमन खंड पर ओयड स्लाय से येल्लेल तक दूसरी लाइन बिछाने का कार्य तथा मौजूदा लाइन के स्तरोन्नयन का कार्य शामिल है। दोहरी लाइन को प्रचालनिक बनाने के अतिरिक्त कार्य सहित संविदा के मूल्य को संशोधित करके 1882 करोड़ रूपए किया गया है। हालांकि यह कार्य 2008 में प्रदान किया

गया था किन्तु इसे ग्राहक द्वारा बंद कर दिया गया था और मई 2010 में कार्य पुनः आरंभ किया गया।

संशोधन में स्थानीय उप-ठेकेदारों को भुगतानों की कार्यविधि का निर्धारण नहीं किया गया था और इसके लिए ग्राहक के साथ वार्ता की गई थी, जिससे रोकड़ प्रवाह तथा परियोजना की प्रगति बाधित हुई। अंतत,जुलाई 2016 में उच्च स्तरीय समिति द्वारा स्थानीय ठेकेदारों को भुगतान की प्रक्रिया और मूल्यों में संशोधन के लिए वार्ता की गई थी जिससे परियोजना की सुगम प्रगति का मार्ग खुला।

भूटान

5. 23 करोड़ रूपए के मूल्य पर भूटान पावर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भूटान के पारो में सभी संबंधित कार्यों सहित मौजूदा 66/33/11 किवा उपस्टेशन के विखंडन और नए 2X20 एमवीए, 66/33 कि.वा. उपस्टेशन के अभिकल्प, इंजीनियरिंग, निर्माण, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और कार्यआरंभ की टर्नकी परियोजना। यह कार्य मई 2015 में प्राप्त किया गया है और इसके नवंबर 2016 में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

दक्षिण अफ्रीका

6. 346 करोड़ रूपए (663 मिलियन रांद) के मूल्य पर एस्कॉम होल्डिंग एसओसी लिमिटेड के लिए मजूबा रेल परियोजना, दक्षिण अफ्रीका के लिए संयंत्र का प्रापण, अभिकल्प, शिरोपरि रेलपथ उपकरणों की आपूर्ति तथा संस्थापन, घर्षण उपस्टेशन, अनुषंगी पावर आपूर्ति उपस्टेशन, व्यापक ऊर्जा आपूर्ति स्विचिंग स्टेशनों और सिग्नलिंग प्रणालियों का कार्य। यह कार्य नवंबर 2015 में प्राप्त किया गया है और इसके सितंबर 2017 में पूरा होने का कार्यक्रम है।

ग. सम्भावित विदेशी परियोजनाएं

मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा ईरान में ठेके प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे है ।

इरॉन की कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांस्पोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंपनी (सीडीटीआईसी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर

घ. भारत में पूरी की गई परियोजनाएं:

वर्ष 2015-16 के दौरान भारत में दो परियोजनाएं पूरी की गई हैः

1. 1570 करोड़ रूपए के मूल्य पर मध्य पूर्व रेलवे के लिए पटना में गंगा नदी के ऊपर रेल पुल के इस्पात सुपर-स्ट्रक्चर का निर्माण तथा अनुषंगी कार्य, जिसे 12 मार्च 2016 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित किया था।

2. संविदा सीटी-4- डीएमआरसी - 62.60 करोड़ रूपए के मूल्य पर डीएमआरसी के लिए चरण-III बदरपुर से फरीदाबाद तक गिट्टी रहित रेलपथ तथा दिल्ली एमआरटीएस परियोजना के अजरौदा तथा बादलीपुर डिपो में रेलपथ सहित जहांगीरपुरी से बादली तक ब्रॉड गेज गलियारा।

ड. भारत में नई परियोजनाएं:

वर्ष 2015-16 के दौरान भारत में तीन परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जो इस प्रकार हैंः

1. 2116 करोड़ रूपए के मूल्य पर डैडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के लिए समर्पित मालभाड़ा गलियारा परियोजना, सीटीपी-12 के वैतर्णी-सचिन खंड के लिए सिविल, भवन तथा रेलपथ का अभिकल्प और निर्माण कार्य।

2. 283 करोड़ रूपए के मूल्य पर एनडीएमसी लिमिटेड के लिए जगदलपुर

डीएमआरसी सीटी-4 के बादली का गिट्टी रहित रेलपथ

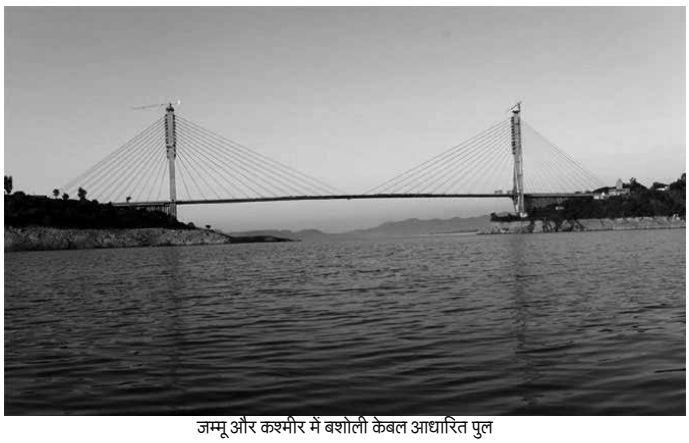
जम्मू और कश्मीर में बशोली केबल आधारित पुल

के समीप नगरनार, छत्तीसगढ़ (पैकेज-I) में प्रस्तावित 3.0 एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए निजी रेलवे साइडिंग के निर्माण के संबंध में सिविल तथा रेलवे संबंधित कार्यों का निष्पादन।

3. 79 करोड़ रूपए के मूल्य पर एनएमडीसी लिमिटेड के लिए जगदलपुर के समीप नगरनार, छत्तीसगढ़ (पैकेज-II) में प्रस्तावित 3.0 एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए निजी रेलवे साइडिंग के निर्माण के संबंध में सिविल, सिग्नलिंग तथा दूरसंचार, यांत्रिकी और संरचनात्मक कार्यों का निष्पादन।

4. 33 करोड़ रूपए के मूल्य पर पूर्वी रेलवे के लिए नए हावड़ा मंडल रेलवे कार्यालय भवन का निर्माण।

5. 11 करोड़ रूपए के मूल्य पर एनटीपीसी लिमिटेड के लिए दरलीपल्ली सुपर थर्मल पावर परियोजना, स्टेज-1 (2X800 एमवी) के लिए महानदी कोल लिमिटेड की साइडिंग सहित दलंगा खान-दरलीपली एसटीपीपी की एमजीआर प्रणाली को जोड़ने वाली रेलवे साइडिंग का डीपीआर तथा विस्तृत इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन और निर्माण कार्य।

च. वर्ष 2015-16 के समाप्त होने के पश्चात भारत में प्राप्त परियोजनाएं:

1. छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार व प्रस्तुत करने, भूमि अधिग्रहण तथा गेवरा रोड से पेंदरा रोड के बीच पूर्व-पश्चिम गलियारे के व्यवहार्यता अध्ययन के परिणामस्वरूप लगभग 135 किमी दिप्का, कटघोरा, पासना के रास्ते गेवरा रोड से पेंडरा रोड के बीच पूर्वी-पश्चिम गलियारे के कॉरिडार-III का निर्माण कार्य।

2. मध्य पश्चिम रेलवे के लिए कटनी-सिंगरौली दोहरीकरण परियोजना।

3. मध्यपूर्व रेलवे के लिए आरडीयूएम टीएएल-आरजेओ (रामपुर दूमरा ताल राजेन्द्रपाल) परियोजना के दोहरीकरण का कार्य 24 जून 2016 को करार पर हस्ताक्षर किए गए।

4. मध्य पूर्व रेलवे के लिए कियूल-गया दोहरीकरण परियोजना 30 मई 2016 को करार पर हस्ताक्षर किए गए।

5. मध्य पूर्व रेलवे के लिए हाजीपुर-बछवाड़ा दोहरीकरण परियोजना 30 मई 2016 को करार पर हस्ताक्षर किए गए।

6. झारखंड मध्य रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के लिए विभिन्न चयनित रेल संपर्कता परियोजना (परियोजनाओं) के लिए सर्वेक्षण, व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत अभिकल्प और निर्माण कार्य।

7. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के लिए विभिन्न चयनित रेल संपर्कता परियोजना (परियोजनाओं) के लिए सर्वेक्षण, व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत अभिकल्प और निर्माण कार्य।

8. एनएमडीसी लिमिटेड के लिए जगदलपुर के समीप नगरनार, छत्तीसगढ़ (पैकेज-IV) में प्रस्तावित 3.0 एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए निजी रेलवे साइडिंग के निर्माण के संबंध में नए ब्लॉक स्टेशन, स्टॉफ क्वार्टर तथा संबंधित पी-वे, ओएचई तथा सिग्नलिंग और दूरसंचार का निर्माण कार्य।

छ. भारत में चल रही प्रमुख परियोजनाएं:

भारत में चल रही प्रमुख परियोजनाओं की सूची परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम तथा संबद्ध कंपनियां

इरकॉन की सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा संबंद्ध कंपनियों और उनकी वित्तीय स्थिति और कार्य निष्पादन पर संक्षिप्त पृष्ठभूमि परिशिष्ट-ख पर उपलब्ध है। सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा संबद्ध कंपनियों में इक्विटी निवेश, दिया गया ऋण और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद-186 के अंतर्गत उन्हें प्रदान की गई गारंटी अनुपालन शीर्षक के अंतर्गत पैरा-ड.(3) में प्रस्तुत हैः

समेकित वित्तीय विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 129(3) के प्रावधानों के अनुसार आपकी कंपनी ने चार सहायक कंपनियों यथा इरकॉन आईएसएल, आईआरएसडीसी व इरकॉन पीबीटीएल, तथा इरकॉन एसजीटीएल, छह संयुक्त उद्यम कंपनियों यथा आईएसटीपीएल, सीईआरएल, सीईडब्ल्यूआरएल, एमसीआरएल, जेसीआरएल तथा सीसीएफबी, और पांच गैर-निगमित संयुक्त उद्यमों यथा रिकॉन, आईएमसीसी, एमटीजी, इरकॉन-एसपीएससीपीएल, तथा इरकॉन - एफकॉन संयुक्त उद्यम के साथ अपने समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार किया है। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 2 सितंबर 2016 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय विवरणों (स्टैंडएलोन तथा समेकित) को स्वीकृति प्रदान की है।

भारत में उपर्युक्त सभी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों और गैरनिगमित संयुक्त उद्यम कंपनियों का वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है, केवल सीसीएफबी (विदेश में संयुक्त उद्यम कंपनी) को छोड़कर, जिसका वित्तीय वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त होता है।

आपकी कंपनी अपनी सहायक कंपनियों (इरकॉन आईएसएल, आईआरएसडीसी, इरकॉन पीबीटीएल तथा इरकॉन एसजीटीएल) संयुक्त उद्यम कंपनियों (आईएसटीपीएल, सीईआरएल, सीईडब्ल्यूआरएल, सीसीएफबी, एमसीआरएल और जसीआरएल), और गैर-निगमित संयुक्त उद्यमों (रिकॉन, आईएमसीसी, एमटीजी तथा इरकॉन-एफकान्स) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (स्टैंडएलोन तथा समेकित) तथा लेखों/वित्तीय विवरणों को अपनी वेबसाइट (www.ircon.org) पर उपलब्ध कराएगा। आपकी कंपनी सीसीएफबी तथा इरकॉन-एसपीएससीपीएल यूजेवी के संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण भी उपलब्ध कराएगी।

इसके अतिरिक्त, इन सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों के उक्त लेखों/वित्तीय विवरणों को कंपनी के किसी शेयरधारक द्वारा अनुरोध किए जाने पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

फॉर्म एओसी-1 में इन सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं वाला एक विवरण वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है।

अनुपालन:

क. राष्ट्रपति का आदेश

वर्ष 2015-16 के लिए अंतिम लाभांश और 2016-17 के लिए लाभांश के संबंध में 29 अप्रैल 2016 के रेलवे बोर्ड के पत्र के तहत वर्ष के समाप्त होने के पश्चात प्राप्त राष्ट्रपति के आदेश को क्रियान्वित किया जा रहा है।

ख. राजभाषा

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन नियमित रुप से किया जाता है और यूनिकोड प्रणाली तथा राजभाषा के प्रभावपूर्ण प्रयोग के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। कंपनी के अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कम्प्यूटरों और मोबाइल फोनों के लिए द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कर्मचारियों के प्रयोग के लिए इरकॉन की वेबसाईट पर द्विभाषी फॉर्मेट उपलब्ध कराए गए हैं।

ग. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:

सूचना का अधिकार अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार अपील प्राधिकारी, केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी, राज्य स्तरीय जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी के नामों सहित आवश्यक अद्यतन सूचना कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है । प्राप्त शिकायतों का उत्तर निर्धारित समय-सीमा के भीतर दिया जाता है। शिकायतें मुख्य रुप से सेवा संबंधी मुद्दों और उनके ब्यौरों तथा ठेकेदारों व वेंडरों के कार्य से संबंधित होती हैं। आरटीआई मामलों का ब्यौरा तिमाही आधार पर तथा वार्षिक आधार पर केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट में प्रकाशित किए जाने हेतु रेल मंत्रालय को अग्रेषित किया जाता है।

वर्ष के दौरान प्राप्त 153 आवेदनों (प्रथम अपील सहित) में से 150 आवेदनों पर कार्रवाई की गई/उन्हें निपटाया गया था।

घ. <u>प्रापण वरियता नीति के क्रियान्वयन के लिए एमएसएमई दिशानिर्देशों का अनुपालन:</u>

आपकी कंपनी ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के खंड 11 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम(एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा अधिसूचित लोक प्रापण नीति की तर्ज पर जून 2012 में वृहत प्रापण वरियता प्रापण नीति का निर्माण का क्रियान्वयन किया है। इरकॉन का ई-प्रापण पोर्टल यथा www.tenderwizard.com/IRCON एमएसएमई मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी सांविधिक निकाय के साथ पंजीकृत एमएसएमई फर्मों के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई है और वे निविदा शुल्क और बयाना राशि के भुगतान से छूट की सुविधा उपलब्ध करते हुए ई-निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

वर्ष 2015-16 के दौरान उपर्युक्त नीति के अनुसार एमएसएमई से प्रापण के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि (अ.जा/अ.ज.जा के उपक्रमों के स्वामित्व वाले एमएसएमई से 4 प्रतिशत के उप लक्ष्य सहित 20 प्रतिशत) को नीचे तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	2015-16
1.	वार्षिक प्रापण की कुल नियोजित मूल्य (मूल्य लाख रूपए में)	20,000
2.	वार्षिक प्रापण का लक्ष्य प्रतिशत (20 प्रतिशत)(मूल्य लाख रूपए में)	4,000
3.	एमएसई से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य (अ.जा./अ.ज.जा. के उपक्रमों द्वारा स्वामित्व वाले एमएसई सहित) (मूल्य लाख रूपए में)	11,353
4.	केवल अ.जा./अ.ज.जा. के उपक्रमों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्राप्त की गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य	*
5.	कुल प्रापण में से एमएसई से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं केप्रापण का प्रतिशत (अ.जा./अ.ज.जा. के उपक्रमों द्वारा स्वामित्व वाले एमएसई सहित)	56.76%
6.	कुल प्रापण में से केवल अ.जा./अ.ज.जा. के उपक्रमों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्राप्त की गई वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण का प्रतिशत	-
7.	एमएसई के लिए वेंडर विकास कार्यक्रमों की कुल संख्या	2

*इसका कारण अ.जा/अ.ज.जा के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई की भागीदारी की कमी है।

सभी संभव प्रयास किए गए हैं और एसएसआई/एमएसई से अनिवार्य रूप से खरीदी जाने वाली 358 वस्तुओं की सूची में से कुछ वस्तुओं को खरीदा गया था।

ड. कंपनी अधिनियम, 2013

1. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(2) तथा 5(3) के अनुसार, वर्ष 2015-16 के दौरान किसी भी कर्मचारी ने प्रति वर्ष 60 लाख रुपए या अधिक या प्रति माह 5 लाख रुपए या अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्व निदेशक वित्त को क्रमशः 64.26 लाख रुपए (लगभग) तथा 69.31 लाख रूपए (लगभग) प्राप्त हुए हैं, जिसका ब्यौरा निगमित शासन रिपोर्ट के पैरा 4.1 पर प्रस्तुत किया गया है।

2. जमा राशियां

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने जनता से किसी प्रकार की जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 186 के अंतर्गत निवेश, ऋण तथा गारंटी और प्रतिभूति का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 186 की शर्तों के अनुसार 31 मार्च 2016 तक आपकी कंपनी द्वारा किए गए निवेश, दिए गए ऋण तथा गारंटी का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं	कंपनी का नाम	प्रतिबद्ध	वास्तव में किया गया निवेश/भुगतान
इक्विटी निवेशः			
क)	सहायक कंपनियां		
	i) इरकॉन आईएसएल	65.00	65.00
	ii) आईआरएसडीसी	40.80	20.40
	iii) इरकॉन पीबीटीएल	165.00	90.00
	iv) इरकॉन एसजीटीएल	150.00	70.00
ख)	संयुक्त उद्यम कंपनियां		
	i) आईएसटीपीएल	63.87	63.87
	ii) सीईआरएल	104.00	40.17
	iii) सीईडब्ल्यूआरएल	1.30	1.17
	iv) एमसीआरएल	1.30	0.01
	v) जेसीआरएल	1.30	शून्य
	vi) बीआरपीएल (नोट सं. 1 को देखें)	1.30	शून्य
	vii) सीसीएफबी (नोट सं. 11 को देखें)	5.53	5.53
	कुल (क)	**579.00**	**356.15**
ऋण :			
क)	सहायक कंपनियां		
	i) इरकॉन आईएसएल (नोट सं. 2 को देखें)	29.50	27.50
	ii) इरकॉन पीबीटीएल (नोट सं. 3 को देखें)	352.00	शून्य
	iii) इरकॉन एसजीटीएल (नोट सं. 4 को देखें)	722.11	शून्य
ख)	संयुक्त उद्यम कंपनियां		
	i) सीईआरएल (नोट सं. 5 को देखें)	39.00	39.00
	ii) सीईडब्ल्यूआरएल (नोट सं. 6 को देखें)	39.00	19.50
	iii) सीसीएफबी (नोट सं. 11 को देखें)	-	-
ग)	गैरनिगमित संयुक्त उद्यम		
	इरकॉन-एफकॉन जेवी (नोट सं. 7 कोदेखें)	18.15	शून्य

क्र.सं	कंपनी का नाम	प्रतिबद्ध	वास्तव में किया गया निवेश/भुगतान
	कुल (ख)	**1213.40**	**86.00**
गारंटी:			
क)	सहायक कंपनियां		
	i) इरकॉन आईएलएल (नोट सं. 8 (i) को देखें)	150.00	शून्य
	ii) इरकॉन पीबीटीएल (नोट सं. 8 (i) को देखे)		41.15
	iii) इरकॉन एसजीटीएल (नोट सं. 8 (i) कोदेखें)		41.52
ख)	संयुक्त उपक्रम कंपनियां		
	आईएसटीपीएल (नोट सं. 9 कोदेखें)	113.58	113.58
ग)	गैरनिगमित संयुक्त उपक्रम		
	इरकॉन एफकॉन जेवी (नोट सं. 8 (ii) को देखें)	90.00	56.60
	कुल (ग)	**353.58**	**252.85**
बांड :			
क)	आईआरएफसी तथा एनएचएआई कर मुक्त बांड (नोट सं. 10 को देखें)	150.00	125.19
	कुल (घ)	**150.00**	**125.19**
सकल योग (ड = क+ख+ग+घ)		**2295.98**	**820.19**

नोट :

(क) संयुक्त उघम कंपनियों में इक्विटी निवेश (जेवीसी)

1. इरकॉन के निदेशक मंडल ने वर्ष 2015-16 के दौरान जेवीसी यथा बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल) के सृजन को स्वीकृति प्रदान की थी। तथापि, जेवीसी का निगमन 5 मई 2016 को किया गया था। इससे संबंधित ब्यौरा बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड शीर्षक (परिशिष्ट- ख के पैरा ख (10) के अंतर्गत प्रकट किया गया है।

(ख) सहायक कंपनियों को ऋण:

2. यह ऋण बहु-उद्देशीय परिसरों (एमएफसी) के निर्माण पर पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए प्रदान किया गया है तथा 31 मार्च 2016 को बकाया ऋण 27.50 करोड़ रुपए है।

3. यह ऋण राजस्थान राज्य में बीकानेर- फलौदी राजमार्ग परियोजना के निष्पादन के लिए प्रदान किया गया है।

4. यह ऋण मध्यप्रदेश राज्य में शिवपुरी-गुना राजमार्ग परियोजना के निष्पादन के लिए प्रदान किया गया है।

(ग) जेवीसी को ऋण:

5. यह ऋण छत्तीसगढ़ राज्य में खरसिया से धरमजयगढ़ तक रेल लाइन परियोजना के निर्माण के लिए प्रदान किया गया है और इस जेवीसी में इरकॉन का भाग 26 प्रतिशत का है।

6. यह ऋण कर्ज-इक्विटी ढांचे पर लंबित निर्णय और अन्य पहलुओं के आधार पर सीईडब्ल्यूआरएल द्वारा वित्तीय समापन के पूर्व भूमि क्षतिपूर्ति, परामर्शदात्री शुल्क आदि के भुगतान के लिए प्रदान किया गया है और इस जेवीसी में इरकॉन का भाग 26 प्रतिशत का है।

(घ) गैर-निगमित संयुक्त उद्यम (यूजेवी):

7. यह ऋण बांग्लादेश में दूसरी भैरब रेल पुल परियोजना के संबंध में अपेक्षित कार्यशील पूंजी के लिए प्रदान किया गया है। 8 अगस्त 2015 को ऋण की धन वापसी की गई है और 31 मार्च 2016 को इसकी बकाया राशि शून्य है।

(ड़) गारंटी:

8. आपकी कंपनी ने अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (डब्ल्यूओएस) तथा गैर-निगमित संयुक्त उघमों (यूजेवी) को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की हैः

(i) किसी भी बैंक (जिसने इरकॉन की ऋण सीमा को मंजूरी प्रदान की है) द्वारा मंजूर की गई इरकॉन की गैर-निधि ऋण सीमा के 150 करोड़ (रिवॉल्विंग) के आवंटन का उपयोग तीन डब्ल्यूओएस द्वारा किया गया है यथा इरकॉन आईएसएल, इरकॉन पीबीटीएल तथा इरकॉन एसजीटीएल, ताकि अपने ग्राहकों के पक्ष में बैंकरों द्वारा गारंटी (गारंटियों) को जारी करने के लिए, जैसा की उन्हें अपने व्यवसाय के संचालन के लिए अपेक्षित है।

(ii) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इरकॉन की गैर-निधि ऋण सीमा के 90 करोड़ (रिवॉल्विंग) के आवंटन का उपयोग यूजेवी यथा इरकॉन एफकॉन जेवी द्वारा किया जा सके, ताकि अपने ग्राहकों के पक्ष में बैंकरों द्वारा गारंटी (गारंटियों) को जारी करने के लिए, जैसा की उन्हें अपने व्यवसाय के संचालन के लिए अपेक्षित है।

9. ब्यौरे को इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड शीर्ष (परिशिष्ट-ख के पैरा ख (5) के अंतर्गत) प्रकट किया गया है और स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट सं. 12 तथा 29 के रूप में भी प्रकट किया गया है।

(च) बांड:

10. निदेशक मंडल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बांड में 150 करोड़

रूपए तक निवेश करने के लिए प्रति वर्ष जुलाई में (वर्ष 2013-14 से) अनुमोदन प्रदान कर रहा था, जिसे अगले वर्ष 31 जुलाई को या उससे पूर्व उपयोग किया जाना होता है। निवेश का संचयी ब्यौरा स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट 12 के रूप में प्रकट किया गया है।

(छ) सीसीएफबी में इक्विटी निवेश और ऋण:

11. ब्यौरे को सीसीएफबी शीर्षक (परिशिष्ट-ख के पैरा सी(11) में) के अंतर्गत प्रकट किया गया है और इसे स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के भाग का निर्माण करने वाले नोट सं. 20 तथा 33 में भी प्रकट किया गया है और मोजांबिक सरकार से वसूली योग्य राशि के रूप में दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात, आपकी कंपनी ने 30 जून 2016 तक अपनी सहायक कंपनियों तथा प्रस्तावित संयुक्त उद्यमों में निम्नलिखित निवेश तथा ऋण प्रदान किए/प्रतिबद्ध किए हैं:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं	कंपनी का नाम	प्रतिबद्ध	वास्तव में किया गया निवेश
इक्विटी निवेश :			
क)	संयुक्त उद्यम कंपनियां		
	i) जेसीआरएल	--	0.013
	ii) सीईआरएल	--	43.41
ऋणः			
ख)	संयुक्त उद्यम कंपनियां		
	i) सीईडब्ल्यूआरएल	--	19.50
ग)	गैर-निगमित संयुक्त उपकम		
	i) इरकॉन - एफकॉन जेवी	--	7.50
	कुल (च)	**--**	**70.423**
	सकल योग (छ = ड. + च)	**2295.98**	**890.613**

4. संबंधित पक्ष संव्यवहार:

वर्ष के दौरान किए गए संबंधित पक्ष संव्यवहार व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के रुप में किए गए हैं और इसे आर्म लैंथ आधार पर किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ किए गए संव्यवहारों का ब्यौरा फार्म एओसी-2 के रुप में **परिशिष्ट -ज** में प्रस्तुत किया गया है।

5. विनियामकों/ न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक आदेश लाभकारी संगठन की स्थिति तथा भविष्य में कंपनी के प्रचालनों पर प्रभाव।

कंपनी के लाभकारी संगठन की स्थित तथा भविष्य में इसके प्रचालनों को प्रभावित करने संबंधी कोई आदेश विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित नहीं किया गया है।

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और जोखिम प्रबंधन

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और जोखिम प्रबंधन का ब्यौरा प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है।

कार्मिक विकास

कम्पनी में वर्ष भर कर्मचारियों के मध्य सौहर्दपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध विद्यमान हैं। 31 मार्च 2016 को कार्मिकों की कुल संख्या 1499 है जिनमें 1238 नियमित कार्मिक, 81 कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा 180 कर्मचारी संविदा (सेवा संविदा सहित) पर है। कंपनी के 978 कार्मिक तकनीकी तथा व्यावसायिक अर्हता प्राप्त हैं। महिला कार्मिकों की कुल संख्या 71 है। दिनांक 31 मार्च 2016 को कंपनी में कुल 241 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी थे।

आपकी कंपनी कार्यात्मक तथा सामान्य प्रबंधन क्षेत्रों, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुगम कौशलों के क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन क्षमताओं के निर्माण के लिए निरंतर कदम उठा रही है। जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि के लिए बाहरी शिक्षक वर्ग को आमंत्रित किया गया था। वर्ष 2015-16 के दौरान, कुल 1275 श्रम दिवस के लिए कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों आदि के माध्यम से इरकॉन के कार्मिकों को बाहरी संस्थानों तथा इन-हाउस प्रशिक्षण आदि प्रदान किया गया है।

आपकी कंपनी में कर्मचारी कल्याण की विभिन्न योजनाएं विद्यमान हैं, जैसे कर्मचारियों के मेधावी बच्चों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति, व्यावसायिक डिग्री तथा डिप्लोमा पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए एकमुश्त शैक्षिक अनुदान, शैक्षिक पुरस्कार, मृत कर्मचारियों के परिजनों को भी शैक्षणिक सहायता, समूह-ग और घ कर्मचारियों की बेटियों तथा आश्रित बहनों के विवाह में सहयोग, आदि। इरकॉन के कर्मचारियों के उन प्रतिभावान बच्चों के लिए एक नई श्रेणी का पुरस्कार आरंभ किया गया है, जिन्होंने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों मे स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। निगमित कार्यालय में होम्योपैथी उपचार की सुविधा के अतिरिक्त, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को तत्काल वित्तीय सहायता तथा मार्गदर्शन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। सेवारत कर्मचारी की मृत्यु के मामले मे परिवार के सदस्यों को एकमुश्त अनुदान राशि प्रदान की जाती है। निगमित

कार्यालय तथा रायबरेली में परियोजना कार्यालय में जिम सुविधा उपलब्ध है।

आपकी कंपनी महिला कर्मचारियों के लिए सहयोगपूर्ण तथा सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध करा रही है। कंपनी में कार्य स्थल में महिला उत्पीड़न के निवारण के लिए एक शिकायत समिति विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, इरकॉन के आचरण, अनुशासनिक तथा अपील नियमों में यौन शोषण को रोकने संबंधी प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। वर्ष के दौरान कंपनी में यौन शोषण से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कंपनी ने वर्ष के दौरान स्वःरक्षा और स्वास्थ्य जागरुकता के विषय पर विशेष रुप से महिला कर्मचारियों के लिए दो कार्यशालाओं का आयोजन किया है। स्वःरक्षा कार्यशाला का आयोजन दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया और स्वास्थ्य जागरुकता के संबंध मे मैक्स सुपर स्पैशेलिटी के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा ऑनकोलॉजी और मधुमेय काउंसिलिंग को शामिल किया गया था। इरकॉन के कर्मचारियों के लिए तीन इंटर-परियोजना क्विज कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। विजेता टीम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को नकद पुस्कार और सराहना प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

28 अप्रैल, 2016 को 40वां वार्षिक दिवस परम्परागत उत्साह व हर्षोउल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों द्वारा भारत तथा विदेशी परियोजनाओं तथा चुनिंदा परियोजनाओं में किए गए उत्कृष्ट कार्य की सराहना की गई व उन्हें पुरस्कृत किया गया। कार्मिकों के होनहार बच्चों को शैक्षिक पुरस्कार प्रदान किए गए।

गुणवत्ता प्रबंधन, तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन

वर्ष 1996 से जब टीयूवी सड्यूस्चलैंड प्रा. लिमिटेड (टी यू वी) द्वारा कम्पनी को समग्र रूप से पहली बार आइएसओ-9002-1994 के लिए प्रमाणित किया गया था, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यू एम एस) को सफलतापूर्वक चलाया तथा निरंतर उन्नत किया गया है । आपकी कंपनी ने अद्यतन संशोधित कोड आईएसओ 9001:2008 (तीन वर्ष के समापन के पश्चात आवधिक पुनःप्रमापणन लेखापरीक्षा द्वारा) के अनुसार प्रमाणन जारी रखा है। अद्यतन पुनः प्रमाणन लेखापरीक्षा मई 2014 में की गई है, जिसके द्वारा कंपनी को सितंबर 2017 तक अन्य तीन वर्षों के लिए टीयूवी द्वारा पुनःप्रमाणित किया गया है।

वर्ष के दौरान, गुणवत्ता प्रबंधन विभाग ने पुलों के निर्माण, पुल नीव तथा सुपरस्ट्रक्चर (पूर्वबलित कंक्रीट) आदि पर सूचना के प्रसारण द्वारा अपने ज्ञान को साझा करने का प्रयास किया है। इसने फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) फैब्रिकेशन और रेलवे इस्पात पुलों पर दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं।

आपकी कंपनी ने **पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)** स्थापित की है और इसे अक्तूबर, 2011 में आईएसओ 14001:2004 के लिए प्रमाणित किया गया है। अद्यतन पुनःप्रमाणन लेखापरीक्षा जून 2014 में की गई थी, जिसके द्वारा अगले तीन वर्षों यथा अक्तूबर 2017 तक कंपनी को पुनःप्रमाणित किया गया है।

कंपनी ने अपने संबंधित परियोजनाओं में ईएमएस को मॉनीटर करने के लिए सभी भारतीय परियोजनाओं में पर्यावरण अधिकारियों को नामित किया है जो पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और वायु की गुणवत्ता की मानीटरिंग करेंगे। परियोजना के समाप्त होने तक यह एक सतत् प्रक्रिया है। सभी परियोजनाओं द्वारा पर्यावरणीय जांचसूची विकसित और अनुरक्षित की गई है। इसके अतिरिक्त, निर्माण गतिविधियों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए जम्मू में एक पूर्ण प्रचालनिक पर्यावरण प्रयोगशाला विद्यमान है।

पर्यावरण सहिष्ण उपकरणों जैसे सौर हीटर/सौर प्रकाश को भी विभिन्न कार्यालयों/परियोजनाओं में संस्थापित किया गया है। सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) के माध्यम से अपशिष्ट जल की रीसाइकलिंग की जाती है, और इसे हॉर्टिकल्चर कार्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है। विभिन्न निर्माण स्थलों पर जल तथा अपशिष्ट जल, आसपास की वायु की गुणवत्ता तथा ध्वनि की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग भी की जा रही है। कंपनी निगमित कार्यालय भवन में इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग द्वारा स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने पर बल दे रही है। निगमित कार्यालय तथा परियोजना कार्यालयों द्वारा वृक्षारोपण का कार्य भी किया गया है।

आपकी कंपनी को टीयूवी एसयूवी साउथ एशिया द्वारा दिसम्बर, 2012 को **व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली** (ओएचएसएएस-बीएस 18001 : 2007) के लिए भी प्रमाणित किया गया है। पिछला पुनःप्रमाणन संपरीक्षा अक्तूबर 2015 की गई है जिसके द्वारा कंपनी को अगले तीन वर्षों के लिए पुनःप्रमाणित किया गया है अर्थात दिसम्बर, 2018 तक।

निगमित गुणवत्ता परिषद तथा परियोजना गुणवत्ता परिषद की बैठकें क्रमशः निगमित कार्यालय तथा परियोजनाओं में तिमाही आधार पर आयोजित की गई थी ताकि क्यूएमएस, ईएमएस तथा ओएचएसएएस के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सके। गुणवत्ता उद्देश्यों को निगमित तथा परियोजना दोनों ही स्तरों पर मापा जाता है तथा इनकी समीक्षा की गई थी। सभी परियोजनाओं तथा परियोजनाओं में आंतरिक गुणवत्ता ऑडिट तथा गुणवत्ता आश्वासन ऑडिट किया गया था। इन ऑडिटों की रिपोर्टों में न केवल ऑडिट के दौरान सामने आए गैर- अनुपालन का ब्यौरा होता है बल्कि प्रमुख विशेषताओं, प्रगति सकारात्मक बिन्दु, यदि कोई हों, आदि का भी उल्लेख होता है।

इसके अतिरिक्त, क्यूएमएस, ईएमएस, ओएचएसएएस तथा इरकॉन नियमावलियों (सीपीएम, सीक्यूएम तथा पीपीएम) पर जागरुकता

कार्यक्रम विषय पर भारतीय परियोजना स्थलों पर गुणवत्ता प्रबंधन विभाग के आंतरिक संपरीक्षकों के दल द्वारा 189 कर्मचारियों को इन-हाउस प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन

ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में, आपकी कंपनी ने लगभग 15.60 करोड़ रुपए की कुल लागत पर रेल डिब्बा कारखाना, राय बरेली (उत्तर प्रदेश) में सिविल कार्यों सहित सभी विद्युतीय और संबंधित उपकरणों सहित 2 मे.वा. क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र संयोजित ग्रिड के अभिकल्प, संस्थापन, परीक्षण और प्रचालन आरंभ का कार्य पूरा किया है। संयंत्र पूर्ण रुप से प्रचालनिक है और कारखाने की 21 प्रतिशत इलैक्ट्रिकल ऊर्जा आवश्यकता को पूरा कर रहा है।

ऊर्जा संरक्षण उपाय के रुप में निगमित कार्यालय के लिए ऊर्जा संपरीक्षा की गई थी और इसकी सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

जम्मू और कश्मीर राज्य में परियोजनाओं में रेल विद्युतीकरण कार्य के लिए शिरोपरि उपकरण (ओएचई) अभिकल्प आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के माध्यम से **प्रौद्योगिकी आमेलन** किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, सिवोक-रंगपो परियोजना में सुरंगों के निर्माण के लिए नई ऑस्ट्रिया टनलिंग विधि को अपनाए जाने का प्रस्ताव है। यह विधि जटिल विविध भौगोलिक परिस्थितियों में अत्यंत लाभदायक है जहां भौगोलिक परिस्थितियों में तीव्र परिवर्तनों के कारण पत्थरों के समुच्य (रॉक मास) का पूर्वानुमान कठिन होता है।

अनुसंधान एंव विकास (आर एंड डी)

आपकी कंपनी कोई विशुद्ध अनुसंधान परियोजना पर कार्य नहीं करती है किन्तु अपेक्षित गुणवत्ता के साथ लागत कुशलता के रुप में विभिन्न परियोजनाओं को निष्पादित करने हेतु विभिन्न पद्धतियों और तकनीकों को विकसित करने के लिए परामर्शदाताओं और फर्मों का सहयोग प्राप्त करती है।

प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन तथा आमेलन

आपकी कंपनी ने प्रौद्योगिकी तथा निर्माण तकनीकों के निरन्तर स्तरोन्नयन के लिए एक इंजीनियरिंग नियंत्रण तथा लेखापरीक्षा कक्ष स्थापित किया है, और यह उपयुक्त अभिकल्पन तथा बहुमूल्य इंजीनियरिंग के पहलुओं पर निगरानी रखता है। यह कक्ष विभिन्न प्रकार की संरचनाओं से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए अभिकल्प तथा आरेखों की समीक्षा भी करता है, तथा संरेखण अभिकल्प, भू-तकनीकी आदि क्षेत्रों में तकनीकी बैक-अप के साथ नई परियोजनाओं के विपणन प्रयासों व अवधारणीकरण में सहयोग देने के लिए अभिकल्प डाटा के मानकीकरण के साथ इंजीनियरिंग उपाय उपलब्ध कराता है। आपकी कंपनी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निष्पादन में नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर रही है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने विभिन्न स्पैनों के लिए आरओबी/आरयूबी हेतु इस्पात/पीएससी गिर्डरों के लिए माड्युलर अभिकल्प, विभिन्न लंबाई की रेल सुरंगों के लिए विभिन्न प्रणालियों (अग्नि सुरक्षा, अग्निशमन, संवातन तथा संरक्षा) के अभिकल्प, गगनचुंबी भवनों के निर्माण में तीव्रता लाने के लिए सृजनात्मक प्रणालियों (उदाहरण के लिए मॉड्युलर शटरिंग/पूर्वबलित एलिमेंट आदि) पर पेपर तैयार किया है।

सूचना प्रौद्यौगिकी एवं ईआरपी का विकास

एसएपी ईसीसी 6.0 आधारित वित्तीय-नियंत्रण एवं एचसीएम माड्यूल को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है और इसे सभी परियोजना कार्यालयों और निगमित कार्यालय में लागू किया गया है। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कहीं से भी वित्त और मानव संसाधन डोमेन्स सबंधी अद्यतन और वर्तमान आंकड़ों पर पहुंच प्राप्त की जा सकती है।

वर्ष के दौरान, कंपनी के व्यवसायिक लक्ष्यों को सूचना प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने पर बल दिया था। इस दिशा में, वेब आधारित एप्लिकेशनों को विकसित और क्रियान्वित किया गया है ताकि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके और डाटा एकत्रण और शेयरिंग के लिए सटीकता प्राप्त की जा सके। इन एप्लिकेशनों से प्राप्त डाटा का प्रयोग एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। कंपनी सभी क्रियाशील डोमेन्स जैसे परियोजना निष्पादन व मॉनीटरिंग संबंधी डोमेन्स के लिए ई-गवर्नेंस पहलों के भीतर सूचना प्रौद्योगिकी के उत्तोलन के लिए विस्तृत योजना तैयार कर रही है।

कागज के प्रयोग को कम करने और पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए सभी क्रियाशील डोमेन्स में आईटी के प्रयोग में संवर्धन किया गया है। कार्यालयी आदेशों, परिपत्रों और अधिसूचनाओं को प्रकाशित करने के लिए कंपनी के इंट्रानेट और इंटरनेट साइटों में सुधार किया गया है।

सर्तकता गतिविधियां

सतर्कता विभाग सतर्कता से संबंधित मुद्दों में शीर्ष प्रबंधन के लिए सलाहकार की भूमिका अदा करता है। इसके प्रमुख पूर्णकालीन मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा की गई है। पिछले सीवीओ का कार्यकाल 5 जून 2015 को समाप्त हो गया है और नए सीवीओ की नियुक्ति लंबित है, इसलिए इनके कार्यों का निष्पादन कंपनी के एक कार्यपालक निदेशक के द्वारा किया जा रहा है। श्री सतीश टंडन ने 20 जनवरी 2016 को कंपनी के सीवीओ के रुप में कार्यभार ग्रहण किया है।

सतर्कता विभाग निविदा और संविदाओं, कार्यों के निष्पादन, तथा अन्य क्रियाओं की निवारक जांचों के साथ-साथ शिकायतों की जांचों के माध्यम से निर्धारित दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। वर्ष के दौरान, विभाग ने विभिन्न परियोजनाओं/इकाइयों में 08 निरीक्षण किए हैं। विभिन्न प्राधिकारियों (सीवीसी, रेलवे बोर्ड, सतर्कता विभाग) द्वारा अधिकारियों, प्रक्रियाओं आदि के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की जांच तार्किक निष्कर्ष के आधार पर की थी। निष्कर्षों के आधार पर निविदा, संविदा, वित्त परियोजना प्रबंधन आदि से संबंधित कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों में और परियोजना प्रबंधन में भी प्रणाली सुधारों पर परिपत्र जारी किए गए थे ताकि अनियमितताओं/प्रक्रियात्मक त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके और खामियों को दूर किया जा सके। सीटीईओ द्वारा उठाए गए पैरों के समापन के लिए भी कदम उठाए गए थे। कर्मचारियों के अचल संपत्ति रिटर्न की संवीक्षा, कार्यशालाओं/प्रशिक्षण, चर्चा, प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से कार्य निष्पादन में नियमों/प्रक्रियाओं/सामान्य अनियमितताओं पर जागरूकता का सृजन करना आदि इस विभाग के प्रमुख कार्य हैं।

बेहतर पारदर्शिता के लिए "प्रौद्योगिकी के उत्तोलन" हेतु आपकी कंपनी ने अधिकारियों द्वारा अचल संपत्ति रिटर्नों को ऑनलाइन प्रस्तुत करना; कंपनी के इंट्रानेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनुशासनिक तथा सतर्कता क्लियरेंस; इरकॉन की वेबसाइट के सतर्कता अनुभाग /पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत आदि को संभव बनाया है। इसके अतिरिक्त, बेहतर पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए वृहत रुप से कंपनी में ई-प्रापण की प्रक्रिया क्रियान्वित की गई है।

सतर्कता विभाग अनैतिक पद्धतियों के निवारण के लिए कदम उठाकर संगठन की कार्यप्रणाली में भेदभावरहित, न्यायपूर्ण तथा पारदर्शी वातावरण के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है।

सत्यनिष्ठा संधि

मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सरकारी संगठनों में प्रमुख प्रापणों के संबंध में सत्यनिष्ठा संधि को अपनाए जाने की सिफारिश की है। आपकी कंपनी ने सत्यनिष्ठा संधि को स्वीकार करने तथा इसके क्रियान्वयन के लिए 22 अप्रैल 2014 को ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

तदनुसार, सभी भारतीय परियोजनाओं पर 5 करोड़ रुपए या अधिक के अनुमानित मूल्य वाले कार्यों और आपूर्तियों के लिए निविदाओं/संविदा के लिए सत्यनिष्ठा संधि को अपनाया है। आपकी कंपनी ने सीवीओ के परामर्श के साथ गतिविधियों की निगरानी करने के लिए एक स्वतंत्र बाहरी मॉनीटर (आईईएम) की नियुक्ति की है।

पुरस्कार

वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

1. अवसंरचनात्मक विकास में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में उत्कृष्टता के लिए दैनिक भास्कर द्वारा संस्थापित इंडिया प्राइड पुरस्कार 2014-15. यह पुरस्कार दिनांक 04 जून 2015 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में माननीय वित्त एवं निगमित कार्य मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली, भारत सरकार द्वारा मोहन तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इरकॉन को प्रदान किया गया था।

2. निविदा और निर्माण क्षेत्र की श्रेणी में डन एंड ब्रैडस्ट्रीट शीर्ष पीएसयू पुरस्कार 2015. यह पुरस्कार दिनांक 23 जुलाई 2015 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में श्री मोहन तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इरकॉन द्वारा प्राप्त किया गया था।

3. पटना में गंगा नदी पर रेल-सह-सड़क पुल के लिए निर्माण और अवसंरचना विकास (रेलवे) की श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष अवसंरचना कंपनी तथा सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजना की दो श्रेणियों के लिए डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंफ्रा पुरस्कार 2015 प्रदान किया गया । दोनों पुरस्कार 28 अक्तूबर 2015 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में श्री पीयूष गोयल, माननीय रेल राज्य मंत्री व ऊर्जा, कोयला और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार, द्वारा इरकॉन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री मोहन तिवारी को प्रदान किया गया है।

4. गंगा नदी, पटना के ऊपर रेल-सह-सड़क पुल के निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजना की श्रेणी में निर्माण उद्योग विकास परिषद् (सीआईडीसी) से सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार, 2016. यह पुरस्कार दिनांक 7 मार्च 2016 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इरकॉन के अधिकारियों यथा श्री मोहन तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री हितेष खन्ना, निदेशक-कार्य, श्री

निर्माण एवं अवसंरचना विकास (रेलवे) में डी एंड बी इंफ्रा अवार्ड, 2015

अनिल जैन, कार्यपालक निदेशक-कार्य द्वारा प्राप्त किया गया था।

5. उत्कृष्ट सीएसआर/पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण के लिए दैनिक भास्कर द्वारा संस्थापित इंडिया प्राइड अवार्ड 2015-16. यह पुरस्कार दिनांक 4 अप्रैल 2016 को दिल्ली में आयोजित एक समारोह में श्री वेंकय्या नायडु, माननीय शहरी विकास केन्द्रीय मंत्री द्वारा श्री मोहन तिवार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरकॉन को प्रदान किया गया था।

एकीकृत रिपोर्ट

"सीएसआर एवं धारणीय गतिविधियों पर रिपोर्ट", "प्रबंधन विचार-

सीएसआर पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए इंडिया प्राइड पुरुस्कार

विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट", "कार्पोरेट शासन रिपोर्ट", "सचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट", "फॉर्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिपोर्ट का सार" तथा "फॉर्म एओसी-2" में संबंधित पक्षों के साथ किए गए संव्यवहारों का ब्यौरा, तथा स्टेंडएलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में समाविष्ट अर्हताओं पर प्रबंधन उत्तर और इसके साथ निदेशक रिपोर्ट के अभिन्न अंग के रुप में संगत अनुबंध हैं तथा इन्हें क्रमशः इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक ग, घ, ड., च, छ, ज, झ तथा ट** के रूप में रखा गया है।

"सीएसआर एवं धारणीय विकास गतिविधियों पर रिपोर्ट"

कंपनी की सीएसआर तथा धारणीयता नीति, सीएसआर समिति की संरचना, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का औसत शुद्ध लाभ और निर्धारित सीएसआर व्यय, तथा वित्त वर्ष के दौरान निष्पादित गतिविधियों /परियोजनाओं पर किए गए सीएसआर व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। **[परिशिष्ट-ग]**

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट कम्पनी के कार्यों के समग्र परिदृश्य, इसके कानूनी स्तर और स्वायत्ता, उसके व्यावसायिक परिवेश, विजन और मिशन, क्षेत्रीय तथा वर्गवार प्रचालनिक निष्पादन, विशेषताओं, शक्तियों, अवसरों, सीमाओं, नीति और जोखिमों और महत्वपूर्ण पहलुओं और साथ ही मानव संसाधन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को प्रस्तुत करती हैं। **[परिशिष्ट-घ]**

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट, निगमित शासन के दर्शन, निदेशक मंडल तथा उसकी समिति की संरचना, उनका ब्यौरा, जिसमें वर्ष 2015-16 तथा उसके पश्चात कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशकों का प्रोफाइल शामिल है और इसके अतिरिक्त, निदेशकों आदि की उपस्थिति तथा वेतन, अन्य संगत प्रकटन, सीएमडी/डीएफ प्रमाणन, शेयर धारकों के लिए सामान्य सूचना उपलब्ध कराती है **[परिशिष्ट-ड.]**। इसमें निम्नलिखित अनुपालन प्रमाणपत्र भी शामिल होते हैं:

(i) वर्ष 2015-16 के दौरान सभी मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता तथा प्रमुख मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र [**अनुलग्नक 'ड.'1 पर प्रस्तुत]**;

(ii) वित्तीय विवरणों की सत्यता तथा विश्वसनियता, देय अनुपालनों व वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में प्रबंधन निदेशक तथा निदेशक वित्त से प्रमाण पत्र [**अनुलग्नक 'ड.'-2 पर]**; और

(iii) पेशेवर कम्पनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित निगमित शासन के अनुपालन का प्रमाण पत्र [**अनुलग्नक ड.-3 पर]**

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204 तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधान के अनुसरण में, कंपनी ने वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षा का कार्य करने के लिए पेशेवर कंपनी सचिव, मैसर्स विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स को नियुक्त किया है। लेखापरीक्षक से सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट **परिशिष्ट-च** पर प्रस्तुत है।

सचिवीय लेखापरीक्षक तथा पेशेवर कंपनी सचिव, जिसने निगमित शासन अनुपालन प्रमाणपत्र दिया है, ने अवलोकन किया था कि कंपनी ने निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में निदेशकों और महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है। आपके निदेशकों ने उल्लेख किया है कि आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण, मंडल में सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार (प्रशासनिक मंत्रालय यथा रेल मंत्रालय के माध्यम से) द्वारा की जाती है। तदनुसार, रेल मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे इरकॉन के मंडल में स्वतंत्र निदेशकों तथा महिला निदेशक की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति करे। **इसके अतिरिक्त, रेल मंत्रालय ने अप्रैल 2016 में तीन स्वतंत्र**

निदेशकों (महिला निदेशक सहित) को नियुक्त किया है।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3)(क) के अनुसरण में, **"वार्षिक रिटर्न का सार" परिशिष्ट - छ** पर उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 134(3)(ज) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार यथापेक्षित फार्म एओसी-2 में **संबंधित पक्ष संव्यवहारों का प्रकटन परिशिष्ट-ज** पर उपलब्ध है।

स्टेंडएलोन तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में समाविष्ट मुद्दे पर बल/अर्हताओं के माध्यम से टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर क्रमशः **परिशिष्ट - झ तथा ट** पर उपलब्ध है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है किः-

1. वित्तीय लेखे तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है और इनमें कोई विशेष विचलन नहीं हुआ है बशर्ते वार्षिक वित्तीय लेखों में अन्यथा उल्लेख किया गया हो ।

2. ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया था और उन्हें निरन्तर लागू किया गया था और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के कंपनी के लाभ के लिए कंपनी की कार्य स्थिति का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके ।

3. परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छलकपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रख-रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है ।

4. वित्तीय लेखे-सुनाम-प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किया गया है, तथा

5. सभी प्रचलित नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई थी और कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रचालनिक रुप से कुशल थीं।

निदेशक मंडल

अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान निदेशक मंडल की नौं बैठकें आयोजित हुई थीं जिनमें से जून, 2015 को समाप्त होने वाली तिमाही में एक बैठक, सितंबर 2015 तथा दिसंबर 2015 को समाप्त तिमाही में तीन बैठकें और मार्च, 2016 को समाप्त होने वाली प्रत्येक तिमाही में दो बैठकों का आयोजन किया गया था।

बैठकों का ब्यौरा बोर्ड प्रक्रिया (पैरा 5) शीर्षक के अंतर्गत निगमित शासन रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है।

1. 31 मार्च 2016 को निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या छह थी जिनमें चार पूर्णकालीन निदेशक तथा दो सरकारी नामिति निदेशक थे। इनका ब्यौरा निम्नानुसार हैः

1	श्री मोहन तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक [डीआईएन 00191363]	01/02/2009 से प्रभावी
2	श्री के.के. गर्ग, निदेशक वित्त [डीआईएन 01495050]	03/11/2009 से प्रभावी
3	श्री दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना [डीआईएन 03056457]	16/04/2010 से प्रभावी
4	श्री हितेश खन्ना, निदेशक, कार्य[डीआईएन 02789681]	07/03/2011 से प्रभावी
5	श्री अंजुम परवेज, अंशकालीन (सरकारी)निदेशक [डीआईएन 06682287]	15/07/2013 से प्रभावी
6	श्री एच.के.काला अंशकालीन (सरकारी)निदेशक [डीआईएन 07200108]	02/06/2015 से प्रभावी

2. वर्ष 2015-16 के समाप्त होने के पश्चात

(क) निम्नलिखित निदेशकों ने कार्यभार ग्रहण किया है :

1	श्री एस.के.सिंह * स्वतंत्र निदेशक [डीआईएनः 00003695]	05.04.2016 से
2	श्री अवनीश माटा * स्वतंत्र निदेशक [डीआईएनः 00011749]	08.04.2016 से
3	प्रो. (सुश्री) वसुधा वी.कामत* स्वतंत्र निदेशक [डीआईएनः 07500096]	22.04.2016 से
4	श्री एम.के.सिंह निदेशक वित्त [डीआईएनः 06607392]	01.05.2016 से

*सभी तीनों स्वतंत्र निदेशकों ने उनकी नियुक्ति के पश्चात आयोजित पहली बोर्ड बैठक में यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 149(6) की शर्तों के अनुसार स्वतंत्रता के

मापदंड को पूरा करते हैं।

(ख) निम्नलिखित निदेशकों ने अपना कार्यभार छोड़ाः

1	श्री के.के.गर्ग निदेशक वित्त [डीआईएनः 01495050]	30-04-2016 (अपराह्न) को अधिवर्षिता के कारण निदेशक का पद छोड़ा।
2	श्री एच.के.काला अंशकालीन (सरकारी) निदेशक [डीआईएनः 07200108]	30.06.2016 (अपराह्न)को अपर सदस्य (नियोजन), रेलवे बोर्ड के पद से अधिवर्षिता के कारण निदेशक का पद छोड़ा

लेखापरीक्षक

क. सांविधिक और शाखा लेखापरीक्षक:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2015-2016 के लिए कम्पनी के लेखापरीक्षक नियुक्त किए गए हैंः-

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक :

वी.के.ढींगरा एंड कंपनी	कम्पनी के लिए समग्र रुप से

भारत में परियोजनाओं के लिए शाखा लेखापरीक्षक

जिंदल एंड कंपनी, नई दिल्ली	उत्तरी क्षेत्र तथा कानपुर क्षेत्र के अन्तर्गत सभी परियोजनाएं
प्रवेश जैन एंड कंपनी, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत सभी परियोजनाएं (श्रीनगर क्षेत्र के रूप में नामित)
जे.एल.सेनगुप्ता एंड कंपनी, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	पूर्वी क्षेत्र की सभी परियोजनाएं
एसवीआर एंड एसोसिएट्स, बंगलुरु (कर्नाटक)	दक्षिणी क्षेत्र की सभी परियोजनाएं

विदेश में परियोजनाओं के लिए शाखा लेखापरीक्षक

सुंदर एंड एसोसिएट्स	मलेशिया
कैबिनेट डी.ऑडिट ऐट सीएसी, अल्जीरिया	अल्जीरिया
गजमा एंड कंपनी, कोलंबो, श्रीलंका	श्रीलंका
तोहा खान जमान एंड कंपनी, बांग्लादेश	बांग्लादेश
एस.एन.मुखर्जी एंड कंपनी	भूटान

ख. लागत लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल ने लागू नियमों/मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार कंपनी के लागत रिकॉर्डों के अनुरक्षण तथा उन पर अनुपालन रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी लागत लेखाकार के रूप में मैसर्स चन्द्रा वाधवा एंड कंपनी, लागत लेखाकार को लेखापरीक्षक के रुप में नियुक्त किया है।

ग. सचिवीय लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षक के लिए मैसर्स विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को नियुक्त किया है।

घ. आंतरिक लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल ने वर्ष 2015-16 के लिए निम्नलिखित आंतरिक लेखापरीक्षकों को नियुक्त किया हैः

भारतीय परियोजनाओं के लिए लेखापरीक्षकः

ब्रह्ममाया एंड कंपनी, नई दिल्ली	उत्तरी क्षेत्र
बवेजा एंड कौल, जम्मू (वित्तीय वर्ष 2015-16 के दूसरे अर्धवर्ष हेतु)	जम्मू और कश्मीर क्षेत्र
जैन चौधरी एंड कंपनी, कोलकाता	पूर्वी क्षेत्र
पेट्रो एंड कंपनी, बेंगलोर (वित्तीय वर्ष 2015-16 के दूसरे अर्धवर्ष हेतु)	दक्षिणी क्षेत्र
अमित राय एंड कंपनी	निगमित कार्यालय

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रथम अर्ध वर्ष के लिए जम्मू और कश्मीर तथा दक्षिणी क्षेत्र के लेखापरीक्षा सर्किल की आंतरिक लेखापरीक्षा (प्रत्येक) के लिए इरकॉन के दो अधिकारियों को नामित किया गया था।

विदेशी परियोजनाओं के लिए लेखापरीक्षकः

केरबल अथमम, अल्जर	अल्जीरिया
जयसिंघे एंड कंपनी, श्रीलंका	श्रीलंका
आहसन ज़मीर एंड कंपनी, बांग्लादेश	बांग्लादेश
राय एंड कंपनी, कोलकाता	भूटान
किशोर एंड किशोर एसोसिएट्स, नई दिल्ली	मलेशिया

आभारोक्ति

हम रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों, विभिन्न बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, निर्यात-आयात बैंक, निर्यात ऋण तथा गारण्टी निगम, राजदूतावासों, आप्रवासन संरक्षकों, पासपोर्ट प्राधिकारी, दूरदर्शन तथा भारत और विदेश दोनों में हमारे सम्मानित ग्राहकों के प्रति कंपनी में रूचि बनाए रखने और समर्थन के लिए सराहना करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं ।

हम कंपनी के कार्यनिष्पादन तथा लाभप्रदत्ता में सुधार करने के लिए कम्पनी के सभी स्तरों के सभी कर्मचारियों के अथक प्रयासों, समर्पण तथा कृतज्ञता के प्रति आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-
(मोहन तिवारी)
अध्यक्ष
एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00191363)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 2 सितंबर 2016

परिशिष्ट-क

भारत में प्रमुख चालू परियोजनाएं

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना/ संशोधित मूल्य
1.	उत्तरी रेलवे के लिए अतिरिक्त कार्यों सहित धरम-काजीगुंड खंड, किमी 33.09 से 39.00 तथा किमी 61.00 से 91.00 सहित कटरा- काजीगुंड खंड।	9521
2.	रेल मंत्रालय के लिए अतिरिक्त कार्यों सहित रायबरेली में नये रेल डिब्बा कारखाने की स्थापना।	2338
3.	छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड के लिए छत्तीसगढ राज्य में खरसिया से धरमजयगढ के बीच पूर्वी गलियारे के कॉरीडोर-1 तथा स्पर लाइन का निर्माण।	1424
4.	नार्थ फ्रंटियर रेलवे के लिए सिवोक-रंगपो नई रेल लाइन परियोजना।	1339
5.	रेल मंत्रालय तथा बिहार और राजस्थान सरकार या इसके विभिन्न विभाग/स्थानीय निकायों के लिए बिहार (चरण-I व II) तथा राजस्थान में सड़क ऊपरि पुलों का निर्माण।	1235 (बिहार), 507 (राजस्थान)
6.	बिहार राज्य में पीएमजीएसवाई का क्रियान्वयन।	1012
7.	जम्मू और कश्मीर उर्जा विकास विभाग के लिए जम्मू प्रांत (क्लस्टर-I, जम्मू लेफ्ट), (क्लस्टर-II, जम्मू राइट), तथा (क्लस्टर-IV) (अखनूर, राजौरी, पूंछ, उधमपुर, डोडा, किश्तवार तथा भदेरवा) के अंतर्गत आरएपीडीआरपी-भाग-ख परियोजना।	682
8.	इरकॉन पीबी टॉलवे लिमिटेड के लिए राजस्थान राज्य में बीओटी (टोल) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर किमी 4.200 से किमी 55.250 को चार लेन का बनाने के लिए तथा किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेवड शोल्डर सहित दो लेने का बनाने के लिए मौजूदा बीकानेर -फलौदी खंड को चौड़ा करना व इसका सुदृढीकरण।	646
9.	इरकॉन शिवपुरी गुना टॉलवे लिमिटेड के लिए एनएचपीडी के चरण-IV के अंतर्गत डीबीएफओटी पैटर्न पर बीओटी (टोल) पर निष्पादित किए जाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य में किमी 236.00 से किमी 332.100 (पैकेज-I) तक शिवपुरी से गुना तक चार लेन करना।	642
10.	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और झारखंड राज्य सरकार के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना परियोजना के अंतर्गत झारखंड के 5 जिलों में ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण /स्तरोन्नयन।	525
11.	मध्य पूर्व रेल के लिए भारत-नेपाल सीमा पर बर्दीबस तक विस्तार सहित जयनगर (भारत)-बीजलपुरा (नेपाल) (आमान परिवर्तन)के बीच रेल संपर्क का निर्माण।	447

रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली का दृश्य

मुकुंदपुर, दिल्ली में 66 किवा याई

रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली के वर्कशॉप का दृश्य

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना/ संशोधित मूल्य
12.	नॉर्थ फ्रंटियर रेल के लिए जोगबनी (बिहार) भारत से बिराटनगर (नेपाल) के बीच रेल संपर्क का निर्माण।	354
13.	पीवीवीएनएल के लिए सामग्री की आपूर्ति सहित टर्नकी आधार पर आरएपीडीआरपी भाग-ख योजना के अंतर्गत निष्पादित किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में प्रणाली सुधार, ए.टी एंड सी संबंधी घाटों को कम करने के लिए वितरण प्रणाली में सुधार, सुदृढीकरण तथा संवर्धन और उपभोक्ता आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार का कार्य।	329
14.	दिल्ली एमआरटीएस परियोजना, चरण-III के लिए डीएमआरसी के सीई-6, लॉट-1 के अंतर्गत ग्रिड उप-स्टेशन से उच्च वोल्टता केबलिंग और मौजूदा रिसीविंग उप-स्टेशन के लिए संवर्धन कार्य सहित रिसीविंग-सह-घर्षण तथा अनुषंगी मुख्य उप-स्टेशन के अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और प्रचालन का कार्य।	234
15.	बोंडामुंडा (दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए), दौंड (मध्य रेलवे के लिए), तथा मुगलसराय (उत्तरी रेलवे के लिए) में 200 तीन-फेज इंजनों के लिए तीन इलैक्ट्रिक लोको शेडों की स्थापना।	234
16.	दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए संतरागाछी में सर्कुलेटिंग क्षेत्र तथा अनिवार्य यात्री सुविधाओं और कोना एक्सप्रेस-वे के लिए सड़क संपर्कता का विकास।	210
17.	दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए अनिवार्य यात्री सुविधाओं के प्रावधान द्वारा शालीमार में कोचिंग टर्मिनल का विकास	205
18.	संविदा सीटी-1-कः डीएमआरसी के लिए दिल्ली एमआरटीएस परियोजना के चरण-।।। के लिए मुकुंदपुर डीपो से गिट्टीयुक्ति/ गिट्टी रहित रेलपथ सहित एलिवेटिड और भूमिहीन खंडों में मुकुंदपुर - लाजपत नगर (को छोड़कर) लाइन-7 पर आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और प्रचालन आरंभ।	199
19.	संविदा के टी-4:डीएमआरसी के लिए कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के अलुवा से पेट्टा गलियारे के एलिवेटिड खंड में मानक आमान के गिट्टी रहित रेलपथ का अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और कार्य आरंभ तथा संविदा केटी-5 आर-1-मट्टम डीपो में मानक गेज रेलपथ निर्माण कार्य के लिए आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और कार्य आरंभ।	178

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

(मोहन तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00191363)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 2 सितंबर 2016

परिशिष्ट -ख

सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और संबद्ध कंपनियां

क. सहायक कंपनियां:

1. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लि. (इरकॉन आईएसएल)

इरकॉन के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) का गठन 30 सितम्बर, 2009 को किया गया था और इसने 10 नवम्बर, 2009 को व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। इरकॉन आईएसएल के मुख्य उद्देश्य, भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बहुउद्देशीय परिसरों हेतु अवसंरचना के निर्माण के क्षेत्र में तथा रियल इस्टेट तथा संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सभी कामों का निष्पादन करना है। वर्ष के दौरान, इरकॉन आईएसएल हायर पर्चेस, सभी प्रकार की चल तथा अचल परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने तथा सामाजिक कल्याण आदि उपायों सहित सभी प्रकार की सेवाएं व अनुरक्षण व सहायता सहित सभी प्रकार की इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए परामर्श उपलब्ध कराना।

वर्ष 2015-16 के दौरान, इरकॉन आईएसएल म्यांमार में पुल परियोजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को तैयार करने के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) की परामर्शदाता परियोजना को निष्पादित किया है, और दो अन्य परामर्शदात्री परियोजनाएं प्राप्त की हैं यथा (क) म्यांमार में पहुंच मार्ग परियोजना सहित पुलों के निर्माण के लिए प्रबंधन परामर्श तथा (ख) रखिने राज्य में सड़क परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने की परियोजना।

इरकॉन आईएसएल ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, तथा साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में शौचालय ब्लाकों (4825 शौचालयों) के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श उपलब्ध कराया है। इरकॉन आईएसएल द्वारा निष्पादित किए गए 24 एमएफसी में से 20 एमएफसी को प्रचालकों को उप ठेके पर दे दिया गया है। इरकॉन आईएसएल श्रीलंका और मलेशिया में इरकॉन की परियोनाओं के लिए कार्मिकों की आपूर्ति का कार्य भी कर रही है।

<u>इरकॉन आईएसएल की वित्तीय स्थिति:</u>

31 मार्च 2016 को इरकॉन आईएसएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 65 करोड़ रुपए है। इरकॉन ने 31 मार्च 2015 को 25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त शेयर पूंजी को पोषित किया है, जिन्हें मई 2015 को आवंटित किया गया है।

वर्ष के दौरान इरकॉन आईएसएल की प्रचालनिक आय 74.05 करोड़ रुपए तथा अर्जित कर पूर्व लाभ 22.61 करोड़ रुपए है और कर पश्चात लाभ 14.22 करोड़ रुपए है।

2. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)

इरकॉन की सहायक कंपनी और रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) की संयुक्त उद्यम कंपनी, भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड का गठन 12 अप्रैल 2012 को किया गया था और इसने 9 मई 2012 को अपना व्यवसाय आरंभ प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। आईआरएसडीसी का मुख्य उद्देश्य भारत में यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर मानक स्थापित करने हेतु स्टेशन भवनों, प्लेटफार्म स्थलों, परिपत्रण क्षेत्रों आदि के पुनर्विकास सहित नए निर्माण/नवीकरण कार्यों द्वारा यात्री सुविधाओं के स्तर में स्तरोन्नयन सहित मौजूदा/नए रेलवे स्टेशन (स्टेशनों) का विकास पुनर्विकास करना तथा भूमि/वायु क्षेत्र का वाणिज्यिक विकास करना है। आईआरएसडीसी में इरकॉन और आरएलडीए की इक्विटी भागीदारी अनुपात क्रमशः 51:49 है।

आईआरएसडीसी को विकास/पुनर्विकास के लिए चंडीगढ़, हबीबगंज (भोपाल), शिवाजी नगर (पुणे), बिजवासन(नई दिल्ली), आनंद विहार (दिल्ली) तथा सूरत और गांधीनगर (गुजरात) तथा एसएएस नगर (मोहाली), पंजाब में 8 स्टेशनों पर कार्य सौंपा गया है। आईआरएसडीसी द्वारा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की स्थिति निम्नानुसार हैः

(i) चंडीगढ रेलवे स्टेशन - स्थानीय प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान किए गए वाणिज्यिक विकास में तीव्र कमी के कारण आवर्धित कार्यक्षेत्र के लिए पुनर्विकास योजना का संशोधन किया जा रहा है।

(ii) हबीबगंज रेलवे स्टेशन - इस स्टेशन के पुनर्विकास के लिए संविदा प्रदान कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत भूमि के वाणिज्यिक विकास के माध्यम से स्टेशन को आधुनिक बनाया जाएगा और रिटेल तथा विज्ञापन राजस्वों के माध्यम से अनुरक्षण किया जाएगा।

(iii) शिवाजीनगर रेलवे स्टेशन - विकास कार्य को पूणे नगर निगम द्वारा अनुमोदन दिया जा रहा है।

(iv) बिजवासन और आनन्द विहार रेलवे स्टेशन - बोली प्रक्रिया अग्रिम स्तर पर है।

(v) सूरत रेलवे स्टेशन - संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से बहु- मॉडल परिवहन हब के रुप में पुनर्विकास की योजना है और इसके लिए केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय सरकार द्वारा भूमि की पूलिंग की जाएगी।

एमएमटीएच सूरत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

(vi) गांधीनगर रेलवे स्टेशन - राज्य सरकार के स्वामित्व वाले समीपवर्ती महात्मा मंदिर परिसर के प्रचालन और अनुरक्षण के संयोजन द्वारा व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण मॉडल पर पुनर्विकास की योजना है।

(vii) एसएएस नगर, मोहाली रेलवे स्टेशन - लाभप्रद नहीं पाया गया है और इस पर पुनःविचार किया जाना प्रस्तावित है।

आईआरएसडीसी की वित्तीय स्थिति

आईआरएसडीसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपए है। 31 मार्च 2016 को इसका अंशदान तथा प्रदत्त शेयर पूंजी 40 करोड़ रुपए है।

वर्ष के दौरान आईआरएसडीसी का अर्जित कर पूर्व लाभ 2.44 करोड़ रुपए है और कर पश्चात लाभ 1.15 करोड़ रुपए है, जो मुख्य रुप से ब्याज आय से है।

3. इरकॉन पीबी टॉलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल)

इरकॉन पीबीटीएल का निगमन इरकॉन द्वारा 30 सितंबर 2014 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रुप में एक विशेष कार्य वाहन के रुप में किया गया था और इरकॉन पीबीटीएल ने 14 नवंबर 2014 को कंपनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है। इरकॉन पीबीटीएल का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर 4.200 कि.मी. से 55.250 कि.मी. तक मौजूदा बीकानेर-फलौदी खंड को चार लेन करने और 55.250 कि.मी. से 163.00 कि.मी. तक पेवड शौल्ड सहित दो लेन का बनाकर सुदृढीकरण की परियोजना को प्रदान करने के लिए 7 नवंबर 2014 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर की शर्तों के अनुसार निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीआटी) (टोल) आधार पर किया गया था।

रियायत करार की शर्तों के अनुसार, इरकॉन पीबीटीएल ने 30 अप्रैल 2015 यथा निष्पादन की तिथि को वित्तीय समापन प्राप्त किया है और 352 करोड़ रुपए के लिए इरकॉन के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। पूर्ववर्ती शर्त के रुप में एक अन्य शर्त रियायत करार में यह निर्धारित की गई है कि नियुक्ति तिथि यथा प्रतिस्थापन करार (एनएचएआई, इरकॉन पीबीटीएल, तथा इरकॉन के बीच) और एस्क्रो करार (इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन, भारतीय ओवरसीस बैंक तथा एनएचएआई के बीच) का निष्पादन क्रमशः 16 जुलाई 2015 तथा 10 अगस्त 2015 को किया गया था।

एनएचएआई ने 14 अक्तूबर 2015 को निर्माण आरंभ करने के लिए नियुक्त तिथि निर्धारित की है जिसमें निर्माण अवधि 910 दिन की होगी, जिसके लिए इरकॉन को ईपीसी कांट्रैक्टर के रुप में नियुक्त किया गया है। निर्माण कार्य आरंभ होने (अप्रैल 2018 के लिए अनुसूचित) तथा टोल प्लाजा और टोल शुल्कों के प्रचालनीकरण के लिए एनएचएआई द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात प्रचालन की आरंभ तिथि अधिसूचित की जाएगी।

इरकॉन पीबीटीएल की वित्तीय स्थिति:

इरकॉन पीबीटीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 175 करोड़ रुपए है। 31 मार्च 2016 को इसकी प्रदत्त शेयर पूंजी 90 करोड़ है।

इरकॉन पीबीटीएल अभी निर्माण चरण पर है और उसे अभी काई प्रचालनिक टर्नओवर प्राप्त करना है। वर्ष के दौरान इरकॉन पीबीटीएल ने 5.61 करोड़ रुपए का करपूर्व लाभ तथा 3.37 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ प्राप्त किया है जो मुख्य रुप से ब्याज आय से प्राप्त हुआ है।

4. इरकॉन शिवपुरी गुना टॉलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल)

वर्ष 2015-16 के दौरान आपकी कंपनी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में शिवपुरी-गूना परियोजना को प्रदान किए जाने की शर्त के अनुसरण में12 मई 2015

को इरकॉन शिवपुरी गूना टॉलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल) नाम एक अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का निर्माण किया है। इरकॉन एसजीटीएल ने 27 मई 2015 को कंपनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है।

इरकॉन एसजीटीएल का मुख्य उद्देश्य दिनांक 15 जून 2015 को एनएचएआई के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचपीडी के चरण- iv के अंतर्गत डीबीएफओटी पैटर्न पर बीओटी (टोल) पर निष्पादित किए जाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य में किमी 236.00 से किमी 332.1 तक राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के शिवपुरी-गुना खंड को चार लेन का करना तथा इससे संबंधित अन्य अनुषंगी कार्य पूरा करना है।

रियायत करार की शर्तों के अनुसार, इरकॉन एसजीटीएल ने 23 नवंबर 2015 यथा निष्पादन की तिथि को वित्तीय समापन प्राप्त किया है और 722.11 करोड़ रुपए के लिए इरकॉन के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। पूर्ववर्ती शर्त के रुप में एक अन्य शर्त रियायत करार में यह निर्धारित की गई है कि नियुक्ति तिथि यथा प्रतिस्थापन करार (इरकॉन एसजीटीएल, इरकॉन, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा एनएचएआई के बीच) और एस्क्रो करार (एनएचएआई, इरकॉन एसजीटीएल तथा इरकॉन के बीच) का निष्पादन 04 दिसंबर 2015 को किया गया था।

एनएचएआई ने 25 जनवरी 2016 को निर्माण आरंभ करने के लिए नियुक्ति तिथि निर्धारित की है जिसमें निर्माण अवधि 910 दिन की होगी, जिसके लिए इरकॉन को ईपीसी कांट्रैक्टर के रुप में नियुक्त किया गया है। निर्माण कार्य आरंभ होने (जुलाई 2018 के लिए अनुसूचित) तथा टोल प्लाजा और टोल शुल्कों के प्रचालनीकरण के लिए एनएचएआई द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात प्रचालन की आरंभ तिथि अधिसूचित की जाएगी।

इरकॉन एसजीटीएल की वित्तीय स्थिति:

इरकॉन एसजीटीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपए है। 31 मार्च 2016 को इसकी प्रदत्त शेयर पूंजी 33 करोड़ है। 31 मार्च 2016 को इरकॉन द्वारा 37 करोड़ रुपए के अतिरिक्त शेयर पूंजी अंशदान के परिणामस्वरुप शेयर मई 2016 को आवंटित किए गए हैं।

इरकॉन एसजीटीएल निर्माण चरण पर है और उसे अभी प्रचालनिक टर्नओवर प्राप्त करना है। वर्ष के दौरान इरकॉन एसजीटीएल को प्रचालन पूर्व व्ययों के कारण 76.61 लाख रुपए का घाटा हुआ है।

ख. संयुक्त उद्यम कंपनियां (जेवीसी)- भारत में:

5. इरकॉन-सोमा टॉलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल)

एनएचएआई के लिए महाराष्ट्र में किमी 380 से किमी 265 तक राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के पिंपलगांव-धुले खंड को चार लेने का बनाने के लिए बीओटी परियोजना के निष्पादन के लिए इरकॉन तथा सोमा इंटरप्राइसिस लिमिटेड (निजी क्षेत्र की एक निर्माण कंपनी) द्वारा 50% की इक्विटी भागीदारी के साथ 19 अप्रैल 2005 को इरकॉन-सोमा टॉलवे प्रा.लि. (आईएसटीपीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) का निर्माण किया गया था।

वर्ष 2010-11 में पिंपलगांव-धुले खंड को चार लेने का बनाने की बीओटी परियोजना पूरा हो गई थी और तदनुसार, आईएसटीपीएल 118.158 किमी के सम्पूर्ण क्षेत्र पर टोल अर्जित कर रही है।

आईएसटीपीएल की वित्तीय स्थिति:

31 मार्च 2016 को आईएसटीपीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 130 करोड़ रुपए है और इसका अंशदान तथा प्रदत्त शेयर पूंजी 127.74 करोड़ रुपए है।

वर्ष के दौरान आईएसटीपीएल ने 157.23 करोड़ रुपए का प्रचालनिक टर्नओवर अर्जित किया है जबकि पिछले वर्ष यह 155.34 करोड़ रुपए था और इसे 5.91 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त हुआ था जबकि पिछले वर्ष के दौरान 15.67 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था।

आईएसटीपीएल में अपनी 30% शेयरधारिता को बंधक रखने के लिए आपकी कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में, आईएसटीपीएल तथा पीएनबी के साथ त्रिपक्षीय बंधक करार किया है, रियायत करार के समापन की स्थिति में पीएनबी को देय, यदि कोई हो, में किसी प्रकार की कमी के 50% को पूरा करने के लिए अपनी शेयरधारिता के 21% के लिए गैर-विन्यास शपथ शामिल है। उक्त बंधक करार तथा गैर-विन्यास शपत का निष्पादन वर्ष 2011-12 में आईएसटीपीएल द्वारा प्राप्त किए गए 521.53 करोड़ रुपए के इस ऋण के संबंध मे आईएसटीपीएल में 50% की इक्विटी भागीदारी के रुप में किया गया था। 31 मार्च 2016 को इस ऋण का बकाया शेष 227.16 करोड़ रुपए है। इस ऋण से संबंधित ब्यौरा और संबंधित शपत को स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के भाग के रुप मे नोट सं. 12 में भी प्रदर्शित किया गया है।

6. छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड (सीईआरएल)

छत्तीसगढ राज्य में कोयला संपर्कता गलियारे यथा पूर्वी गलियारे (180 किमी)के विकास के लिए क्रमशः 64:26:10 के अनुपात मे साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इरकॉन और छत्तीसगढ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (छत्तीसगढ सरकार की नामिति) द्वारा इक्विटी भागीदारी से 12 मार्च 2013 को छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड (सीईआरएल) नामक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवसी) का

गठन किया गया था। सीईआरएल ने 7 मई 2013 को कंपनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है।

सीईआरएल ने रेल मंत्रालय के साथ 12 जून 2015 को पूर्व गलियारा कोयला सम्पर्कता परियोजना के चरण-I (कुल 104.157 किमी) के लिए रियायत करार पर हस्ताक्षर किया है। पीपीपी परियोजनाओं के लिए परियोजना का चरण-I निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन तथा हस्तांतरण (बीओटी)मॉडल के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है।

सीईआरएल की वित्तीय स्थिति:

31 मार्च 2016 को सीईआरएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 400 करोड़ रुपए है और इसका अंशदान तथा प्रदत्त शेयर पूंजी 139.055 करोड़ रुपए है। सीईआरएल द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन अभी आरंभ किया जाना है।

7. छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेल लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)

छत्तीसगढ राज्य में कोयला संपर्कता गलियारे यथा पूर्व पश्चिम गलियारे (122 किमी) के विकास के लिए क्रमश 62:26:10 के अनुपात में साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इरकॉन और छत्तीसगढ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडी) (छत्तीसगढ सरकार की नामिति) द्वारा इक्विटी भागीदारी से 25 मार्च 2013 को छत्तीसगढ पूर्वी पश्चिम रेल लिमिटेड (सीईआरएल) नाम संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) का गठन किया गया था। सीईआरएल ने 7 मई 2013 को कंपनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है।

जुलाई 2015 के दौरान साउथ इस्टर्न सेंट्रल रेलवे द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)की स्वीकृति प्रदान की गई है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाएं प्रगति पर हैं।

सीईडब्ल्यूआरएल की वित्तीय स्थिति:

31 मार्च 2016 को सीईडब्ल्यूआरएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 5 करोड़ रुपए है और इसका अंशदान तथा प्रदत्त शेयर पूंजी 4.055 करोड़ रुपए है। सीईडब्ल्यूआरएल द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन अभी आरंभ किया जाना है।

8. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल)

वर्ष 2015-16 के दौरान, ओडीशा राज्य में खदानों से कोयले के खनन के लिए महत्वपूर्ण चयनित रेल गलियारा परियोजनाओं के निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण के प्रमुख उद्देश्य के साथ 64:26:10 के अनुपात में क्रमशः महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, इरकॉन तथा ओडीशा औद्योगिक विकास निगम (ओडीशा सरकार की नामिती) द्वारा इक्विटी भागीदारी के साथ 31 अगस्त 2015 को महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) नामक संयुक्त उपक्रम कंपनी को निगमित किया गया था।

एमसीआरएल ने 19 अप्रैल 2016 को इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन करार में हस्ताक्षर किए हैं। क्रियान्वयन के लिए कंपनी द्वारा अंगुल-बलराम-झरपाडा नामक नए रेल गलियारे को चयनित किया गया है। व्यवहार्यता और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

एमसीआरएल की वित्तीय स्थिति:

31 मार्च 2016 को एमसीआरएल की प्राधिकृत, अंशदायी और प्रदत्त शेयर पूंजी 5 लाख रुपए है।

9. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)

वर्ष 2015-16 के दौरान, झारखंड राज्य में खदानों से कोयले के खनन के लिए महत्वपूर्ण चयनित रेल गलियारा परियोजनाओं के निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण के प्रमुख उद्देश्य के साथ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, इरकॉन तथा झारखंड सरकार द्वारा क्रमशः 64:26:10 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के लिए 31 अगस्त 2015 को झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) नामक संयुक्त उपक्रम कंपनी का निगमन किया गया था।

जेसीआरएल ने 28 मार्च 2016 को इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन करार में हस्ताक्षर किए हैं। क्रियान्वयन के लिए कंपनी द्वारा शिवपुर-कथौटिया नामक नए रेल गलियारे को चिह्नित किया गया है। व्यवहार्यता और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

जेसीआरएल की वित्तीय स्थिति:

31 मार्च 2016 को जेसीआरएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 5 करोड़ रुपए है।

10. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)

वर्ष 2015-16 की समाप्ति के पश्चात, छत्तीसगढ राज्य में रोउघाट से जगदलपुर (नरायणपुर, कोंडागांव के रास्ते) नई रेल लाइन के निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण के प्रमुख उद्देश्य के साथ एनडीएमसी लिमिटेड, इरकॉन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ खनिज विकास निगम (छत्तीसगढ सरकार की नामिति) द्वारा क्रमशः 43:26:21:10 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ 05 मई 2016 को बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल) नामक संयुक्त उपक्रम को निगमित किया गया था।

ग. संयुक्त उद्यम कंपनियां (जेवीसी) - भारत के बाहर:

11. कंपेनिया डोस कैमिनोस डी फिरो डा बेरा (सीसीएफबी)

बेरा रेल रियायत परियोजना के निष्पादन के लिए वर्ष 2004 के दौरान मोजांबिक में कंपेनिया डोस कैमिनोस डी फिरो डा बेरा (सीसीएफबी) नाम संयुक्त उद्यम कंपनी का निर्माण किया गया था। सीसीएफबी में आपकी कंपनी की इक्विटी भागीदारी 25%और इसके साथ राइट्स की भागीदारी 26% तथा सीएफएम, मोजांबिक के रेल उपक्रम की इक्विटी भागीदारी 49% की है। सीसीएफबी में आपकी कंपनी की इक्विटी भागीदारी 25% है जो 1.25 मिलियन अमरीकी डालर (5.53 करोड़ रुपए) के बराबर है। इसके अतिरिक्त, सीसीएफबी को 5.083 मिलियन अमरीकी डालर (22.48 करोड़ रुपए) का ऋण, 15.042 मिलियन अमरीकी डालर (66.53 करोड़ रुपए) का शर्तशुदा शेयरधारक ऋण, तथा 1.947 मिलियन अमरीकी डालर (12.83 करोड़ रुपए) का शेयरधारक ऋण, इस प्रकार कुल 22.171 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्रदान किया गया था।

हालांकि परियोजना का कार्य पूरा हो गया था, मोजांबिक सरकार ने नवंबर 2011 को रियायत समाप्त कर दी है और दिसंबर 2011 को परियोजना अपने हाथ में ले ली है। सीसीएफबी ने आईसीसी नियमों के अंतर्गत मोजांबिक सरकार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आरंभ की थी और मई 2013 में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में मध्यस्थता का अनुरोध किया था।

इसके परिणामस्वरुप, 21 अक्तूबर 2015 को मोजांबिक सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इरकॉन को 40.31 मिलियन अमरीकी डालर (ठेकेदार के रुप में इरकॉन के दावे के प्रति 4 मिलियन अमरीकी डालर सहित) मिलेंगे। इरकॉन के भाग के लिए 17.93 मिलियन अमरीकी डालर (121.71 करोड़ रुपए के समान) की पहली किश्त जनवरी 2016 को प्राप्त हो गई है। 5.595 मिलियन अमरीकी डालर की प्रत्येक किश्त 18 अक्तूबर 2016, 18 अक्तूबर 2017, 18 अक्तूबर 2018 तथा 18 अक्तूबर 2018 को देय हैं। मोजांबिक सरकार ने 31 मार्च 2016 के पश्चात शेष देय राशि के प्रति संपुष्ट ऋण पत्र जारी किया है (31 मई 2016 को पुष्टि प्राप्त हो गई है)। उपर्युक्त भुगतान कंपनी द्वारा इक्विटी अंशदान, शेयरधारक ऋण, निपटान करार की तिथि को संचित ब्याज, प्रबंधन तथा अन्य सेवाओं/प्रभारों के प्रति देय राशि के भुगतान के प्रति है। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थता व्ययों की प्रतिपूर्ति नीतिगत शेयरधारक यथा राइट्स लिमिटेड तथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को 5 मिलियन अमरीकी डालर की समग्र सीमा के भीतर करार के अनुसार वास्तविक राशि के मद्देनजर की जाएगी।

अपफ्रंट भुगतान तथा रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात ऋणपत्र के निर्धारण के दृष्टिगत, शुल्कों, ऋणों और ब्याज आदि के प्रति देय राशियों की वसूली निश्चित हो गई है। तदनुसार, निपटान करार की तिथि को शेयरधारक ऋण पर ब्याज, अनिश्चित शुल्क तथा वर्ष के दौरान निर्धारित लेखांकन नीति-11 के अनुसार विनिमय अंतर तथा संदिग्ध ऋण के प्रावधानों के लिए 25.65 करोड़ रुपए की राशि तथा इक्विटी हानि के प्रावधानों के लिए पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए 5.53 करोड़ रुपए के प्रावधान को वर्ष के दौरान पश्चलिखित किया गया है। शेयरधारक ऋण की संपूर्ण राशि (अपफ्रंट भुगतान के प्राप्त होने के पश्चात) (12.435 मिलियन अमरीकी डालर (81.97 करोड़ रुपए के समतुल्य) के संपूर्ण शेष को ऋण राशि से हस्तांतरित करके मोजांबिक सरकार या उनकी नामिति एजेंसी से वसूलीयोग्य राशि में डाल दिया गया है। कंपनी सीसीएफबी में अपनी शेयरधारिता को भी मोजांबिक सरकार या उसकी नामिति एजेंसी को हस्तांतरित करेगी। तदनुसार, इक्विटी में निवेश को अभी भी कंपनी के वित्तीय विवरणों में सीसीएफबी में निवेश के भाग के रुप में दर्शाया जा रहा है।

घ. गैर-निगमित संयुक्त उद्यम (यूजेवी)- प्रचालनरत परियोजनाओं हेतु:

12. इरकॉन-एसपीएससीपीएल

इरकॉन तथा एसपीएससीपीएल द्वारा क्रमशः 50:50 की भागीदारी हित के साथ एस.पी.सिंगला कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ गैर-निगमित संयुक्त उद्यम का निर्माण किया गया है। यह गैर-निगमित संयुक्त उद्यम जम्मू और कश्मीर राज्य में रावी नदी पर 592 मीटर लंबे तार युक्त प्रमुख स्थायी पुल के अभिकल्प और निर्माण के लिए है। यह परियोजना गैर-निगमित संयुक्त उद्यम को 145.43 करोड़ रुपए के मूल्य पर 27 अगस्त 2010 को प्रदान की गई थी। दिसंबर 2015 को कार्य पूरा हो गया है।

वित्तीय स्थितिः

वर्ष के दौरान, इस गैर-निगमित संयुक्त उद्यम ने 39.05 करोड़ रुपए का प्रचालनिक टर्नओवर (इरकॉन का शेयर 19.52 करोड़ रुपए) और 1.04 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है।

13. इरकॉन-एफकॉन्स संयुक्त उद्यम

यह गैर-निगमित संयुक्त उद्यम एफकॉन्स इंफास्ट्रक्चर लिमिटेड (एफकॉन्स) के साथ इरकॉन और एफकॉन्स के क्रमशः 53:47 की हित भागीदारी अनुपात में है और यह बांग्लादेश में पहुंच रेल लाइनों सहित दूसरे भैरव रेलवे पुल के निर्माण के लिए है। इस परियोजना के लिए 567.17 करोड़ बांग्लादेशी टका मूल्य पर 10 सितंबर 2013 को हस्ताक्षर किए गए थे।

31 जुलाई 2016 को परियोजना की समग्र प्रगति 73.51% है और

इस कार्य के मार्च 2017 तक पूरा होने की संभावना है।

वित्तीय स्थितिः

वर्ष के दौरान, इस गैर-निगमित संयुक्त उद्यम ने 157.80 करोड़ रुपए का प्रचालनिक टर्नओवर (इरकॉन का शेयर 83.50 करोड़ रुपए) और 16.23 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है।

ड. गैर निगमित संयुक्त उद्यम (जेवीसी) - समाप्त परियोजनाओं हेतु:

14. रीकॉन

राइट्स लिमिटेड (राइट्स) के साथ गैर-निगमित संयुक्त उद्यम सीसीएफबी द्वारा प्रदान की गई संविदाओं को प्राप्त करने और उनके निष्पादन के लिए था। गैर-निगमित संयुक्त उद्यम में राइट्स और इरकॉन का भागीदारी हित क्रमशः 51% तथा 49% थी।

गैर-निगमित संयुक्त उद्यम को सौंपा गया कार्य वर्ष 2011 में पूरा हो गया था। तथापि, सीसीएफबी के साथ निपटान के लंबित होने के कारण इस उद्यम को समाप्त नहीं किया गया था।

वित्तीय स्थितिः

वर्ष के दौरान रीकॉन को 0.73 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है (इरकॉन का शेयर 0.36 करोड़ रुपए)।

15. इंटरनेशनल मैट्रो सिविल कांटैक्टर (आईएमसीसी)

चार अन्य कंपनियों यथा जर्मनी में डिक्रोफ एंड विडमैन एक्टिंगेसेलशैफ्ट (डीवाईडब्ल्यूआईडीएजी), लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड (एल एंड टी), सेमसंग कॉर्पोरेशन (सेमसंग), इरकॉन तथा शिमिजू कॉर्पोरेशन (शिमिजू) जापान के साथ गैर-निगमित संयुक्त उद्यम में वर्ष 2001 में प्रवेश किया गया था और यह दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर - मास रेपिड ट्रांस्पोर्ट सिस्टम चरण-I टनल परियोजना पैकेज एमसी-1-बी परियोजना को प्राप्त करने व उसके निष्पादन के लिए किया गया था। इसमें डीवाईडब्ल्यूआईडीएजी, एल एंड टी, सेमसंग, इरकॉन तथा शिमिजू का भागीदारी हित क्रमशः 29%, 26%, 26%, 9.5% और 9.5% है। यह परियोजना 2005 में पूरी हो गई है, बहरहाल, कर प्राधिकरणों के साथ लंबित मुद्दों के कारण इसे अभी समाप्त नहीं किया गया है।

वित्तीय स्थिति :

वर्ष के दौरान आईएमसीसी को 0.20 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ प्राप्त हुआ है (इरकॉन का शेयर 0.02 करोड़ रुपए)।

16. मैट्रो टनलिंग समूह (एमटीजी)

चार अन्य कंपनियों यथा जर्मनी में डीवाईडब्ल्यूआईडीएजी इंटरनेशनल जीएमबीएच (डीवाईडब्ल्यूआईडीएजी), लॉरसन एंड टूब्रो लिमिटेड (एल एंड टी) सेमसंग कॉर्पोरेशन (सेमसंग), तथा शिमिजू कॉर्पोरेशन (शिमिजू) जापान के साथ गैर-निगमित संयुक्त उद्यम में वर्ष 2006 में प्रवेश किया गया था और इसका निर्माण डीएमआरसी के दिल्ली एमआरटीएस परियोजना पैकेज बीसी 16 तथा पैकेज बीसी 18 के चरण-II के केन्द्रीय सचिवालय-कुतुब मीनार पर शील्ड टीबीएम द्वारा सुरंग तथा कट और कवर द्वारा स्टेशन के अभिकल्प और निर्माण को प्राप्त करने व इसके निष्पादन के लिए किया गया था। इसमें डीवाईडब्ल्यूआईडीएजी, एल एंड टी, सेमसंग, इरकॉन तथा शिमिजू का भागीदारी हित क्रमशः 29%, 26%, 26%, 9.5% और 9.5% है। यह परियोजना 2010 में पूरी हो गई है, बहरहाल, कर प्राधिकरणों के साथ लंबित मुद्दों के कारण इसे अभी समाप्त नहीं किया गया है।

वित्तीय स्थितिः

वर्ष के दौरान, एमटीजी ने 4.03 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ (इरकॉन का शेयर 0.38 करोड़ रुपए) प्राप्त किया है, जो मुख्य रुप से ब्याज आय से है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

(मोहन तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00191363)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 2 सितंबर 2016

परिशिष्ट-ग

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) तथा धारणीय गतिविधियों पर रिपोर्ट

1. कंपनी द्वारा निष्पादित परियोजनाओं और कार्यक्रमों और इसके वेब-लिंक के परिदृश्य सहित कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रुपरेखा:

आपकी कंपनी मितव्ययी, सामाजिक तथा पर्यावरणीय रुप से धारणीय पद्धति द्वारा अपने व्यवसाय के संचालन के लिए अपने स्टेकधारों के प्रति प्रतिबद्ध है और यह पद्धति पारदर्शी तथा नैतिकतापूर्ण है।

कंपनी के पास वर्ष 2011 से सीएसआर तथा धारणीयता की नीति विद्यमान है। इस नीति को कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं और संबंधित विषय पर डीपीई के दिशानिर्देश, 2014 की तर्ज पर निदेशक मंडल की स्वीकृति से अप्रैल, 2014 तथा जनवरी, 2015 को संशोधित किया गया है।

सीएसआर तथा धारणीयता नीति का उद्देश्य परिणामों और निष्कर्षों के स्थान पर सामाजिक, मितव्ययी तथा पर्यावरण सहिष्णु गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करना है।

यह नीति निर्माण गतिविधियों से प्रभावित होने वाले लोगों, पर्यावरण और अन्य स्टेकधारकों के साथ संपर्क स्थापित करने के अवसर प्रदान कराने के लिए सामान्यत परियोजना स्थलों के आसपास सीएसआर परियोजनाओं के चयन के लिए प्रावधान उपलब्ध कराती है। इस कंपनी के व्यावसायिक प्रचालनों से प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित होने वाले स्टेकधारकों को अन्य लोगों से पहले अपना अधिकारपूर्ण दावा प्रस्तुत करने का अधिकार है। परियोजना स्थल से समीपता से सीएसआर परियोजनाओं के निष्पादन के लिए अपेक्षित संसाधनों को जुटाना सुगम हो जाता है और इससे नियोजित गतिविधियों के क्रियान्वयन की नियमित प्रगति की जांच करने का लाभ भी प्राप्त होता है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, इरकॉन नें स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण अवसंरचना विकास, पर्यावरण (सौर ऊर्जा), स्वच्छता और साफसफाई, तथा सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्रों में सीएसआर तथा धारणीयता गतिविधियों को निष्पादित किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने भिन्न रुप से सक्षम लोगों की सहायता के लिए विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों और सहायक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया है। जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू क्षेत्र में शारीरिक रुप से अक्षम 384 लोगों को जम्मू में आयोजित चिकित्सा कैंप में संवितरित ऐसे सहायक उपकरणों और वस्तुओं को लाभ प्रदान किया है।

कंपनी ने स्वच्छ भारत (स्वच्छ भारत) तथा स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान की प्रतिबद्धता के प्रति स्वच्छ भारत कोष में 1.93 करोड़ रुपए तथा 'स्वच्छ गंगा' निधि में 1.27 करोड़ रुपए का

सीएसआर के अंतर्गत जम्मू में भिन्न रुप से सक्षम व्यक्तियों को एमएसआईईडी किटों का वितरण

अंशदान किया है।

कंपनी की सीएसआर तथा धारणीय नीति 2016-17 के दौरान की जा रही गतिविधियों तथा वर्ष 2015-16 में निष्पादन गतिविधियों सहित निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अनुसार तथा वर्ष 2015-16 के दौरान निष्पादित परियोजनाओं/गतिविधियों सहित कंपनी की सीएसआर तथा धारणीयता नीति वैब लिंक http://www.ircon.org/content.aspx?Title=178 पर उपलब्ध है।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

वर्तमान में आपकी कंपनी में सीएसआर तथा धारणीयता गतिविधियों/परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए बोर्ड स्तरीय समिति; नोडल अधिकारी और उसका दल विद्यमान है।

(क) सीएसआर तथा धारणीयता समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 तथा डीपीई सीएसआर तथा धारणीयता दिशानिर्देश, 2014 के अनुसार किया गया है।

वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की संरचना की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, इसके संकल्प तथा वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित बैठकों का ब्यौरा निगमित शासन रिपोर्ट के पैरा 7.4 में प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में, समिति की अध्यक्षता प्रो.(सुश्री) वसुधा वी.कामत, स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जा रही है और श्री अविनीश माटा, स्वतंत्र निदेशक, श्री दीपक सबलोक, निदेशक (परियोजना), तथा श्री अंजुम परवेज, अंशकालीन (सरकारी) निदेशक इस समिति के सदस्य हैं।

(ख) श्री ए.के.गोयल, कार्यपालक निदेशक (परियोजना), नोडल अधिकारी और उनका दल सीएसआर तथा धारणीयता गतिविधियों/परियोजनाओं के चयन और अनुमोदन हेतु सीएसआर तथा धारणीयता पहलों के लिए समन्वय; तथा सीएसआर तथा धारणीयता समिति की गतिविधियों के क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत कराने में सहयोग प्रदान करता है।

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में भारतीय परियोजनाओं से कंपनी को औसत शुद्ध लाभ 301.48 करोड़ रुपए है।

4. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए सीएसआर बजट 6.03 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में भारतीय परियोजनाओं से कंपनी को औसत शुद्ध लाभ का 2% है।

5. वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर 6.15 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। इस प्रकार, वर्ष 2015-16 के लिए व्यय न की गई राशि शून्य है और अगले वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कोई कैरीफार्वर्ड नहीं है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष यथा 2014-15 से कोई कैरीफार्वर्ड नहीं था।

वर्ष के दौरान शुरु की गई परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं	चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसके अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजना या कार्यक्रम स्थानीय क्षेत्र या अन्य ¨(2) राज्य व जिला जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम निष्पादित किए गय थे	योजना परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार		2015-16 के दौरान परियोजनाओं या कार्यक्रमों में खर्च की गई राशि		2015-16 के दौरान कुल व्यय	2015-16 के लिए संचयी व्यय	खर्च की गई राशि (सीधे या एजेंसी के माध्यम से)
				कुल	2015-16 के दौरान	(1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष व्यय	(2) शिरोपरि			
1	बनिहाल, लालगंज तथा शिवोक में मौजूदा तीन स्वास्थ्य इकाइयों की संचलन तथा अनुरक्षण लागत।	स्वास्थ्य [अनुसूची VII का क्र. सं (i)	(1) स्थानीय क्षेत्र* (2) जम्मू और कश्मीर, रामबान; उ.प्र, रायबरेली; और पश्चिम बंगाल, सिवोक	30.00	30.00	22.96	-	22.96	22.96	प्रत्यक्ष
2	स्कूल के बच्चों के लिए नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच	स्वास्थ्य [अनुसूची VII का क्र. सं (i)	(1) स्थानीय क्षेत्र (2) नई दिल्ली	5.00	4.18	0.83	-	0.83	1.65	मैसर्स महावीर इंटरनेशनल (एनाजीओ) के माध्यम से
3	संबर (जम्मू और कश्मीर) के गावों के लिए पेय जल आपूर्ति योजना तथा पाइप लाइन	स्वास्थ्य [अनुसूची VII का क्र. सं (i)	(1) स्थानीय क्षेत्र 2) जम्मू और कश्मीर, रामबान।	20.00	10.00	9.99	-	9.99	9.99	प्रत्यक्ष
4	स्वच्छ भारत कोष में अंशदान	स्वच्छता [अनुसूची VII का क्र. सं (i)	स्वच्छ भारत कोश, व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय)	193.00	193.00	193.00	-	193.00	193.00	प्रत्यक्ष
5	स्वच्छ गंगा कोष में अंशदान	स्वास्थ्य [अनुसूची VII का क्र. सं (i)	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	127.00	127.00	127.00	-	127.00	127.00	प्रत्यक्ष

क्र.सं	चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसके अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजना या कार्यक्रम स्थानीय क्षेत्र या अन्य ¨(2) राज्य व जिला जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम निष्पादित किए गय थे	योजना परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार		2015-16 के दौरान परियोजनाओं या कार्यक्रमों में खर्च की गई राशि		2015-16 के दौरान कुल व्यय	2015-16 के लिए संचयी व्यय	खर्च की गई राशि (सीधे या एजेंसी के माध्यम से)
				कुल	2015-16 के दौरान	(1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष व्यय	(2) शिरोपरि			
6	पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक रिमूवल संयंत्र का वार्षिक अनुरक्षण	स्वास्थ्य [अनुसूची VII का क्र. सं (i)	(1) स्थानीय (2) पश्चिम बंगाल, नायडा व नार्थ 24 परगना	2.00	2.00	2.00	-	2.00	2.00	मैसर्स साथी (पश्चिम बंगाल की एनजीओ) के माध्यम से
7	स्कूलों में शौचालयों का प्रावधान	शिक्षा [अनुसूची VII का क्र. सं (ii)	(1)स्थानीय (2) बिहार, पटना	20.00	20.00	20.33	-	20.33	20.33	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से (इरकॉन की सहायक कंपनी इरकॉन आईएसएल)
8	व्यावसायिक सह कौशल विकास प्रशिक्षण	कौशल विकास [अनुसूची VII का क्र. सं (ii)	(1) स्थानीय क्षेत्र* (2) राजस्थान धौलपुर	20.00	12.94	0.25	-	0.25	7.31	प्रत्यक्ष
9	टेलरिंग और एम्ब्राइडरी के लिए बनकोट (बनिहाल) में महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	कौशल विकास [अनुसूची VII का क्र. सं (ii)	(1) स्थानीय क्षेत्र * 2) जम्मू और कश्मीर, रामबन	5.00	1.06	1.78	-	1.78	5.72	प्रत्यक्ष
10	वसंत कुंज नई दिल्ली मुस्कान स्कूल में भिन्न रुप से सक्षम वयस्क बच्चों के लिए सौर ऊर्जा पैनल का प्रावधान	**शिक्षा** [अनुसूची VII का क्र. सं (ii)	(1)स्थानीय (2) नई दिल्ली	18.00	18.00	17.57		17.57	17.57	प्रत्यक्ष
11	भौरी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश में स्कूल का स्तरोन्नयन और अन्य सुविधाएं	शिक्षा [अनुसूची VII का क्र. सं (ii)	(1) स्थानीय (2) मध्य प्रदेश, ग्वालियर	20.00	1.23	2.28	-	2.28	21.05	एमपी लघु उद्योग निगम लिमिटेड के माध्यम से
12	सरकारी विद्यालय, सोंबर, जम्मू और कश्मीर के लिए विकास कार्य	शिक्षा [अनुसूची VII का क्र. सं (ii)	(1) स्थानीय (2) जम्मू और कश्मीर, रामबन	10.00	4.87	1.84	-	1.84	6.97	प्रत्यक्ष
13	सरकारी स्कूल के बच्चों को स्कूल बैग और स्टेशनरी की वस्तुएं उपलब्ध कराना	शिक्षा [अनुसूची VII का क्र. सं (ii)	(1) स्थानीय (2) मध्य प्रदेश, ग्वालियर	4.73	4.73	2.55	-	2.55	2.55	प्रत्यक्ष
14	गौरह मुंदियन, तेहसील-हीरानगर, जिला-कथुवा, जम्मू और कश्मीर में सरकारी उच्च विद्यालय में अवसंरचना में सुधार	शिक्षा [अनुसूची VII का क्र. सं (ii)	(1) स्थानीय (2) जम्मू और कश्मीर, कथुवा	20.00	10.00	10.00	-	10.00	10.00	प्रत्यक्ष
15	एनआईटीसीओएन के माध्यम से जम्मू और कश्मीर राज्य में कौशल उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम।	रोजगार संवर्धन शिक्षा [अनुसूची VII का क्र. सं (ii)	(1) स्थानीय (2) जम्मू और कश्मीर, रामबन	30.00	21.00	6.05	-	6.05	6.05	नार्थ इंडिया टेक्निकल कंसल्टेंसी आर्गेनाइजेशन लि. के माध्यम से
16	एलिमको (सरकारी उपक्रम) के माध्यम से भिन्न रुप से सक्षम व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंगों की आपूर्ति	भिन्न रुप से सक्षम हेतु [अनुसूची VII का क्र. सं (ii)	(1) स्थानीय (2) जम्मू और कश्मीर, जम्मू	30.00	30.00	22.50	-	22.50	22.50	भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम के माध्यम से

क्र.सं	चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसके अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजना या कार्यक्रम स्थानीय क्षेत्र या अन्य ¨(2) राज्य व जिला जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम निष्पादित किए गय थे	योजना परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार		2015-16 के दौरान परियोजनाओं या कार्यक्रमों में खर्च की गई राशि		2015-16 के दौरान कुल व्यय	2015-16 के लिए संचयी व्यय	खर्च की गई राशि (सीधे या एजेंसी के माध्यम से)
				कुल	2015-16 के दौरान	(1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष व्यय	(2) शिरोपरि			
17	लालगंज के समीप मोक्षदाह हरित संस्कार प्रणाली (मोक्षदाह पीईवीएसएस) का प्रावधान	पर्यावरण [अनुसूची VII का क्र. सं (iv)	(1)स्थानीय (2) उत्तर प्रदेश, रायबरेला	79.00	7.87	5.48	-	5.48	76.61	मैसर्स मोक्षदाह पीईवीएसएस के माध्यम से (पर्यावरण एवं वन सुरक्षा समिति)
18	बनिहाल स्टेशन यार्ड की पूर्वी छोर की चारदीवारी तक कोसकोट गांव (पूर्वी साइड) कंक्रीड पैदलपथ का निर्माण	अवसंरचना विकास [अनुसूची VII का क्र. सं (x)]	(1) स्थानीय (2) जम्मू और कश्मीर, रामबन	4.50	1.83	1.08	-	1.08	3.76	निदेशक
19	बेनारस के पास दुलहापुर गांव में अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराना	अवसंरचना विकास [अनुसूची VII का क्र. सं (x)]	(1) अन्य (2) उत्तर प्रदेश, गाजीपुर	25.00	18.91	16.90	-	16.90	22.99	निदेशक
20	ग्राम बौरी (ग्वालियर में स्कूल का स्तरोन्नयन और अन्य सुविधाएं)	शिक्षा [अनुसूची VII का क्र. सं (ii) और अवसंरचना विकास [अनुसूची VII का क्र. सं (x)]	(1)स्थानीय (2) मध्य प्रदेश, ग्वालियर	4.77	4.77	4.54	-	4.54	4.54	निदेशक
21	पटना और ग्वालियर स्टेशनों पर सीएसआर के अंतर्गत यात्री सुविधाओं का स्तरोन्नयन	अनुसूची VII के अनुसार	(1)स्थानीय (2) बिहार, पटना; असम, गुवाहाटी	400.00	203.00	144.81	-	144.81	144.81	संबंधित रेलवे यथा ईसी रेलवे तथा एनएफ रेलवे के माध्यम से
22	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सीएसआर कार्यों का मूल्यांकन और सर्वेक्षण, समेकन का मुद्रण आदि।	स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, पर्यावरण	(1) स्थानीय (2) उत्तर प्रदेश, रायबरेली;दिल्ली; पश्चिम बंगाल, नादिया व उत्तर 24 परगना	2.00	2.00	-	1.53	1.53	1.53	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से (इरकॉन की सहायक कंपनी इरकॉन आइएसएल)
कुल				**1,070.00**	**728.39**	**613.73**	**1.53**	**615.25**	**730.87**	

6. निदेशक मंडल ने 02.09.2016 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 6.83 करोड़ रुपए के अनन्तिम सीएसआर बजट को अनुमोदन प्रदान किया था, जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों में भारतीय परियोजनाओं से औसत शुद्ध लाभ का 2% है।

7. सीएसआर तथा धारणीयता समिति पुष्टि करती है कि सीएसआर तथा धारणीयता नीति का क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग सीएसआर के उद्देश्यों तथा कंपनी की नीति के अनुरुप है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर स

ह/-
(दीपक सबलोक)
निदेशक परियोजना एवं सदस्य, सीएसआर एवं धारणीयता समिति
(डीआईएन 03056457)

ह/-
(प्रो.वसुधा वी.कामत)
स्वतंत्र निदेशक एव अध्यक्ष, सीएसआर एवं धारणीयता समिति
(डीआईएन 07500096)

ह/-
(मोहन तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00191363)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 2 सितंबर 2016

परिशिष्ट-घ

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

एक विहंगावलोकन

आपकी कंपनी की टर्नकी आधार पर और अन्यथा रेलवे परियोजनाओं के निष्पादन में विशेषज्ञता के साथ देश में सार्वजनिक क्षेत्रक निर्माण कम्पनियों में परिवहन के क्षेत्र में अगुआ के रुप में एक निरंतर लंबी प्रतिष्ठा विद्यमान है। रेलवे निर्माण कम्पनी के रूप में व्यवसाय शुरू करने के पश्चात् सन् 1985 से इसने उत्तरोतर विविध कार्यों यथा सड़कों, भवनों, विद्युत सब-स्टेशन एवं वितरण कार्य, हवाईअड्डा निर्माण, वाणिज्यिक परिसरों के अतिरिक्त मेट्रो निर्माण कार्य को निष्पादित किया है। कंपनी ऐसी कुछ एक सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कम्पनियों में से है जो देश के लिए विदेशी विनिमय अर्जित कर रही हैं तथा सरकार को निरंतर प्रत्येक वर्ष लाभांश का भुगतान कर रही है।

आपकी कंपनी ने पिछले 40 वर्षों से देश और विदेश, दोनों में महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं का निष्पादन किया है। भारत में इरकॉन विशेष रूप से जोखिम भरे भू-भागों और गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में कार्य निष्पादित करने के लिए विख्यात है। कंपनी ने अब तक विश्व के 22 से अधिक देशों में अपनी परियोजनाएं पूरी की हैं और भारत में 376 परियोजनाएं निष्पादित की हैं।

इरकॉन गुणवत्ता, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ प्रमाणित कंपनी है तथा अनूसूची-क की सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी तथा मिनी रत्न श्रेणी -I की कम्पनी है।

वैधानिक स्थिति तथा स्वायत्ता

कंपनी, सरकार से एक पृथक वैधानिक निकाय है, जिसे वैधिक, कार्यात्मक तथा वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है और एक स्वतंत्र वाणिज्यिक उद्यम के रुप में निगमित कानूनों के अंतर्गत प्रचालन कर रही है, सरकार से किसी प्रकार की बजटीय या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करती है और न ही यह सरकार पर आश्रित एजेंसी है। बहरहाल, रेल मंत्रालय तथा भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम विभाग के माध्यम से भारत सरकार सभी सरकारी कंपनियों के संबंध में संसद के प्रति जवाबदेही के भाग के रुप में प्रत्येक वर्ष प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू) की प्रणाली के माध्यम से इसकी मानीटरिंग करती है। सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी के रुप में कंपनी की कार्यप्रणाली को विनियमित करने तथा कुछ समरुपता लाने के लिए सरकार दिशा-निर्देश जारी कर सकती है और जारी करती भी है। बहरहाल, सरकार के किसी भी विभाग को इस कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का पर्यवेक्षण का अधिकार या प्रभाव या नियंत्रण का प्रयोग करने की क्षमता नहीं है तथा यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसके निदेशक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशों के अंतर्गत प्रबंधित तथा प्रचालित की जाती है।

व्यवसाय वातावरण

वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.6 प्रतिशत पर विकसित हुई है, इस प्रकार इसने इसे विश्व की तीव्रतम गति से विकसित होने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना दिया है। यह विकास दर वैश्विक मैक्रो अर्थव्यवस्था के अनिश्चित स्थिति के बावजूद प्राप्त की गई है। इस गति को बनाए रखने और उच्चतर आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए, अवसंरचना का विकास अत्यंत आवश्यक है, जो सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से कर रही है। इनमें से कुछ पहल जो आपकी कंपनी को व्यावसायिक अवसर प्रदान करते है निम्नानुसार हैः

रेलवेः

वर्तमान में भारतीय रेल के प्रमुख ध्यान केन्द्रित करने वाले क्षेत्र है - रेलपथ और ब्रॉड गेज लाइनों को प्रचालनिक बनाना, समर्पित मालभाड़ा गलियारा (डीएफसी) जिसमें तीन नए मालभाड़ा गलियारों के बनने की संभावना है यथा दिल्ली और चेन्नई को जोडने वाला उत्तर-दक्षिण गलियारा, खडगपुर से मुंबई को जोड़ने वाला पूर्व-पश्चिम गलियारा और खडगपुर से विजयवाडा को जाड़ने वाला ईस्ट कोस्ट गलियारा, उत्तर-पूर्व रेल संपर्कता, पोत संपर्कता, इंजन कारखानों और मैट्रो कार्य, रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, आदि। इन गतिविधियों मे व्यापक निवेश की संभावना है।

सिग्नलिंग और दूरसंचार परियोजनाओं को कंपोजिट टर्नकी रेल परियोजनाओं में भी शामिल किया गया है।

वर्तमान मे परियोजना निष्पादन का प्रमुख माध्यम पीपीपी, संयुक्त उद्यम तथा इंजीनियरिंग प्रापण और परामर्श (ईपीसी) आदि। सहकारी फेडरलाइजेशन के भावना में पिछड़े वर्गो के विकास के लिए प्राथमिकता पर निर्णय लेने के लिए राज्यों को संभवन बनाने हेतु, मंत्रिमंडल ने रेल आधारित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए राज्य सरकार के साथ संयुक्त उद्यम के सृजन की अनुमति प्रदान की है। बजट दस्तावेज के अनुसार इन साझेदारियों से 92714 करोड़ रुपए मूल्य की 5300 किमी की दूरी को शामिल किए जाने की संभावना है। भारतीय रेल केवल ईपीसी के माध्यम से 300 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाओ को निष्पादित करने वाली है।

सड़कें:

सरकार द्वारा अंब्रेला योजनाएं प्रस्तावित है यथा 2,67,200 करोड़ रुपए की लागत पर भारतमाला कार्यकम जिसके 2,022 तक पूरा होने की संभावना है। कार्यक्रम मे 80,250 करोड़ रुपए के मूल्य पर लगभग 7,000 किमी पर तटीय क्षेत्रों/सीमावर्ती क्षेत्रों सहित गैर प्रमुख पोतों सहित राज्य सड़को का विकास; पिछडे क्षेत्रों, धार्मिक, पर्यटन स्थलों के संपर्क कार्यक्रम जो लगभग 85,250 करोड़ रुपए मूल्य पर 7,000 किमी; 30,000 करोड़ रुपए के मूल्य पर लगभग 1500 प्रमुख पुलों और 200 आरओबी/आरयूबी के निर्माण के लिए सेतु भारतम परियोजना; 60,000 करोड़ रुपए के मूल्य पर हाल में घोषित 9000 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिला मुख्यालय क्वार्टर संपर्कता योजना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पहले से जारी परियोजनाओं के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान 19000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश के लिए 2933 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग और 1166 किमी राज्य सड़कों और सड़क व राजमार्ग पैकेज को प्रस्तावित करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष गति सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) जिसमें लगभग 2319 कि.मी. की सड़क का विकास शामिल है (2205 राष्ट्रीय राजमार्ग तथा 114 किमी राज्य सड़क)।

विद्युतीय परियोजनाएं:

रेल विद्युतीकरण कार्यों तथा रेलवे साइडिंग कार्यों आदि के अतिरिक्त उप-ट्रांसमिशन के सुदृढीकरण और 5134 करोड़ रुपए मूल्य पर एकीकृत उर्जा विकास योजना (आईपीडीएस) के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क के अन्य कार्य; 43033 करोड़ रुपए के मूल्य पर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा 39,275 करोड़ रुपए मूल्य पर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजेजेवीवाई) योजना।

अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में विद्यमान अवसर ओमान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और ईरान जैसे देश में विद्यमान हैं।

वर्तमान परियोजना प्रोफाइल:

आपकी कंपनी जम्मू और कश्मीर में, शिवोक-रंगपो, जयनगर (भारत) से बीजलपुरा (नेपाल), जोगबनी से बिराटनगर, आदि में रेल लाइन के निर्माण; रायबरेली में नये रेल डिब्बा कारखाने; बोंडामुंडा, दौंड और मुगलसराय में तीन विद्युत इंजन शेड; झारखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़क उपरिपुल; डीएफसी परियोजना के वैतर्णी-सचिन खंड के सिविल, भवन निर्माण और रेलपथ का अभिकल्प और निर्माण कार्य; छत्तीसगढ मे नगरनार में रेलवे साइडिंग का निर्माण और दरलीपल्ली सुपर थर्मल पावर परियोजना; जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश राज्य में आरएपीडीआरपी के अंतर्गत विद्युतीय कार्यों के लिए परियोजना; दिल्ली तथा कोच्चि मेट्रो के लिए रिसीविंग-कम-ट्रैक्शन तथा ऑसलरी मेन उपस्टेशन के अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन आदि तथा मेट्रो कार्य का निष्पादन कर रही है।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी छत्तीसगढ राज्य में कोयले के संचलन के लिए रेल संपर्कता परियोजनाओं के निष्पादन के लिए पांच विशेष कार्य प्रयोजन (एसपीवी) कंपनियों में स्टेकधारक हैं यथा छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, छत्तीसगढ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड तथा बस्तर रेलवे प्रा.लिमिटेड तथा ओडीशा और झारखंड राज्यों में एक-एक यथा क्रमशः महानदी कोल रेलवे लिमिटेड और झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड।

कंपनी ने सड़क परियोजनाओं के निष्पादन के लिए दो एसपीवी कंपनियों का भी निर्माण किया है अर्थात इरकॉन पीबीटोलवे लिमिटेड (राजस्थान राज्य में बीओटी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग - 15 पर मौजूदा बीकानेर-फलौदी खंड को सुदृढ बनाने)तथा तथा इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (मध्य प्रदेश राज्य में एनएचडीपी के चरण- चार के अंतर्गत डीबीएफओटी पैटर्न पर बीओटी (टोल) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के शिवपुरी-गुना खंडा को चार लेने का करना)।

आपकी कंपनी इन देशों मे परियोजनाएं निष्पादित कर रही है - श्रीलंका, मलेशिया, बांग्लादेश, अल्जीरिया, भूटान तथा दक्षिण अफ्रीका।

दृष्टिकोण

कम्पनी का विजन, लक्ष्य तथा उद्देश्य निम्नानुसार हैः-

क. विजन

आधार संरचना के क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों और सेवाओं के सम्पूर्ण आयाम को शामिल करते हुए इस क्षेत्र की सर्वोत्तम कम्पनियों की तुलना में विशिष्टता प्राप्त निर्माण संगठन के रूप में देश तथा विदेशों में अपनी पहचान बनाना।

ख. मिशन

1. भारत तथा विदेशों में परिवर्तनशील आर्थिक परिदृश्य के अवसंरचनात्मक विकास के निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम्पनी को प्रभावपूर्ण रूप से तैयार करना।

2. सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद व सेवाओं को इंजीनियरिंग तथा बेहतर कार्पोरेट शासन व ग्राहक संतुष्टि की दृष्टि से उपलब्ध कराकर विश्वव्यापी पहचान बनाना।

वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी की कुल आय 2703 करोड़ रुपए है जबकि वर्ष 2014-15 में 3122 करोड़ रुपए की आय अर्जित की गई थी। कुल आय का लगभग 89% यथा 2403 करोड़ रुपए प्रचालनों से प्राप्त हुआ है जिसमें से लगभग 18% विदेशी परियोजनाओं से प्राप्त हुआ है यथा 434 करोड़ रुपए। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष विदेशी परियोजनाओं से प्रचालनिक आय में 50.51% की कमी हुई है। वर्ष के दौरान कम आय का मुख्य कारण है श्रीलंका की परियोजनाओं का पूरा होना । कर पूर्व लाभ 2014-15 में 844 करोड़ रुपए से 2015-16 में 567 करोड़ रुपए हो गया है जो 32.82% की कमी को दर्शाता है और कर पश्चात लाभ में भी 34.54% की कमी हुई है, जो 2014-15 में 579 करोड़ रुपए से घट कर वर्ष 2015-16 में 379 करोड़ रुपए हो गया है। वर्ष के दौरान निवल आय में 5.25% की वृद्धि हुई है, जबकि प्रति शेयर आमदनी 2014-15 में 292.68 रुपए से कम होकर 2015-16 में 191.59 रुपए हो गई है जो कि 34.54% की कमी को दर्शाता है।

हालांकि कंपनी के टर्नओवर में गिरावट का रुझान प्रदर्शित होता है किन्तु कंपनी ने नई परियोजनाओं को प्राप्त किया है जिससे कंपनी को लगभग 17569 करोड़ रुपए की आर्डर बुक प्राप्त हुआ है। इसके परिणामस्वरुप, कंपनी अपने उदेश्यों के अनुरुप इस रुझान को बदलने के लिए आशावान है।

अंतरिम लाभांश के ऊपर प्रदत्त अंतरिम लाभांश और शेयरधारकों द्वारा विचार किए जाने वाले और घोषित किए जाने के लिए प्रस्तावित लाभांश का ब्यौरा आगामी साधारण वार्षिक बैठक में निदेशक की रिपोर्ट में वित्तीय विशेषताएं शीर्षक के अंतर्गत पैरा-ग में प्रदर्शित किया जाएगा।

प्रचालनिक निष्पादन

क. क्षेत्रीय निष्पादन :

रेलवे उच्चतम प्रचालनिक आय में अंशदान करने वाला मूल क्षेत्र बना हुआ है, हालांकि उसके भाग में कमी आई है। वर्ष 2015-16 के दौरान राजमार्ग और विद्युत, अन्य दो महत्वपूर्ण क्षेत्र बने हुए हैं जिन्होंने प्रचालनिक आय में क्रमशः 9.88 प्रतिशत और 8.27 प्रतिशत का योगदान किया है।

पिछले तीन वर्षों के लिए क्षेत्रवार तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार हैः

(रुपये करोड़ में)

क्षेत्र	2013-14		2014-15		2015-16	
	प्रचालन आय	%	प्रचालन आय	%	प्रचालन आय	%
रेलवे	3884	95.50	2688	91.12	1897	78.95
राजमार्ग	136	3.33	228	7.72	237	9.88
इलैक्ट्रिकल	21	0.54	13	0.45	199	8.27
भवन	24	0.58	19	0.63	67	2.80
अन्य	2	0.05	2	0.08	2	0.10
कुल	**4067**	**100**	**2950**	**100**	**2403**	**100**

ख. सेगमेंट-वार कार्यनिष्पादन:

वर्ष 2015-16 के दौरान विदेशी परियोजनाओं से कुल आय का अंशदान क्रमशः 15% रहा जबकि 2014-15 में यह 50% था। पिछले 3 वर्षों के दौरान तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है :

(रुपये करोड़ में)

क्षेत्र	2013-14		2014-15		2015-16	
	कुल आय	%	कुल आय	%	कुल आय	%
विदेशी	2146	50	868	28	407	15
घरेलू	2161	50	2254	72	2296	85
जोड़	**4307**	**100**	**3122**	**100**	**2703**	**100**

शक्तियाँ

आपकी कंपनी के पास बड़ी संख्या में अन्तरराष्ट्रीय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का व्यापक अनुभव है, विशेष रुप से विकासशील देशों में। इसकी मुख्य शक्तियाँ हैं, विशाल वित्तीय व्यवस्था जो (निरंतर लाभ प्रदत्त तथा कम्पनी के स्वस्थ तुलनपत्र से प्रदर्शित होती है) स्थापित विश्वसनीयता, सक्षम श्रमशक्ति। ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर तक गुणवत्तापूर्वक समय पर निष्पादन कंपनी का ट्रैक रिकार्ड रहा है। कंपनी ने डीबीएफओटी परियोजनाओं के लिए टर्नकी परियोजनाओं के निष्पादन से मूल्यवान अनुभव प्राप्त किया हैं। ईपीसी और डीबीएफओटी के क्षेत्रों मे अवसरों के विद्यमान होने के कारण, ऐसे अवसरों पर कार्य करने के लिए रेलवे, राजमार्ग, अभिकल्प और निष्पादन इंजीनियरों और व्यवसाय विकास प्रबंधकों का एक एकीकृत दल तैयार किया गया है।

कुछ बड़ी अवसंरचनात्मक कंपनियां ऋण आदि के कारण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निधियन के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में अक्षम हैं। तथापि, इरकॉन राजमार्ग और रेलवे क्षेत्र में डीबीएफओटी परियोजनाओं को प्राप्त करने में अपने वित्तीय संसाधनों का प्रयोग कर सकती है। इससे कंपनी को इन परियोजनाओं

में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी।

अवसर

भारत तथा विदेशों में, आर्थिक विकास में सुधार करने के लिए मैक्रो स्तर पर अनेक तथा क्षेत्रीय स्तर पर पहल के साथ अवसंरचना के क्षेत्र के विकास में पिछले कुल वर्षों में पुनःजागृति होने से कम्पनी को अधिक व्यवसाय प्राप्त करने की स्थिति को बेहतर बनाने के अवसरों में बहुत वृद्धि हुई है, विशेष रुप से रेल क्षेत्र में। निरंतर व्यवसाय प्राप्त करने के लिए अपने वित्तीय संसाधनों का प्रयोग करने के कंपनी के प्रयासों के परिणामस्वरुप, कंपनी को छत्तीसगढ, ओडीशा तथा झारखंड राज्यों मे कोयला संपर्कता परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। इन राज्यों में तथा अन्य राज्यों में अधिकतम संख्या में अन्य क्षेत्रों तथा लाभप्रद परियोजनाओं को विकसित करने के प्रयास किए जाने से आगामी वर्षों में और अधिक व्यापार प्राप्त होने की संभावना है।

कंपनी को रेलवे निकायों और राज्य सरकारों के लिए आरओबी परियोजनाओं को निष्पादित करने का अनुभव प्राप्त है। इरकॉन ने अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और ग्राहकों के लिए बड़ी संख्या में साइडिंग परियोजनाएं निष्पादित की हैं।

वर्ष के दौरान, कंपनी को बांग्लादेश में इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत मुक्त प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत एक रेल संविदा प्राप्त हुई है और इस देश में और अधिक परियोजनाओं को प्राप्त करने के प्रयास कर रही है। अफ्रीका के लिए 10 बिलियन अमरीकी डालर की नई लाइन ऑफ क्रैडिट के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता के कारण घाना, केन्या, इथोपिया, जैसे देशों मे कार्य प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे।

बाध्यताएँ

हालांकि प्रत्येक संगठन को एक निश्चित विधिक ढाँचे के भीतर काम करना पड़ता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रुप में कंपनी को उन अतिरिक्त बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है (निजी क्षेत्र की कंपनियों पर लागू नहीं होती) जिसके परिणामस्वरूप प्रतियोगी बाजार में उन्हें असुविधा होती है। पिछले कुछ वर्षों में निर्माण उद्योग में संरचनात्मक परिवर्तन, जिसके कारण सभी निर्माण और वित्तीय जोखिम नियोक्ता से ठेकेदारों को अंतरित हो गए हैं, ने कंपनी के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं। बाजार भाग में अपना व्यापक हिस्सा प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियां स्वैच्छिक रुप से इन उच्च जोखिमों को उठा रही हैं।

चूंकि इरकॉन रेल अवसंरचना के क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी है, इसलिए विगत में कंपनी को रेल व्यवसाय में उचित अंश प्राप्त करने में सफलता मिली है। तथापि, राजमार्ग क्षेत्र में बड़ी संख्या में कंपनियों के आने के कारण कंपनी के लिए मद दर संविदा में प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो गया है। इसके अतिरिक्त, नियोक्ता (नियोक्ताओं) द्वारा अर्हता अपेक्षाओं में कमी किए जाने और बड़ी संख्या में ठेकेदारों के रेलवे क्षेत्र में आने से इरकॉन के लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है।

रणनीति

अपने महत्वपूर्ण सक्षमता तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में बल देकर कम्पनी कार्य प्राप्त करने की स्थिति में सुधार करने और उसे बनाए रखने के लिए विपणन रणनीति की ओर ध्यान केंद्रित कर रही है। कम्पनी की मूल सक्षमता यथा रेलवे, विद्युतीकरण उपस्टेशन, रेल विद्युतीकरण तथा वाणिज्यिक परिसरों को और अधिक समेकित किया जा रहा है।

उपर्युक्त समस्याओं से उत्पन्न चुनौतियों के दृष्टिगत अवसंरचनात्मक क्षेत्र मे संविदाओं के लिए बोली में इरकॉन की नीति पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। संशोधित नीति में उच्चतर प्रतिस्पर्धी वातावरण में मेगा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इसकी विश्वसनीयता और वित्तीय संसाधनों तथा सरकारी कंपनी होने के कारण जोखिम उठाने की सीमित क्षमता को ध्यान में रखते हुए कंपनियों की शक्ति को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

कंपनी को विदेशी बाजारों में भारतीय बाजार और अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थानीय कंपनियों के साथ नीतिगत समझौतों के माध्यम से संविदाएं प्राप्त करने के लिए मेट्रो रेल के लिए अपने प्रयासों मे वृद्धि करने की आवश्यकता है।

जोखिम और चिन्ता

क. परियोजना जोखिम प्रबंधन:

कम्पनी में पूर्णकालीन निदेशकों की एक जोखिम प्रबंधन समिति तथा महाप्रबंधक/कार्यपालक निदेशक (मंडल स्तर से नीचे) के स्तर का एक त्वरित कार्यदल विद्यमान है जो इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं तथा जोखिम प्रबंधन पर एमआईएस रिपोर्टों सहित एमआईएस रिपोर्ट फार्मेट तैयार किए गए हैं जिनकी लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है। जोखिमों के प्रबंधन तथा उन्हें कम करने के लिए त्वरित कार्यदल से प्राप्त रिपोर्टों को जोखिम प्रबंधन समिति के माध्यम से लेखा परीक्षा समिति को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

भारत में परियोजनाओं के निष्पादन में मुख्य चिन्ता का विषय दायित्वों से मुक्त भूमि की गैर उपलब्धता और आरेखणों और अनुमानों के अनुमोदन में विलंब है जिसके कारण समय तथा लागत के बढ़ जाने का जोखिम रहता है, जिसकी क्षतिपूर्ति अधिकतर क्लाइंट द्वारा की जाती है।

ख. कोषीय जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के बीएएसईएल-।। मापदंडों के आधार पर वर्ष 2008-09 के दौरान क्रेडिट एनेलेसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (सीएआरई) द्वारा दीर्घकालीन गैर-निधि आधारित बैंक सुविधाओं के लिए सीएआरई एएए रेटिंग तथा अल्पकालीन गैर निधि आधारित बैंक सुविधाओं के लिए ए1+ रेटिंग प्रदान की गई है। सीएआरई द्वारा जनवरी, 2016 में वार्षिक निगरानी समीक्षा द्वारा इन रेटिंगों की पुनःपुष्टि की गई है।

इरकॉन विभिन्न देशों में अपने व्यवसाय को प्रचालित कर रहा है और, इसलिए, उसे विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करना पड़ता है। विदेशों में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए विदेशी बैंकों में कुछ निधियों का निवेश किए जाने की आवश्यकता होती है ताकि अस्थाई रोकड़ प्रवाह अंतर के कारण उत्पन्न किसी आकस्मिकता से निपटा जा सके। तथापि, विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करने से विदेशी विनिमय जोखिम बना रहता है और मुद्रा के विनिमय किए जाने से पूर्व विनिमय मुद्रा में प्रतिकूल परिवर्तन हो सकते हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम को न्यूनतम बनाने या समाप्त करने के लिए इन विनिमय दर उच्चावचनों की निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है और उपयुक्त समय में तथा नियमों के अनुसार सरप्लस निधियों को विनिमयित/भारत में लाया जाता है। विभिन्न विदेशी परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा इनफ्लो तथा आऊटफ्लो में समानता स्थापित करके प्राकृतिक समतुल्य स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। उचित तथा पारदर्शी रुप से विदेशी बैंकों में निधियों के स्थापन को सुनिश्चित करने के लिए विदेशी परियोजनाओं के लिए निवेश दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कम्पनी के पास उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा विद्यमान है जो इसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को अधिक प्रभावपूर्ण और परियोजना विशिष्ट बनाने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षों के लिए दिशानिर्देशों सहित वृहत आंतरिक लेखापरीक्षा पुस्तिका तैयार की गई है। ऑनलाइन/ऑफलाइन रिपोर्टिंग फार्मेट के माध्यम से परियोजनाओं की गहन मॉनीटरिंग की जाती है और मासिक आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रमुख कार्य निष्पादन सूचकांकों की मानीटरिंग की जा रही है।

कंपनी में एक संरचनात्मक संगठनात्मक चार्ट तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक प्रणाली विद्यमान है। इसके साथ व्यापक आंतरिक एमआईएस प्रणालियां, उपयुक्त सूचनाओं के प्रवाह को सुनिश्चित करती हैं ताकि प्रभावपूर्ण मॉनीटरिंग की जा सके। इन प्रक्रियाओं के अनुपालन की मॉनीटरिंग आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति, जो तिमाही से अर्धवार्षिक होती है, प्रत्येक परियोजना के टर्नओवर और समापन के प्रतिशत पर निर्भर करती है।

कंपनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षकों को उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विद्यमानता पर टिप्पणी करनी होती है और उचित जोखिम आंकलन तथा अल्पीकरण तंत्र के अस्तित्व पर विचार व्यक्त करने के अतिरिक्त इसके अनुपालन पर भी टिप्पणी करनी होती है। आंतरिक लेखापरीक्षक अनुभवी सनदी लेखाकार फर्म होते हैं, जिनकी नियुक्ति एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से होती है और वे सीधे प्रबंधन को रिपोर्ट करते हैं। यह उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है और अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है, और आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा अनुपालनों सहित लेखापरीक्षा रिपोर्टों के सार-संग्रह को लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

जहां कहीं निरंतर सुधार के भाग के रूप में इनकी आवश्यकता होती है वहां आंतरिक नियंत्रण तथा लेखपरीक्षा प्रणाली के प्रबंधन व लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है तथा निरन्तर सुधार की प्रक्रिया के रूप में कदम उठाए जाते हैं। ई-शिकायतों को गोपनीय बनाए रखने की सुविधा सहित निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत संरचनात्मक जालसाजी निवारण, निर्धारण तथा नियंत्रण नीति (एफपीडीसी नीति) तथा विसल ब्लोवर नीति विद्यमान है।

मानव संसाधन

कंपनी का उद्देश्य संगठन के लिए सही आकार व सही मिश्रण का मानव संसाधन/कर्मचारी प्राप्त करना है। चूंकि आपकी कंपनी परियोजना आधारित कंपनी है, इसलिए श्रमशक्ति की आवश्यकताओं में उतार-चढ़ाव होता रहता है, जिसका समाधान प्रतिनियुक्ति, संविदा तथा सेवा संविदा पर कर्मचारियों की भर्ती द्वारा किया जाता है। इन्हें कंपनी की समग्र नीति की तर्ज पर निर्धारित करने के लिए भर्ती नीतियों का पुनर्निधारण किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस प्रकार से तैयार किया गया है ताकि कर्मचारियों के तकनीकी और प्रबंधकीय कौशलों का संवर्धन किया जा सके।

कंपनी अपने सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पूर्व लाभ जैसे अंशदायी भविष्य निधि, उपदान, तथा एक चिकित्सा ट्रस्ट के माध्यम से सेवानिवृत्ति पश्चात अंतरण चिकित्सा लाभ उपलब्ध करा रही है। वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा दूसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना तैयार की गई थी, जिसे 31 अगस्त 2015 के अपने आदेश के तहत आयकर आयुक्त द्वारा सामूहिक उपदार ट्रस्ट निधि को अनुमोदन प्रदान किए

जाने के उपरांत दिनांक 1 अप्रैल 2009 को अनुमोदित किया गया था।

31 मार्च 2016 को कर्मचारियों की संख्या 1499 है। वर्ष 2015-16 में पलायन दर 1.67 प्रतिशत थी, जहां 25 कर्मचारियों ने संगठन को छोड़ा।

मानव संसाधन के प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क आधारित सक्षमता के निर्माण के उद्देश्य से, कंपनी की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के अनुसार मानव संसाधन संगठन के कौशलों के अनुरुप प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। कंपनी की वर्तमान नियोजन नीति के अंतर्गत, भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिकाओं को अदा करने के लिए संभावित पूल को चयनित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। संभावित नेतृत्वों के इस पूल को विकसित करने के लिए, संगठन का उद्देश्य क्रॉस-क्रियाशील गतिविधियों में तथा मेंटोरशिप तथा अन्य कार्यों में उन्हें शामिल करके भावी कार्य आवश्यकताओं के संबंध में उन्हें प्रशिक्षित करना है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

(मोहन तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00191363)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 2 सितंबर 2016

अनुबंध - 'ड.'

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

1. कार्पोरेट शासन तथा आधारभूत मूल्यों के संबंध में कंपनी का दर्शन

1.1 कंपनी का कार्पोरेट शासन कोड है "**व्यावसायिक, लाभकारी, पारदर्शी एंव उत्तरदायी रहते हुए कंपनी की प्रत्येक गतिविधि के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना ।**"

1.2 निदेशक मंडल द्वारा ग्रहण किए गए **कम्पनी के आधारभूत मूल्य** हैः-

क. रचनात्मक दृष्टिकोण
ख. एक टीम के रूप में कार्यरत
ग. कार्य में उत्कृष्टता
घ. कार्य और लेन-देन में सत्यनिष्ठा
ड. जिम्मेदार और उत्तरदायी होना

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल की संरचना:

वित्तीय वर्ष 2015-16 के समाप्ति के पश्चात, रेल मंत्रालय (प्रशासनिक मंत्रालय) ने अप्रैल 2016 को इरकॉन के बोर्ड में तीन स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, एक सरकारी नामिति निदेशक ने 30 जून 2016 को अधिवर्षिता प्राप्त की है। तद्नुसार, कंपनी के निदेशक मंडल की वर्तमान संरचना में आठ निदेशक हैं, जिनमें 04 पूर्णकालीन निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक वित्त, निदेशक परियोजना तथा निदेशक कार्य) तथा एक सरकार द्वारा मनोनीत (अंशकालीन-सरकारी) निदेशक तथा तीन स्वतंत्र निदेशक (एक महिला निदेशक सहित) हैं।

2.2 निदेशक मंडल और निदेशक मंडल/समितियों में उनकी सदस्यता

(इस रिपोर्ट की तारीख तक)

निदेशक	पूर्णकालिक/ अंशकालिक (सरकारी) स्वतंत्र	कंपनियों/ निगमित निकायों के मंडलों के सदस्य (इरकॉन को छोड़कर)	इरकॉन समेत कंपनियों/निकाय कार्पोरेट में समिति सदस्यता की कुल संख्या	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
मोहन तिवारी [डीआईएन 00191363]	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक -पूर्णकालीन	1 (आईआरएसडीसी)	शून्य	शून्य
दीपक सबलोक [डीआईएन 03056457]	निदेशक परियोजना- पूर्णकालीन	3 (आईएसटीपीएल, इरकॉन पीबीटीएल और इरकॉन एसजीटीएल)	शून्य	2
हितेश खन्ना [डीआईएन 02789681]	निदेशक कार्य - पूर्णकालीन	2 [इरकॉन आईएसएल तथा जेसीआरएल]	शून्य	शून्य
एम.के.सिंह [डीआईएन 06607392] [01.05.2016 से]	निदेशक वित्त - पूर्णकालीन	1 [आईआरएसडीसी]	शून्य	शून्य
अंजुम परवेज [डीआईएन 06682287]	अंशकालीन निदेशक (सरकारी)	1 [आरवीएनएल]	शून्य	5
एस.के.सिंह [डीआईएन 00003695] [05.04.2016 से]	स्वतंत्र	9 [नोट (i) देखें]	1	4
अविनीश माटा [डीआईएन 00011749] [08.04.2016 से]	स्वतंत्र	3 [नोट (जे)देखे]	1	2
वसुधा वी.कामत 07500096] [22.04.2016 से]	स्वतंत्र	शून्य	1	3

पदमुक्त हुए निदेशक (वर्ष 2015-16 के दौरान तथा तत्पश्चात इस रिपोर्ट की तारीख तक)

निदेशक	पूर्णकालिक/ अंशकालिक सरकारी स्वतंत्र	कंपनियों/ निगमित निकायों में निदेशक पद के मंडलों के सदस्य (इरकॉन को छोड़कर)	इरकॉन समेत कंपनियों /निगमित निकायों में समिति सदस्यता की कुल संख्या	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
के.के. गर्ग [डीआईएन 01495050] दिनांक 03.11.2009 (अ.) से 30.04.2016 (पू.) तक पद पर रहे। अधिवर्षिता के कारण पदमुक्त हुए]	निदेशक वित्त - पूर्णकालीन	1 (सीसीएफबी)	1	1
एच.के.काला [02.-6.2015 से] [डीआईएन 07200108] दिनांक 02.06.2015 (अ.) से 30.06.2016 (पू.) तक पद पर रहे। रेलवे बोर्ड मे अपर सदस्य (नियोजन) के पद से अधिवर्षिता के कारण पदमुक्त हुए]	अंशकालीन (सरकारी)	1 (एमआरवीसी)	शून्य	2

टिप्पणियाँ :

क. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निदेशकों की संख्या 10 सार्वजनिक कंपनियों (20 कंपनियों की अधिकतम सीमा के भीतर) की अधिकतम सीमा के भीतर है।

ख. अंतिम दो कॉलम में शामिल की गई समितियां हैं लेखापरीक्षा समिति, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति, स्वतंत्र निदेशक समिति, सीएसआर व धारणीयता समिति तथा शेयर प्रमाणपत्रों के नवीकरण/डुप्लिकेट प्रति जारी करने के लिए समिति।

ग. निदेशकों की समिति सदस्यता की संख्या डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के अंतर्गत पांच अध्यक्षों की अनुमति प्राप्त सीमा सहित दस की अधिकतम सीमा के भीतर है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति को ही गिना जाएगा।

घ. इस रिपोर्ट में प्रयुक्त 'पूर्णकालिक निदेशक' पद का आशय प्रकार्यात्मक/ कार्यपालक निदेशकों से है ।

ड. इस रिपोर्ट में 'अंशकालिक निदेशक' पद का आशय गैर-कार्यपालक निदेशकों से है जैसाकि सूचीकरण करार से अपेक्षित है।

च. 'सरकारी' शब्द अंशकालिक सरकारी नामित निदेशकों को दर्शाता है जिन्होंने सरकार में पदग्रहण किया हुआ है।

छ. शब्द 'गैर-सरकार/स्वतंत्र' उन अंशकालिक निदेशकों को दर्शाता है जो सरकार में पदधारक नहीं हैं।

ज. पूर्णकालिक निदेशकों को उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को बैठक में भाग लेने की फीस हकदारी से अलग, जैसाकि इस रिपोर्ट के पैरा 4 में दिया है, किसी भी निदेशक का कंपनी के साथ कोई भी अन्य भौतिक या आर्थिक संबंध नहीं है जिससे निर्णय की स्वतंत्रता प्रभावित होती हो।

झ. श्री एस.के.सिंह, स्वतंत्र निदेशक, निम्नलिखित के निदेशक मंडल में हैं:

i) गणेश रियल्टी एंड मॉल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड [सीआईएन यू 45200डब्ल्यूबी 2007पीटीसी112423]

ii) लिखामी कामर्शियल कंपनी लिमिटेड [सीआईएन यू 51109ईडब्ल्यूबी 1982पीटीसी 034623]

iii) डिस्टेंट हॉरिजन ऑर्चिड प्रा.लि. [सीआईएन यू 74899डब्ल्यूबी 1991पीटीसी 117430]

iv) वेंटेज वनिया प्राइवेट लिमिटेड [सीआईएन यू 51909डब्ल्यूबी 2008पीटीसी 129280]

v) मधुरिया वनिया प्राइवेट लिमिटेड [सीआईएन यू 51109 डब्ल्यूबी 2008पीटीसी 125480]

vi) आलीशान डेल्टाट्रेड प्राइवेट लिमिटेड [सीआईएन यू 52100 डब्ल्यूबी 2010पीटीसी 145109]

vii) फोरफोल्ड एजेंट्स प्राइवेट लिमिटेड [सीआईएन यू 5190 डब्ल्यूबी 2009पीटीसी 133868]

viii) उत्कर्ष सेफटिक लिमिटेड [सीआईएन यू 45100 डब्ल्यूबी 992पीएलसी 195097]

ix) आशिका क्रेडिट केपिटल लिमिटेड
[सीआईएन एल67120डब्ल्यूबी 1994पीएलएल062159]

ट. श्री अविनीश माटा, स्वतंत्र निदेशक बोर्ड में निदेशक हैं:

i) एक्सप्लिको कंसल्टिंग प्रा.लिमिटेड
[सीआईएन यू 9300 डीएल 2010 पीटीसी 205167]

ii) पीआईसी कंसल्टैंट्स प्रा.लि.
[सीआईएन यू 74999 डीएल 2013 पीटीसी 252126]

iii) इन्कवेंट कंसल्टिंग प्रा.लि.
[सीआईएन यू 74140डीएल 2009 पीटीसी 186611]

संदर्भित कंपनियों के पूरे नाम :

i) इरकॉन आईएसएल - इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, नई दिल्ली (भारत)
[सीआईएन यू45400डीएल2009जीओआई194792]

ii) इरकॉन पीबीटीएल - इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, नई दिल्ली (भारत)
[सीआईएन यू45400डीएल2014जीओआई272220]

iii) इरकॉन एसजीटीएल - इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, नई दिल्ली (भारत)
[सीआईएन यू45400डीएल2015जीओआई280017]

iv) आईआरएसडीसी - भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लि., जो नई दिल्ली (भारत) में इरकॉन का एक संयुक्त उद्यम तथा सहायक कंपनी (51% इक्विटी) है।
[सीआईएन यू45204डीएल2012जीओआई234292]

v) आईएसटीपीएल - इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (भारत) में एक संयुक्त उद्यम कंपनी जिसमें इरकॉन की इक्विटी भागीदारी 50% है।
[सीआईएन यू45204डीएल2012जीओआई234292]

vi) जेसीआरएल - झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड, झारखंड (भारत) में एक संयुक्त उद्यम कंपनी जिसमें इरकॉन की इक्विटी भागीदारी 26% है।
[सीआईएन यू45201जेएच2015जीओआई003139]

vii) सीसीएफबी - कंपैनिया डोज कैमिनोज डी फेरो डा बेरा (सीसीएफबी) मोजाम्बिक में एक संयुक्त उद्यम कंपनी, जिसमें इरकॉन की इक्विटी भागीदारी 25% है।

viii) आरवीएनएल - रेल विकास निगम लिमिटेड
[सीआईएन यू74999डीएल2003जीओआई118633]

ix) एमआरवीसी - मुम्बई रेल विकास निगम लिमिटेड
[सीआईएन यू45203एमएच1999जीओआई120765]

3. निदेशकों के संबंध में प्रकटन :

कंपनी (मंडल बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के अन्तर्गत निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटनों के अनुसार निदेशकों के मध्य आपस में कोई संबंध नहीं होगा । दो निदेशक (अंशकालीन सरकारी) प्रशासनिक मंत्रालय यथा रेल मंत्रालय के अधिकारी हैं और इस प्रकार प्रमोटरों से संबंधित हैं।

चूंकि अंशकालीन निदेशकों सहित सभी निदेशकों की नियुक्त कंपनी के हाथ में नहीं है और यह कार्य सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से किया जाता है, इसलिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड- 152 के अनुसार निदेशक की नियुक्ति के लिए वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस में मद को रखना सभंव नहीं है जो सामान्य बैठक में निदेशकों के 2/3 सदस्यों तक नियुक्ति के लिए कार्यविधि उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों सहित अंशकालीन निदेशकों की नियुक्ति सरकार करती है (ना कि कंपनी) और वह भी निर्धारित कार्यकाल के लिए जिसके कारण प्रत्येक वर्ष रोटेशन द्वारा किसी निदेशक की वास्तविक सेवानिवृत्ति की संभावना नहीं है और इस प्रक्रिया में कंपनी अधिनियम, 2013 का अनुच्छेद 152 लागू नहीं होता है।

रेल मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के माध्यम से आपकी कंपनी के कार्यशील निदेशकों तथा मंडल के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा लोक उद्यम विभाग को प्रस्तुत किया जाता है।

3.1 कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त कार्यवृत्त

वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी में किसी निदेशक ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। तथापि वर्ष के समाप्त होने के पश्चात, निम्नलिखित चार निदेशकों ने इरकॉन के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण कियाः

(क) श्री संजय कुमार सिंह (एस.के.सिंह) (डीआईएन 00003695), पेशेवर सनदी लेखाकार ने रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 1 अप्रैल 2016 के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार दिनांक 5 अप्रैल

2016 से इरकॉन के बोर्ड मे स्वतंत्र (अंशकालीन (गैर-सरकारी)) निदेशक के रुप में कार्यभार ग्रहण किया है।

इनका जन्म 3 नवंबर 1964 को हुआ और इन्होंने बी.कॉम (ऑनर्स) तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के फेलो सदस्य की अर्हता प्राप्त की है।

इन्हें वित्त, कर निर्धारण, तथा व्यवसायिक प्रचालन के क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। इन्होंने अंबूजा-नियोटिया समूह (अंबूजा सीमेंट लिमिटिड के पूर्ववर्ती स्वामी और प्रमोटर)में 26 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया है। वर्ष 2012 में चार वर्ष पूर्व अपने स्वयं की प्रेक्टिस आरंभ करने से पूर्व वे उक्त अंबूजा समूह मे अध्यक्ष (निगमित मामले) के पद पर थे।

श्री सिंह 20 वर्षों से अधिक से युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय के तत्वाधन में राष्ट्रीय युवा विकास निधि के परिषद सदस्य तथा आईसीएआई के परीक्षक भी हैं।

(ख) श्री अविनीश माटा (डीआईएन 00011749), पेशेवर सनदी लेखाकार, ने रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 1 अप्रैल 2016 के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार दिनांक 8 अप्रैल 2016 से इरकॉन के बोर्ड मे स्वतंत्र (अंशकालीन (गैर-सरकारी)) निदेशक के रुप में कार्यभार ग्रहण किया है।

इनका जन्म 28 अप्रैल 1959 को हुआ और श्री माटा ने बी.कॉम (ऑनर्स), एलएलबी, प्रबंधन में एडवांस्ड डिप्लोमा, इनवार्यनमेंटल इकनॉमिक्स में प्रमाणपत्र, बिजनेस इवेल्युवेशन में प्रमाणपत्र, इंफार्मेशन सिस्टम्स ऑडिट, तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के फेलो सदस्य की अर्हताएं प्राप्त की है।

इन्हें वित्त, लेखापरीक्षा, कर निर्धारण, आदि क्षेत्रों में 33 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव प्राप्त है। बहुक्षेत्रीय उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में इनके व्यावसायिक अनुभव ने इन्हें रणनीति और नीतिगत विषयों और प्रकियाओं का गहन व्यावसायिक ज्ञान और समझ प्रदान किया है। वे विलय तथा एमल्गामेशन, विदेशी विनिमय विषयों, ड्यू-डेलिजेंस, परियोजना वित्तपोषण, व्यवहार्यता अध्ययन, निवेश बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग, निगमित पुनःसंरचना, नीतिगत एवं विधिक परामर्श, व्यवसाय एवं परिसंपत्ति मूल्यांकन के अतिरिक्त इंजीनियरिंग-प्रापण-निर्माण, प्रचालन-अनुरक्षण-हस्तांतरण, निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण, तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में समान परियोजनाओं के क्षेत्र में परामर्श दे रहे हैं।

सामाजिक क्षेत्र तथा शहरी विकास कार्यक्रमों में अंतरराष्ट्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं की मॉनीटरिंग, समीक्षा तथा मूल्यांकन के कार्य से जुड़े हुए हैं। वे स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कौशल विकास के क्षेत्रो में सक्रिय विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के सक्रिय सदस्य होने के साथ साथ आर्सीएआई विभिन्न समितियों के साथ भी जुड़े हुए हैं। उनकी व्यावसायिक आचार और शासन के क्षेत्र में व्यापक रुचि है।

(ग) प्रो.(सुश्री) वसुधा वसंत कामत (डीआईएन07500096) ने रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 01 अप्रैल 2016 के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार 22 अप्रैल 2016 से इरकॉन के बोर्ड मे स्वतंत्र (अंशकालीन (गैर-सरकारी)) निदेशक के रुप में कार्यभार ग्रहण किया है।

इनका जन्म 26 जून1952 को हुआ और इन्होंने बी.एससी (रसायन शास्त्र), बी.एड., एम.एड, एम.ए (सोशियोलॉजी), तथा पी.एच.डी. (एजुकेशन) की शिक्षा प्राप्त की है।

प्रो. कामत ने 1971 मे शिक्षक के रुप में अपना केरियर आरंभ किया। वर्ष 1983 में एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे 4 वर्ष के लिए कॉलेज ऑफ एजुकेशन में लेक्चरर थीं। उन्होंने एसएनडीटी विश्वविद्यालय में अपने 29 वर्ष के कार्यकाल में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वर्ष 2016 मे एसएनडीटी विश्वविद्यालय से अपनी सेवानिवृत्ति के समय, वे पिछले 5 वर्षों से उपकुलपति के पद पर कार्यरत थीं। उन्होंने 2007 से 2011 के अल्प समय के लिए सीईआईटी, एनसीईआरटी में संयुक्त निदेशक के पद पर भी कार्य किया।

उन्हें स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, महिला शिक्षा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में 45 वर्षों से अधिक की अवधि का व्यापक अनुभव प्राप्त है। एसएनडीटी विश्वविद्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न नई व्यवस्थाएं/प्रक्रियाएं आरंभ कीं हैं जैसे ऑनलाइन प्रवेश, मास्टर स्तर पर विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, मूल्यांकन के लिए नई विधियां, शिक्षण-अध्ययन प्रक्रिया में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग, आईसीटी अवसंरचना का विकास जैसे वर्चुवल क्लासरुम, विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर लैब, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण लैब तथा कैंपसों के लिए भाषा लैब का विकास।

उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण की पुरजोर सिफारिश करने वाली सुश्री वसुधा वसंत कामत कनाडा, मॉरीशियस, मलेशिया आदि देशों में अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ भी जुड़ी हुई हैं। वे मुक्त विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से भी निकटता के साथ जुड़ी हुई हैं।

एक सामाजिक कार्यकर्ता के रुप में, वे वर्ष 1992 से ग्रामीण पुनर्संरचना और शिक्षा (नारायण आश्रम) के लिए समाज में कार्यरत हैं। इन्हें महाराष्ट्र राज्य सरकार से सर्वश्रेष्ठ अध्यापक पुरस्कार (2005-06), फुलब्राइट सीनियर रिसर्च फेलोशिप (2005-06) तथा रोटरी इंटरनेशनल फेलोशिप (2004-05) प्राप्त हुए हैं।

(घ) श्री एम.के. सिंह (डीआईएन 06607392) पेशेवर सनदी लेखाकार, ने रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 26 अप्रैल 2016 के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार 1 मई 2016 से इरकॉन के बोर्ड में निदेशक वित्त के रुप में कार्यभार ग्रहण किया है।

इनका जन्म 25 सितंबर 1961 को हुआ और इन्होंने बी.ए.(ऑनर्स), एम.ए (गणित), एम.फिल (गणित) तथा इग्नू से वित्त प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है। वे 1990 बैच के भारतीय रेल लेखा सेवा (आईआरएएस) के अधिकारी हैं। भारतीय रेल में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व इन्होंने 5 वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में लेक्चरर के रुप में कार्य किया है।

इन्होंने वर्ष 1991 में भारतीय रेल में कार्यभार ग्रहण किया और 25 वर्षों की अवधि के लिए विभिन्न पदों पर कार्य किया। इन्हें भारतीय रेल में स्थापित बहु-विभागों में कार्य के अनुभव के साथ रेलवे लेखा एवं वित्त की विभिन्न शाखाओं के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान प्राप्त है। निदेशक वित्त (लेखा) तथा निदेशक वित्त (पीपीपी), रेलवे बोर्ड के रुप में इन्होंने भारतीय रेल में पीपीपी परियोजनाओं की वित्तीय संवीक्षा और मूल्यांकन के क्षेत्र में, भारतीय रेल के लेखों के समेकन और उन्हें तैयार करने, सांविधिक लेखापरीक्षा (नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक) के साथ कार्य किया है। इसके अतिरिक्त, इन्होंने रेलवे प्रणाली में क्षेत्रीय मुख्यालयों और मंडलों में पेन-रेलवे ऑनलाइन लेखांकन पैकेज प्रणाली और अन्य संबंधित डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली (आरडीबीएमएस) को क्रियान्वित किया है और दो प्रमुख मंडलों में रेलवे वित्त और लेखों के कंप्यूटरीकरण के दल के सदस्य रहे हैं।

इरकॉन में निदेशक वित्त के रुप में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, वे लगभग 4 वर्षों के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड में महाप्रबंधक वित्त (प्रतिनियुक्ति पर) के पद पर कार्यरत थे, जहां वे एसपीवी से संबंधित रेल अवसंरचना के निर्माण विषयों से संबंधित वित्तीय मुद्दों की व्यवस्था, गुणवत्ता तथा लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) और अन्य प्रणालियों के अंतर्गत टेंडर को अंतिम रुप देने, तथा ईआरपी परियोजना की व्यवस्था आदि सहित वाणिज्यिक लेखांकन और वित्त के लिए उत्तरदायी थे।

इन्होंने आईआईएम, इलाहबाद से परियोजना वित्त की सार्वजनिक निजी भागीदारी माध्यम पर, रेलवे स्टॉफ कॉलेज से फ्रेट बिजनेस मार्किटिंग पाठ्यक्रम, रोटम स्कूल ऑफ मेनेजमेट, टोरांटो विश्वविद्यालय, कनाडा से प्रबंधन विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान रेल मंत्रालय पुरस्कार (1998 में), महाप्रबंधक पुरस्कार (2004), भोपाल प्रभाग के वित्त विभाग को कुशलता शील्ड जैसे अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

सरकारी कंपनी होने के कारण पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और सरकार द्वारा पूर्व-निर्धारित औद्योगिक मंहगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमानों तथा सरकार द्वारा जारी की गई उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उन्हें पारिश्रमिक मिलता है।

निदेशक मंडल के अंशकालिक सरकारी निदेशक नामितियों को निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है बल्कि उन्हें सरकारी अधिकारियों के रूप में सरकार से केन्द्रीय मंहगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमानों के अधीन पारिश्रमिक मिलता है।

शेयरधारकों ने दिनांक 26 सितम्बर, 2007 को आयोजित 31वीं वार्षिक साधारण बैठक में निदेशक मंडल को कंपनी (केन्द्र सरकार) के सामान्य नियमों तथा फार्मों के नियम 10- बी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर सिटिंग शुल्क के रुप में अंशकालीन (गैर-सरकारी) /स्वतंत्र निदेशकों के देय वेतन का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत किया है। तदनुसार, निदेशक मंडल ने 28 जनवरी, 2015 को आयोजित अपनी 215वीं बैठक में निदेशक मंडल तथा उनकी किसी समिति की प्रत्येक बैठक के लिए 12,000 रुपए का सिटिंग शुल्क निर्धारित किया है।

4.1 2015-16 के लिए पूर्णकालीन निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज पर प्रकटन:

(रुपये करोड़ में)

क्र सं	निदेशकों के नाम*	वेतन एवं भत्ते	अन्य लाभ एवं पर्क	कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन	सेवा-निवृत्ति लाभ	बोनस/ कमीशन/ अनुग्रह राशि	वर्ष के दौरान स्टॉक ऑप्शन	कुल
1	श्री मोहन तिवारी** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (2015-16 में वर्ष भर)	39,35,526	7,74,946	14,24,205	2,91,640	-	-	64,26,317
2	श्री के.के. गर्ग*** निदेशक वित्त (2015-16 में वर्ष भर)	38,03,048	7,60,639	11,94,787	11,72,724	-	-	69,31,198^
3	श्री दीपक सबलोक निदेशक परियोजना (2015-16 में वर्ष भर)	26,98,926	5,90,312	11,78,790	2,57,466	-	-	47,25,494
4	श्री हितेश खन्ना निदेशक कार्य (2015-16 में वर्ष भर)	25,95,084	5,34,853	9,28,082	2,53,408	-	-	43,11,427

^पेंशन के प्रति नियोक्ता अंशदान की 911696 रुपए की राशि सहित।

* सभी निदेशक 2015-16 वर्षभर में कंपनी के निदेशक मंडल में थे।

** श्री मोहन तिवारी का जन्म 1 अक्तूबर, 1956 को हुआ था और इन्होंने बी.ई.सिविल (ऑनर्स), एम.टैक (स्ट्रक्चर्स) तथा पीजीडीआईएम की शिक्षा प्राप्त की है और दिनांक 25 जून, 1998 को रेल मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति पर इरकॉन में कार्यभार ग्रहण किया तथा वर्ष 2002 में इन्हें महाप्रबंधक के रुप में कंपनी में आमेलित कर लिया गया। रेल मंत्रालय के द्वारा सूचित राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के आधार पर इन्होंने पांच वर्ष की अवधि या अधिवर्षिता की आयु, जो भी पहले हो, के लिए दिनांक 8 अगस्त 2003 को निदेशक (परियोजना) का कार्यभार प्रदान किया गया। रेल मंत्रालय द्वारा उन्हें दिनांक 5 मार्च, 2013 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर पुनः नामित किया गया। रेल मंत्रालय के दिनांक 15 मई 2014 के आदेश के तहत उनकी नियुक्ति के कार्यकाल को 31 जनवरी, 2014 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2016 अर्थात उनकी अधिवर्षिता की तिथि तक कर दिया गया। उन्हें अवसंरचनात्मक क्षेत्र में 37 वर्ष के अधिक का अनुभव प्राप्त है।

*** श्री के.के.गर्ग का जन्म 15 अप्रैल 1956 को हुआ और इन्होंने बीकॉम तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से फेलो सदस्य की अर्हता प्राप्त की है और 3 नवंबर 2009 को निदेशक वित्त के रुप में इरकॉन में कार्यभार ग्रहण किया। इनके कार्यकाल को रेल मंत्रालय द्वारा 22 जून 2016 के आदेश के तहत 3 नवंबर 2014 से 30 सितंबर 2016 तक यथा इनकी अधिवर्षिता की तिथि तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इरकॉन में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे लगभग 2 वर्ष 6 महीने के लिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (जो अब एसजेवीएन लिमिटेड है)के निदेशक वित्त थे। इन्हें निगमित करनिर्धारण, निगमित एमआईएस तथा बजटीय नियंत्रण, वाणिज्यिक ड्यू-डेलिजेंस आदि विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक अनुभव है।

4.2 वर्ष 2015-16 के दौरान स्वतंत्र निदेशक/अंशकालीन (गैर सरकारी) निदेशकों को किए गए भुगतान का ब्यौरा:

लागू नहीं है, क्योंकि वर्ष 2015-16 के दौरान इरकॉन के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

5. बोर्ड प्रक्रिया

5.1 निदेशक मंडल चार्टर

क) वर्ष 2012 से कंपनी में निदेशक मंडल से स्वीकृत औपचारिक बोर्ड चार्टर तथा निगमित शासन उद्देश्य तथा दृष्टिकोण तथा निदेशक मंडल (पूर्णकालीन निदेशक, स्वतंत्र निदेशकों, सरकारी निदेशकों सहित) तथा प्रबंधन (वरिष्ठ प्रबंधन) की भूमिका तथा उत्तरदायित्व विद्यमान हैं।

ख) यह निदेशक मंडल चार्टर अनिवार्य रुप से निगमित शासन उदेश्यों तथा दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल की कंपोजिशन व संरचना और भूमिका तथा उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है।

ग) अंशकालीन अध्यक्ष सहित अंशकालीन निदेशकों को अपने उत्तरदायित्वों के निर्वाहन को सुलभ बनाने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में स्वतंत्र कार्यालय कक्ष निर्धारित किया गया है।.

5.2 वर्ष 2015-16 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें और

उपस्थिति

क) वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निदेशक मंडल ने 30 अप्रैल 2015, 28 जुलाई 2015, 14 अगस्त 2015, 27 अगस्त 2015, 16 अक्तूबर, 2015, 05 नवंबर 2015 (स्थिगित तथा 6 नवंबर 2015 को आयोजित), 24 नवंबर 2015, 19 फरवरी 2016 तथा 28 मार्च 2016 को 9 बैठकों में भाग लिया।

ख) कंम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 167 (1) (ख) के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई थी।

ग) वर्ष 2015-16 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्न प्रकार है :-

निदेशक	2015-16 में मंडल की बैठकों की संख्या		अंतिम वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया
	(उनके कार्यकाल के दौरान)	उपस्थितियां	
मोहन तिवारी	9	9	हां
के.के. गर्ग	9	9	हां
दीपक सबलोक	9	9	हां
हितेश खन्ना	9	9	हां
एच.के. काला	8	8	हां
अंजुम परवेज	9	7	हां

सुश्री सुमिता शर्मा, कंपनी सचिव ने वर्ष 2015-16 के दौरान नौ में से आठ बोर्ड बैठकों में भाग लिया है।

6. कम्पनी के बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रंबधन के लिए आचार संहिता तथा सम्पूर्ण संगठन के लिए आधारभूत मूल्य

कम्पनी में निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन (अर्थात निदेशक, मुख्य सतर्कता अधिकारी, अपर महाप्रबंधक व ऊपर के अधिकारी तथा परियोजनाओं/विभागों के प्रमुखों) के लिए आचार संहिता तथा कम्पनी के लिए समग्र रूप से आधारभूत मूल्य विद्यमान हैं । ये संहिता 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी है तथा इन्हें कंपनी की वेबसाइट में शामिल किया गया है।

वर्ष 2015-16 के दौरान निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल के सदस्यों द्वारा आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्तक्षरित घोषणा **संलग्नक सी-1** पर उपलब्ध है।

7. निदेशक मंडल की समितियां

7.1 लेखापरीक्षा समिति

7.1.1 संदर्भ शर्तें :

अप्रैल 2014 में कंपनी अधिनियम, 2013; डीपीई के निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010; तथा सूचीकरण करार के संशोधित खंड-49 की तर्ज पर लेखापरीक्षा समिति के लिए संदर्भ शर्तों को संशोधित किया था। लेखापरीक्षा समिति के लिए संदर्भ शर्तों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों शामिल हैः-

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 144 के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को छोड़ कर लेखापरीक्षकों को प्रदान की गई किसी अन्य सेवाओं के लिए शुल्क के भुगतान सहित सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की सिफारिश।

(ख) लेखापरीक्षा की स्वतंत्रता और कार्यनिष्पादन की समीक्षा और मॉनीटरिंग, तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता।

(ग) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेनों के लिए स्वीकृति या किसी प्रकार का परिणामी आशोधन और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पक्ष संव्यवहारों के विवरण की समीक्षा करना।

(घ) अंतर-निगमित ऋणों और निवेशों की संवीक्षा।

(ड.) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करना और इसकी वित्तीय सूचना को प्रकट करना ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त, तथा विश्वसनीय हैं।

(छ) निम्नलिखित विशिष्ट संदर्भों सहित बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणों तथा उनकी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षाः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134 (3) के खंड (ग) की शर्तों के अनुसार बोर्ड रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशक उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित विषय।

(ii) लेखांकन नीतियों और विधियों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और इन परिवर्तनों के कारण।

(iii) प्रबंधन द्वारा विवेक का प्रयोग करके अनुमानों के निर्माण में शामिल होने वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।

(iv) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

(v) वित्तीय विवरणों से संबंधित विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन।

(vi) पक्ष संबंधी किसी लेनदेन का प्रकटन; और

(vii) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं।

(ज) निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किए जाने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा।

(झ) बाहरी व आंतरिक, दोनों लेखापरीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण विषयों व कार्य के क्षेत्रों पर चर्चा।

(ट) वैधिक तथा आन्तरिक लेखापरीक्षकों के कार्यनिष्पादन, आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना तथा कार्यकरण सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा आंतरिक लेखपरीक्षा रिपोर्टों के संबध में प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

(ठ) ऐसे अन्य मदों/विषयों पर विचार करना जैसा कि बोर्ड/ लेखापरीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया है।

लेखापरीक्षा समिति ने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति के लिए वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखों पर सिफारिश करने से पूर्व वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणों, प्रबंधन निदेशक तथा निदेशक वित्त द्वारा देय अनुपालन की घोषणा, लेखापरीक्षकों, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की भूमिका आदि सहित उक्त संदर्भ शर्तों के अनुसार मुद्दों की समीक्षा की थी। लेखापरीक्षा समिति ने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों तथा कार्यनिष्पादन की भी समीक्षा की थी।

7.1.2 संरचना व उपस्थिति :

सूचीकरण करार के खंड 49 और मिनीरत्न की शर्तों के अनुसार और निदेशक मंडल के अनुमोदन से मूलतः 28.4.2000 को लेखापरीक्षा समिति का गठन कर दिया गया था जिसमें कम्पनी के चार अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक सम्मिलित है।

जब कभी स्वतंत्र निदेशकों में परिवर्तन होता है तो इनकी पुनःस्थापना की जाती है। वर्ष की समाप्ति के पश्चात इरकॉन के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के परिणामस्वरुप, अप्रैल 2016 में लेखापरीक्षा का पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया हैः

अवनीश माटा, स्वतंत्र निदेशक	–	अध्यक्ष
वसुधा वी.कामत, स्वतंत्र निदेशक	–	सदस्य
एस.के.सिंह, स्वतंत्र निदेशक	–	सदस्य

वर्ष 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 9 बैठकें आयोजित हुईं।

30 अप्रैल 2015, 27 जुलाई 2015, 14 अगस्त 2015, 29 सितंबर 2015, 16 अक्तूबर 2015, 05 नवंबर 2015, 24 नवंबर 2015, 19 फरवरी 2016 और 28 मार्च 2016.

वर्ष 2015-16 की उपस्थिति विवरण निम्न प्रकार हैः-

सदस्य	पद	आयोजित बैठकें (इनके कार्यकाल के दौरान)	बैठकें जिनमें भाग लिया
मोहन तिवारी	सदस्य (29.04.2015 से 14.06.2015)	1	1
एच.के.काला	अध्यक्ष (14.06.2015 से 22.04.2016)	8	8
अंजुम परवेज	अध्यक्ष (29.04.2015 से 14.06.2015 तथा सदस्य (15.06.2015 से 22.04.2016)	9	7
दीपक सबलोक	सदस्य (14.06.2015 से 22.04.2016)	9	9

*सुश्री सुमिता शर्मा, कंपनी सचिव इस समिति की अध्यक्ष थीं और इन्होंने वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित सभी बैठकों में भाग लिया।

7.2 शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति

इरकॉन के निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 178 (जिसमें प्रावधान है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पर 1000 से अधिक शेयरधारकों/डिबेंचरधारकों/कोई अन्य प्रतिभूति धारकों वाली कंपनी के लिए इस समिति का गठन अनिवार्य है) में समाविष्ट प्रावधानों के दृष्टिगत 28 जुलाई 2015 को आयोजित अपनी बैठक में शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति को खंडित कर दिया है। उक्त समिति के भंग होने के पश्चात, कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निपटान की शक्ति निदेशक मंडल को होगी।

उक्त समिति के खंडित होने से पूर्व वर्ष 2015-16 के दौरान समिति

की काई बैठक आयोजित नहीं की गई है।

7.3 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

इरकॉन के निदेशक मंडल ने 28 जुलाई 2015 को आयोजित अपनी बैठक में अपनी मौजूदा पारिश्रमिक समिति का नाम परिवर्तित करके नामांकन और पारिश्रमिक समिति कर दिया है और कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 178 द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को शामिल करने तथा 26 नवंबर 2008 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत मौजूदा संदर्भ शर्तों के अनुसार इसके संदर्भ शर्तों को व्यापक बनाया हैः

1. दिनांक 26 नवंबर 2008 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित सीमा के भीतर कार्यपालकों और गैर यूनयनिकृत पर्यवेक्षकों में वितरण हेतु वार्षिक बोनस/परिवर्ती आय पूल और नीति के संबंध में निर्णय लेने के मौजूदा कार्यक्षेत्र को जारी रखने हेतु।
2. डीपीई तथा अन्य सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन (निदेशक से एक स्तर नीचे) और अन्य कर्मचारियों के चयन और उन्हें हटाने की नीति की समीक्षा करना और मंडल के अनुमोदन हेतु सिफारिश करना।
3. कोई अन्य कार्य जिसे समय-समय पर कंपनी अधिनियम या डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा शामिल किया जाए।

जब कभी निदेशकों में परिवर्तन होता है तो समिति का पुनर्गठन किया जाता है। वर्ष की समाप्ति के पश्चात इरकॉन के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के परिणामस्वरुप नामांकन और पारिश्रमिक समिति पुनर्गठन अप्रैल 2016 में किया गया था जो निम्नानुसार हैः

एस.के.सिंह, स्वतंत्र निदेशक	–	अध्यक्ष
वसुधा वी. कामत, स्वतंत्र निदेशक	–	सदस्य
अंजुम परवेज, अंशकालीन (सरकारी) निदेशक	–	सदस्य

वर्ष 2015-16 के दौरान 19 फरवरी 2016 में समिति की बैठक हुई। उक्त बैठक में उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

सदस्य	पद	आयोजित बैंठकें (इनके कार्यकाल के दौरान)	बैठकें जिनमें भाग लिया
एच.के. काला	अध्यक्ष (28.07.2015 से 22.04.2016)	1	1
मोहन तिवारी	सदस्य (28.07.2015 से 22.04.2016)	1	1
अंजुम परवेज	सदस्य (28.07.2015 से 22.04.2016	1	0

*सुश्री सुमिता शर्मा, कंपनी सचिव इस समिति की सचिव हैं और इन्होंने वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित बैठक में भाग लिया।

7.4 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीय समिति

इरकॉन के बोर्ड ने नवंबर 2014 को आयोजित अपनी बैठक में अपनी मौजूदा सीएसआर नीति का पुनःनामकरण करके सीएसआर तथा धारणीय समिति कर दिया है और कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 135 में विनिर्दिष्ट अनुसार क्षेत्रों को शामिल करना, तथा सीएसआर तथा धारणीयता पर डीपीई दिशानिर्देश, 2014 के अनुसार संदर्भ शर्तों को और व्यापक किया है। संक्षेप में, इस समिति के कार्यक्षेत्र में कंपनी की सीएसआर तथा धारणीयता नीति के क्रियान्वयन पर निगरानी और वांछित दिशा में कंपनी की सीएसआर तथा धारणीयता कार्यसूची को पूरा करने के लिए उपयुक्त नीतियों और ऋणनीतियों के सृजन में सहयोग करना शामिल है।

जब कभी स्वतंत्र निदेशकों में परिवर्तन हुआ समिति का पुनर्गठन किया गया। वर्ष की समाप्ति के पश्चात इरकॉन के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के उपरांत, सीएसआर तथा धारणीयता समिति का अंतिम पुनर्गठन अप्रैल 2016 में किया गया था जो निम्नानुसार हैः

वसुधा वी. कामत, स्वतंत्र निदेशक	–	अध्यक्ष
अविनीश माटा, स्वतंत्र निदेशक	–	सदस्य
अंजुम परवेज, अंशकालीन (सरकारी) निदेशक	–	सदस्य
दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना	–	सदस्य

वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की चार बैठकें निम्नलिखित तिथियों को हुईंः 27 जुलाई 2015, 14 अगस्त 2015, 05 नवंबर 2015 और 19 फरवरी 2016. वर्ष 2015-16 के लिए उपस्थिति विवरण निम्नानुसार हैः

सदस्य	स्थिति	आयोजित बैठकें संबंधित कार्यकाल के दौरान	बैठकें जिनमें भाग लिया गया
एच.के.काला	अध्यक्ष (14.06.2015 से 22.04.2016)	4	4
के.के.गर्ग	सदस्य (22.04.2016 तक)	4	4
दीपक सबलोक	सदस्य	4	4
हितेश खन्ना	सदस्य 22.04.2016 तक)	4	4

सुश्री सुमिता शर्मा, कंपनी सचिव इस समिति की सचिव हैं और

इन्होंने वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित सभी बैठकों में भाग लिया।

7.5 स्वतंत्र निदेशकों की समिति

निदेशक मंडल ने अक्तूबर 2013 में गैर-सरकारी निदेशकों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व पर दिनांक 28 दिसंबर 2012 के डीपीई-कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में अक्तूबर 2013 में स्वतंत्र निदेशक समिति (आईडी समिति) का गठन किया गया है, जिसमें प्रावधान है कि गैर-सरकारी अधिकारी क्रियाशीलता की उपस्थिति के बिना वर्ष में एक बैठक कर सकेंगे और कंपनी, प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचनाओं की गुणवत्ता, मात्रा तथा समय पर प्रवाह का ऑकलन सरकारी निदेशक तथा सदस्य करेंगे, जो कि कर्तव्यों के कुशल और युक्तिसंगत निष्पादन के लिए बोर्ड हेतु आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के पैरा VII में समान प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

दो स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल सितंबर, 2014 में समाप्त होने के पश्चात, रेल मंत्रालय ने तीन स्वतंत्र निदेशकों (एक महिला निदेशक सहित) को अप्रैल 2016 में नामित किया था। तत्पश्चात, सभी तीन स्वतंत्र निदेशकों के साथ स्वतंत्र निदेशक समिति का पुनर्गठन सितंबर 2016 में किया गया था।

वर्ष 2015-16 में स्वतंत्र निदेशकों की पुनः नियुक्ति होने के कारण स्वतंत्र निदेशक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है।

7.6 शेयर प्रमाणपत्रों के नवीकरण/डुप्लिकेट जारी करने हेतु समिति

इरकॉन के निदेशक मंडल ने जनवरी 2015 को ओयोजित अपनी बैठक में खोए या नष्ट हुए, निरस्त, फटे व पुराने शेयरों या जहां शेयर प्रमाणपत्रों के पीछे वाले पृष्ठ को हस्तांतरण रिकार्ड के लिए प्रयोग कर लिया गया हो, के प्रतिस्थापन हेतु डुप्लिकेट शेयरों को जारी करने के लिए कंपनी (शेयर पूंजी तथा डिबेंचर) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की शर्तों के अनुसार शेयर प्रमाणपत्रों के नवीकरण/डुप्लिकेट जारी करने हेतु समिति का गठन किया गया है।

जून 2016 में समिति का अंतिम बार पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया थाः

एम.के.सिंह, निदेशक वित्त	अध्यक्ष
अंजुम परवेज, अंशकालीन सरकारी निदेशक	सदस्य
दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना	सदस्य

सुश्री सुमिता शर्मा, कंपनी सचिव इस समिति की सचिव हैं और इन्होंने वर्ष 2015-16 के दौरान किसी भी बैठक के आयोजन की आवश्यकता नहीं थी।

8. सहायक कंपनी(कंपनियों) से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन

वर्तमान में, इरकॉन की निम्नालिखित सहायक कंपनिया हैंः

(क) इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल), इरकॉन की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है।

(ख) भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी), इरकॉन की सहायक कंपनी है और यह इरकॉन और रेल भूमि विकास निगम लि. के बीच एक संयुक्त उपक्रम भी है, जिसमें इरकॉन की इक्विटी 51 प्रतिशत है।

(ग) इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीएल) इरकॉन की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है।

(घ) इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल) इरकॉन की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है। (12 मई 2015 को निगमित)।

इनमें से कोई भी कंपनी सूचीबद्ध नहीं है।

वर्ष 2015-16 के दौरान इरकॉन आईएसएल, आईआरएसडीसी, इरकॉन पीबीटीएल तथा इरकॉन एसजीटीएल का टर्नओवर/निवल संपत्ति, इरकॉन (धारक कंपनी) के टर्नओवर या निवल संपत्ति के 20% से अधिक नहीं है। इसलिए, उपर्युक्त कोई भी सहायक कंपनी डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के अनुसार मटीरियल सब्सिडेयरी या सूचीबद्ध करार के अंतर्गत सब्सिड्री नहीं है।

9. वार्षिक साधारण बैठक

9.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	वार्षिक बैठक की तारीख	समय	स्थान/स्थल
2014-15	22 दिसंबर 2015	5 बजे अपराह्न	कपंनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
2013-14	25 सितम्बर 2014	5 बजे अपराह्न	कपंनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
2012-13	3 सितम्बर 2013	5 बजे अपराह्न	कपंनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली

9.2 विशेष संकल्प:

(क) वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया था।

(ख) कंपनी की ऋण शक्तियों में संशोधन करने के लिए 25 सितंबर

2014 को आयोजित एजीएम (वर्ष 2013-14 के लिए) में एक विशेष संकल्प पारित किया गया था।

(ग) कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि करने के लिए कंपनी के समझौता ज्ञापन और संगम अनुच्छेद मे संशोधन करने के लिए 22 दिसंबर 2015 को आयोजित एजीएम (वर्ष 2014-15 के लिए) में दो विशेष संकल्प पारित किये गये थे।

(घ) इरकॉन की आगामी एजीएम में पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प परित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

10. प्रकटन

10.1 वर्ष के दौरान, निदेशकों और उनके रिश्तेदार के साथ ऐसे भौतिक प्रकृति के संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं थे, जिसका कम्पनी के हित में संभाव्य विरोध था।

10.2 कंपनी ने वित्तीय विवरणों को तैयार करके इंस्टीट्यूट ऑफ एकाउंटेट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुसरण किया है।

10.3 वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी के व्यवसाय उद्देश्यों से इतर लेखों की बहियों में व्यय की किसी भी मद को नामे नहीं किया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन एवं पर्क (इस रिपोर्ट के पैरा-4 में दिए गए विवरण तथा वित्तीय विवरणों के भाग के रुप में नोट सं 40 में भी प्रकटित) के अनुसार पारिश्रमिक को छोड़कर निदेशकों तथा शीर्ष प्रबंधन के व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है।

10.4 कुल व्यय की तुलना में वित्तीय व्यय के प्रतिशत के रुप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्ययों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

विवरण	2015-16	2014-15	टिप्पणियां
प्रशासनिक व्यय(करोड़ रुपए में)	**25.08**	30.60	शून्य
बैंक तथा अन्य वित्तीय प्रभार (करोड़ रुपए में)	**8.77**	8.93	
कुल व्यय (करोड़ रुपए में)	**2136.31**	2277.45	
प्रशासनिक व्यय/कुल व्यय(प्रतिशत में)	**1.17%**	1.34%	
बैंक तथा वित्तीय प्रभार/कुल व्यय (प्रतिशत में)	**0.41%**	0.39%	

10.5 कम्पनी आवधिक रुप से बोर्ड को जोखिम भरे क्षेत्रों में उनकी परियोजनाओं तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन से संबंधित जोखिमों के सबंध में सूचित करती है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित ब्यौरा जोखिम तथा चिंता शीर्ष के अंतर्गत प्रबंधन विचारविमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट में किया गया है।

10.6 कंपनी में निदेशक मंडल की स्वीकृति से जालसाजी निवारण, इसका पता लगाने तथा नियंत्रण की नीति विद्यमान है ताकि जालसाजी का पता लगाने तथा निवारण के लिए एक नीति उपलब्ध कराई जा सके और पता लगाए गए या आशंकित किसी मामले की रिपोर्टिंग की जा सके और जालसाजी से संबंधित मामलों से निपटा जा सके।

10.7 कंपनी में निदेशक मंडल की स्वीकृति वाली विसल ब्लोवर नीति विद्यमान है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों के लिए ऐसा तंत्र विद्यमान है जिसके द्वारा वे अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या आशंकित जालसाजी, कंपनी की आचार संहिता या नैतिक नीति के उल्लंघन से संबंधित मामलों को प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इस नीति में उन कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान विद्यमान हैं, जिन्होंने इस तंत्र को अपनाया है। इसमें आपवादिक मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधे संपर्क का भी प्रावधान है।

ये दोनों नीतियां इरकॉन की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

10.8 लेखापरीक्षा समिति द्वारा किसी कार्मिक को मिलने से इनकार किए जाने का कोई प्रश्न सामने नहीं आया है।

10.9 कंपनी ने वर्ष 2015-16 के दौरान ना तो शेयरों का कोई पब्लिक इश्यू जारी किया है और ना ही कोई प्रोसिक्यूटस या प्रस्ताव पत्र जारी किया है।

10.10 किसी सांविधिक विनियम या सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की कोई घटना नहीं हुई है और पूंजी बाजार या सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से संबंधित किसी मुद्दे पर कंपनी पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।

10.11 व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में संबंधित पक्ष के साथ संव्यवहार आर्म लैंथ आधार पर है और इससे संबंधित प्रकटन कंपनी अधिनियम, 2013 (यथा फॉर्म एओसी-2) की अपेक्षाओं के अनुसार तथा संगत लेखांकन मानकों (कंपनी के वित्तीय विवरणों के नोट में) की अपेक्षाओं के अनुरुप हैं।

10.12 वर्ष 2015-16 के दौरान डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए डीपीई ने इरकॉन को 'उत्कृष्टता' ग्रेड प्रदान किया है।

10.13 डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के स्व-मूल्यांकन के अनुपालन के लिए इरकॉन ने वर्ष 2015-16 के लिए 100 में से '90.05' का वार्षिक अंक तथा उत्कृष्टता ग्रेड प्राप्त किया है।

10.14 कंपनी प्रत्येक छमाई में परियोजनाओं (भारतीय तथा विदेशी) आदि से

कंपनी तथा संबंधित कानूनों; कर कानूनों; श्रम और कर्मचारी कल्याण कानूनों; आरटीआई - क्षेत्रों में कानूनों के अनुपालन के संबंध में बोर्ड को सूचित करती है/रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

11. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीईओ) तथा निदेशक वित्त (सीएफओ) ने वित्तीय विवरणों की सत्यता तथा सटीकता, देय अनुपालनों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग, जिसे निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, के संबंध में लिखित रुप में प्रमाणित किया है। (इस रिपोर्ट के **अनुबंध ड.-2** पर संलग्न है)

12. शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

12.1 सम्प्रेषण के माध्यम

क) वार्षिक साधारण बैठक से पूर्व शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट आदि भेजने से पूर्व, लक्ष्यों की तुलना में वित्तीय निष्पादनों सहित कंपनी की परियोजनाओं की प्रगति पर आवधिक रिपोर्ट को प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाता है।

ख) वर्ष 2015-16 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

ग) निम्नलिखित को कंपनी की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया हैः

i) कंपनी की शेयरधारिता का पैटर्न।

ii) नोडल अधिकारियों/सीएमडी/अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति के गोपनीय ई-मेल आईडी सहित महत्वपूर्ण निगमित शासन नीतियां जैसे धोखाधड़ी निवारण, परिचयन तथा नियंत्रण नीति तथा विसल ब्लोवर नीति।

iii) पिछले छह वर्षों के लिए सीएसआर तथा धारणीयता नीति, धारणीयता रिपोर्ट तथा सीएसआर गतिविधियां, आदि ।

iv) निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तथा कंपनी के प्रमुख मूल्य।

घ) अनुपालन अधिकारी का ई-मेल आईडी वेबसाइट में इन्वेस्टर कार्नर शीर्षक के अन्तर्गत दिया गया है, जिसे विशिष्ट रूप से निवेशकों को अपनी शिकायतें पंजीकृत करने के लिए बनाया गया है।

12.2 चालू वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक

तारीख : 28 सितम्बर, 2016
दिन : बुधवार
समय : 1700 बजे
स्थान : कम्पनी का सम्मेलन कक्ष, पंजीकृत कार्यालयः प्लाट संख्या सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110007

12.3 लाभांश के भुगतान की रिकार्ड तिथि

वर्ष 2015-16 के लिए लाभांश का भुगतान उन सभी शेयरधाराकों को किया जाएगा जिनका नाम वार्षिक साधारण बैठक की तिथि यथा 28 सितंबर 2016, रिकार्ड तिथि, को सदस्यों के रजिस्टर में अंकित होंगे।

12.4 शेयरधारण का वितरण (इस रिपोर्ट की तारीख को)

वर्ग	धारित शेयरों की संख्या (10 रु. प्रति शेयर)	शेयरधारण का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति व उनके दस नामितों के नाम पर केन्द्र सरकार को	1,97,42,400	99.729
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	48,800	0.247
बैंक आफ इंडिया	4,800	0.024
कुल	**1,97,96,000**	**100**

पदधारियों को बदले जाने के परिणामस्वरूप किसी सरकारी नामिती शेयरधारक से दूसरे शेयरधारकों को शेयरों का अंतरण करना सामान्यतः एक तकनीकी कार्य है क्योंकि 99.729% शेयर सरकार के होते हैं। इन शेयरों का अंतरण करने के लिए कंपनी सचिव एक प्राधिकृत अधिकारी है और कोई अंतरण बाकी नहीं हैं।

12.5 संयंत्र अवस्थिति / प्रचालनिक इकाइयां

कम्पनी के पास संयंत्र स्थल नहीं है किन्तु देश के पंद्रह से अधिक राज्यों तथा छह अन्य देशों में इनकी प्रचालनिक इकाइयां/कार्यालय हैं। इन इकाइयों की सूची कम्पनी की बेवसाइट पर उपलब्ध है।

12.6 पंजीकृत कार्यालय के साथ पत्राचार का पता निम्न है

(इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल निगमित शासन मामलों के संबंध में) :

कम्पनी सचिव,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
प्लाट सं. सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर
साकेत, नई दिल्ली-110007
टेलीफोन : 91-11-26530456

फैक्स : 91-11-26522000/26854000
ई-मेल : cosecy@ircn.org
वेबसाईटः www.ircon.org

13. निदेशक मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण

13.1 कंपनी में निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए बोर्ड स्वीकृत एक प्रशिक्षण नीति विद्यमान है। इस नीति के अनुसार, कंपनी की यह नियमित प्रथा है कि नए बोर्ड सदस्यों को आरंभिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उन्हें कंपनी के संबंध में अभिलेख भी प्रदान किए जाते हैं जिनमें शामिल हैं, ज्ञापन व संगम अनुच्छेद, ब्रॉशर, वार्षिक रिपोर्ट, अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम, निगमित योजना, समझौता ज्ञापन लक्ष्यों और उपलब्धियों, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां, निगमित शासन तथा सीएसआर व धारणीयता पर डीपीई दिशानिर्देश, सभी बार्ड समितियों की संदर्भ शर्तें, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत निदेशकों के दायित्व, उत्तरदायित्व, डिस्क्वालिफिकेशन, आदि ।

13.2 बोर्ड के सदस्यों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर अनेक संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। वर्ष 2015-16 के दौरान इरकॉन के निदेशकों को इंस्टीट्यूट ऑफ परमानेंट वे इंजीनियर्स, फोर स्कूल ऑफ मेनेजमेंट, आदि द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया गया/ ने भाग लिया।

14. निगमित शासन पर अनुपालन

यह रिपोर्ट वर्ष 2015-16 के लिए कार्पोरेट शासन रिपोर्ट में उजगार किए गए आंकड़ों के सबंध में विधिक अपेक्षाओं का विधिक पालन करती है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी सनदी कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के **संलग्नक ड.-3** पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

(मोहन तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00191363)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 2 सितंबर 2016

अनुबंध-ड. 1

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं, मोहन तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबन्धन दल द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी की आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन की अभिपुष्टि की गई है।

(मोहन तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00191363)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 मई 2016

अनुलग्नक - ड. 2

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा वित्त प्रमुख प्रमाणन

हमने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय विवरणों (अर्थात तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण तथा इससे इससे संबंधित नोट) तथा रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ की है:-

i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक तथ्य को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं है।

ii) ये विवरण समग्र रूप में कम्पनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमनों के अनुपालन में है।

iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।

iv) हम आतंरिक नियत्रंण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कंपनी में एक कुशल आंतरिक नियत्रंण प्रणाली तैयार की है। हमने आतंरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के सबंध में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है; और

vi) हमारी जानकारी में किसी धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया है और ना ही कम्पनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबन्धन या कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह0/-	ह0/-
(एम.के.सिंह)	**(मोहन तिवारी)**
निदेशक/वित्त	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएनः 06607392)	(डीआईएनः 00191363)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 1 सितंबर, 2016

अनुलग्न -ड. 3

एम. बांगिया एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

बी-152, दयानन्द कालोनी, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110 024
मोबाइल : 9873426246
ई-मेल : manojbangia.mb@gmail.com

डीपीई के कार्पोरेट शासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्पोरेट शासन की शर्तों सहित अनुपालन संबंधित प्रमाणपत्र

सेवा में,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्य,
नई दिल्ली

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी द्वारा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कार्पोरेट शासन पर दिशा-निर्देशों द्वारा अनुपालन करना अपेक्षित है कि :

हमने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत उक्त कंपनी के कार्पोरेट शासन की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। हमने कंपनी द्वारा बनाए गए तथा इस संबध में हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए संगत रिकार्डों एंव दस्तावेजों की भी जांच की है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रियाविधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम स्पष्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी के विरूद्ध निवेशक संबंधी कोई शिकायत नहीं है, जैसाकि कंपनी द्वारा तैयार किए गए रिकार्डों से पता चलता है।

इसके अतिरिक्त, हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन के संबंध में दक्षता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमारी समीक्षा के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के लिए निगमित शासन मापदंडों के संबंध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कार्पोरेट शासन पर दिशा-निर्देशों अपेक्षाओं के अनुरुप सभी सामग्रीगत दृष्टिकोणों से निगमित शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, केवल निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों/महिला निदेशक (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान), जिसे हमारी जानकारी के अनुसार सरकार ने पूरा कर दिया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अप्रैल 2016 में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति कर दी है।

कृते एम. बांगिया एण्ड एसोसिएट्स कंपनी सचिव

मनोज बांगिया
प्रोपराइटर
सीपी सं0-3655

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 02/09/2016

अनुबंध- ड.4

निगमित शासन रिपोर्ट का परिशिष्ठ

वार्षिक आम बैठक के स्थान में परिवर्तन के परिणामस्वरुप शेयरधारकों के लिए पैरा 12 सामान्य सूचना के अंतर्गत निगमित शासन रिपोर्ट में परिवर्तन निम्नानुसार हैः

मौजूदा पैरा:

12.2 चालू वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक

.....

स्थान : कंपनी के पंजीकृत कार्यालय
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-1100017 का बोर्ड रुप

आशोधित पैरा :

12.2 चालू वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक

.....

स्थान : **2 तल, बैठक हॉल, रेल मंत्रालय,**
रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली-110001

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(मोहन तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएनः 00191363)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 28 सितंबर, 2016

परिशिष्ट-च

सीएस विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

39/2068, नाईवाला, 315, दाखा चैम्बर,
करोल बाग, नई दिल्ली - 110 005
टेलः 28755638, मोबः 9313835638
ई-मेलः csvishal21@gmail.com

फार्म सं. एमआर-3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु)
(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसरण में)

सेवामें,
सदस्य,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,
सीआईएनः यू45203डीएल1976जीओआई008171
प्लॉट सं. सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड** (जिसे यहां आगे कंपनी कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी जिससे हमें निगमित आचरण / सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रकियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रुप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर हैः

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि के लिए **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड** द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की हैः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1966 तथा इसके अंतर्गत निर्मित विनियम तथा उप-नियम

(iv) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के स्तर तक विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम

(v) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशः

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यपाक अधिग्रहण और ओवरटेक) विनियम, 2011

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भीतरी व्यापार निषेध) विनियम, 1992

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (28 अक्तूबर 2014 से प्रभावी)

(ड.)भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना व सूचीकरण) विनियम, 2008

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यु और शेयर हस्तांतरण

एजेटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 और यह कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ संव्यवहार से संबंधित है।

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियम, 2009 और

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 1998

(ट) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना व सूचीकरण) विनियम, 1998

(vi) इनके अन्तर्गत निर्मित निम्नलिखित कानून और नियमों को प्रबंधन द्वारा कंपनी में विशिष्ट रुप से लागू किये जाने के लिए चयनित किया हैः

(क) भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय के दिनांक 14 मई 2010 को जारी लोक उपक्रम विभाग दिशानिर्देश।

(क) आयकर अधिनियम, 1961
(ख) संपत्ति कर अधिनियम, 1957
(ग) सेवाकर कानून
(घ) वेट/केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम/डब्ल्यूसीटी
(ड.) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962
(च) केन्द्रीय सीमाशुल्क अधिनियम, 1944
(छ) वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1981
(ज) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
(झ) जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1974
(ट) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम
(ठ) भारतीय डाक टिकट अधिनियम, 1999
(ड) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
(ढ) नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम, 1881
(ञ) अन्य श्रम कानून और उनके अंतर्गत निर्मित नियम

- एप्रेंटिस अधिनियम, 1961
- बाल मजदूरी अधिनियम, 1986
- ठेके के श्रमिक (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970
- कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
- कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
- निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- कारखाना अधिरियम, 1948
- विद्युत अधिनियम, 2003
- प्रसव लाभ अधिनियम, 1961
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
- उपदान भुगतान अधिनियम, 1972
- बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
- कार्य क्षेत्र में महिलाओं का यौन शोषण (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
- वाणिज्यिक दुकान एवं स्थापना अधिनियम

हमने निम्नलिखित के अनुप्रयोग खंडों के अनुपालनों की भी जांच की है।

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक ।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि निम्नलिखित के संबंध में कंपनी द्वारा अनुपालनों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं है।

(ii) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के साथ कंपनी द्वारा किया गया सूचीकरण करार क्योंकि कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने किसी प्रकार के सामग्रीगत गैर अनुपालन के बिना और निम्नलिखित अवलोकनों के मद्देनजर ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया हैः

1. उपर्युक्त खंड(खंडों) (ii) तथा (v) में उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम, करार और दिशानिर्देशों के लिए किसी प्रकार के अवलोकन की आवश्यकता नहीं है क्योकि कंपनी एक असूचीबद्ध निकाय है और इसलिए ये इस पर लागू नहीं होते हैं।

2. उपर्युक्त खंड (iii) तथा (iv) में उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम के लिए किसी प्रकार के अवलोकन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विचाराधीन अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

3. उपर्युक्त खंड (vi) में उल्लिखित अन्य कानून जो विशिष्ट रुप से कंपनी पर लागू होते हैं, के संबंध में हमने पाया है कि कंपनी में सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की मॉनीटरिंग और अनुपालन सुनिश्चित

करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुसार कंपनी में उपयुक्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं किः

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों के उचित शेष के साथ किया गया है। यह विदित है कि नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने अप्रैल 2016 में स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के साथ किया गया था।

बोर्ड बैठकों की अनुसूची के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है और कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले ही भेज दिया जाता है, केवल लघु नोटिसों को छोड़कर, जहां अपेक्षित अनुपालन किया गया है, और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर और सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली विद्यमान है।

प्रमुख निर्णयों को निष्पादित किया गया है जबकि अनुपस्थित सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्ति में समाहित व रिकार्ड कर लिया गया है।

कंपनी नें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली हैं और निदेशकों ने अपनी नियुक्ति उनके स्वतंत्र निदेशक होने और निदेशकों व प्रबंधन कार्मिकों के लिए व्यापार आचरण व नैतिकता संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रकटन आवश्यकताओं को पूरा किया है।

कृते विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स कंपनी सचिव
(सीएस विशाल अग्रवाल)
एफसीएस सं. :7242
सीपी सं. :7710

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02/09/2016

इस रिपोर्ट को **अनुबंध-क** के रुप में अनुबंधित हमारे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

सीएस विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स **अनुबंध-क**
कंपनी सचिव

सेवामें,
सदस्य,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,
सीआईएन: यू45203डीएल1976जीओआई008171
प्लॉट सं. सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

हमारी समिति की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाएः

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्त करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रकियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।

3. हमने लागू वित्तीय कानूनों सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक कर कानूनों, लेखांकन मानकों, कंपनी के वित्तीय रिकार्डों, लागत रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता के अनुपालन के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों, कर लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विश्वास किया है क्योंकि ये संबंधित लेखापरीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के मद्देनजर हैं।

4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रकियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी लाभप्रद्ता के लिए आश्वासन है और न ही कुशलता या प्रभावपूर्णता के लिए है जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का संचालन करेगी।

कृते विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

(सीएस विशाल अग्रवाल)
एफसीएस सं.:7242
सीपी सं.:7710

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02/09/2016

परिशिष्ट - छ

फॉर्म सं. एमजीटी-9
वार्षिक रिटर्न का सार

[31 मार्च 2016 को]

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1)के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

1	निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)	:	यू45203डीएल1976जीओआई008171
2	पंजीकरण तिथि	:	28 अप्रैल 1976
3	कंपनी का नाम	:	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
4क)	कंपनी की श्रेणी	:	सार्वजनिक कपनी
4ख)	कंपनी की उप-श्रेणी		सरकारी कंपनी, शेयरों द्वारा लिमिटेड और शेयर पूंजी वाली कंपनी
5	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरा	:	प्लॉट सं. सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर , साकेत, नई दिल्ली - 110017 फोन सं.: 011-26530456 फैक्स सं.: 011-26522000 ई मेल आईडी : cosecy@ircon.org
6	क्या सूचीबद्ध कंपनी है (हां / नहीं)	:	नहीं [मार्च 2012 से डीलिस्टिड]
7	रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरा	:	लागू नहीं

II. कंपनी का प्रधान व्यावसायिक गतिविधियांः

कंपनी की सभी व्यावसायिक गतिविधियां जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं, निम्नानुसार हैंः

क्र.सं	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1	रेलवे	4210	69.87%

III. धारक कंपनी, सहायक कंपनी तथा संबद्ध कंपनियों का विवरणः

[कंपनियों की संख्या जिनके लिए सूचना दायर की जा रही है - 15 कंपनियां]

क्र.सं	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/ संबद्ध कंपनी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
1	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर , साकेत, नई दिल्ली - 110017	यू45400डीएल2009जीओई194792	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	100%	2(87)
2	इरकॉन पी बी टोलवे लिमिटड सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर , साकेत, नई दिल्ली - 110017	यू45400डीएल2014जीओई272220	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	100%	2(87)

क्र.सं	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/ संबद्ध कंपनी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
3	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली - 110017	यू45400डीएल2015जीओई280017	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	100%	2(87)
4	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड चौथा तल, पालिका भवन, सेक्टर-XIII, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066.	यू45204डीएल2012जीओई234292	सहायक कंपनी	51%	2(87)
5	इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर , साकेत, नई दिल्ली - 110017	यू74999डीएल2005पीटीसी 135055	संबद्ध	50%	2(6)
6	छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लिमिटेड महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक, रायपुर-492013, छत्तीसगढ	यू45203सीटी2013जीओई000729	संबद्ध	26%	2(6)
7	छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक, रायपुर-492013, छत्तीसगढ	यू 45203सीटी2013जीओई000768	संबद्ध	26%	2(6)
8	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड निगमित कार्यालय, एमसीएल एचक्यू, एमडीएफ रुम, जागृति विहार, बुरला, संबलपुर -768020 ओडीशा	यू 60100ओआर2015जीओई19349	संबद्ध	26%	2(6)
9	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची - 834029 झारखंड	यू 45201जेएच2015जीओई003139	संबद्ध	26%	2(6)
10	कंपैनिया डोस केमिनोस डी फेरा डा बेइरा, एसएआरएल, लार्जो डा सीएफएम, एडिफिको डा एस्टेकियो सेट्रल, बेयरा, मोजांबीक	विदेशी कंपनी	संबद्ध	25%	2(6)
11	इरकॉन - एसपीएससीएल जेवी 47, सेक्टर - 9 , पंचपुला, 134113, हरियाणा	गैर निगमित संयुक्त उद्यम	संबद्ध	50%	2(6)
12	इरकॉन-एफकॉन्स जेवी दूसरा तल, सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेटर, साकेत, नई दिल्ली-110017.	गैर निगमित संयुक्त उद्यम	संबद्ध	53%	2(6)
13	रीकॉन राइट्स भवन, 1, सेक्टर - 29, गुडग़ांव - 122001, हरियाणा	गैर निगमित संयुक्त उद्यम	संबद्ध	49%	2(6)
14	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर 8, जंतर मंतर रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001	गैर निगमित संयुक्त उद्यम	संबद्ध	9.50%	2(6)
15	मेट्रो टनलिंग ग्रुप 8, जंतर मंतर रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001	गैर निगमित संयुक्त उद्यम	संबद्ध	9.50%	2(6)

IV. शेयर धारिता पैटर्न:

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रुप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

i) श्रेणीवार शेयर धारित

शेयरधारकों की श्रेणी		वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
		डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क)	**प्रमोटर**									
(1)	**भारतीय**									
क)	व्यक्तिगत/एचयूएफ		-	-			-			
ख)	केन्द्र सरकार		**1,97,42,400**	**1,97,42,400**	**99.729**		**1,97,42,400**	**1,97,42,400**	**99.729**	शून्य
ग)	राज्य सरकार (सरकारें)		-	-			-			
घ)	निकाय निगम		-	-			-			
ड.)	बैंक / वित्तीय संस्थान		-	-			-			
च)	कोई अन्य		-	-			-			
	उप कुल (क) (1)		**1,97,42,400**	**1,97,42,400**	**99.729**		**1,97,42,400**	**1,97,42,400**	**99.729**	शून्य
(2)	**विदेशी**									
क)	एनआरआई - व्यक्तिगत		-	-			-	-		
ख)	अन्य - व्यक्तिगत		-	-			-	-		
ग)	निकाय निगम		-	-			-	-		
घ)	बैंक / वित्तीय संस्थान		-	-			-	-		
ड.)	कोई अन्य		-	-			-	-		
	उप कुल (क) (2)		-	-			-	-		
	प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)		**1,97,42,400**	**1,97,42,400**	**99.729**		**1,97,42,400**	**1,97,42,400**	**99.729**	शून्य
ख.	**सार्वजनिक शेयरधारिता**									
(1)	**संस्थान**									
क)	म्यूचुवल फंड		-	-			-	-		
ख)	बैंक/एफआई									
	बैंक- बैंक ऑफ इंडिया		**4,800**	**4,800**	**0.024**		**4,800**	**4,800**	**0.024**	**शून्य**
	एफआई- भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड		**48,800**	**48,800**	**0.247**		**48,800**	**48,800**	**0.247**	**शून्य**
ग)	केन्द्र सरकार		-	-			-	-		
घ)	राज्य सरकार(सरकारें)		-	-			-	-		
ड.)	उपक्रम पूंजी निधि		-	-			-	-		
च)	बीमा कंपनियां		-	-			-	-		
छ)	एफआईआई		-	-			-	-		
ज)	विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां		-	-			-	-		
झ)	अन्य (विनिर्दिष्ट)		-	-			-	-		
	उप कुल (ख)(1):		**53,600**	**53,600**	**0.271**		**53,600**	**53,600**	**0.271**	**शून्य**
(2)	**गैर संस्थागत**									
क)	निकाय निगम									
i)	भारतीय		-	-			-	-		
ii)	विदेशी		-	-			-	-		
ख)	व्यक्तिगत		-	-			-	-		
i)	व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा 1 लाख रुपए तक समान्य शेयर पूंजी का धारण		-	-			-	-		

शेयरधारकों की श्रेणी		वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
		डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
ii)	व्यक्तिगत	लागू नहीं	-	-		लागू नहीं	-	-		
ग)	शेयरधारकों द्वारा 1 लाख रुपए से अधिक समान्य शेयर पूंजी का धारण		-	-			-	-		
	उप कल (ख)(2):		-	-			-	-		
	कुल जन शेयरधारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)		**53,600**	**53,600**	**0.271**		**53,600**	**53,600**	**0.271**	**शून्य**
ग.	**जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर**	लागू नहीं				लागू नहीं				
सकल योग (क + ख + ग)		लागू नहीं	**1,97,96,000**	**1,97,96,000**	**100**	लागू नहीं	**1,97,96,000**	**1,97,96,000**	**100**	**शून्य**

नोटः

1 कपनी के शयरों की डीमटीरियलाइज नहीं किया गया है क्योंकि 99.729% शेयर भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितियों के नाम पर है।

2 प्रति 10 रुपए के 1,97,38,400 इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर है और प्रति 10 रुपए के 400 शेयर भारत के राष्ट्रपति के नामितिया (जो सरकारी अधिकारी है) के नाम पर है।

ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र.सं	शेयरधारकों के नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान धारित शेयरों मे प्रतिशत परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का प्रतिशत	
1	भारत के राष्ट्रपति और उनके नामिति*	**1,97,42,400**	**99.729**	**शून्य**	**1,97,42,400**	**99.729**	**शून्य**	**शून्य**
	कुल	**1,97,42,400**	**99.729**		**1,97,42,400**	**99.729**		

* 31 मार्च 2016 को भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितियों द्वारा धारिता की सूची अनुबंध छ 1 पर अनुबंधित है।

iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन नही है)

क्र.सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के आरंभ में	**1,97,42,400**	**99.729**	**1,97,42,400**	**99.729**
2	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/ हस्तांतरण/बोनस /स्वीट इक्विटी आदि):	**शून्य**		**शून्य**	
3	वर्ष के अंत में	**1,97,42,400**	**99.729**	**1,97,42,400**	**99.729**

iv) शीर्ष 10 शेयरधारकों का शेयरधारण पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

क्र.सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों के लिए				
1	**भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड**				
क)	वर्ष के आरंभ में	**48,800**	**0.247**	**48,800**	**0.247**
ख)	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वीट इक्विटी आदि):	**शून्य**		**शून्य**	
ग)	वर्ष के अंत में	**48,800**	**0.247**	**48,800**	**0.247**
2	**बैंक ऑफ इंडिया**				
क)	वर्ष के आरंभ में	**4,800**	**0.024**	**4,800**	**0.024**
ख)	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वीट इक्विटी आदि):	**शून्य**		**शून्य**	
ग)	वर्ष के अंत में	**4,800**	**0.024**	**4,800**	**0.024**

v) निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र.सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	प्रत्येक निदेशक और केएमपी हेतु	लागू नहीं		लागू नहीं	
1	वर्ष के आरंभ में				
2	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वीट इक्विटी आदि):				
3	वर्ष के अंत में				

नोट:

3. इरकॉन के सभी शेयर भारत के राष्ट्रपति और उनके 10 नामितियाँ (99.729%), भारतीय रेलवे वित्त निगम लि.(0.247%), तथा बैंक ऑफ इंडिया (0.024%) द्वारा धारित हैं।

V. ऋणग्रस्तता:

बकाया/संचित ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता किन्तु भुगतान के लिए देय नहीं है:

	जमानत सहित रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमानत	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि				
ii) देय ब्याज किन्तु अप्रदत्त				
iii) संचित ब्याज किन्तु अप्रदत्त				
कुल (i + ii + iii)				
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
- संवर्धन		**शून्य**		
- आवर्धन				
शुद्ध परिवर्तन				
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि				
ii) देय ब्याज किन्तु अप्रदत्त				
iii) संचित ब्याज किन्तु अप्रदत्त				
कुल (i + ii + iii)				

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंधन निदेश, पूर्णकालीन निदेशकों और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक*:

क्र. सं	पारिश्रमिक का विवरण	पूर्णकालीन निदेशकों के नाम (2015-16 वर्षभर)				कुल राशि
		मोहन तिवारी, सीएमडी	के.के.गर्ग, निदेशक, वित्त	दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना	हितेश खन्ना, निदेशक कार्य	
1	सकल वेतन					
क)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) के अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	3,752,502	3,759,333	2,608,289	2,566,728	12,686,852
ख)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	957,970	804,354	680,949	563,209	3,006,482
ग)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन क एवेज में लाभ	-	-	-	-	-
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-	-
3	स्वीट इक्विटी	-	-	-	-	-
4	कमिशन	-	-	-	-	-
5	अन्य, उल्लेख करें					
	- कार्यनिष्पादन संबंधी प्रोत्साहन	1,424,205	1,194,787	1,178,790	928,082	4,725,864
	- सेवानिवृत्ति लाभ	291,640	1,172,724	257,466	253,408	1,975,238
	कुल	**6,426,317**	**6,931,198**	**4,725,494**	**4,311,427**	**22,394,436**
					कुल(क)	**22,394,436**
	अधिनियम के अनुसार सीमा (नीचे नोट 4 को देख)					

ख अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम	कुल राशि
1	**स्वतंत्र निदेशक**	**लागू नहीं (परिशिष्ट-घ पर प्रस्तुत निगमित शासन रिपोर्ट का पैरा 4 देखें)**	
क)	बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क		
ख)	कमिशन		
ग)	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)		
	कुल (ख1)		
2	**अन्य गैर कार्यपालक निदेशक**		
क)	बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क		
ख)	आयोग		
ग)	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)		
	कुल (ख2)		
	कुल (ख= ख1+ ख2)		**0**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक [क + ख]		**22,394,436**
	अधिनियम के अनुसार सीमा (नीचे नोट 4 को देख)		

ग. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी से इतर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का परिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक			
		सीईओ*	सुनीता शर्मा कंपनी सचिव (संपूर्ण 2015-16 में)	सीएफओ*	कुल राशि
1	सकल वेतन				
क)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) के अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन		1,132,629		1,132,629
ख)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य		28,022		28,022
ग)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन क एवेज में लाभ		-		
2	स्टॉक ऑप्शन		-		
3	स्वीट इक्विटी		-		
4	कमिशन		-		
5	अन्य, उल्लेख करें				
	- कार्यनिष्पादन संबंधी प्रोत्साहन		-		
	- सेवानिवृत्ति लाभ**		204,631		204,631
	कुल (ग)		**1,365,282**		**1,365,282**
	अधिनियम के अनुसार सीमा(नीचे नोट 4 को देखें)				

*सीएमडी, इरकॉन को कपनी का सीईओ माना गया है और निदेशक वित्त, इरकॉन को कपनी का सीएफओ घोषित किया गया है और उनका पारिश्रमिक ऊपर क्र.सं. VI (क) पर दर्शाया गया है।

** पेंशन के प्रति नियोक्ता अंशदान की 105096 रुपए की राशि सहित।

नोटः

4. निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 197 से छूट प्राप्त है।

VII.जुर्माना /दंड/ अपराधों का आवृत्ति:

प्रकार		कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाया गया जुर्माना/ दंड/संचयी शुल्क	प्राधिकरण [आरडी / एनसीएलटी/ न्यायालय]	अपील यदि कोई हो (ब्यौरा दें)
क	**कंपनी**	शून्य				
	जुर्माना					
	दंड					
	कपाउंडिंग					
ख	**निदेशक**					
	जुर्माना					
	दंड					
	कपाउंडिंग					
ग	**चूककर्ता अन्य अधिकारी**					
	जुर्माना					
	दंड					
	कपाउंडिंग					

अनुबंध-छ1

भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितिया द्वारा शेयरधारिता की सूची
(31 मार्च 2016)
कपनी का नाम: इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

क.सं	धारक का नाम	धारित शेयरा की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
1	भारत के राष्ट्रपति	1,97,38,400	99.709
2	श्री ए.के.मित्तल * अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	400	0.002
3	श्री एस.मुखर्जी* वित्त आयुक्त (रेलवे), रेलवे बोर्ड	400	0.002
4	श्री वी.के.गुप्ता* सदस्य इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड	400	0.002
5	श्री मोहम्मद जमशेद* सदस्य यातायात, रेलवे बोड	400	0.002
6	श्री नवीन टंडन * सदस्य विद्युत, रेलवे बोर्ड	400	0.002
7	श्री हेमंत कुमार* सदस्य यांत्रिकी, रेलवे बोड	400	0.002
8	श्री प्रदीप कुमार * सदस्य स्टाफा, रेलवे बोर्ड	400	0.002
9	श्री एच.के.काला* अपर सदस्य (योजना), रेलवे बोर्ड	400	0.002
10	श्री एस.सुब्रमण्यम* अपर सदस्य (बजट), रेलवे बोर्ड	400	0.002
11	श्री ए.पी द्विवेदी* कार्यपालक निदेशक (सा.क्षे.उ. और एच.एस), रेलवे बोर्ड	400	0.002
	कुल	**1,97,42,400**	**99.729**

* राष्ट्रपति के प्रत्येक 10 नामितियों के पास 400 शेयर हैं, जो रेल मंत्रालय से सरकारी अधिकारी हैं।

परिशिष्ट-।

फॉर्म सं. एओसी-2

[कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 133(3)(एच) के अनुसरण में]
वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्म-लैंथ संव्यवहारों सहित कंपनी अधिनियम, 2013, के अनुच्छेद 188 (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म

1 संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं : **शून्य**

2 सामग्री संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं :

क्र.सं	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रुप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
1	**इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड** (इरकॉन एसजीटीएल) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	इरकॉन एसजीटीएल के लिए शिवपुरी गुना टोलवे परियोजना परियोजना के इंजीनियरिंग प्रापण निर्माण (ईपीसी) संविदा का निष्पादन	दिनांक 30 नवंबर 2015 का ईपीसी करार अवधिः ईपीसी कार्य एनएचएआई द्वारा सूचित नियुक्ति तिथि या इरकॉन एसजीटीएल द्वारा भूमि सौपे जाने से 30 महीने है।	यह संविदा प्रतिस्पधी आधार पर संविदा को प्राप्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को कोट किए गए मूल्य की तर्ज पर प्रदान किया गया है। इरकॉन पीबीटीएल द्वारा एनएचएआई के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार के अनुसार इस परियोजना को निष्पादित किया जाएगा।	लागू नहीं	शून्य
2	**महानदी कोल रेलवे लिमिटेड** (एमसीआरएल), संयुक्त उपक्रम कंपनी	चिह्नित परियोजना लाइनों व साइडिंगों की व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, डिजाइन व निर्माण का कार्य	परियोजना निष्पादन करार दिनांक 19.04.2016. अवधिः सभी चयनित परियोजनाओं के प्रचालन आरंभ तक।	इरकॉन निर्माण के शिरोपरि व्ययों और लाभ के प्रति एफआर व डीपीआर के लिए परियोजना लागत और संविदा के विशिष्ट प्रतिशत जमा वास्तविक परियोजना लागत के प्रतिशत का भुगतान करेगा।	लागू नहीं	₹ 2 करोड़
3	**झारखंड सेंट्रल रेलवे लि. (**जेसीआरएल) संयुक्त उपक्रम कंपनी	चिह्नित परियोजना लाइनों व साइडिंगों की व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, डिजाइन व निर्माण का कार्य	परियोजना निष्पादन करार दिनांक 28.03.2016. अवधिः सभी चयनित परियोजनाओं के प्रचालन आरंभ तक।	इरकॉन निर्माण के शिरोपरि व्ययों और लाभ के प्रति एफआर व डीपीआर के लिए परियोजना लागत और संविदा के विशिष्ट प्रतिशत जमा वास्तविक परियोजना लागत के प्रतिशत का भुगतान करेगा।	लागू नहीं	अभी प्राप्त किया जाना है। 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है।
4	**भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड** (आईआरएसडीसी) आरएलडीए की सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनी	क) पालिका भवन, सेक्टर- XIII, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 में कार्यालय परिसरों को पट्टे पर देना।	पट्टा करार तिथि 24.02.2016 अवधिः 01.02.2016 से 11 माह	वास्तविक व्यय पर धनवापसी आधार पर व्यवस्था।	लागू नहीं	शून्य

नोट:

1. उपर्युक्त संव्यवहारों के अतिरिक्त, संबंधित पक्षों के साथ किए गए अन्य संव्यवहार निम्नानुसार हैः

   (i) कंपनी ने अपने कर्मचारियों को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (यथा इरकॉन एसजीटीएल), संयुक्त उद्यम कंपनियों (यथा एमसीआरएल, जेसीआरएल, सीईआरएल तथा सीईडब्ल्यूआरएल मे तैनात किया है। कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति वास्तविक लागत (सीटीसी) आधार पर है।

   (ii) सहायक कंपनियों (यथा इरकॉन पीबीटीएल तथा इरकॉन एसजीटीएल), संयुक्त उद्यम कंपनियों (यथा एमसीआरएल, जेसीआरएल, सीईआरएल तथा सीईडब्ल्यूआरएल तथा आईएसटीपीएल की ओर से किए गए विविध व्यय जैसे विज्ञापन व्यय आदि की प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की जाती है।

2. इसके अतिरिक्त, विशेष कार्य वाहन (एसपीवी) के माध्यम से छत्तीसगढ राज्य में रावघाट से जगदलपुर रेल लाइन के विकास के लिए इरकॉन, एनएमडीसी, सेल तथा छत्तीसगढ राज्य सरकार के बीच 9 मई 2015 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रस्तावित जेवीसी के सृजन के पश्चात, इरकॉन की भूमिका परियोजना प्रबंधन और क्रियान्वयन एजेंसी की होगी। एसपीवी यथा बस्तर रेल प्रा.लि. का निगमन 5 मई 2016 को किया गया है। तथापि, परियोजना निष्पादन करार अभी किया जाना है। इसके अतिरिक्त, अन्य सह-प्रमोटरों से अग्रिम के रुप में 9.78 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो गई है (यथा एनएमडीसी - 6.5 करोड़ रुपए तथा सेल- 3.28 करोड़ रुपए)।

3. उपर्युक्त सभी संव्यवहारों को इरकॉन की लेखापरीक्षा समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है।

4. संयुक्त उपक्रम कंपनियों की शेयरधारिता का ब्यौरा निदेशक रिपोर्ट के परिशिष्ट - ख पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह/-
(मोहन तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 00191363)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 2 सितंबर 2016

परिशिष्ट-।

निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध

(स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट मे टिप्पणियों का उत्तर)

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

(विषय पर बल के अंतर्गत):

पैरा	प्रबंधन के उत्तर
5 (i)	इस स्थिति का वर्णन स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट सं. 32 में किया गया है।
5 (ii)	इस स्थिति का वर्णन स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट सं. 49 में किया गया है।

लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध-ख

(वित्तीय रिर्पोटींग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अन्तर्गत)

पैरा	प्रबंधन के उत्तर
(i)	आवश्यकता अनुसार चरणबद्ध आधार पर कंपनी में एकीकृत ईआरपी प्रणाली के अनुपालन के लिए नोट किया गया।
(ii)	अनुपालन के लिए नोट किया गया। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा के लिए तंत्र को सुदृढ किया गया है।

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह/-

(मोहन तिवारी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन : 00191363)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांकः 2 सितंबर 2016

परिशिष्ट- **J**

निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध

(समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट मे टिप्पणियों का उत्तर)

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

(विषय पर बल के अंतर्गत):

पैरा	प्रबंधन के उत्तर
5 (i)	इस स्थिति का वर्णन समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं. 35 में किया गया है।
5 (ii)	इस स्थिति का वर्णन समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं. 52 में किया गया है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध ख:

(वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंतर्गत):

पैरा	प्रबंधन के उत्तर
(i)	आवश्यकता अनुसार चरणबद्ध आधार पर कंपनी में एकीकृत ईआरपी प्रणाली के अनुपालन के लिए नोट किया गया।
(ii)	अनुपालन के लिए नोट किया गया। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा के लिए तंत्र को सुदृढ किया गया है।

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह/-

(मोहन तिवारी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन : 00191363)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांकः 2 सितंबर 2016

पुरस्कार और प्रमाणपत्र

संस्थागत प्राधिकरण हेतु	पुरस्कार की प्रकृति	वर्ष
वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, लोक उपक्रम विभाग	i. राष्ट्रीय निर्यात पुरस्कार *(भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त)	1983, 1984, 1991 तथा 1993*
	ii. अग्रणी अंतरराष्ट्रीय रेल तथा सड़क निर्माण कंपनी के रुप में कार्यनिष्पादन में "उत्कृष्टता पुरस्कार"	1988
ईईपीसी इंडिया जिसे पहले इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी)के नाम से जाना जाता था (कंपनी के अस्तित्व में आने से अब तक 26 पुरस्कार)	i. निर्यात उत्कृष्टता के लिए अखिल भारतीय शीर्ष निर्यातक शील्ड	1986 से 1993 1995 तथा 1996
	ii. क्षेत्रीय शीर्ष निर्यातक शील्ड - सिविल इंजीनियरिंग संविदाकार	1994, 1997
	iii. निर्यात के क्षेत्र में अखिल भारतीय विशेष शील्ड	1997
	iv. अधिकतम निर्यात के लिए अखिल भारतीय ट्राफी (टर्नकी औद्योगिक परियोजना निर्यातक गैर-एसएसआई)	1998
	v. "मर्चेंट निर्यातकों" की श्रेणी में शीर्ष निर्यातकों हेतु अखिल भारतीय ट्राफी	1999 से 2002 2004 तथा 2007
	vi. परियोजना निर्यातों के क्षेत्र में बड़े उपक्रम के रुप में स्टार निष्पादक के लिए अखिल भारतीय शील्ड	2005
	vii. मध्यम उपक्रमों के रुप में शीर्ष निर्यातकों हेतु रजत ट्राफी	2006
	viii. "मर्चेंट निर्यातकों" के रुप में शीर्ष निर्यातकों की श्रेणी में स्वर्ण ट्राफी	2008
	ix. अखिल भारतीय निर्यात पुरस्कार	2009
	x. 2010-11 तथा 2011-12 के लिए शीर्ष मर्चेंट निर्यातक की श्रेणी में रजत ट्राफी	2011 तथा 2013
	xi. 2012-13 के लिए शीर्ष मर्चेंट निर्यातक की श्रेणी में उत्कृष्ट निर्यातक के लिए रजत ट्राफी	2014
भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी) (पूर्व में भारतीय ओवरसीज निर्माण परिषद-ओसीसीआई)	i. अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जन व उसे भारत में प्रत्यर्पण	1985,1989 से 1993, 1995 1997, 2005 से 2007
	ii. अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जन व उसे भारत में प्रत्यर्पण के लिए दूसरा सर्वात्तम कार्यनिष्पादन	1994, 2001, 2003 व 2005 से 2007
	iii. विदेशी निर्माण परियोजनाओं में अधिकतम टर्नओवर	1985 से 1989, 1992 से 1994, 1996, 1999, 2001 व 2002
	iv. विदेशी निर्माण परियोजनाओं में अधिकतम टर्नओवर में दूसरा सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन v. निर्माण संविदाओं में नए क्षेत्रों में अर्जित अधिकतम विदेशी कार्य vi. अधिकतम विदेशी व्यापार प्रयास	1990,1991, 1995 व 2000 1995, 1996, 2000 व 2001 1995 से 1998, 2002 व 2004
कंस्ट्रक्शन वर्ड	भारत में सर्वाधिक प्रशंसनीय निर्माण कंपनी	2009
इस्सार स्टील और ई-18 तथा सीएनबीसी टीवी-18	रेल श्रेणी में अवसंरचना उत्कृष्टता पुरस्कार	2009

दैनिक भास्कर और दैनिक न्यूज एंड एनेलाइसिस (डीएनए) द्वारा "इंडिया प्राइड अवार्ड"	i. परिवहन में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्कृष्टता के लिए रजत ट्राफी	2010
	ii. अवसंरचना विकास में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण ट्राफी	2011
	iii. भारत की छवि संवर्धन में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्कृष्टता	2013
	iv. अवसंरचना विकास मे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-केन्द्रीय मे उत्कृष्टता	2015
	v. उत्कृष्ट सीएसआर/पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण	2016
निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी)	निम्नलिखित श्रेणियो में सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरुस्कारः i. 1000 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाली सर्वोत्तम व्यावसायिक कंपनी	2012, 2014 तथा 2015
	ii. सर्वोत्तम निर्माण परियोजना : क. पीर पंजाल रेल सुरंग, जम्मू और कश्मीर हेतु ख. पटना में गंगा नदी पर रेल-सह-सडक पुल का निर्माण	 2014 2016
डन एंड ब्रॉडस्ट्रीट	i. भारत का शीर्ष पीएसयू पुरस्कार : क. इंजीनियरिंग और निर्माण ख. संविदा और निर्माण क्षेत्र	 2012 2015
	ii. निर्माण - अवसंरचना विकास की मध्यम श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष अवसंरचना कंपनी के लिए रजत ट्राफी	2013
	iii. जम्मू और कश्मीर रेल संपर्क के लिए काजीगुंड-बनिहाल खंड के लिए 'रेलवे' श्रेणी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ परियोजना	2013
	iv. निर्माण और अवसंरचना विकास (रेलवे) की श्रेणी मे इन्फ्रा पुरस्कार।	2014 तथा 2015
	v. पटना मे गंगा नदी के उपर रेल सह सडक पुल के लिए सर्वश्रेष्ठ अवसंरचना पुरस्कार	2015
लोक उपक्रम संस्थान	i. "एचआर ओरिएंटेशन वाले सीईओ" के लिए "वैश्विक एचआर उत्कृष्टता" पुरस्कार, जिसे श्री मोहन तिवारी, सीएमडी, इरकॉन को प्रदान किया गया।	2013
	ii. "एचआर ओरिएंटेशन वाले सीईओ" के लिए "एशिया पेसेफिक एचआरएम कांग्रेड पुरस्कार 2013" पुरस्कार, जिसे श्री मोहन तिवारी, सीएमडी, इरकॉन को प्रदान किया गया।	2013
	iii. सृजनात्मक मानव संसाधन पद्धतियों वाले संगठन के लिए एशिया प्रशांत एचआरएम कांग्रेस पुरस्कार।	2014
स्कोप उत्कृष्टता पुरुस्कार	वर्ष 2012-13 के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं प्रतिक्रियात्मकता।	2014
भारतीय लागत लेखांकन संस्थान (आईसीएआई)	i. लागत प्रबंधन मे उत्कृष्टता - सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (बड़े)।	2014

इरकॉन की वित्तीय विशेषताएँ

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
1	प्रचालनिक आय	**2,403**	**2,950**	**4,067**	**4,232**	**3,601**	**3,182**	**3,153**	**2,654**	**1,968**	**1,475**
2	एकीकृत संयुक्त उपक्रमों में टर्नओवर में कंपनी का शेयर	104	89	(9)	(13)	(23)	(7)	(13)	(27)	(65)	(11)
3	एकीकृत संयुक्त उपक्रम में लाभ/(हानि) में कपनी का शेयर	7	2	(1)	1	2	7	2	7	(7)	1
4	निवली प्रचालन आय	**2,306**	**2,864**	**4,057**	**4,220**	**3,580**	**3,182**	**3,142**	**2,634**	**1,896**	**1,465**
5	अन्य आय	397	258	250	251	181	72	64	85	81	68
6	कुल आय	**2,703**	3,122	4,307	4,471	3,761	3,254	3,206	2,719	1,977	1,533
7	व्यय (स्टॉक में वृद्धि/कमी सहित)	2,102	2,267	3,024	3,412	3,102	2,816	2,901	2,487	1,776	1,398
8	प्रचालन मार्जिन (पीबीडीआईटी)	601	854	1,283	1,059	659	438	305	232	201	135
9	ब्याज व्यय	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	मूल्यह्रास	26	10	34	44	57	37	41	44	41	24
11	कर पूर्व लाभ	**567**	**844**	**1,249**	**1,015**	**602**	**401**	**264**	**188**	**160**	**111**
12	कर पश्चात लाभ	**379**	**579**	**907**	**730**	**470**	**241**	**182**	**140**	**114**	**76**
13	लाभांश	168	182	182	148	94	49	37	30	30	26
14	सामान्य आरक्षित निधियां	3,510	3,334	2,971	2,277	1,733	1,372	1,181	1,012	903	824
15	विदेशी परियोजना आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	3	28	30	33
16	अन्य आरक्षित निधियां	-	-	2	3	-	-	5	25	6	7
17	कुल आरक्षित निधियां व अतिरेक	3,510	3,334	2,973	2,280	1,733	1,372	1,189	1,065	939	864
18	शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां	158	163	170	180	196	244	236	260	279	260
19	दरसूचियां	141	114	119	125	135	165	373	430	159	89
20	विदेशी विनिमय अर्जन (निवल)	120	418	1,042	822	444	428	264	96	37	51
21	शेयर पूंजी	19.796	19.796	19.796	19.796	9.898	9.898	9.898	9.898	9.898	9.898
22	लगाई गई पूंजी	3,530	3,354	2,993	2,300	1,743	1,382	1,205	1,078	951	876
23	सरकारी निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	निवल परिसंपातियां	**3,530**	**3,354**	**2,993**	**2,300**	**1,743**	**1,382**	**1,199**	**1,075**	**949**	**874**
25	प्रयुक्त पूंजी पर कर पूर्व लाभ(%)	16	25	42	44	35	29	22	17	17	13
26	प्रयुक्त पूंजी पर प्रचालनिक मार्जिन (%)	17	26	43	46	38	32	25	22	21	15
27	शेयर पूंजी पर कर पूर्व लाभ (%)	1,895	2,924	4,578	3,687	4,747	2,429	1,841	1,416	1,150	765
28	आय पर व्यय (%)	78	73	70	76	82	87	90	91	90	91
29	कर्मचारियों की संख्या	1,499	1,472	1,579	1,704	1,703	1,678	1,751	1,964	1,978	1,830
30	प्रति कर्मचारी आय	1.8	2.12	2.73	2.62	2.21	1.94	1.83	1.39	1.00	0.84
31	प्रति कर्मचारी विदेशी विनिमय अर्जन	0.08	0.28	0.66	0.48	0.26	0.25	0.15	0.05	0.02	0.03
32	चालू अनुपात	1.8	1.72	1.81	1.61	1.47	1.53	1.31	1.24	1.21	1.25
33	ऋण/इक्विटी अनुपात	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	निवेश	1,043	737	494	295	208	185	130	234	246	234

नोट:

*25 से 28 प्रतिशत में है

**29,32 और 33 करोड़ रुपये में है।

स्टैंडएलोन

वित्तीय विवरण

2015-16

वी.के. ढींगरा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
1-ई/15, झंडेवालान एक्टेन्शन, नई दिल्ली-110 055

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

1. स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2016 को तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं, जिसमें उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र, अल्जीरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और भूटान में कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखारीक्षित उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रिटर्नों को शामिल किया गया है।

2. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा रोकड प्रवाह के सबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करता है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकाडों का अनुरक्षण भी शामिल है।

3. लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपने विचार अभिव्यक्ति करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों तथा उन विषयों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस तथ्य का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या वित्तीय विवरण तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक और वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के जोखिम पर निर्भर करता है। इन जोखिम आकलनों को करने के लिए लेखापरीक्षक कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो सही और वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

4. मत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और नीचे उल्लिखित अनुसार उपर्युक्त स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना प्रदान करता है और भारत में सामान्यत स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप सही एवं वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जो उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2016 को कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति, और इसके लाभ और इसके रोकड़ प्रवाह को दर्शाता है।

5. विषय पर बल

i) हम आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80आईए के अंतर्गत दावित कटौती को अनुमति प्रदान न किए जाने और भारत में अन्य देशों की स्थायी इकाइयों द्वारा अर्जित आय की कर योग्यता के लिए वित्तीय विवरणों में किए गए आयकर प्रावधानों के संबंध में स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट सं. 32 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। दोनों ही मुद्दों को कंपनी द्वारा संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया गया है।

ii) कार्यनिष्पादन के लंबित मूल्यांकन के लिए तीन देशों में परियोजनाओं के संबंध में विदेशी एजेंसी कमिशन/परामर्श प्रभारों के प्रति 2.04 करोड़ रुपए के गैर प्रावधान के संबंध में स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट सं.49 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

विषय पर बल के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।

6. अन्य मुद्दे

(i) हमने कंपनी के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों में शामिल नौ शाखाओं के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनका वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च 2016 को 4651.54 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियों को प्रदर्शित करता है तथा स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों में विचारानुसार उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व 2032.34 करोड़ रुपए है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना को शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्टें हमें उपलब्ध कराई गई हैं और इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों के संबंध में हमारा मत सम्पूर्ण रुप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

(ii) वित्तीय विवरणों में गैरनिगमित संयुक्त उपक्रम (जेवी) लेखों में लाभ/हानि में कंपनी का भाग शामिल है, जिसमें से चार संयुक्त उपक्रम खातों को अन्य सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा प्रमाणित किया गया है और एक संयुक्त उपक्रम (इरकॉन-एसपीएससीपीएल) को प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है।

अन्य मुद्दों के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।

7. अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

I. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम संलग्नक-क के रूप में दे रहे हैं।

II. कंपनी अधिनियम के खंड 143(3) के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार हम उल्लेख करते हैं किः

(क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

(ख) हमारे मतानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा लेखे की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है और हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न उन शाखाओं से प्राप्त हुए हैं जहां हमने दौरा नहीं किया है।

(ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम के अनच्छेद-143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा इसकी उचित व्यवस्था की गई है।

(घ) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और लाभ-हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा बहायों और उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्नों से मेल खाते हैं, जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

(ड.) हमारे मतानुसार, उपर्युक्त स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरुप हैं।

(च) सरकारी कंपनी होने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं जीएसआर 463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 अनुसार अधिनियम की धारा 164(2)के प्रावधानों के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक कुशलता के संबंध में

अनुबंध-ख में हमारी पृथक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

(ज) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:

(i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है - वित्तीय विवरण के नोट सं. 29, 33 और 34 का संदर्भ लें।

(ii) कंपनी ने दीर्घकालीन संविदाओं पर सामग्रीगत अपरिहार्य घाटों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित प्रावधान किया है- वित्तीय विवरणों के नोट सं. 27(ख) में अपरिहार्य घाटों का संदर्भ लें। कंपनी में कोई डैरिवेटिव संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई सामग्रीगत अपरिहार्य घाटे हुए थे।

(iii) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

III. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(5) द्वारा अपेक्षित अनुसार और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के वार्षिक लेखों (स्टेंडएलोन) की लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जांच किए जाने वाले क्षेत्रों को दर्शाते निर्देश।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम सूचित करते हैं कि:

क्र.सं	विवरण	टिप्पणी/निष्कर्ष
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और लीजडीड के लिए क्लियर टाइटल/लीज डीड हैं? यदि नहीं तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजडीड के उन क्षेत्रों का उल्लेख करें जिनके लिए टाइटल/लीज डीड उपलब्ध नहीं हैं।	जी हां। कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीजडीड के लिए क्रमशः क्लियर टाइटल/ लीज डीड विद्यमान है।
2.	कृपया बताएं कि क्या वहां ऋण/उधार/ब्याज आदि,यदि कोई हो, में छूट/बट्टा खाता डाले जाने को काई मामला है। इसका कारण और इसमें शामिल राशि का उल्लेख करें।	कंपनी ने सक्षम प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान पुराने देयों के अंतिम निपटान की गैर-वसूली के कारण 0.33 करोड़ रुपए के अग्रिमों तथा 0.59 करोड़ रुपए तथा परिसंपत्तियों के 0.03 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों के अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डाला है।
3.	क्या पक्षों के पास उपलब्ध इंवेन्टरी तथा सरकार और अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त उपकार के रुप मे प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित रिकार्ड रखा गया है?	जी हां। तीसरे पक्ष के पास पड़ी दरसूचियों के लिए उचित रिकार्ड रखे जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सरकारी या अन्य प्राधिकारियों से कोई उपहार प्राप्त नहीं किया गया है।

कृते वी.के.ढींगरा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 000250एन

(विपुल गिरोत्रा)
साझेदार
सदस्यता सं.084312

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02 सितंबर, 2016

अनुबंध-क

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों की समसंख्यक तिथि की हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का संदभ लें।

हमारी लेखापरीक्षा के दौरान ऐसी जांचों के आधार पर, जिसे हम उपयुक्त समझते हैं और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम उल्लेख करते हैं किः

(क) कम्पनी ने उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है जिनसे मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हमारी राय में कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा किया जाने वाला नियमित सत्यापन उचित है। इस प्रकार के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पाई गई है।

(ग) कंपनी की बहियों में रिकार्ड की गई अचल संपत्तियों के टाइटल डीडों को कंपनी के नाम पर रखा गया है।

(घ) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मालसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन उचित रुप से किया गया है। हमारी राय में सत्यापन की बारंबारता उचित है। बही रिकार्डों के भौतिक सत्यापन परिणामों की तुलना के दौरान पाई गई विसंगतियां तथ्यात्मक नहीं हैं और लेखा बहियों में इनकी उचित व्यवस्था कर दी गई है।

(ड.) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कम्पनी ने रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (iii) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती।

(च) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋणों, निवेशों, गारंटियों और प्रतिभूति के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 185 तथा 186 का अनुपालन किया गया है।

(छ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार, कंपनी ने जनसाधारण से कोई जमाराशि प्राप्त नहीं की है और इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों और कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 73 से 76 तक के प्रावधानों और किसी अन्य संगत प्रावधान तथा इनके अंतर्गत निर्मित नियम लागू नहीं हैं।

(ज) कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अन्तर्गत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण किया है। तथापि, हमने ना ही ऐसे लेखों और रिकार्डों की किसी विस्तृत जांच को करने की आवश्यकता पड़ी है और ना ही हमने ऐसा किया है।

(झ) क. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, मूल्य संवर्धन कर, उपकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय, जहां कही लागू हों, सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों के संबंध में लेखा बहियों में कटौती की गई/संचित राशियों, को कम्पनी द्वारा सामान्यतः उपयुक्त प्राधिकारियों के पास वर्ष के दौरान ही नियमित रुप से जमा कराया जाता है।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2016 को उनके देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, मूल्य संवर्धन कर, उपकर तथा अन्य सामग्रगत सांविधिक दयों की कोई बकाया राशि शेष नहीं है।

ख. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारी जांच के अनुसार आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, संपदाकर, मूल्य संवर्धन कर के संबध में ऐसी कोई देय राशियों नहीं हैं जिनहें उपयुक्त प्राधिकरणों को जमा न कराया गया हो,

निम्नलिखित को छोड़ करः

अधिनियम का नाम	विवादित देय राशियों की प्रकृति	बकाया राशि (करोड़ रुपए में)	अवधि जिसके लिए राशि जारी की गई है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
सीमा शुल्क अधिनियम , 1962	1ए- हैंगर, बम्बई में निष्पादित कार्य के लिए लगया गया सीमा शुल्क	5.81	1989-90	उपायुक्त (सीमाशुल्क), मुम्बई
आयकर अधिनियम, 1961	व्यय की नामंजूरी के प्रति दंड	169.37	2010-11	आयकर आयुक्त (अपील), नई दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	धारा 80-आईए में काटौती के लिए गैर-अनुमति, विदेशी आय और अन्य भत्तों पर कर	0.10	2011-12	आयकर आयुक्त (अपील), नई दिल्ली
महाराष्ट्र मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2002	व्यय की नामंजूरी	1.99	1995-96	मुम्बई उच्च न्यायालय
महाराष्ट्र मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2002	व्यय की नामंजूरी	1.52	1996-97	मुम्बई उच्च न्यायालय
गुजरात मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	निर्माण उपकरणों पर प्रवेश कर	2.65	2003-04	उपायुक्त बिक्रीकर प्राधिकरण, वडोदरा
गुजरात मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	निर्माण उपकरणों पर प्रवेश कर	0.80	2004-05	उपायुक्त बिक्रीकर प्राधिकरण, वडोदरा
गुजरात मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	बिक्री कर 2005-06, गोधरा	1.90	2005-06	उपायुक्त बिक्रीकर प्राधिकरण, वडोदरा
गोवा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005	इनपुट कर की नामंजूरी और करयोग्य राशि के मूल्यांकन से संबंधित मुद्दे	0.05	2010-11	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, मडगाँव
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर - एजीआरपी	0.56	2007-08	आयुक्त, व्यापार कर, गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर - एजीआरपी	1.63	2007-08	आयुक्त, व्यापार कर, गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर - एजीआरपी	0.76	2008-09	आयुक्त, व्यापार कर, गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर - एजीआरपी	0.11	2009-10	आयुक्त, व्यापार कर, गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर - एजीआरपी	1.00	2010-11	आयुक्त, व्यापार कर, गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर - एजीआरपी	0.21	2011-12	आयुक्त, व्यापार कर, गाजियाबाद
स्थानीय क्षेत्र में पण्यों के प्रवेश पर उत्तर प्रदेश कर अधिनियम, 2007 और उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	प्रवेशकर/ बिक्री कर के लिए मांग	4.80	2004-05 से 2009-10	संयुक्त आयुक्त, अपील, बरेली
बिक्री कर	बिक्री कर - एजीआरपी	0.21	2012-13	आयुक्त, व्यापार कर, गाजियाबाद
बिक्री कर	बिक्री कर - बीई-08	1.15	2008-09	आयुक्त, व्यापार कर, नोएडा
बिक्री कर	बिक्री कर - बीई-8	0.54	2009-10	आयुक्त, व्यापार कर, नाएडा
बिक्री कर	प्रवेश कर -यूपी-05	0.22	2008-09	संयुक्त आयुक्त अपील, बरेली
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर के लिए मांग	0.08	1982-83 व 1989-90	अपील अधिकरण, झांसी
स्थानीय क्षेत्र में पण्यों के प्रवेश पर उत्तर प्रदेश कर अधिनियम, 2007	प्रवेश कर के लिए मांग	0.03	2010-11	उपायुक्त अपील, बिक्री कर, लखनऊ

अधिनियम का नाम	विवादित देय राशियों की प्रकृति	बकाया राशि (करोड़ रुपए में)	अवधि जिसके लिए राशि जारी की गई है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	यूटीपीपी के लिए मांग	0.01	2005-06	उच्च न्यायालय इलाहबाद
स्थानीय क्षेत्र में पण्यों के प्रवेश पर उत्तर प्रदेश कर अधिनियम, 2007	प्रवेश कर के लिए मांग	0.15	2006-07	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	यूटीपीपी के लिए मांग	0.43	2006-07	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
स्थानीय क्षेत्र में पण्यों के प्रवेश पर उत्तर प्रदेश कर अधिनियम, 2007	प्रवेश कर के लिए मांग	0.06	2007-08	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
स्थानीय क्षेत्र में पण्यों के प्रवेश पर उत्तर प्रदेश कर अधिनियम, 2007	प्रवेश कर के लिए मांग	0.26	2009-10	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	वेट के लिए मांग	0.60	2007-08	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	वेट के लिए मांग	1.30	2008-09	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	वेट के लिए मांग	1.38	2008-09	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	वेट	1.23	2010-11	उपायुक्त, वाणिज्यि कर, रायबरेली
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	वेट	8.96	2011-12	उपायुक्त, वाणिज्यि कर, रायबरेली
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	वेट	18.64	2012-13	उपायुक्त, वाणिज्यि कर, रायबरेली
ओडीशा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004	बिक्री कर के लिए मांग	0.99	2002-03	आयुक्त बिक्री कर ओडीशा
पश्चिम बंगाल मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	बिक्री कर के लिए मांग	0.28	1998-1999	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (अपील), बिक्री कर, बेहाला
पश्चिम बंगाल मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	इनपुट कर जमा की नामंजूरी	0.71	2004-05	सहायक आयुक्त बिक्री कर, बेहाला
पश्चिम बंगाल मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	बिक्री कर के लिए मांग	1.75	1987-88 से 1994-95	बेहाला बिक्री कर अधिकरण- कहलगांव
बिहार मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005	व्यय की नामंजूरी	5.98*	2005-06 और 2006-07	उपायुक्त बिक्रीकर, बिहार
पश्चिम बंगाल मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	इनपुट कर जमा की नामंजूरी	0.31	2009-10	उपायुक्त बिक्रीकर, बेहाला
पश्चिम बंगाल मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	इनपुट कर जमा की नामंजूरी	0.26	2008-09	उपायुक्त बिक्रीकर, बेहाला
राज्य बिक्री कर/वेट आदि	वेट	0.07	2010-11	वरिष्ठ जेसीसीटी, धरमतला प्रभार, कोलकाता
राज्य बिक्री कर/वेट आदि	वेट	0.55	2011-12	बिक्री कर उपायुक्त -पश्चिम बंगाल-कॉलेज स्ट्रीट प्रभार
राज्य बिक्री कर/वेट आदि	वेट	0.07	2010-11	संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, पटना बिहार
जम्मू और कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 1962	बिक्री कर	19.33	1999-00 से 2010-11	जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय तथा उपायुक्त वाणिज्कि कर (अपील) श्रीनगर
कर्नाटक वेट	सकल लाभ को अपनाने में विवाद और उस पर दंड	0.85	2006-07	कर्नाटक अपील अधिकरण

अधिनियम का नाम	विवादित देय राशियों की प्रकृति	बकाया राशि (करोड़ रुपए में)	अवधि जिसके लिए राशि जारी की गई है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
कर्नाटक वेट	कर की दर में अंतर और उस पर लगाया गया ब्याज	0.50	2009-10	उपायुक्त (अपील) त्रिवेंद्रम
आयकर विभाग, बांग्लादेश	आयकर मांग	1.06	वर्ष 2012-13	सीआईटी -ए
सेवाकर	सेवाकर	5.60	2009-10 से 2013-14	पीएमजीएसवाई-बिहार के लिए आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर
सेवाकर	सेवाकर	3.92	2010-11 से 2014-15	पीएमजीएसवाई-बिहार के लिए आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर
सेवाकर	सेवाकर	0.14	2010-11 से 2014-15	मनपुर- गया के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा आयुक्त
सेवाकर	सेवाकर	1.75	2010-11 से 2014-15	आरओबी-1 आयुक्त (लेखापरीक्षा) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर
सेवाकर	सेवाकर	2.47	2010-11 से 2014-15	आरओबी-।। आयुक्त (लेखापरीक्षा) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर
सेवाकर	सेवाकर	4.63	2010-11 से 2014-15	आरएसवीवाई केन्दीय (लेखापरीक्षा) उत्पाद शुल्क एंस पीएमजीएसवाई के लिए सेवा आयुक्त
सेवाकर	सेवाकर पर ब्याज	0.80	2013-14, 2014-15 व 2015-16	पीएमजीएसवाई-रांची के लिए आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर
वित्त अधिनियम , 1994	सेवाकर	19.95	2001-02 से 2006-07	सीईएसटीएटी, नई दिल्ली

* कंपनी ने 5.98 करोड़ रुपए की मांग के प्रति 2.00 करोड़ रुपए जमा कराए हैं और इस पर विवाद है।

(झ) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान, बैंकों, सरकार को देय ऋणों या उधारों या डिबैचरधारकों को देय किसी राशि के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (viii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ट) कंपनी ने वर्ष के दौरान ना तो कोई पब्लिक ऑफर (ऋण व्यवस्थाओं सहित) किए है और ना ही कोई दीर्घकालीन ऋण ही लिया है। तद्नुसार, आदेश का पैरा 3 (ix) लागू नही होता है।

(ठ) प्रयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर हम सूचित करते हैं कि 31 मार्च 2016 के समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी पर या उसके क्षरा किसी प्रकार की जालसाजी की सूचना या रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ड) दिनांक 5 जून 2015 की सरकारी अधिसचूना सं. जीएसआर 463 (ई) के दृष्टिगत सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 197 के अनुप्रयोग से छूट प्राप्त है। तदनुसार इस आदेश का खंड 3 (xi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ढ) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नही है। तदनुसार इस आदेश का खंड 3 (xii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ण) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी संव्यवहार कंपनी अधिनियम

2013 के खंड 177 तथा 188 के अनुपालन में है। इसके अतिरिक्त, लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित अनुसार, अपेक्षित ब्यौरों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(त) आपको दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 42 के अनुपालन के लिए अपेक्षित समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपन ने शेयरों का पूर्ण या आंशिक रुप से निजी प्लेसमेट का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन नहीं किया है। इसलिए, इस आदेश का खंड 3 (xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(थ) आपको दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई गैर-रोकड़ संव्यवहार नही किया है। इसलिए, इस आदेश का खंड 3 (xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(द) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45-1ए के अंतर्गत पंजीकृत कराए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, इस आदेश का खंड 3 (xvi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

कृते वी.के.ढींगरा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 000250एन

विपुल गिरोत्रा
साझेदार
सदस्यता सं. 084312

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02 सितंबर, 2016

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध ख

(31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों की समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के खंड "अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं" पर रिपोर्ट के अंतर्गत पैरा -छ में संदर्भित ।)

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड 143 के उप खंड 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2016 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'') के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10)

के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल है - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जोः-

(1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करते हैं।

(2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं।

(3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल है, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरक्ति, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तो में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

अर्हत मत

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार, 31 मार्च 2016 को सामग्रीगत खामियां चिह्नित की गई हैः

(i) कंपनी में कोई एकीकृत ईआरपी प्रणाली नहीं है। कंपनी द्वारा प्रयोग किए जा रहे विभिन्न साफ्टवेयर पैकेज साफ्टवेयर लिंक तथा उनके बीच मेनुअल हस्तक्षेप अंतर के माध्यम से इंटरफेस किया जाता है। इसके कारण विसंगत वित्तीय रिपोर्टिंग की संभावना हो सकती है।

(ii) कंपनी के पास कुशल आंतरिक लेखापरीक्षा संरचना नहीं है ताकि व्यापक कार्यक्षेत्र के साथ सभी प्रमुख क्षेत्रों के कवरेज को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग की समीक्षा का तंत्र कमजोर है। इसके कारण कमजोर जांचों और शेषों तथा वित्तीय अनियमितताओं की संभावना है जिसके परिणामस्वरुप विकृत वित्तीय रिपोर्टिंग सामने आती है।

'सामग्रीगत खामी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी है या कमियों का संयोजन है, जिससे युक्तिसंगत संभावना है कि कंपनी की वार्षिक या आंतरिक वित्तीय विवरणों का सामग्रीगत दुर्विवरण का समय आधार पर निवारण या संसूचन नहीं किया जा सकेगा।

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत खामियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोडक़र, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सभी सामग्रीगत पहलुओं में

पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2016 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमने कंपनी के 31 मार्च 2016 के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रयुक्त लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और स्तर के निर्धारण के लिए उपर्युक्त चिह्नित और रिपोर्टिड सामग्रीगत खामियों पर विचार किया है और हमारे मतानुसार ये सामग्रीगत खामियां कंपनी के वित्तीय विवरणों को प्रभावित नहीं करते हैं।

कृते वी.के.ढींगरा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 000250एन

विपुल गिरोत्रा
साझेदार
सदस्यता सं.084312

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02 सितंबर, 2016

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (सीआईएन - यू45203डीएल1976जीओआई008171)

तुलन पत्र

31 मार्च 2016 को

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
I.	**इक्विटी और देयताएं**					
1	**शेयरधारकों की निधियां**					
	(क) शेयर पूंजी	2	**19.80**		19.80	
	(ख) आरक्षित निधियां और अधिशेष	3	**3,510.46**	**3,530.26**	3,333.71	3,353.51
2	**गैर-चालू देयताएं**					
	(क) दीर्घकालीन देयताएं	4	**1,078.74**		178.08	
	(ख) दीर्घकालीन प्रावधान	5	**155.53**	**1,234.27**	351.03	529.11
3	**चालू देयताएं**					
	(क) व्यापार देय	6	**406.62**		450.85	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	7	**2,401.57**		1,586.75	
	(ग) अल्पकालीन प्रावधान	8	**748.20**	**3,556.39**	828.42	2,866.02
	कुल			**8,320.92**		6,748.64
II.	**परिसंपत्तियां**					
1	**गैर-चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) नियत परिसंत्तियां					
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां	9	**142.45**		157.24	
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	9	**0.10**		0.03	
	(iii) प्रगतिरत मूर्त परिसंपत्तियां	10	**1.01**		1.01	
	(iv) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	11	**14.15**		5.20	
	(ख) गैर-चालू निवेश	12	**905.29**		671.15	
	(ग) आस्थिगित कर परिसपत्ति (निवल)	13	**222.02**		274.31	
	(घ) दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	14	**586.09**		640.78	
	(ड.) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	15	**30.53**	**1,901.64**	66.78	1,816.50
2	चालू परिसंपत्तियां					
	(क) वर्तमान निवेश	16	**137.52**		66.06	
	(ख) दरसूचियां	17	**140.63**		114.29	
	(ग) व्यापार प्राप्य	18	**700.66**		571.50	
	(घ) रोकड़ व बैंक शेष	19	**4,534.73**		3,202.83	
	(ड.) अल्पकालीन ऋण और अग्रिम	20	**463.17**		342.87	
	(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां	21	**442.57**	**6,419.28**	634.59	4,932.14
	कुल			**8,320.92**		6,748.64
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां का सार	1				
IV.	वित्तीय विवरण के भाग के रुप में नोट	2-50				

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी.के. ढींगरा एंड कपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000250एन

विपुल गिरोत्रा
साझेदार
स.सं. 084312

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

एम.के.सिंह
निदेशक वित्त
डीआईएन 06607392

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 00191363

सुमिता शर्मा
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः02.09.2016

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (सीआईएन - यू45203डीएल1976जीओआई008171)

लाभ और हानि का विवरण

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपये करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	राजस्व :			
	प्रचालन से राजस्व	22	**2,403.02**	2,950.22
	घटा :-एकीकृत संयुक्त उद्यम में टर्नओवर में कपनी का भाग		**103.93**	88.62
	जमाः- एकीकृत संयुक्त उद्यम में लाभ / (हानि) में कपनी का भाग		**6.68**	2.39
			2,305.77	2,863.99
	अन्य आय	23	**397.70**	257.75
	कुल राजस्व		**2,703.47**	3,121.74
II.	**व्यय:**			
	प्रचालनिक तथा प्रशासनिक व्यय	24		
	- प्रचालनिक व्यय		**1,894.23**	2,039.50
	- प्रशासनिक व्यय		**25.08**	30.60
	कर्मचारी लाभ व्यय	25	**174.30**	188.36
	वित्तीय लागतें	26	**16.52**	8.93
	मूल्यह्रास, परिशोधन तथा हानि	9	**26.18**	10.06
	कुल व्यय		**2,136.31**	2,277.45
III.	**कर पूर्व लाभ (I - II)**		**567.16**	844.29
IV.	कर व्यय :			
	(1) चालू कर			
	- वर्ष के लिए		**130.62**	196.95
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		**4.98**	40.89
	(2) आस्थगित कर (निवल)	13	**52.29**	27.06
	कुल कर व्यय		**187.89**	264.90
V.	**वर्ष के लिए लाभ (III-IV)**		**379.27**	579.39
VI.	प्रति शेयर आमदनी - मूलभूत तथा विलयित(रु.में)	47	**191.59**	292.68
VII.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
VIII.	पूर्व अवधि समायोजन	28		
IX.	वित्तीय विवरण के भाग के रुप में नोट	2-50		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी.के. ढींगरा एंड कपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000250एन

विपुल गिरोत्रा
साझेदार
स.सं. 084312

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

एम.के.सिंह
निदेशक वित्त
डीआईएन 06607392

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 00191363

सुमिता शर्मा
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः02.09.2016

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (सीआईएन - यू45203डीएल1976जीओआई008171)

रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपये करोड़ में)

विवरण	नोट सं.	2015-16	2014-15
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		**567.16**	844.29
निम्न के लिए समायोजनः			
मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति		**26.18**	10.06
निवेश की किश्तों पर छूट		**0.01**	0.01
परिसंपतियों(निवल) की बिक्री पर हानि/(लाभ)		**(0.88)**	1.41
ब्याज आय		**(231.12)**	(217.81)
लाभांश आय		**(5.05)**	(3.21)
प्रावधान - जमा (पश्चलिखित) निवल		**32.32**	(26.44)
आस्थगित कर		**52.29**	27.06
विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		**(88.61)**	(19.90)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**(1)**	**352.30**	**615.47**
निम्न के लिए समायोजनः			
व्यापार प्राप्यों/ऋण और अग्रिम में कमी (वृद्धि)		**(143.34)**	221.78
मालसूचियों में कमी (वृद्धि)		**(26.34)**	4.51
अन्य परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि)		**252.99**	(177.03)
व्यापार देय राशियों में कमी (वृद्धि)		**(44.23)**	(143.65)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में कमी (वृद्धि)		**1,236.23**	107.61
	(2)	**1,275.31**	**13.22**
प्रचालन से सृजित रोक .	**(1+2)**	**1,627.61**	**628.69**
प्रदत्त आयकर		**(107.54)**	(145.43)
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह	(A)	**1,520.07**	483.26
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद		**(20.92)**	(7.48)
निवेश संपत्ति की खरीद		**0.00**	(15.85)
स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री		**1.44**	2.32
सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को ऋण		**(28.50)**	(43.62)
सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को ऋण का पुनर्भुगतान		**84.61**	23.15
प्राप्त ब्याज		**206.40**	236.08
प्राप्त लाभांश		**5.05**	3.21
इक्विटी आर बांडों में निवेश		**(234.20)**	(117.32)
(निवेश) / बैंक जमा राशिया की परिपक्वता (3 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि)		**(63.90)**	(863.64)
चालू निवेश (निवल) की (खरीद) /बिक्री		**(71.46)**	134.96
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी	**(B)**	**(121.48)**	**(648.19)**
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
प्रदत्त लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)		**(219.20)**	(190.73)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी	**(C)**	**(219.20)**	**(190.73)**
विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव	**(D)**	**88.61**	**19.90**
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	**(A+B+C+D)**	**1,268.00**	**(335.76)**
नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक)	**(E)**	**1,189.05**	**1,524.81**
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम)	**(F)**	**2,457.05**	**1,189.05**
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	**(F - E)**	**1,268.00**	**(335.76)**

नोटः

1. समेकित रोकड प्रवाह विवरण को लेखांकन मानक-3 (रोकड़ प्रवाह विवरण) के रुप मे निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया है।
2. नगदी तथा नगदी समतुल्यों में कैश-इन-हैंड तथा बैंकों में शेष शामिल हैं।
3. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े रोकड़ के आऊटफ्लो को दशार्ते हैं।
4. पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां कहीं आवश्यक हुआ पुनःसमूहित/पुनःनिर्धारण किए गए हैं।
5. नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम) में ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के प्रति **1275.18 करोड़ रु.** (624.86 करोड़ रु) जिस पर उन्हें ब्याज दिया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी.के. ढींगरा एंड कपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000250एन

विपुल गिरोत्रा
साझेदार
स.सं. 084312

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

एम.के.सिंह
निदेशक वित्त
डीआईएन 06607392

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 00191363

सुमिता शर्मा
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः02.09.2016

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

(i) निगमित सूचना

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड टर्नकी आधार पर तथा अन्यथा रेल परियोजनओं के निष्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त एक सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी है। रेल निर्माण कंपनी के रुप में अपना व्यवसाय आरंभ करने के पश्चात, इसने सड़क, भवन निर्माण, इलैक्ट्रिकल उपस्टेशन तथा संवितरण, हवाईअड्डा निर्माण, वाणिज्यिक परिसरों तथा मैट्रो निर्माण कार्यों के क्षेत्रों में धीरे-धीरे अपने व्यापार का विस्तार किया है। यह कंपनी घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कार्यरत है। कंपनी गुणवत्ता, पर्यावरण तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए एक आईएसओ प्रमाणित कंपनी ; अनुसूची 'क' की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तथा एक मिनि रत्न श्रेणी-I कंपनी है।

(ii) तैयार करने के आधार

क) ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर प्रोद्भवन आधार भारत में सामान्यत् स्वीकृत लेखांकरण सिद्धान्तों (जीएएपी) की तर्ज पर तैयार किए जाते है। सामान्यत् स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों (जीएएपी) में कंपनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम-7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत धारा-133 तथा अधिनियम के प्रावधानों (अधिसूचित स्तर तक) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार अनिवार्य लेखांकन मानक शामिल हैं। लेखांकन नीतियों का निरंतर अनुप्रयोग किया गया है, उन स्थानों को छोड़कर जहां नए रुप से जारी लेखांकन मानकों को आरंभिक तौर पर अपनाया गया है या लेखांकन नीति में परिवर्तन की अपेक्षा अनुसार मौजूदा लेखांकन मानक को संशोधित किया गया है।

ख) वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अपेक्षित है कि प्रबंधन ऐसे अनुमान और आंकड़े तैयार करे जो परिसंपत्तियों और देयताओं की रिपोर्टिंग राशि तथा वित्तीय विवरणों की तिथि को आकस्मिक देयताओं को प्रकट कर सके और वर्ष के लिए राजस्व और व्यय की रिपोर्टिंग राशि शामिल कर सके। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते है। भावी परिणाम में अंतर इन अनुमानों के कारण हो सकता है और उस अवधि में वास्तविक परिणाम और प्रदान किए गए अनुमानों के बीच अंतर के कारण भी हो सकता है।

(ग) वित्तीय विवरण भारतीय रूपए में दर्शाए जाते हैं तथा सभी मूल्य करोड़ रुपए सहित दो दशमलव बिन्दुओं के निकटवर्ती रूप में होते हैं बशर्ते अन्यथा दर्शाया गया हो।

(iii) विदेशी मुद्रा संव्यवहार

क) भारतीय प्रचालनों के संव्यवहार:

विदेशी मुद्रा सौदों का रूपान्तरण निम्न रीति से किया जाता है:

i) समस्त विदेशी मुद्रा सौदों का रूपांतरण सौदे की तारीख पर प्रचलित दर पर भारतीय मुद्रा में किया जाता है।

ii) स्थिर परिसंपत्तियों और मुद्रेतर मदों का रुपांतरण सौदे की तारीख को प्रचलित दर का उपयोग करके किया जाता है।

iii) मूल्यह्रास को परिसंपत्तियों के मूल्य में रुपांतरण के लिए प्रयुक्त उन दरों पर किया जाता है जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।

iv) विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक मदों और आकस्मिक देयताओं को प्रत्येक तुलनपत्र तिथि को प्रचालित समापन क्रय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

ख) एकीकृत विदेशी प्रचालनों में संव्यवहार:

विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा संव्यवहारों का परिवर्तन निम्न प्रकार किया जाता है।

i) राजस्व मदों को विद्यमान दर के आधार पर अंतरण की तिथि को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

ii) स्थिर परिसम्पत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख को विद्यमान दर पर परिवतिर्त किया जाता है।

iii) मूल्यह्रास को परिसंपत्तियों के मूल्य में रुपांतरण के लिए प्रयुक्त उन दरों पर किया जाता है जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।

iv) मुद्रित मदें तथा आकस्मिक देयताएं प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को प्रचालित अंतिम क्रय का उपयाग करके परिवतिर्त की जाती हैं।

ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) पर परिवर्तनों के परिणामस्वरूप निवल विनिमय अंतरों को वर्ष के लिए आय या व्यय के रुप में लिया गया है।

घ) गैर एकीकृत विदेशी प्रचालनों के संव्यवहार:

गैर-एकीकृत विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित प्रकार से रूपांतरित किया जाता है -

i) परिसम्पत्तियों तथा दायित्व, मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक दोनों को अंतिम क्रय दर पर रूपांतरित किया जाता है।

ii) आय और व्यय मदों का परिवर्तन संव्यवहार की तिथि को प्रचलित दर पर किया जाता है।

iii) सभी परिणामी विनियम अंतर को शुद्ध निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि में एकत्र किया जाता है तथा इसे उसी अवधि में आय या व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें निपटान पर लाभ या हानि को लेखांकित गया है।

(iv) स्थिर परिसम्पत्तियाँ

मूर्त परिसंपत्तियां

(क) मूर्त परिसंपत्तियों का वर्णन संचित मूल्यह्रास तथा अर्जन घाटों, यदि कोई हो, को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

(ख) मशीनरी स्पेयर्स जो केवल मूर्त परिसंपत्तियों के मद के संबंध में उपयोग किए जा सकते हैं और जिनका उपयोग अधिनियमित होने की प्रत्याक्षी है, उन्हें पूंजीगत तथा ऐसी मूर्त परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल पर मूल्यह्रासित/परिशोधन किया जाता है।

(ग) वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख तक किए गए निर्माण अवधि के दौरान प्रासांगिक व्यय को पूंजीगत किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब यह संभावना हो कि भावी आर्थिक लाभ, जो उस परिसंपत्ति के परिणामस्वरुप होगा, वे उपक्रम में प्रवाहित होंगे और परिसंपत्ति के मूल्य का विश्वसनियता के साथ मापन किया जा सकेगा। अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रकटन ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षति, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

(v) निवेश

क. गैर-चालू निवेशों का मूल्यांकन लागत पर मूल्य में स्थायी गिरावट के लिए प्रावधान, यदि कोई हो, को घटाकर किया जाता है।

ख. चालू निवेशों को लागत पर या उचित मूल्य पर, जो भी कम हो, पर आंका जाता है।

ग. भूमि या भवनों में निवेश, जिसका प्रयोजन व्यापक स्तर पर कंपनी द्वारा प्रयोग या प्रचालन के लिए नहीं है, उसे निवेश परिसंपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेश परिसंपत्तियों को लागत, संचित मूल्यह्रास और संचित हानियों, यदि कोई हो, के निवल के रुप में उल्लिखित किया जाता है।

(vi) मालसूचियाँ

क) प्रगतिरत निर्माण कार्य

प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के आउटकम को विश्वसनियता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यित किया जाता है।

ख) अन्य

i) लागत लाभ ठेकों में, सभी सामग्रियों, स्पेयर्स और भंडारों जो संविदा की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य नहीं है उन्हें नीचे (iii) के अनुसार दर सूची मूल्य के रुप में दर्शाया गया है।

ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी संविदाओं में, सभी सामग्रियों (पूंजीकृत को छोड़कर) को इनके उपयोग के वर्ष में लाभ और हानि लेखा में लेखांकित किया जाता है।

iii) मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

iv) अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(vii) रोकड़ एवं बैंक अधिशेष

रोकड़ एंव बैंक शेष में बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, उपलब्ध चैक, मांग जमा तथा तुलन पत्र की तिथि से 12 महीने के भीतर की अवधि में परिपक्व होने वाली बैंक जमा खाते शामिल होते हैं।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

(viii) प्रावधान

क. अनुरक्षण के लिए प्रावधान

i) लागत जमा निविदा में, जहां लागत प्रतिपूर्ति योग्य हो वहां अनुरक्षण के लिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के मामलों में कंपनी का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसमें संविदागत बाध्यता, उप ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

iii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रत्येक आंकलित संविदा में प्रबंधन

के जोखिम अनुमान के आधार पर अभिकल्प गारंटी अवधि के दौरान अनिश्चित व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है। तथापि, यह न्यूनतम 50 लाख रुपए तथा अधिकतम ग्राहक के साथ संविदा करार में विनिर्दिष्ट अभिकल्प गारंटी की राशि के बराबर होगा।

ख) विनियोजन के लिए प्रावधान

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशाक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

ग) संदिग्ध ऋणों/ अग्रिमों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋण/अग्रिमों के लिए प्रावधान किया जाता है, जब देयों की अवधि को ध्यान में रखे बिना इनकी वसूली अनिश्चित हो । तीन वर्षों से अधिक अवधि के बकायों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है बशर्ते यह राशि वसूलनीय समझी जाय। ऋणों/अग्रिमों को बट्टे खाते डाल दिया जाता है, जब उनकी अनिश्चितता स्थापित हो जाए।

घ) अन्य

प्रावधान किए जाते है जब :-

i) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में कंपनी का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,

ii) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की सम्भावना हो, और

iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

(ix) राजस्व मान्यता

(क) संविदा राजस्व मान्यता

संविदा राजस्व का अनुमान उस स्तर तक लगाया जाता है जहां तक यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलते रहेंगे तथा राजस्वों का विश्वसनीय तौर पर आकलन किया जा सकेगा। संविदा प्रकृति के आधार पर राजस्व का अनुमान निम्न रूप में किया जाता है :

(i) लागत लाभ ठेकों में राजस्व का आकलन ग्राहकों को भेजे जाने वाले बिलों में व्यय की स्वीकार्य मदों और उन पर निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रभारित करके किया जाता है।

(ii) नियत मूल्य ठेकों में राजस्व का आकलन प्रमाणित कार्य की सम्पूर्ण लागत तथा पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए आनुपातिक लाभ को शामिल करके किया जाता है । पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का निर्धारण उस तारीख को लगाई गई लागत के ठेके की कुल अनुमानित लागत के अनुपात के रुप में किया जाता है ।

इस अवधि में किसी भी हानि के लिए पूर्ण प्रावधान होता है।

(iii) कंपनी के पक्ष में दिए गए दावों/मध्यस्थता (उस पर ब्याज सहित), जो संविदा की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की प्रकृति में है, को संविदा राजस्व पर लेखांकित किया जाता है, जब उन्हें प्रदान किया गया है और जब ऐसे दावों/अवार्डों की वसूली की पूर्ण निश्चितता हो।

राजस्व में बिक्रीकर/वेट/डब्ल्यूसीटी/सेवाकर आदि सम्मिलित नहीं हैं।

(ख) अन्य राजस्व मान्यता

(i) लाभांश आय को उस समय लेखांकित किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए।

(ii) ब्याज आय को बकाया राशि और लागू ब्याज दर का ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(x) संयुक्त उद्यम (जेवी) संविदाओं के लिए लेखांकन

(i) कार्य भागीदारी व्यवस्था के अंतर्गत संयुक्त नियंत्रित प्रचालनों को स्वतंत्र संविदाओं के रुप मे लेखांकित किया जाता है।

(ii) संयुक्त नियंत्रित निकाय द्वारा निष्पादित संविदाओं के संबंध में,

क. गैर-निगमित संयुक्त उद्यम:

- लाभों या हानियों में कंपनी के भाग का लेखांकन संयुक्त उद्यमों द्वारा लाभों या हानियों के निर्धारण पर किया जाता है।
- निवेशों को मान्य लाभों या हानियों में कपनी के भाग की निवल लागत पर लेखांकित किया जाता है और शुद्ध निवेश को निवेशों, ऋणों तथा अग्रिमों या चालू देयताओं के रुप मे प्रदर्शित किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

ख. गैर निगमित संयुक्त रुप से नियंत्रित निकाय:

- निवेश पर आय को तब मान्य माना जाता है जब उसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए।

- ऐसे संयुक्त उद्यमों मे निवेश को मूल्य में किसी प्रकार की कमी के लिए प्रावधान करने के पश्चात लागत पर लेखांकित किया जाता है, जो प्रकृति में अस्थायी से इतर हो।

(xi) पट्टे

i. प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों की पट्टा अदायगी अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि लेखा विवरण में आय के रूप में लेखांकित किया जाएगा ।

ii. प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की पट्टा आय को पट्टा अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में लेखांकित किया जाएगा ।

(xii) निर्णीत हर्जाना और वृद्धि

i) संविदागत बाध्यताओं के कारण उत्पन्न विलंबों के परिणामस्वरुप निर्णीत हर्जानों/दंडों (एलडी) और संभावित रुप से ठेकेदारों द्वारा रोक दिया गया हो/विवादित हों, को इस संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात ही संविदा लागत के प्रति समायोजित किया जाता है। तथापि, ग्राहक द्वारा वसूले गए/रोके गए निर्णीत हर्जानों को वसूली में लेखांकित किया जाता है और संविदा राजस्व के प्रति समायोजित किया जाता है। दंड लगाए जाने के उनके अधिकार के मद्देनजर ग्राहक द्वारा समय विस्तार दिए जाने वाले मामलों में संभावित निर्णीत हर्जानों को आकस्मिक देयता के रुप में दर्शाया जाता है।

ii) वृद्धि प्राप्य/देय को ठेके के प्रावधान के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। वृद्धि प्राप्य लेकिन परियोजना लेखों को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व प्रमाणित न हो तो, उसे चालू कार्य में प्रगतिरत कार्य में शामिल किया जाता है।

(xiii) अनुसंधान और विकास व्यय

अनुसंधान से संबंधित राजस्व व्यय को लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। उत्पादों की विकास लागत को लाभ हानि विवरण में तब तक प्रभारित नहीं किया जाता है जब तक कि उत्पाद की तकनीकी व्यवहार्यता सिद्ध न हो जाए और ऐसे मामले में ऐसे व्ययों को पूंजीकृत किया जाता है।

(xiv) संसाधनों को जुटाने पर व्यय

संसाधनों को जुटाने के लिए नई परियोजनाओं पर आरंम्भिक ठेका व्ययों का निर्धारण उस कार्य के वर्ष में प्रगतिरत निर्माण कार्य के रुप में किया जाता है जिसे वित्तीय वर्ष के अन्त में ठेके के पूरा होने के स्तर पर उसी प्रतिशत में आगामी वर्षों के लिए परियोजना में पूर्व दरों पर प्रभारित माना जाएगा ।

(xv) मूल्यह्रास एवं परिशोधन

मूर्त परिसंपत्तियां

क) मूर्त पसिंपत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-।। में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर सीधी लाइन आधार (एसएलएम) पर किया जाता है।

ख) पट्टे की भूमि के संबंध में (परपीचुवल पट्टे से इतर) और लीजहोल्ड परिसंपत्ति के मामले में मूल्यह्रास पट्टे की अवधि के अनुपात में प्रदान किया जाता है।

ग) वर्ष के दौरान पृथक रुप से 5000 रू. तक की लागत वाली मूर्त परिसम्पत्तियों को पहचान के लिए 1 रुपए के टोकन मूल्य के आधार पर पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

साफ्टवेयर की लागत को उक्त साफ्टवेयर के सफलतापूर्वक प्रचालित होने की तिथि से सीधी रेखा आधार पर 36 महीनों के अवधि में परिशोधित किया जाएगा बशर्ते प्रत्येक वित्त वर्ष में अंत में इसकी समीक्षा हो। तथापि, प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपए तक की साफ्टवेयर लागत को पहचान के लिए 1 रुपए के टोकन मूल्य के आधार पर क्रय के वर्ष में पूर्णत परिशोधित किया जाएगा।

(xvi) परिसंपत्तियों की क्षति

किसी परिसंपत्ति को क्षतिपूर्ण तब माना जाता है जब उक्त परिसंपत्ति का वसूलनीय मूल्य परिसंपत्ति की वहन लागत से अधिक हो जाता है। इंपेयर्ड हानि को उस वर्ष के लाभ हानि खाते में लेखांकित किया जाता है, जिसमें परिसंपत्ति को क्षति के रुप में पहचाना गया है। पूर्व लेखांकन अवधि में लेखांकित इंपेयर्ड क्षति को रिवर्स किया जाता है यदि वसूलीयोग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है और ऐसी हानियां अब विद्यमान नहीं हैं या कम हो गई हैं। व्युत्क्रम या आंशिक हानियों को लाभ व हानि विवरण में लेखांकित किया जाएगा।

(xvii) उधार लागतें

i) सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रुप में प्राभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं।

ii) पूँजीगत परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी उधार लागतों को पूंजीगत किया जाता है।

(xviii) कर्मचारी लाभ

(क) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

i) प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किए जाने हेतु संभावित अल्पकालीन कर्मचारी लाभों की गैर-रियायती राशि को उस अवधि के दौरान व्यय के रुप में लेखांकित किया जाएगा जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

(ख) सेवा पश्चात लाभ व अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

I. भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के रुप में सेवानिवृत्ति लाभ परिभाषित अंशदान योजना है। भविष्य निधि ट्रस्ट तथा पेंशन ट्रस्ट के लिए अंशदान को उस वर्ष के लिए लाभ हानि खाते के विवरण में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष अंशदान देय है।

ii. कंपनी ने उपदान ट्रस्ट का निर्माण किया है। उपदान ट्रस्ट में अंशदान वास्तविक आधार पर मूल्यांकन को परिवर्तित करके उस वर्ष के लाभ हानि विवरण में किया जाता है जिस वर्ष वह देय है।

iii. दीर्घकालीन छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर वर्ष के अंत में किया गया है।

(xix) पूर्व अवधि समायोजन और असाधारण मदें

i) आय/व्यय से संबधित पूर्व अवधि और पूर्वदत व्यय जो प्रत्येक मामले में 1,00,000 रू से अधिक न हों, उन्हें चालू वर्ष का आय/व्यय माना जाता है।

ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबधित व्ययों को व्यय-भार के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(xx) कर

i) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है। अतिरिक्त करों या दायित्वों, यदि कोई हो, जैसे ही और जब निर्धारण पूरा होता है, उनका प्रबन्ध/अदायगी कर दी जाती है।

ii) आस्थिगित कर परिसंपत्तियों का निर्धारण केवल उसी स्तर तक किया जाता है, जहां युक्तिसंगत निश्चितता हो कि आस्थगित पर परिसंपत्तियों को छोड़ कर पर्याप्त भावी आय उपलब्ध होगी, यदि वहां गैर-आमेलित मूल्यह्रास या हानियां होती हैं तो इन्हें उस स्थिति में निर्धारित किया जाएगा जब वहां वास्तविक निश्चितता हो कि उसकी वसूली के लिए पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध होगी।

iii) समय भिन्नता पर आस्थगित आयकर का निर्धारण तुलनपत्र की तारीख तक बनाई गई या वास्तविक रूप से बनाई गई कर दरों और कर कानूनों के आधार पर किया जाता है।

(xxi) खण्ड रिपोर्टिंग

कंपनी ने परियोजना की भौगोलिक अवस्थिति यथा, देशीय और अंतर्राष्ट्रीय आधार पर दो प्राथमिक रिपोर्टिंग खण्डों की और निर्माण व्यवसाय और परिसम्पतियों को पट्टे पर देने और इसके प्रचालन (पट्टा व प्रचालन) पट्टे पर और प्रचालन के आधार पर दो द्वितीयक रिपोर्टिंग खंडों की पहचान की है।

(xxii) प्रति शेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की संख्या का औसत है। प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

(xxiii) आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।

i. भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हों, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या

ii. वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हों; या

iii. एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

ख) आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

2. शेयर पूंजी

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2016 को	31मार्च 2015 को
प्राधिकृत		
10,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु.		
(25,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु.)(v)	**100.00**	25.00
निगमित, अभिदत्त और प्रदत्त		
1,97,96,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु. के - पूर्णत प्रदत्त		
(1,97,96,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु. के - पूर्णत प्रदत्त)	**19.80**	19.80
कुल	**19.80**	**19.80**

i) धारित शोयरों की संख्या का वितरण:

विवरण	31मार्च 2016 को		31मार्च 2015 को	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार को	**19,742,400**	**99.729%**	19,742,400	99.729%
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	**48,800**	**0.247%**	48,800	0.247%
बैंक आफ इंडिया	**4,800**	**0.024%**	4,800	0.024%
कुल	**19,796,000**	**100%**	**19,796,000**	**100%**

ii) रोकड़ से इतर जारी शेयर

पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी बोनस शेयर :	वित्त वर्ष 2012-13 में 1:1 के अनुपात में पूर्णत प्रदत्त बोनस शेयरों के रुप में प्रत्येक 10 रुपए के 98,98,000 इक्विटी शेयर।

iii) शेयरों के साथ संलग्न शर्तें/ अधिकार :

(क) वोटिंग

कंपनी में केवल 10 रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है।

(ख) लाभांश

कंपनी भारतीय रुपए में लाभांश की घोषणा और भुगतान करती है। अंतरिम लाभांश की स्थिति को छोड़ कर निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के बाद ही जारी किए जाते हैं।

(ग) दिवालियापन

कंपनी के दिवालियेपन की स्थिति में शेयरधारक सभी प्रेफरेंशियर राशियों के वितरण के पश्चात, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इनका संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगी ।

iv. इक्विटी शेयरों और शेयर पूंजी की संख्या का पुनर्विनियोजन:

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
	शेयरों की संख्या	करोड़ रुपए	शेयरों की संख्या	करोड़ रुपए
वर्ष के आरंभ में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	**19,796,000**	**19.80**	19,796,000	19.80
जमाः वर्ष के दौरान जारी शेयर	**-**	**-**	-	-
वर्ष के अंत में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	**19,796,000**	**19.80**	**19,796,000**	**19.80**

v. दिनांक 22.12.2015 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि को अनुमोदन प्रदान किया गया था और दिनांक 13.04.2016 के पत्र के तहत रेल मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त हुआ।

3. आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2016 को		31मार्च 2015 को	
क. सीएसआर गतिविधि आरक्षित निधि				
आरंभिक शेष	**-**		1.71	
घटा :- लाभ और हानि विवरण में अंतरण	**-**	**-**	1.71	-
ख. आरक्षित निधि				
आरंभिक शेष	**3,333.71**		2,971.52	
जमाः लाभ हानि विवरण में अधिशेष से अंतरण (नीचे (ग) का संदर्भ लें)	**176.75**	**3,510.46**	**362.19**	3,333.71
ग. लाभ और हानि विवरण में अधिशेष				
चालू वर्ष के लिए निवल लाभ	**379.27**		579.39	
विनियोजन				
जमाः				
- सीएसआर गतिविधि आरक्षित निधि से अंतरण	**-**		1.71	
घटाः				
-अंतरिम लाभांश	**79.18**		79.18	
(प्रति शेयर लाभांश रु. 40/- (रु. 40/-)				
-प्रस्तावित लाभांश	**89.08**		102.94	
(प्रति शेयर लाभांश 45/- (रु. 52/-)				
-अंतरिम लाभांश पर कर	**16.12**		15.83	
-प्रस्तावित लाभांश पर कर	**18.14**		20.96	
-सामान्य आरक्षित निधियों में अंतरण	**176.75**	**-**	362.19	-
कुल		**3,510.46**		**3,333.71**

4. दीर्घकालीन देयताएं

(रुपये करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
(क)व्यापार देय			
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग (नोट 45 का संदर्भ लें)		-	-
- अन्य		**5.82**	8.38
(ख) अन्य देयताएं			
- ग्राहकों से अग्रिम		**936.22**	69.24
- प्रतिधारण राशि/प्रतिभूति जमा		**136.70**	100.46
कुल		**1,078.74**	**178.08**

फुट नोट:

i) (क) ग्राहकों से अग्रिमों पर देय ब्याज शामिल है - **शून्य रु.** (रु. 12.40 करोड़)
(ख) इसमें इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से प्राप्त **19.15 करोड़ रुपए** (शून्य रुपए) शामिल हैं।

5. दीर्घकालीन प्रावधान

(रुपये करोड़ में)

विवरण		31मार्च 2016 को		31मार्च 2015 को	
(क)	**कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान: (नोट सं 27 और 43 का संदर्भ लें)**				
i)	उपदान	-		61.79	
ii)	छुट्टी वेतन	**73.15**		75.85	
iii)	सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान	**1.21**		1.20	
iv)	सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ	**0.82**		1.36	
v)	यात्रा छुट्टी रियायत	**0.20**	**75.38**	0.12	140.32
(ख)	**अन्य प्रावधान:** (नोट सं 27 का संदर्भ लें)				
i)	विसंग्रहण	**0.54**		7.89	
ii)	अनुरक्षण	**19.44**		96.87	
iii)	डिजाईन गारंटी	**60.17**		105.36	
iv)	अन्य व्यय	**-**	**80.15**	0.59	210.71
कुल			**155.53**		**351.03**

6. व्यापार देय राशियां

(रुपये करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
व्यापार देय राशियां			
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग (नोट 45 का संदर्भ लें)		-	-
- अन्य			
(क) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता		**387.71**	434.65
(ख) संबंधित पक्ष		**18.91**	16.20
कुल		**406.62**	**450.85**

7. अन्य चालू देयताएं

(रुपये करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
(क) अग्रिम ठेका प्राप्तियां			**79.59**		24.63
(ख) ग्राहकों से अग्रिम	(i)		**1,796.43**		1,030.37
(ग) जमा राशियां व प्रतिधारण राशि			**463.63**		490.50
(घ) सांविधिक देय		**237.17**		209.81	
घटा :- विरोध में जमा राशि		**(203.45)**	**33.72**	(184.31)	25.50
(ड.) बही ओवरड्राफ्ट			**0.02**		0.10
(च) स्टाफ			**7.24**		0.98
(छ) अन्य	(ii)		**20.94**		14.67
कुल			**2,401.57**		**1,586.75**

फुट नोट:

i) (क) ग्राहकों से अग्रिम राशियों पर देय ब्याज सहित - **रु. 79.71 करोड़** (रु. 69.47 करोड़)।

(ख) इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से प्राप्त **11.02 करोड़ रुपए** (शून्य रुपए) सहित।

(ग) छत्तीसगढ पूर्वी रेलवे लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी से प्राप्त **18.48 करोड़ रुपए** (शून्य रुपए) सहित।

(घ) छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी से प्राप्त **0.57 करोड़ रुपए** (2.40 करोड़ रुपए) सहित।

ii) बकाया व अन्य देयताओं सहित।

8. अल्पकालीन प्रावधान

(रुपये करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को		
(क)	**कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान:**						
	(नोट सं 27 और 43 का संदर्भ लें)						
i)	उपदान		-			4.52	
ii)	छुट्टी वेतन		**9.90**			6.95	
iii)	सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान		**0.13**			0.08	
iv)	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ		**3.38**			5.97	
v)	पेंशन		-			26.18	
vi)	कार्यनिष्पादन संबंधित वेतन		**12.31**			18.82	
vii)	छुट्टी यात्रा रियायत		**0.03**	**25.75**		0.01	62.53
(ख)	**अन्य प्रावधान:**						
	(नोट सं 27 का संदर्भ लें)						
i)	विसंग्रहण		**23.12**			40.59	
ii)	अनुरक्षण		**69.69**			37.01	
iii)	प्रत्याशित घाटा		**22.17**			12.55	
iv)	अभिकल्प गारंटी		**45.79**			52.72	
v)	कानूनी मामले		**78.76**			72.05	
vi)	अन्य व्यय		**96.41**			49.68	
vii)	आय कर	**943.43**			901.96		
	घटाः अग्रिम कर (टीडीएस सहित)	**(664.14)**	**279.29**		(524.57)	377.39	
viii)	लाभांश (प्रस्तावित)		**89.08**			102.94	
ix)	लाभांश पर कर (प्रस्तावित)		**18.14**	**722.45**		20.96	765.89
कुल				**748.20**			**828.42**

9. स्थिर परिसंपत्तियां

(रुपये करोड़ में)

	स्थिर परिसंपत्तियां	फुट नोट	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास				क्षति	निवल ब्लॉक	
			01.04.2015 को	जमा	बिक्री/ समायोजन	31-3-2016 को	31-3-2015 तक	वर्ष के लिए	बिक्री/ समायोजन	31-3-2016 तक	31.03.2016 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
क	**मूर्त परिसंपत्तियां**												
	स्वामित्व भूमि		2.30	-	-	2.30	-	-	-	-	-	2.30	2.30
	पट्टे की भूमि	(v)	36.39	-	-	36.39	0.19	0.01	-	0.20	-	36.19	36.20
	पट्टे के भवन	(iv)	42.44	0.48	-	42.92	6.56	0.88	-	7.44	-	35.48	35.88
	पूर्णस्वामित्व भवन/फ्लैट आवासीय	(i)	8.73	-	-	8.73	2.09	2.45	-	5.14	-	3.59	6.04
	पूर्णस्वामित्व भवन/फ्लैट गैर आवासीय		7.12	0.12	-	7.24	1.14	1.51	-	2.65	-	4.59	5.98
	संयंत्र और मशीनरी	(i & ii)	351.87	2.06	(1.17)	352.76	284.21	19.39	(0.76)	302.84	0.87	49.05	66.79
	सर्वेक्षण संयंत्र		3.34	0.82	(0.33)	3.83	3.10	0.07	(0.33)	2.84	-	0.99	0.24
	कम्प्यूटर		8.40	0.75	(0.56)	8.59	7.62	0.47	(0.55)	7.54	-	1.05	0.78
	मोबाईल हैंडसेट		0.21	0.03	(0.07)	0.17	0.18	0.01	(0.07)	0.12	-	0.05	0.03
	कार्यालय उपस्कर		6.98	0.92	(1.37)	6.53	6.04	0.34	(1.32)	5.06	-	1.47	0.94
	फर्नीचर, जुडनार और फर्निशिंग		7.99	0.58	(0.54)	8.03	7.28	0.24	(0.54)	6.98	-	1.05	0.71
	कैरबन, कैम्प और उपस्थायी शैड		4.70	6.10	(0.41)	10.39	4.59	0.55	(0.40)	4.74	-	5.65	0.11
	वाहन	(i)	13.94	-	(1.78)	12.16	12.70	0.17	(1.70)	11.17	-	0.99	1.24
	चालू वर्ष का जोड़		**494.41**	**11.86**	**(6.23)**	**500.04**	**336.30**	**26.09**	**(5.67)**	**356.72**	**0.87**	**142.45**	**157.24**
	पिछले वर्ष के आंकड़े		490.83	17.70	(14.12)	494.41	337.74	8.95	(10.39)	336.30	0.87	157.24	153.09
ख	**अमूर्त परिसंपत्तियां**												
	सॉफ्टवेयर		1.98	0.11	-	2.09	1.95	0.04	-	1.99		0.10	0.03
	चालू वर्ष का जोड़		**1.98**	**0.11**	**-**	**2.09**	**1.95**	**0.04**	**-**	**1.99**	**-**	**0.10**	**0.03**
	पिछले वर्ष के आंकड़े		1.76	0.22	-	1.98	1.75	0.20	-	1.95	-	0.03	0.01
	चालू वर्ष का सकल योग		**496.39**	**11.97**	**(6.23)**	**502.13**	**338.25**	**26.13**	**(5.67)**	**358.71**	**0.87**	**142.55**	**157.27**
	पिछले वर्ष के आंकड़े		492.59	17.92	(14.12)	496.39	339.49	9.15	(10.39)	338.25	0.87	157.27	153.10

फुट नोट:

i) नियत परिसंपत्तियां जिनकी मरम्मत संभव नहीं है और निपटान के लिए रखी गई हैं उन्हें बिक्री/समायोजन कॉलम में शामिल किया गया है और निवल बही मूल्य पर अन्य चालू परिसंपत्तियों में हस्तांतरित किया गया है:

(रुपये करोड़ में)

परिसंपतियों का ब्लॉक	मार्च 2016 को		मार्च 2015 को	
	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक
फ्रिहोल्ड भवन - आवासीय	-	-	0.38	0.28
कुल	**-**	**-**	**0.38**	**0.28**

ii) दिनांक 31.12.2015 तक अल्पकालीन प्रचालन पट्टे तथा स्टैंडबाय पर उपलब्ध कराए गए इंजनों सहित(नोट 36-II का संदर्भ लें)

iii) लाभ और हानि विवरण के नामे किए गए वर्ष के दौरान मूल्यहास, परिशोधन तथा क्षति निम्नानुसार हैः

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तिया पर मूल्यास	**26.13**	9.15
परिशोधन हानि	-	0.87
निवेश संपत्तिया पर हानि	**0.05**	0.04
कुल	**26.18**	**10.06**

iv) इसमें 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि(सकल मूल्य 5.30 करोड़ रु) शामिल है जिसके लिए करार को अंतिम रुप दिया जाना है।

v) कंपन द्वारा केन्द्रीय निरीक्षण सेल के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि सहित लीज होल्ड भूमि (सकल मूल्य 0.82 कराड़ रुपए)। भवन के निर्माण के लिए समय विस्तार हेतु उपयुक्त प्राधिकरण को अनुरोध कर दिया गया है।

vi) वर्ष क दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ।। के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर परिसंपत्तियों में महत्वपूर्ण भागों के लिए भिन्न जीवनकाल को स्वीकार करके मूल्यह्रास परिवर्तन से संबंधित लेखांकन नीति को परिवर्तित किया है। इस परिवर्तन क कारण वर्ष के लिए मूल्यह्रास 16.01 करोड़ रुपए अधिक हो गया है और कर पूर्व लाभ 16.01 करोड़ रुपए तक कम हो गया है।

vii) वर्ष के दौरान, कंपनी ने लेखांकन नीतियों के अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अमूर्त परिसंपत्तियों के परिशोधन के लिए अपनी नीति में परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन के कारण वर्ष के लिए मूल्यह्रास 0.10 करोड़ रुपए कम हो गया है और कर पूर्व लाभ 0.01 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है।

10. प्रगतिरत अमूर्त परिसंपत्तियां

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2016 को	31मार्च 2015 को
एसएपी का क्रियान्वयन		
आरंभिक शेष	**1.01**	1.01
कुल	**1.01**	**1.01**

11. पूंजीगत चालू कार्य*

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2016 को		31मार्च 2015 को	
आरंभिक शेष		**5.20**		-
वर्ष के दौरान जमाः				
- कार्यशील व्यय	**7.54**		0.43	
- परामर्श प्रभार	**0.42**		0.31	
- वेतन एवं पारिश्रमिक	**0.01**			
- दरें व कर	**0.19**		4.40	
- वाहन प्रचालन एवं अनुरक्षण	**0.04**		0.04	
- उर्जा, बिजली और जल प्रभार	**-**		0.01	
- विज्ञापन एवं प्रचार	**0.02**		0.01	
- विविध प्रचालनिक व्यय	**0.85**		-	
		9.07		5.20
घटा :-				
वर्ष के दौरान पूंजीकरण		**0.12**		
कुल		**14.15**		**5.20**

***प्रगतिरत पूंजीगत कार्य का ब्यौरा**		
1. सीसीएम, गुडगांव में कार्यालय भवन	12.20	4.82
2. वाणिज्यिक परिसर, नोएडा सेक्टर - 01	0.04	-
3. वाणिज्यिक परिसर, नोएडा सेक्टर - 48	0.07	-
4. वाणिज्यिक परिसर, नोएडा सेक्टर - 125	0.03	-
5. रिटेल मॉल, नोएडा सेक्टर - 43	0.31	-
6. सीआईसी नोएडा में अग्निशमन एवं सिविल निर्माण कार्य	-	0.12
7. शिवपुरी गूना में केंप और कारवांन	0.84	-
8. कोलकाता में कार्यालय भवन	0.66	0.26
	14.15	5.20

12. गैर-चालू निवेश

(रुपये करोड़ में)

	विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को		
			संख्या	राशि (करोड़ में)		संख्या	राशि (करोड़ में)	
क	**निवेश संपत्ति**							
	पुराने एयरपोर्ट रोड, बैंगलोर में एसआरओ भवन			**3.04**			3.04	
	घटाः - निवेश संपत्ति पर संचित मूल्यह्रास			**0.09**	**2.95**		0.04	3.00
	नोएडा में लीजहोल्ड भूमि				**260.36**			260.36
	कुल (क)				**263.31**			**263.36**
ख	**अन्य निवेश (लागत पर)**							
	कोट नहीं किए गए							
	पूर्णत् प्रदत्त इक्विटी शेयरों में निवेश							
	सहायक कंपनियों में							
	इरकॉन इफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड							
	प्रत्येक 10 रुपए के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर		**65,000,000**		**65.00**	65,000,000		65.00
	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम - प्रत्येक 10 रुपए के 2,04,00,000 इक्विटी शेयर		**20,400,000**		**20.40**	20,400,000		20.40
	इरकॉन पीबी टोलवे लि. - प्रत्येक 10 रुपए के 9,00,00,000 इक्विटी शेयर		**90,000,000**		**90.00**	90,000,000		90.00
	इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे के प्रति 10 रुपए के 3,30,00,000 इक्विटी शेयर।		**33,000,000**		**33.00**	-		-
	इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे के प्रति 10 रुपए के 3,70,00,000 इक्विटी शेयरों के लिए शेयर आवेदन राशि आवंटन के लिए लंबित है।		**37,000,000**		**37.00**	-		-
	निगमित संयुक्त उपक्रम/उपक्रमों में	(ii)						
	सीसीएफबी, मोजांबिक							
	मैटीशिकल्स 24000 प्रत्येक के पूर्णत प्रदत्त 1,250,000 इक्विटी शेयर (44.27 रुपए के समतुल्य)			-		12,50,000	5.53	
	घटाः निवेश की हानि के लिए प्रावधान			-	-		5.53	-
	इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा.लि. (आईएसटीपीएल)							
	10 रू. प्रत्येके के पूर्णत प्रदत्त 6,38,70,000 इक्विटी शेयर	(i a & b)	**6,38,70,000**		**63.87**	6,38,70,000		63.87
	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के प्रति 10 रुपए के 13000 इक्विटी शेयर		**13,000**		**0.01**	-		-
	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे स्टेशन							
	प्रत्येक 10 रुपए क प्रर्णत प्रदत्त 40,170,000 इक्विटी शेयर		**40,170,000**		**40.17**	1,170,000		1.17
	छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड							
	प्रत्येक 10 रुपए क प्रर्णत प्रदत्त 11,70,000 इक्विटी शेयर		**1,170,000**		**1.17**	**1,170,000**		**1.17**
	कुल (ख)				**350.62**			**241.61**
ग	**अन्य निवेश (लागत पर)**							
	कोट किए गए							
	बांडों में निवेश							
	8.00% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के 1,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड		**163,131**		**16.31**	163131		16.31

	विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को		
			संख्या	राशि (करोड़ में)		संख्या	राशि (करोड़ में)	
	7.21% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के 10,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड		**500**	**49.96**		500	49.96	
	घटा : प्रमियम का परिशोधन			**0.01**	**49.95**		-	49.96
	8.23% भारतीय रेलवे वित्त कम्पनी लि. के 1,00,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड		**500,000**		**50.00**	500,000		50.00
	8.35% भारतीय रेलवे वित्त कम्पनी लि. के 1,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड		**500**	**49.91**		500	49.92	
	घटा : प्रीमियम का परिशोधन			**-**	**49.91**		0.01	49.91
	7.15% भारतीय रेलवे वित्त कम्पनी लि. के 10,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड		**250**		**24.98**	-		-
	7.07% के भारतीय रेलवे वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआरएफसी) के प्रति 1000 रुपए के कर मुक्त बांड		**302,000**		**30.20**	-		-
	7.14% के एनएचएआई के कर मुक्त प्रति 1000 रुपए के बांड		**199,989**		**20.00**	-		-
					-			-
	7.02% के एनएचएआई के कर मुक्त प्रति 10,00,000 रुपए के बांड		**500**		**50.01**	-		-
	कुल (ग)				**291.36**			166.18
	कुल				**905.29**			**671.15**

कोट किए/बिना कोट किए निवेशों का प्रकटन:-		रुपए करोड़ में	रुपए करोड़ में
कोट नहीं किए गए निवेश का पूर्ण योग	- खाता मूल्य	350.62	241.61
कोट किए गए निवेश का पूर्ण योग	- खाता मूल्य	291.36	166.18
	- बाजार मूल्य	292.98	175.61

फुट नोट:

i) (क) आईएसटीपीएल द्वारा लिए गए ऋण के प्रति 6,38,70,000 इक्विटी शेयरों में से, 30% शेयर (1,91,61,000 शेयर) पंजाब नेशनल बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं, 31.03.2016 को बकाया देय राशि 227.16 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान होल्डिंग (गिरवी रखे गए 30 प्रतिशत की शेयरधारिता के अतिरिक्त) के इसके 21% (1,34,12,700 शेयर) को जमा न किए जाने के कारण कंपनी ने पंजान नेशनल बैंक को एक वचन भी दिया है।

(ख) आई एस टी पी एल के संगम अनुच्छेद (अनुच्छेद-5) के अनुसार एन एच ए आर्द के साथ दिनांक 28 सितंबर 2005 को हस्ताक्षरित करार, जिसमें निर्माण अवधि अवधि तथा उसके पश्चात् सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि) आई एस टी पी एल में कसोर्टियम सदस्यों द्वारा 51% से अधिक इक्विटी हमारी होनी चाहिए, के मद्देनजर शेयरधारक तीन वर्ष के पश्चात् ही अपने शेयर हस्तांतरित कर पाएंगे और वाणिज्यिक प्रचालन 19.04.2010 को आरम्भ हुआ था । उपर्युक्त शेयर धारकों के प्रीएम्पशन-अधिकार के मद्देनजर तत्पश्चात् उपर्युक्त शेयरधारिता को 26% तक कम किया जा सकता है।

ii) रिपोर्टिंग तिथि को 37.00 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर आवंटन के लिए लंबित थे, जिन्हें बाद में दिनांक 06.05.2016 को आवंटित किया गया था।

13. आस्थगित कर परिसम्पतियां (निवल)

(रुपये करोड़ में)

विवरण	01-04-2015 को	वर्ष के दौरान योग (लोप)	31 मार्च 2016 को
	कुल	कुल	कुल
परिसंपत्ति			
प्रावधान :			
- अनुरक्षण और विसंग्रहण	50.22	(11.18)	**39.04**
- भावी हानियां	4.35	3.32	**7.67**
- संदिग्ध ऋणों व अग्रिम	41.58	(9.34)	**32.24**
- उपदान	22.95	(22.95)	**-**
- छुट्टी यात्रा रियायत	0.04	0.04	**0.08**
- विधिक मामले	24.93	2.33	**27.26**
- अभिकल्प गारंटी	54.71	(18.04)	**36.67**
- अन्य व्यय	19.04	14.32	**33.36**
व्यय			
- कर प्रयोजन के लिए अनुमति, जब प्रदत्त हो	47.06	(12.14)	**34.92**
- मूल्यह्रास	9.43	1.35	**10.78**
	274.31	(52.29)	**222.02**
देयता	-	-	**-**
	-	-	**-**
निवल आस्थगित कर संपत्ति (देयता)	**274.31**	**(52.29)**	**222.02**
पिछले वर्ष	301.37	(27.06)	**274.31**

आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयता को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक -22 (आय पर कर के लिए लेखांकन) के अनुसार बहियों में प्रविष्ट किया गया है।

14. दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम

(रुपये करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
क. रक्षित वसूली योग्य					
कर्मचारी ऋण और अग्रिम		**1.48**		1.60	
सामग्री और मशीनरी के लिए ठेकेदारों को अग्रिम		**28.07**	**29.55**	25.29	26.89
ख. अरक्षित वसूली योग्य					
संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिमः					
संयुक्त उपक्रम	(i)				
- कंपैनिया डोस कमीनोस डी फेरो डा बेरा सर्ल (नोट 33 का संदर्भ लें)		**-**		70.48	
- छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेल लिमिटेड		**19.50**		-	
- छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लिमिटेड		**39.00**		30.00	
सहायक कंपनियां	(i)				

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को		
-इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड			**25.21**	**83.71**		31.50	131.98
अन्य ऋण एवं अग्रिम							
प्रतिभूति जमा							
- सरकारी विभाग			**0.50**			0.32	
- अन्य			**0.44**	**0.94**		0.51	0.83
कर प्राधिकारी:							
- आयकर विभाग में जमा							
अग्रिम कर/टीडीएस		**690.31**			544.64		
घटा:कर के लिए प्रावधान		**(664.14)**	**26.17**		(524.57)	20.07	
- आयकर विभाग में जमा			**210.85**	**237.02**		253.77	273.84
मोजांबीक सरकार से वसूली योग्य			**32.25**			-	
कर्मचारी ऋण और अग्रिम			**0.54**			0.73	
सरकारी विभागों में जमा			**0.02**			0.10	
ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम			**199.87**			205.41	
पूर्व भुगतान व्यय			**1.33**			0.03	
अन्य			**0.86**	**234.87**		0.97	207.24
ग. वसूलीयोग्य संदिग्ध							
संबंधित पक्षों को ऋण							
संयुक्त उद्यम							
- कंपैनिया डोस कमीनोस डी फेरो डा बेरा सर्ल (नोट 33 का संदर्भ लें)			**-**			25.46	
ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम			**-**			8.71	
			-			34.17	
घटा :- संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			**-**	**-**		34.17	-
कुल				**586.09**			**640.78**

फुट नोट

(i) ऋण पर ब्याज तत्व है और यह पूंजीगत व्यय /मध्यस्थता व्यया के लिए है तथा इनके पुनर्भुगतान की अवधि 2 से 10 वर्ष है।

(ii) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य रुपए(शून्य रुपए) है।

15. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
क. दीर्घकालीन व्यापार प्राप्य				
अरक्षित वसूली योग्य				
- ग्राहक के पास प्रतिधारण राशि	**0.37**		27.48	
- ग्राहक के पास फसी राशियां	**2.44**	**2.81**	22.62	50.10
ख. अन्य				
i) रक्षित वसूली योग्य				
पर अर्जित ब्याज :				
- स्टाफ को अग्रिम		**0.87**		0.85
ii) अरक्षित वसूली योग्य				
"12 माह से अधिक के लिए सावधि जमा		**0.41**		0.41
{(फुट नोट (i) का संदर्भ लें }"				
पर अर्जित ब्याज :				
- स्टाफ को अग्रिम	**0.25**		0.32	
-ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं व अन्य को अग्रिम	**20.77**		14.50	
संयुक्त उपक्रम				
- छत्तीसगढ पूर्वी रेल लिमिटेड	**5.03**		0.60	
- छत्तीसगड पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड	**0.39**	**26.44**		15.42
iii) संदिग्ध समझे गए				
पर अर्जित ब्याज :				
संयुक्त उद्यम				
- कंपैनिया डोस कमीनोस डी फेरो डा बेरा सर्ल (नोट 33 का संदर्भ लें)	-		0.19	
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं व अन्यों को अग्रिम	-		0.40	
	-		0.59	
घटा :- संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-	0.59	-
कुल		**30.53**		**66.78**

फुट नोट:

(i) 0.41 करोड़ रुपए (0.41 करोड़ रुपए) के लिए एफडीआर सहित।

(ii) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य रुपए (शून्य रुपए) है।

16. चालू निवेश

	विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
		संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
क	**गैर व्यापार निवेश**				
	कोट किया गया				
	म्यूचुवल फंड में निवेश				
	यूटीआई म्यूचुवल फंड, दैनिक लाभांश योजना	**36,454**	**3.72**	106,836	10.89
	एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड-दैनिक डिविडेंड योजना	**1,283,478**	**128.27**	300,718	30.17

	विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
		संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
	एसबीआई डेट फंड सीरीज - ए- 14	-	**131.99**	25,000,000	25.00 66.06
ख	**व्यापार निवेश (लागत पर)**				
	कोट न किया गया				
	निगमित संयुक्त उपक्रम/उपक्रमों में				
	सीसीएफबी, मोजांबीक (i)				
	मेटिकल्स 24000 के पूर्णत् प्रदत्त 12,50,000 इक्विटी शेयर(44.27 रुपए के समतुल्य)	**12,50,000**	**5.53**	-	-
	कुल		**137.52**		**66.06**

कोट किए गए निवेश के प्रति प्रकटन	**रु. करोड़ में**	**रु. करोड़ में**
कोट किए गए निवेश का सकल - बुक मूल्य	131.99	66.06
- बाजार मूल्य	132.48	68.39

17. दरसूची

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
क. सामग्री एंव भंडारः				
- हाथ में	**87.98**		32.49	
- तृतीय पक्षों के पास	**1.78**		25.81	
- मार्गस्थ	**-**		0.11	
		89.76		58.41
ख. लागत पर प्रगतिरत निर्माणाधीन कार्य		**50.87**		55.88
कुल		**140.63**		**114.29**

18. व्यापार प्राप्य

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
अनारक्षित :				
देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के बकाया ऋण				
- वसूली योग्य (ii)	**39.27**		67.90	
- संदिग्ध समझे गए और प्रवधान किया गया	**16.08**	**55.35**	16.24	84.14
देय तिथि से छह महीने से कम की अवधि के बकाया ऋण				
व्यापार प्राप्य				
- वसूली योग्य (ii)	**485.88**		395.37	
- संदिग्ध समझे गए और प्रवधान किया गया	**-**	**485.88**	-	395.37
- ग्राहकोंके पास प्रतिधारण राशि				
- वसूली योग्य	**56.69**		60.09	
- संदिग्ध समझे गए और प्रवधान किया गया	**8.07**	**64.76**	9.89	69.98
- ग्राहक द्वारा रोकी गई राशि				
- वसूली योग्य	**118.82**		48.14	
- संदिग्ध समझे गए और प्रवधान किया गया	**5.99**	**124.81**	4.50	52.64
		730.80		602.13
घटाएँ, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		**30.14**		30.63
कुल		**700.66**		**571.50**

फुट नोट:

(i) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य रुपए (शून्य रुपए) है।

(ii) सहायक कपनियों से देय राशिया सहित

(रुपये करोड़ में)

विवरण	वर्ष के अंत में शेष	
	31.03.2016	**31.03.2015**
i) भुगतान के लिए दय तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया राशि	**-**	-
ii) अन्य व्यापार प्राप्य		
इरकॉन आईएसएल	**0.03**	0.96
इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड	**18.78**	-
छत्तीसगढ पूर्वी रेलवे लिमिटेड	**65.87**	4.43
छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड	**3.88**	0.41
कुल	**88.56**	**5.80**

19. रोकड़ और बैंक शेष

(रुपये करोड़ में)

	विवरण	फुट नोट	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
	रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य					
क)	हाथ रोकड़	(i)		**0.23**		0.21
ख)	हाथ में चैक/ड्राफ्ट			**4.96**		0.17
ग)	**बैंकों में शेष**					
	चालू खातों में		**54.85**		123.95	
	फ्लैक्सी खातों में	(ii)	**201.87**		171.36	
	सावधि जमा खातों में(तीन महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाले)	(ii)	**2,195.14**	**2,451.86**	893.36	1188.67
	अन्य बैंकों में शेष					
	सावधि जमा खातों में (तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीनों से कम की परिपक्वता अवधि वाले)	(ii)		**2,077.68**		2013.78
	कुल			**4,534.73**		**3,202.83**

फुट नोट :

i) रोकड़ इंप्रेस्त सहित हस्थ रोकड़ 0.01 करोड़ रुपए (0.01 करोड़ रुपए)

ii) ग्राहक निधि सहित जिस पर ब्याज उन्हें प्रदान किया गया है:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	वर्ष के अंत में शेष	
	31.03.2016	**31.03.2015**
सावधि जमा खाते में	**166.19**	100.44
सावधि जमा खाते में (3 महीनों से कम की परिपक्वता अवधि सहित)	**1,275.18**	624.86
सावधि जमा खाते में (3 महीनों से अधिक किन्तु 12 महीनों तक की परिपक्वता अवधि सहित)	**56.18**	54.82
कुल	**1,497.55**	**780.12**

20. अल्पकालीन ऋण और अग्रिम

(रुपये करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को		
क. रक्षित वसूली योग्य							
स्टाफ के लिए अग्रिम			**0.60**			0.62	
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकदारों को अग्रिम			**21.95**	**22.55**		9.15	9.77
ख. अरक्षित, वसूली योग्य							
संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम							
ऋण							
संयुक्त उद्यम (नोट 39 का संदर्भ लें)	(i)						
- इरकॉन-एफकॉन जेवी			**-**			18.11	
सहायक कपनिय							
- इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि.			**2.29**			-	
अन्य वसूलीयोग्य							
संयुक्त उद्यम (नोट 39 का संदर्भ लें)	(ii)		**34.27**			29.84	
सहायक कंपनियां (नोट 39 का संदर्भ लें)	(iii)		**2.79**	**39.35**		2.53	50.48
अन्य ऋण एवं अग्रिम							
प्रतिभूति जमा							
- सरकारी विभाग			**11.82**			6.22	
- अन्य			**1.36**	**13.18**		1.30	7.52
कर प्राधिकारी							
- बिक्री कर (टीडीएस सहित)		**221.88**			200.98		
घटा :- प्रोटेस्ट के अंतर्गत जमा		**(203.45)**	**18.43**		(184.31)	16.67	
- मूल्य संवर्धन कर			**143.57**			114.26	
- सेवाकर इनपुट ऋण			**0.21**	**162.21**		0.02	130.95
मोजांबीक सरकार से वसूली योग्य			**49.71**			-	
स्टाफ ऋण एवं अग्रिम			**1.17**			1.78	
ठेकदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम			**156.80**			125.94	
बयाना राशि			**0.35**			0.41	
पूर्वप्रदत्त व्यय			**3.86**			3.54	
अन्य			**13.99**	**225.88**		12.48	144.15
ग. संदिग्ध समझे गए							
स्टाफ ऋण व अग्रिम			**0.01**			-	
ठेकदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम			**9.73**			9.87	
सरकारी विभागों से जमा			**1.73**			2.38	
बिक्री कर (टीडीएस सहित)			**34.97**			35.31	
मूल्य संवर्धन कर			**7.18**			7.18	
अन्य			**9.39**			0.01	
			63.01			54.75	
घटा:- संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			**63.01**	**-**		54.75	-
कुल				**463.17**			**342.87**

फुट नोट:

(i) ऋण ब्याज धारित है और यह कार्यशील पूंजीगत अपेक्षाओं के लिए है।

(ii) संयुक्त उपक्रमों से वसूली योग्य राशि सहितः -

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
(क) सीसीएफबी	-	0.79
(ख) रिकॉन	9.93	9.67
(ग) इरकॉन एफकॉन जेवी	7.76	2.44
(घ) आईएमसीसी	2.83	3.53
(ड.) एमटीजी	5.64	5.42
(च) आईएसटीपीएल	7.22	7.15
(छ) रीकॉन - सीटा सर्ल	0.89	0.84
कुल	**34.27**	**29.84**

(iii) सहायक कंपनियों से वसूली योग्य राशि सहितः -

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
(क) इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड	0.26	-
(ख) इरकॉन आईएसएल	1.96	2.26
(ग) आईआरएसडीसी	0.36	0.27
(घ) इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	0.21	-
कुल	**2.79**	**2.53**

(iv) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य रुपए (शून्य रुपए) है।

(v) निदेशकों से देय राशियों का विवरण

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
स्टाफ ऋणों व अग्रिमों सहित निदेशकों से देय राशि	-	-
कुल	-	-

21. अन्य चालू परिसम्पतियाँ

(रुपये करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
क) निम्न पर प्रोदभूत ब्याज:			
कार्मिकों को ऋण और अग्रिम(रक्षित)		**0.13**	0.12
बांड		**12.65**	14.21
स्टाफ ऋण और अग्रिम (अरक्षित)		**0.14**	0.12
त्रण हेतु			
- भारतीय रेल कल्याण संगठन को ऋण		**-**	0.20
- इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड		**0.20**	5.04
- छत्तीसगढ पूर्वी रेलवे लिमिटेड		**-**	-
- इरकॉन एफकॉन जेवी		**-**	0.25
निम्न पर जमा व अग्रिम :			
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता एवं अन्य		**29.01**	17.44
- बैंकों में जमा राशि		**89.16**	80.23
ख) प्रगतिरत ठेका कार्य (वसूलनीय मूल्य पर)		**28.62**	109.93
ग) बिल योग्य राजस्व/वसूलीयोग्य जो देय नहीं हैं	(i)	**281.20**	405.32
घ) निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्ति	(ii)	**1.46**	1.73
कुल		**442.57**	**634.59**

फुट नोट

(i) (क) ग्राहक द्वारा प्रमाणित **12.49 करोड़ रुपए** (196.08 करोड़ रुपए) मूल्य के कार्य सहित किंतु रिपोर्टिंग तिथि को बिल तैयार नहा किया गया है।

(ख) छत्तीसगढ पूर्वी रेलवे लिमिटेड से **6.95 करोड़ रुपए** (12.22 करोड़ रुपए) सहित ।

(ग) छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड से **25.47 करोड़ रुपए** (36.76 कराडड़ रुपए) सहित ।

(ii) मितव्ययी रुप से मरम्मत न किए जा सकने वाली तथा निपटान के लिए अलग रखी गई नियत परिसंपत्तियां (वसूलीयोग्य मूल्य तथा बुक मूल्य से कम)

(रुपये करोड़ में)

परिसंपत्तियों का ब्लाक	31 मार्च 2016		31 मार्च 2015 को	
	सकल ब्लाक	निवल ब्लाक	सकल ब्लाक	निवल ब्लाक
संयंत्र एवं मशीनरी	**12.40**	**1.18**	17.16	1.45
फीहोल्ड भवन - आवासीय	**0.38**	**0.28**	0.38	0.28
कुल	**12.78**	**1.46**	**17.54**	**1.73**

(iii) समूह , फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य(शून्य) है।

निदेशकों से देय राशियों का ब्यौराः (रुपये करोड़ में)

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
कर्मचारी ऋण व अग्रिम पर संचित ब्याज सहित निदेशकों से देय राशि	-	-
कुल	**-**	**-**

22. प्रचालन से राजस्व

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु
ठेका राजस्व	**2,243.26**	2,809.67
एकीकृत संयुक्त उपक्रम में टर्नओवर में कपनी का भाग	**103.93**	88.62
लोको पट्टा	**34.19**	42.77
मशीन किराया प्रभार	**7.90**	1.31
अन्य प्रचालनिक प्राप्तियां	**15.50**	17.09
पूर्व अवधि संविदा राजस्व (नोट 28 का संदर्भ लें)	**(1.76)**	(9.24)
कुल	**2,403.02**	**2,950.22**

23. अन्य आय

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	
कर मुक्त बांड पर ब्याज		**15.63**		16.02
बैंक ब्याज - सकल	**235.26**		214.13	
घटाः ग्राहकों को पारित किए जाने वाला ब्याज	**60.83**	**174.43**	36.23	177.90
वापस आए आयकर पर ब्याज		**2.67**		3.40
कर्मचारी अग्रिम पर ब्याज		**0.27**		0.33
संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज				
- सीसीएफबी	**25.26**		-	
- इरकॉन आईएसएल	**3.91**		5.61	
- सीईआरएल	**4.92**		0.67	
- सीईडब्ल्यूआरएल	**0.43**		-	
- इरकॉन एफकॉन जेवी	**0.78**	**35.30**	0.27	6.55
अन्य अग्रिमों पर ब्याज		**2.76**		6.80
सावधि परिपक्वता योजना में निवेश		**0.06**		6.81
विनिमय उच्चावचन लाभ	**123.26**		43.33	
घटा : विनिमय उच्चावचन हानि	**34.65**	**88.61**	23.43	19.90
लाभांश आय		**5.05**		3.21
परिसंपतितयों की बिक्री से लाभ		**0.90**		2.02
विविध		**21.64**		14.47
ऋण और इक्विटी के लिए पश्चिलेखन का प्रावधान - सीसीएफबी(नोट 27 का संदर्भ लें)		**31.18**		-
पूर्व अवधि अन्य आय (नोट 28 का संदर्भ लें)		**19.20**		0.34
कुल		**397.70**		**257.75**

24. प्रचालनिक व्यय तथा प्रशासनिक व्यय

(रुपये करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	प्रचालनिक व्यय		प्रशासनिक व्यय	
		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रयुक्त सामग्री और भंडारण					
आरंभिक शेष		58.30	35.49	-	-
जमाः वर्ष के दौरान खरीद		367.52	196.47	-	-
		425.82	231.96	-	-
घटाः अंतिम शेष		89.76 336.06	58.30 173.66	-	-
कार्यगत व्यय		1,479.91	1,783.69	-	-
डब्ल्यूआईपी में (वृद्धि) / कमी		5.01	27.09	-	-
अभिकल्प, आरेखण व्यवसाय विकास व परामर्श प्रभार		31.96	24.44	-	-
निरीक्षण,भू तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि		5.12	1.87	-	-
मशीनरी की मरम्मत तथा अनुरक्षण		13.77	26.50	-	-
मशीनरी का किराया प्रभार		10.08	12.88	-	-
किराया-गैर आवासीय (नोट 37 (I)ख का संदर्भ लें)		4.75	3.80	0.13	0.23
दर एवं कर		21.41	12.49	0.57	2.02
वाहन प्रचालन व अनुरक्षण		8.89	9.70	1.01	0.91
मरम्मत और रखरखाव					
- भवन		0.12	0.14	0.56	0.42
- कार्यालय तथा अन्य		2.47	3.47	2.71	2.81
बिजली, विद्युत व जल प्रसार		2.55	3.71	1.61	1.55
बीमा		5.09	5.76	0.03	0.14
यात्रा और वाहन		8.50	8.30	1.82	2.29
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		1.27	1.59	0.41	0.55
डाक टिकट, टेलीफोन, टेलेक्स		1.72	2.33	0.51	0.45
विधिक और व्यावसायिक प्रसार		4.32	3.39	2.95	2.33
सुरक्षा सेवाएं		3.96	4.32	0.24	0.14
व्यवसाय संर्वधन		0.84	0.98	0.20	0.16
बट्टा खाताः					
- अशोध्य ऋण		0.33	2.37	-	-
-अशोध्य अग्रिम		0.59	0.97	-	-
-परिसंपत्तियां		0.02	-	-	-
परिसंपत्ति/ भंडार की बिक्री से हानि		-	-	0.02	3.43
निवेश पर प्रदत प्रीमियम का परिशोधन		-	-	0.01	0.01
निदेशकों की फीस		-	-	-	0.02
चंदा		-	-	0.01	0.05
लेखापरीक्षकों की फीस	(i)	-	-	0.53	0.42
विज्ञापन और प्रसार		-	-	3.63	3.19
प्रशिक्षण और भर्ती		-	-	0.53	0.60
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट 46 का संदर्भ लें)		-	-	6.15	6.72
विवित व्यय		3.38	8.73	1.00	1.44
पूर्व अवधि व्यय (नोट 28 का संदर्भ लें)		(3.55)	0.27	0.45	0.72
प्रावधान (जमा - पश्चलिखित) (नोट 27 का संदर्भ लें)		32.32	(26.44)	-	-
प्रावधान / उपयोग की गई (नोट 27 का संदर्भ लें)		(86.66)	(56.51)	-	-
कुल		**1,894.23**	**2,039.50**	**25.08**	**30.60**

फुट नोट:

(रुपये करोड़ में)

(i)	सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी	2015-16	2014-15
	(i)लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	**0.31**	0.20
	(ii)कर लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	**0.09**	0.07
	(iii) प्रमाणीकरण फीस	**0.04**	0.03
	(iv) यात्रा और तुरन्त देय व्यय		
	- स्थानीय	**0.08**	0.09
	- विदेशी	**0.01**	0.03
	कुल	**0.53**	0.42

25. कर्मचारी लाभांश व्यय

(रुपये करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु		
		प्रचालनिक	प्रशासनिक	कुल	प्रचालनिक	प्रशासनिक	कुल
वेतन, पारिश्रमिक तथा बोनस (नोट 37(i)(क) का संदर्भ लें)	(i)	**105.60**	**34.76**	**140.36**	115.37	38.35	153.72
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में प्रावधान		**6.63**	**3.51**	**10.14**	6.59	3.32	9.91
विदेश सेवा अंशदान		**0.40**	**0.20**	**0.60**	0.47	0.30	0.77
सेवानिवृत्ति लाभ		**12.73**	**8.60**	**21.33**	11.61	10.08	21.69
कर्मचारी कल्याण		**1.39**	**0.48**	**1.87**	1.80	0.47	2.27
कुल		**126.75**	**47.55**	**174.30**	**135.84**	**52.52**	**188.36**

फुट नोट:

गैर-मौद्रिक पर्क पर आयकर शामिल है 0.33 करोड़ रुपए (0.33 करोड़ रुपए)

26. वित्तीय लागत

(रुपये करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज व्यय	(i)	**7.75**	-
अन्य ऋण लागत			
- बैंक गारंटी व अन्य बैंक प्रभार		**8.77**	8.93
कुल		**16.52**	**8.93**

फुट नोट:

(i) (क) **7.50 करोड़ रुपए** (शून्य रुपए) के आयकर पर ब्याज शामिल है ।
(ख) इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड से मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज सहित - **0.19 करोड़ रुपए** (शून्य रुपए)।
(ग) सेवाकर पर ब्याज सहित - **0.06 करोड़ रुपए** (शून्य रुपए)।

27. प्रावधान (निवल)

(रुपये करोड़ में)

विवरण	1-4-2015 को शेष			2015-16 के दौरान					31-3-2016 को शेष			
	दीर्घकालीन	अल्पकालीन	कुल	अतिरेक	बट्टा खाता	उपयोग	विनिमय लाभ	विनिमय हानि	कुल	दीर्घकालीन	अल्पकालीन	कुल
प्रावधान:												
क कर्मचारी संबंधित												
(i) सेवानिवृत्ति से लाभ												
उपदान	61.79	4.52	66.31	2.22	-	68.53	-	-	**-**	-	-	**-**
छुट्टी वेतन के लिए	75.85	6.95	82.80	7.66	0.30	7.18	0.01	0.08	**83.05**	73.15	9.90	**83.05**
सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान	1.20	0.08	1.28	0.09	-	0.03	-	-	**1.34**	1.21	0.13	**1.34**
सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ	1.36	5.97	7.33	2.84	-	5.97	-	-	**4.20**	0.82	3.38	**4.20**
पेंशन	-	26.18	26.18	3.37	1.57	27.98	-	-	**0.00**	-	-	**0.00**
सेवानिवृत्ति लाभों का योग (i)	140.20	43.70	183.90	16.18	1.87	109.69	0.01	0.08	88.59	75.18	13.41	**88.59**
(ii) अन्य												
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	-	18.82	18.82	5.69	4.25	7.95	-	-	**12.31**	-	12.31	**12.31**
छुट्टी यात्रा रियायत	0.12	0.01	0.13	0.31	-	0.21	-	-	**0.23**	0.20	0.03	**0.23**
अन्य लाभों का योग (ii)	0.12	18.83	18.95	6.00	4.25	8.16	-	-	12.54	0.20	12.34	**12.54**
कुल कर्मचारी संबंधी प्रावधान (i+ii)	**140.32**	**62.53**	**202.85**	**22.18**	**6.12**	**117.85**	**0.01**	**0.08**	**101.13**	**75.38**	**25.75**	**101.13**
ख अन्य												
विसंग्रहण	7.89	40.59	48.48	3.32	17.49	8.58	2.11	0.04	**23.66**	0.54	23.12	**23.66**
अनुरक्षण	96.87	37.01	133.88	33.74	23.54	52.76	3.12	0.93	**89.13**	19.44	69.69	**89.13**
प्रत्याशित हानि	-	12.55	12.55	12.00	-	2.38	-	-	**22.17**	-	22.17	**22.17**
अभिकल्प गारंटी	105.36	52.72	158.08	-	49.95	-	2.17	-	**105.96**	60.17	45.79	**105.96**
संदिग्ध ऋण के लिए	-	16.25	16.25	0.50	0.34	0.33	-	-	**16.08**	-	16.08	**16.08**
संदिग्ध अग्रिम के लिए	34.76	69.13	103.89	0.61	26.71	0.73	-	0.01	**77.07**	-	77.07	**77.07**
निवेश क मूल्य में कमी	5.53	-	5.53	-	5.53	-	-	-	**-**	-	-	**-**
देयताएं (विधि मामले)	-	72.05	72.05	6.78	-	0.07	-	-	**78.76**	-	78.76	**78.76**
अन्य व्यय	0.59	49.68	50.27	68.31	0.56	21.81	-	0.20	**96.41**	-	96.41	**96.41**
आयकर	-	901.96	901.96	135.60	-	94.12	0.01	-	**943.43**	-	943.43	**943.43**
लाभांश (अंतरिम तथा प्रस्तावित)	-	102.94	102.94	168.26	-	182.12	-	-	**89.08**	-	89.08	**89.08**
लाभांश पर कर (अंतरिम तथा प्रस्तावित)	-	20.96	20.96	34.26	-	37.08	-	-	**18.14**	-	18.14	**18.14**
कुल अन्य प्रावधान (ख)	**251.00**	**1,375.84**	**1,626.84**	**463.38**	**124.12**	**399.98**	**7.41**	**1.18**	**1,559.89**	**80.15**	**1,479.74**	**1,559.89**
सकल योग (ग = क+ख)	**391.32**	**1,438.37**	**1,829.69**	**485.56**	**130.24**	**517.83**	**7.42**	**1.26**	**1,661.02**	**155.53**	**1,505.49**	**1,661.02**
घ घटा: अलग से विचार किए गए												
नोट 18 में संदिग्ध समझे गए ऋण	-	16.25	16.25						**16.08**	-	16.08	**16.08**
नोट 18 में संदिग्ध समझे गए अग्रिम		14.38	14.38						**14.06**	-	14.06	**14.06**
नोट 14, 15, 20 में विचारित संदिग्ध अग्रीम के लिए	34.76	54.75	89.51						**63.01**	-	63.01	**63.01**
नोट 12 में विचारित निवेश में क्षति	5.53	-	5.53						**-**	-	-	**-**
नोट 25 में विचारित सेवानिवृत्ति लाभ				16.18	1.87	109.69						
वेतन पारिश्रमिक तथा लाभों में शामिल पीआरपी तथा एलटीसी				6.00	4.25	8.16						
सीसीएफबी में ऋण और इक्विटी हानि पर नोट 23 में विचार किया गया है।					31.18							
भुगतान किए गए/पृथक विचारित कर				135.60	-	94.12						
पृथक रुप से भुगतान/ विचारित लाभांश				168.26	-	182.12						
भुगतान किए गए/पृथक विचारित निगमित कर				34.26	-	37.08						
कुल (घ)	**40.29**	**85.38**	**125.67**	**360.30**	**37.30**	**431.17**	**-**	**-**	**93.15**	**-**	**93.15**	**93.15**
निवल: चालू वर्ष (ग - घ)	**351.03**	**1,352.99**	**1,704.02**	**125.26**	**92.94**	**86.66**	**7.42**	**1.26**	**1,567.87**	**155.53**	**1,412.34**	**1,567.87**
पिछले वर्ष	407.15	1,366.08	1,773.23	111.84	138.28	56.51	21.84	3.37	1,704.02	351.03	1,352.99	1,704.02

नोट:

नोट 24 के विचारार्थ निवल प्रावधान (जमा/बट्टा खाता)	32.32	
नोट 24 के विचारार्थ उपयोग किए गए प्रावधान	86.66	
नोट 25 के विचारार्थ सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान		(95.38)
वेतन एवं पारिश्रमिक में नोट 25 के विचारार्थ निष्पादन संबंधी वेतन एवं एलटीसी		(6.41)

28. पूर्व अवधि समायोजन

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	
पूर्व अवधि मदें				
आय :				
प्रचालन से राजस्व	(1.76)		(9.24)	
जमा राशि/ऋणों पर ब्याज आय	19.20		0.03	
विविध	-		0.31	
		17.44		(8.90)
व्यय:				
कार्य व्यय	(3.55)		0.27	
प्रशासनिक व्यय	-		0.55	
अन्य	0.45		0.17	
		(3.10)		0.99
कुल		**20.54**		**(9.89)**

29. आकस्मिक देयताए

क) कंपनी के विरूद्ध वे दावे जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है **1218.37 करोड़ रूपए** जो 111.39 करोड़ रुपए का निवल प्रावधान है (1279.09 करोड़ रूपए जो 46.69 करोड़ रुपए का निवल प्रावधान) हैं। इसके प्रति कंपनी ने **842.20 करोड़ रुपए** (821.69 करोड़ रुपए) का प्रति दावा किया है। यदि समूह के विरुद्ध दावा क्रियान्वित हो जाता है तो ग्राहकों से **710.57 करोड़ रुपए** (748.02 करोड़ रुपए) के दावे की धनवापसी ली जाएगी। दावे पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

ख) कम्पनी के विरूद्ध अदालत में कर्मचारियों/अन्यों से संबंधित कुछ मामले लम्बित हैं, जिसकी देयता निश्चित नहीं है।

ग) विवादास्पद प्रत्यक्ष कर मांगें जिनके लिए अपील की गई है **261.16 करोड़ रूपए** (132.66 करोड़ रूपए) हैं। जिनमें से शून्य रूपए (शून्य रूपए) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है ।

घ) विवादास्पद अप्रत्यक्ष कर मांगें जिनके लिए अपील की गई है **229.95 करोड़ रूपए** (186.06 करोड़ रूपए) हैं, जिनमें से **139.27 करोड़ रूपए** (114.16 करोड़ रूपए) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है ।

ड़) संयुक्त उद्यमों के संबंध में:

I. रियायत करार के समाप्त होने की स्थिति में देय राशियों, यदि कोई हो, में किसी प्रकार की कमी के 50 प्रतिशत को पूरा करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी, इरकॉन, सोमा टॉलवे प्राइवेट लिमिटेड, को दी गई मियादी ऋण के प्रति पंजाब नेशनल बैंक को शपत। इसके प्रति कंपनी का अधिकतम दायित्व 113.58 करोड़ रुपए (162.60 करोड़ रूपए) है।

II. इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कोंट्रैक्टर को 1.24 करोड़ रुपए (1.24 करोड़ रुपए) का इंडैमनिटी बांड।

III. इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कोंट्रैक्टर की 4.25 करोड़ रुपए (4.25 करोड़ रुपए) की बिक्री कर देयता और 1.01 करोड़ रुपए (2.02 करोड़ रुपए) रुपए का सेवा कर ।

IV. मेट्रो टनलिंग ग्रुप के मामले मे केन्द्रीय सीमाशुल्क को 1.54 करोड़ रुपए (1.54 करोड़ रुपए) की निगमित गारंटी।

V. इरकॉन-आरसीएस-पिफलिडरर के मामले मे 1.40 करोड़ रुपए (1.40 करोड़ रुपए) की बैंक गारंटी ।

VI. इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कोंट्रेक्टर के मामले में शून्य रुपए (5.29 करोड़ रुपए) तथा मेट्रो टनलिंग ग्रुप के मामले में 1.05

करोड़ रुपए (0.88 करोड़ रुपए) की आयकर देयता।

VII. मैसर्स साई इंजीनियर्स द्वारा अंतरराष्ट्रीय मेट्रो सिविल कोंट्रेक्टर के विरुद्ध 0.02 करोड़ रुपए (0.02 करोड़ रुपए) का वसूली मुकदमा।

VIII. भैरब रेल पुल परियोजना, बांग्लादेश के लिए 52.38 करोड़ रुपए (51.34 करोड़ रुपए) हेतु इरकॉन-एफकान संयुक्त उद्यम के मामले में बैंक गारंटी।

च) ग्राहकों द्वारा समय विस्तार के आवेदन के निपटान के लंबित होने के कारण, कंपनी के ग्राहकों को 9.27 करोड़ रुपए (56.70 करोड़ रुपए) के स्तर तक तरलता क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए आकस्मिक रुप से दायी है।

30. प्रतिबद्धताएं:

(क) अग्रिमों के शुद्ध पूंजी लेखे में शामिल किए जाने के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि (अग्रिम का निवल) 115.75 करोड़ रूपए (68.55 करोड़ रूपए) है।

(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं

संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों को निधियां/गारंटी उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्धताः

i. सहायक कंपनियों, इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल),इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल), इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल) को बैंक गारंटी जारी करने के लिए भारतीय ओवरसीज बैंक तथा इंडसिंड बैंक को 150.00 करोड़ रुपए (10.00 करोड़ रुपए)की काउंटर बैंक गारंटी. 150 करोड़ रुपए की कुल सीमा में से, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा इंडसिंड बैंक ने क्रमशः 41.52 करोड़ रुपए तथा 41.15 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जारी की है। इसलिए, बैंक गारंटी जारी करने की शेष सीमा 67.33 करोड़ रुपए (10 करोड़ रुपए)है। .

ii. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड, सहायक कंपनी में 20.40 करोड़ रुपए (20.40 करोड़ रुपए) के शेष इाक्विटी शेयर (51 प्रतिशत) के प्रति अंशदान हेतु।

iii. छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड और छत्तीसगढ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड संयुक्त उद्यम कंपनीयों में क्रमशः 43.54 करोड़ रुपए (0.13 करोड़ रुपए) और 0.13 करोड़ रुपए (0.13 करोड़ रुपए) के शेष इक्विटी शेयर (प्रत्येक 26 प्रतिशत) के प्रति अंशदान हेतु।

iv. छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड और छत्तीसगढ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड संयुक्त उद्यम कंपनीयों में क्रमशः शून्य रुपए (9.00 करोड़ रुपए) और 19.50 करोड़ रुपए (39.00 करोड़ रुपए) के शेष शेयरधारक ऋण जारी करने हेतु।

v. इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड, सहायक कंपनी को 75.00 करोड़ रुपए (75.00 करोड़ रुपए) की शेष इक्विटी शेयर के प्रति अंशदान हेतु।

vi. इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड, सहायक कंपनी को 352.00 करोड़ रुपए (352.00 करोड़ रुपए) के शेष शेयरधारक ऋण जारी करने हेतु।

vii. संयुक्त उद्यम कंपनी यथा कंपैनिया डोस कैमिनोस डी फेरो डा बेरा एसएआरएल को 0.80 करोड़ रुपए (5.75 करोड़ रुपए) के शेष शेयरधारक ऋण जारी करने हेतु।

viii. संयुक्त उद्यम, इरकॉन-एफकान्स को ऋण पत्र जारी करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को 33.40 करोड़ रुपए (38.66 करोड़ रुपए)की काउंटर बैंक गारंटी।

ix. संयुक्त उद्यम इरकॉन सोमा टॉलवे प्रा.लि. में कंपनी की वर्तमान धारिता के 21% (प्रत्येक 10 रुपए के 1,34,12,700 शेयर) के गैर-निपटान के लिए पंजाब नेशनल बैंक से शपतपत्र, 13.41 करोड़ रुपए (13.41 करोड़ रुपए)

x. सहायक कंपनी, इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड में 80.00 करोड़ रुपए (3.00 करोड़ रुपए) के लिए इक्विटी शेयर के प्रति अंशदान।

xi. सहायक कंपनी, इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड में 722.11 करोड़ रुपए (शून्य रुपए) के लिए शेष शेयरधारक ऋण जारी करने के प्रति अंशदान।

xii. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड तथा झारखंड सेंट्रल रेल लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनियों में क्रमशः 1.29

करोड़ रुपए (शून्य रुपए) और 1.30 करोड़ रुपए (शून्य रुपए रुपए) के शेष इकिवटी शेयर (प्रत्येक 26 प्रतिशत) के प्रति अंशदान हेतु।

xiii. संयुक्त उद्यम कंपनी, बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (05.05.2016 को निगमित) में 1.30 करोड़ रुपए (शून्य रुपए) के लिए इक्विटी शेयर (प्रत्येक 26 प्रतिशत) के प्रति अंशदान।

31. कंपनी श्रीलंका परियोजनाओं पर कर हेतु 7.96 करोड़ रुपए (76.28 करोड़ रुपए) के लिए दायी है, जिसकी सीधी प्रतिपूर्ति श्रीलंका रेल द्वारा श्रीलंका इनलैंड राजस्व विभाग को की जाएगी। इसलिए, लेखा बहियों में इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

32.(क) आकलन वर्ष 2000-01 से, कंपनी आज की तिथि तक अर्हत अवसंरचनात्मक निर्माण परियोजनाओं के संबंध में आयकर रिटर्न में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80आईए के अंतर्गत कटौती का दावा कर रही है।

कंपनी ने आकलन वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2007-08, जिसके संबंध में आयकर विभाग ने सीआईटी /ए द्वारा कटौती की अनुमति प्रदान की है, को छोडक़र सभी आकलन वर्षो के लिए उक्त कटौती के लिए सीआईटी/ए द्वारा अनुमति प्रदान न किए जाने पर आईटीएटी के समक्ष अपील दायर की है।

तदनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2000-2001 से धारा 801-आईए के अन्तर्गत कटौती पर विचार किए बिना कर का प्रावधान किया है। धारा 80 आईए के अंतर्गत कटौती की गई कुल राशि है 1016.32 करोड़ रूपए (925.63 करोड़ रूपए) जिसका कर प्रभाव है 406.39 करोड़ रूपए (315.70 करोड़ रूपए)

(ख) कंपनी को भारत में कर के लिए वैश्विक आय की स्थिति प्रदान की गई है। भारत से बाहर इसकी स्थायी स्थापनाओं द्वारा अर्जित आय को कतिपय निपटान की गई विधिक स्थितियों के अनुसार छूट प्रदान करते हुए कुल आय से अलग रखा गया है क्योंकि ऐसी आय पर स्रोत राष्ट्र द्वारा आयकर लगाया जा सकता है ना कि भारत द्वारा। किन्तु सीटीआई (अपील) भारत से बाहर अर्जित विदेशी मुद्रा के संबंध में इरकॉन द्वारा की गई व्यवस्था और विदेशी आय को बाहर रखने के स्थान पर आकल वर्ष 2006-07, 2008-09 तथा 2009-10 के लिए भारत से बाहर भुगतान किए गए कर के लिए ऋण का प्रावधान किया है।

न्यायाधिकारीय डीसीआईटी ने भी समान रुप से आकलन वर्ष 2010-11 से आकलन आरंभ कर दिया है। कंपनी ने विवादास्पद सभी आकलन वर्षों के लिए आयकर अपील अधिकारण को अपील दायर की है।

तदनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2013-14 के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 में 185.36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए 229.71 का प्रावधान संबंधित वर्षों में किया गया है।

33.(क) बीओटी आधार पर मोजांबीक सरकार द्वारा प्रदान की गई रेल परियोजना के निष्पादन के लिए वर्ष 2004 में मोजांबीक के कानूनों के अनुसार निगमित सीसीएफबी नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी में आपकी कंपनी की इक्विटी भागीदारी 25 प्रतिशत की है और इसने गैर चालू निवेश (नोट 16) में दर्शाए अनुसार 1.25 मिलियन अमरीकी डालर (5.53 करोड़ रुपए) का भुगतान किया गया है। कंपनी में अन्य स्टेकधारक हैं राइट्स और सीएफएम, मोजांबीक जिनकी शेयरधारिता क्रमशः 26 प्रतिशत और 49 प्रतिशत है। कंपनी ने सीसीएफबी को संचित ब्याज सहित कुल राशि 93.43 करोड़ रुपए (21.124 मिलियन अमरीकी डालर) का शेयरधारक ऋण उपलब्ध कराया है और इसे दिनांक 28.02.2013 को सीसीएफबी से 4.42 करोड़ रुपए (0.999 मिलियन अमरीकी डालर) की राशि प्राप्त हुई है।

(ख) हालांकि, परियोजना पूरा हो गयी थी, मोजांबीक सरकार ने 09 नवंबर 2011 को रियायत करार को समाप्त कर दिया तथा 8 दिसंबर 2011 को परियोजना को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। सीसीएफबी ने मई 2013 को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के साथ मध्यस्थता के लिए अनुरोध दायर किया है और आईसीसी नियमों के अंतर्गत मोजांबीक सरकार के विरुद्ध मध्यस्थता प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

(ग) आरंभ की गई कानूनी प्रक्रिया और परिणामी अनिश्चितता के दृष्टिगत, प्रबंधन ने ब्याज आय को स्वीकार न करने के विवेक पर विचार किया है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन ये ही विवेकपूर्ण समझता है कि ऋण, संचित ब्याज, ऋणों आदि के प्रति विदेशी मुद्रा में सीसीएफबी से देय राशियों के संबंध में किसी प्रकार के विनिमय अंतरों की पहचान न की जाए। अशोध्य ऋणों के

लिए प्रावधान सहित इन्हें 31 मार्च 2011 के विनिमय दर पर प्रकट किया गया था, जिसके परिणामस्वरुप 31 मार्च 2015 तक विनिमय अज्ञात लाभ 25.74 करोड़ रुपए (31 मार्च 2014 को समाप्त हाने वाले पिछले वर्ष 20.15 करोड़ रुपए) है।

(घ) कंपनी ने आगे मध्यस्थता व्ययों को पूरा करने के लिए सीसीएफबी को सक्षम बनाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 15 जनवरी 2015 को सीसीएफबी मोजांबीक के साथ एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। 31 मार्च 2016 तक समय समय पर (पिछले वर्ष 7.12 करोड़ रुपए जो 1.142 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य है) 12.83 करोड़ रुपए (1.947 मिलियन अमरीकी डालर) की राशि ऋण के रुप में प्रदान की गई है।

(ड.) दिनांक 21.10.2015 को मोजांबीक सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इरकॉन को 40.31 मिलियन अमरीकी डालर (ठेकेदार के रुप में इरकॉन के दावे के प्रति 4 मिलियन अमरीकी डालर सहित)मिलेंगे। इरकॉन के भाग के लिए 17.93 मिलियन अमरीकी डालर (121.71 करोड़ रुपए के समान) की पहली किश्त 20 जनवरी 2016 को प्राप्त हो गई है। 5.595 मिलियन अमरीकी डालर की प्रत्येक किश्त 18 अक्तूबर 2016, 18 अक्तूबर 2017, 18 अक्तूबर 2018 तथा 18 अक्तूबर 2019 को देय हैं। मोजांबीक सरकार ने 31 मार्च 2016 के पश्चात शेष देय राशि के प्रति संपुष्ट ऋण पत्र जारी किया है (31 मई 2016 को पुष्टि प्राप्त हो गई है)। उपर्युक्त भुगतान कंपनी द्वारा इक्विटी अंशदान, शेयरधारक ऋण, निपटान करार की तिथि को संचित ब्याज, प्रबंधन तथा अन्य सेवाओं/प्रभारों के प्रति देय राशि के भुगतान के प्रति है। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थता व्ययों की प्रतिपूर्ति नीतिगत शेयरधारक यथा राइट्स लिमिटेड तथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को 5 मिलियन अमरीकी डालर की समग्र सीमा के भीतर करार के अनुसार वास्तविक राशि के मद्देनजर की जाएगी।

(च) अपफ्रंट भुगतान तथा रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात ऋणपत्र के निर्धारण के दृष्टिगत, शुल्कों, ऋणों और ब्याज आदि के प्रति देय राशियों की वसूली निश्चित हो गई है। तदनुसार, निपटान करार की तिथि को शयरधारक ऋण पर ब्याज, अनिश्चित शुल्क तथा वर्ष के दौरान निर्धारित लेखांकन नीति-11 के अनुसार विनिमय अंतर तथा संदिग्ध ऋण के प्रावधानों के लिए 25.65 करोड़ रुपए की राशि तथा इक्विटी हानि के प्रावधानों के लिए पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए 5.53 करोड़ रुपए के प्रावधान को वर्ष के दौरान पश्चलिखित किया गया है। शेयरधारक ऋण की संपूर्ण राशि (अपफ्रंट भुगतान के प्राप्त होने के पश्चात) 12.435 मिलियन अमरीकी डालर(नोट सं 14 और 20 में दर्शाए गए 81.97 करोड़ रुपए के समतुल्य)के संपूर्ण शेष को ऋण राशि से हस्तांतरिक करके मोजांबीक सरकार या उनकी नामिति एजेंसी से वसूलीयोग्य राशि में डाल दिया गया है। कंपनी सीसीएफबी में अपनी शेयरधारिता को भी मोजांबीक सरकार या उसकी नामिति एजेंसी को हस्तांतरिक करेगी। तदनुसार, इक्विटी में निवेश को अभी भी कंपनी के वित्तीय विवरणों में सीसीएफबी में निवेश के भाग के रुप में दशाया जा रहा है।

34. क) ऋणदाताओं, अग्रिमों, देनदारों तथा सामग्री के अन्तर्गत दर्शाए गए कुछ शेष पुष्टिकरण/पुनर्विनियोजन/समायोजन के मद्देनजर हैं, यदि कोई हो। पक्षों की पुष्टि के लिए समूह को पत्र भेज रही हैं। तथापि, समूह इस संबंध मे वसूलनीयता/भुगतान के संबंध मे किसी प्रकार के सामग्रीगत विवाद की आशंका नही करता है।

ख) प्रबन्धन के मतानुसार, वसूली पर चालू परिस्थितियों ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया है, को उस मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए जिस मूल्य पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

35. (क) विदेशी मुद्रा में आय (संचित आधार पर):

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
i) कार्य प्राप्तियाँ और लोको पट्टा	**344.11**	806.60
ii) बैंक ब्याज	**6.26**	11.22
iii) अन्य ब्याज	**25.27**	0.02
iv) विदेशी विनिमय उच्चावचन लाभ (निवल)	**88.61**	19.93
v) अन्य	**15.50**	3.87
कुल	**479.75**	**841.64**

(ख) विदेशी मुद्रा में व्यय (संचय आधार पर):

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
i) प्रचालन व्यय	327.57	399.09
ii) परामर्शदात्री प्रभार	32.15	24.85
कुल	**359.72**	**423.94**

(ग) आयातों का सीआईएफ मूल्य (उपर्युक्त ख-i में शामिल):

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
i) सामग्री	123.88	159.45*
ii) उपभोज्य, अवयव तथा पुर्जे	0.12	-
कुल	**124.00**	**159.45**

*आयातों को कार्यशील व्ययों में बुक किया गया है।

(घ) उपभोज्य सामग्री व भंडारण

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2015-16		2014-15	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
i) आयातित	**117.54**	**25.91**	159.45	47.87
ii) स्वदेशी	**336.06**	**74.09**	173.67	52.13
कुल	**453.60**	**100.00**	**333.12**	**100.00**

(ड़) अनहैज्ड विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रकटन:

अनहैज्ड विदेशी मुदा जोखिम का प्रकटन निम्न प्रकार हैः

(रुपये करोड़ में)

विवरण	मुद्रा	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
		विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में	विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में
परिसंपत्तियां :					
ठेकेदारों को अग्रिम					
	डीजेडडी	**3.71**	**2.26**	-	-
	यूरो	**0.01**	**0.42**	0.06	4.36
	एलकेआर	**2.82**	**1.28**	0.40	0.19
	ईटीबी	**0.49**	**1.52**	-	-
	एमवाईआर	**0.00**	**0.05**	0.02	0.30
	एनपीआर	**1.77**	**1.00**	1.76	1.10
	एमजेडएन	**0.06**	**0.08**	0.06	0.10
	यूएसडी	**-**	**-**	0.00	0.08
व्यापार प्राप्त					
	बीटीएन	**0.26**	**0.26**	-	-
	बीडीटी	**1.65**	**1.39**	1.41	1.13
	डीजेडडी	**89.81**	**54.75**	51.29	32.83
	यूरो	**1.07**	**78.39**	0.46	31.41
	एमवाईआर	**0.40**	**6.90**	0.04	0.69
	यूएसडी	**0.92**	**60.90**	2.43	151.09
रोकड एवं बैंक शेष					
	बीटीएन	**0.90**	**0.90**	-	-
	बीडीटी	**0.93**	**0.79**	0.13	0.10
	डीजेडडी	**12.65**	**7.72**	29.63	18.96
	ईटीबी	**-**	**-**	0.00	0.01
	यूरो	**0.78**	**57.79**	1.30	89.32
	एलकेआर	**45.96**	**20.86**	19.46	9.14
	एमवाईआर	**3.97**	**67.29**	1.69	28.50
	एमजेडएन	**0.03**	**0.03**	0.03	0.05
	यूएसडी	**1.17**	**76.45**	6.88	428.27
	एनपीआर	**-**	**-**	0.01	0.01
अन्य परिसंपत्तियां					
	बीडीटी	**-**	**-**	1.38	1.11
	डीजेडडी	**40.20**	**24.52**	16.17	10.35
	ईटीबी	**0.19**	**0.59**	1.13	3.45
	यूरो	**0.94**	**70.02**	0.43	29.54
	एलकेआर	**7.67**	**3.48**	16.18	7.60
	एमवाईआर	**0.99**	**16.75**	0.14	2.43
	यूएसडी	**0.52**	**34.51**	1.94	120.47
	एनपीआर	**2.24**	**1.40**	2.24	1.40

विवरण	मुद्रा	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
		विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में	विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में
देयताएं					
ग्राहकों से अग्रिम					
	बीटीएन	**2.13**	**2.13**	-	-
	बीडीटी	**0.72**	**0.57**	0.84	0.67
	यूरो	**0.19**	**14.41**	0.39	26.87
	यूएसडी	**0.07**	**4.17**	0.16	9.98
व्यापार देय					
	बीटीएन	**0.59**	**0.59**	-	-
	एयूडी	**0.01**	**0.71**	0.01	0.71
	बीडीटी	**-**	**-**	0.02	0.02
	डीजेडडी	**25.02**	**15.26**	13.92	8.91
	यूरो	**0.82**	**56.28**	0.92	63.10
	जेपीवाई	**10.10**	**5.25**	10.10	5.25
	एलकेआर	**14.27**	**6.47**	14.20	6.67
	एमवाईआर	**0.48**	**8.22**	0.42	7.07
	एमजेडएन	**4.13**	**5.35**	4.13	6.97
	यूएसडी	**1.03**	**50.42**	0.84	52.10
अन्य देयताएं					
	बीटीएन	**0.36**	**0.36**		
	बीडीटी	**0.50**	**0.42**	0.38	0.31
	डीजेडडी	**14.42**	**8.80**	30.90	19.77
	ईटीबी	**0.02**	**0.06**	0.02	0.05
	यूरो	**0.09**	**6.48**	0.19	13.01
	एलकेआर	**9.89**	**4.49**	17.51	8.22
	एमवाईआर	**0.03**	**0.49**	4.26	71.91
	यूएसडी	**1.13**	**74.67**	0.83	51.67
	एनपीआर	**0.03**	**0.02**	0.03	0.02
	आरएम	**1.05**	**17.83**	-	-

असम्मिलित विदेशी मुद्रा प्रकटन प्राकृतिक रुप से सम्मिलित हैं।

36. पट्टे संबधित प्रकटन:

I. प्रचालनिक पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां:

समूह की पट्टा व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग, कार्यालय, गेस्टहाउस तथा ट्रांजिट कैंपों के लिए परिसरों को प्रचालनिक पट्टे के संबंध में हैं। अधिकतर पट्टा व्यवस्था रद्द किए जाने योग्य हैं और सामान्यत् आपसी सहमति से नवीकृत किये जाते है। वर्ष के दौरान पट्टा भुगतानों की राशि निम्नानुसार हैः

(क) कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के परिसरों के संबंध मे पट्टा भुगतान (शुद्ध वसूलियां) - **रु. 4.26 करोड़** (रु. 5.78 करोड़) (नोट सं.25 पर वेतन और पारिश्रमिक सहित)

(ख) कार्यालय परिसरों, गेस्ट हाउसों और ट्रांजिट कैंपों के संबंध मे पट्टा भुगतान - **रु. 4.88 करोड़** (रु. 4.03 करोड़) (नोट सं.24 पर प्रचालन एवं प्रशासनिक व्ययों सहित)

(ग) रद्द न किए जा सकने वाले पट्टो के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैः

(रुपये करोड़ में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
देय	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

II. प्रचालनिक पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां:

(क) कंपनी ने कतिपय वाणिज्यिक/आवासीय परिसरो को प्रचालनिक पट्टे पर दिया है, जिन्हें संबंधित करारों के अनुसार उपयुक्त नोटिस देकर रदद किया जा सकता है।

(ख) कंपनी ने दिनांक 31.12.2015 तक विदेशी ग्राहक को वेट लीज आधार पर संयंत्र और मशीनरी (लोकोमोटिव) उपलब्ध कराए हैं।

(ग) वर्ष के दौरान प्राप्त पट्टा किराये की राशि निम्नानुसार हैः

1. गैर आवासीय परिसरों के संबंध में पट्टा किराया - रु. 7.39 करोड़ (रु. 7.02 करोड़) (नोट 23 में विविध आय में शामिल किया गया है)।
2. इंजनों के संबंध में पट्टा किराया - रु. 34.19 करोड़ (रु. 42.77 करोड़) (नोट 22 में इंजन पट्टे में शामिल किया गया है)।

(घ) निम्नलिखित प्रत्येक अवधि के लिए रद्द न किए जा सकने वाले प्रचालनिक पट्टे के संबंध मे 31.03.2016 को प्राप्य भावी न्यूनतम पट्टा किराया निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
परिसर	0.34	0.66	शून्य
इंजन	शून्य	शून्य	शून्य

(ड़) वर्ष के दौरान पट्टे पर दी गई संपत्ति का ब्यौरा :

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
	परिसर	इंजन	परिसर	इंजन
परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि	**10.00**	**35.66**	6.96	35.66
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	**0.18**	**-**	0.14	-
वर्ष के लिए क्षति हानि	**-**	**-**	-	-
संचित मूल्यह्रास	**1.44**	**33.87**	1.22	33.87

37. खण्ड रिपोर्टिंग :

प्राथमिक खण्ड सूचना (भौगोलिक)

(रुपये करोड़ में)

विवरण	अंतर्राष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
क. टर्नओवर						
प्रचालन से राजस्व	434.43	877.52	1968.59	2072.70	2403.02	2950.22
घटाः संयुक्त उपक्रमों मे आय का भाग	83.59	47.07	20.34	41.55	103.93	88.62
संयुक्त उपक्रमों में लाभ का भाग	6.19	1.90	0.49	0.49	6.68	2.39
अन्य आय	50.41	35.30	347.29	222.45	397.70	257.75
अंतरःसेगमेंट	-	-	-	-	-	-
कुल राजस्व	**407.44**	**867.65**	**2296.03**	**2254.09**	**2703.47**	**3121.74**
ख. परिणाम						
प्रावधान मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ	199.98	455.69	433.43	372.22	633.41	827.91
घटाएँ-प्रावधान और पश्चलिखित (निवल)	27.01	(75.15)	5.31	48.71	32.32	(26.44)
मूल्यह्रास	13.32	5.53	12.86	4.53	26.18	10.06
ब्याज	-	-	7.75	-	7.75	-
कर पूर्व लाभ	159.65	525.31	407.51	318.98	567.16	844.29
कर व्यय	126.80	203.55	61.09	61.35	187.89	264.90
कर पश्चात् लाभ	**32.85**	**321.76**	**346.42**	**257.63**	**379.27**	**579.39**
ग. अन्य सूचना						
परिसंपत्तियां	554.56	1063.26	7766.36	5685.38	8320.92	6748.64
स्थिर परिसंपत्तियां शामिल हैं (निवल ब्लाक)	43.24	63.54	114.47	99.94	157.71	163.48
देयताएं	529.64	741.49	4261.02	2653.64	4790.66	3395.13
पूंजीगत व्यय : अचल परिसंपत्तियों को जोडकर	0.32	16.23	11.65	1.69	11.97	17.92

गौण खण्ड सूचना (व्यवसाय):

(रुपये करोड़ में)

विवरण	सेगमेट आय		सेगमेंट परिसंपत्तियां		अचल परिसंपत्तियों को जोडकर	
	2015-16	**2014-15**	**2015-16**	**2014-15**	**2015-16**	**2014-15**
निर्माण, आदि	**2368.83**	2907.45	**8292.00**	6722.08	**11.96**	17.90
पट्टा प्रचालन	**34.19**	42.77	**28.92**	26.56	**0.01**	0.02
कुल	**2403.02**	**2950.22**	**8320.92**	**6748.64**	**11.97**	**17.92**

38. संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटन

(क) गैर-निगमित संयुक्त उद्यमः

i) प्रचालनरत परियोजनाओं हेतुः

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2016	2015
1.	इरकॉन - एसपीएससीपीएल	इरकॉन, भारत एसपीएससीपीएल, भारत	**50.00** **50.00**	50.00 50.00
2.	इरकॉन-एफकौन	इरकॉन, भारत एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारत	**53.00** **47.00**	53.00 47.00
3.	एक्सप्रेस फ्रेट कंसार्टियम	मित्सुई, जापान इरकॉन, भारत टाटा प्रोजेक्ट लि., भारत	**51.00** **30.00** **19.00**	-

ii) उन परियोजनाओं हेतु जो पूरी हो गई हैंः

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2016	2015
1	रीकॉन	इरकॉन, भारत राइटस, भारत	**49.00** **51.00**	49.00 51.00
2	रीकॉन-सीटा एस ए आर एल	रीकान, भारत सी ई टी ए, मोजांबिक	**49.00** **51.00**	49.00 51.00
3	इरकॉन कोबरा- इलियोप	इरकॉन, भारत कोबरा, स्पेन इलियोप, स्पेन	**61.22** **34.35** **4.43**	61.22 34.35 4.43
4	इरकॉन-श्री भवानी बिल्डर्स	इरकॉन, भारत श्री भवानी बिल्डर्स, भारत	**24.21** **75.79**	24.21 75.79
5	इरकॉन-एसएमजे परियोजना संयुक्त उद्यम	इरकॉन, भारत संबर मित्रा जाया, इंडोनेशिया	**55.00** **45.00**	55.00 45.00
6	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रेक्टर (आईएमसीसी)	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	**29.00** **26.00** **26.00** **9.50** **9.50**	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
7	मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एमटीजी)	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	**29.00** **26.00** **26.00** **9.50** **9.50**	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
8	इरकॉन-गन्नौन डंकर्ली	इरकॉन, भारत गन्नौन डंकर्ली	**55.70** **44.30**	55.70 44.30
9	इरकॉन आरसीएस- फ्लीडरर	इरकॉन, भारत रायलसीमा कंक्रीट स्लीपर प्रा. लि., भारत फ्लीडरर इन्फ्रास्ट्रकचर टैकनीक जी एम बी एच एण्ड क., जर्मनी	**65.08** **21.87** **13.05**	65.08 21.87 13.05

(ख) संयुक्त उद्यम कंपनियांः

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	शेयर व उनका मूल राष्ट्र	स्वामित्व का अनुपात	
			31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
1	सीसीएफबी (कम्पनिया डोस कैमिनोस डे फैरा डा बेरा एस एआरएल) मोजाम्बिक	इरकॉन, भारत राइट्स भारत सीएफएम, मोजाम्बिक	**25.00** **26.00** **49.00**	25.00 26.00 49.00
2	इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल)	इरकॉन, भारत सोमा इंटरप्राइजेज़ लि. भारत	**50.00** **50.00**	50.00 50.00
3	छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लि.(सीईआरएल)	इरकॉन, भारत एसईसीएल, भारत सीएसआईडीसी	**26.00** **64.00** **10.00**	26.00 64.00 10.00
4	छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि. (सीईडब्ल्यूआरएल)	इरकॉन, भारत एसईसीएल, भारत सीएसआईडीसी	**26.00** **64.00** **10.00**	26.00 64.00 10.00
5	महानदी कोल रेलवे लि. (एमसीआरएल)	इरकॉन, भारत एमसीएल, भारत जीओओ, भारत	**26.00** **64.00** **10.00**	-
6	झारखंड सेंट्रल रेलवे लि. (जीसीआरएल)	इरकॉन, भारत सीसीएल, भारत जीओजे, भारत	**26.00** **64.00** **10.00**	-

(ग) संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों की आय, व्यय, लाभ, परिसंपत्तियां और देयताएं का विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं	संयुक्त रुप से नियंत्रित निकाय	वित्त वर्ष	विवरण					
			आय	व्यय	लाभ	स्थिर परिसंपत्तियां	चालू/ गैर-चालू परिसंपत्तियां	देयताएं
1	रिकॉन	2015-16	0.37	0.10	0.27	-	10.34	0.41
		2014-15	0.38	0.13	0.25	-	10.67	1.01
2	आईएमसीसी	2015-16	0.05	0.06	(0.01)	-	3.55	0.92
		2014-15	-	0.04	(0.04)	-	4.21	0.93
3	एमटीजी	2015-16	0.39	0.16	0.23	-	5.22	0.12
		2014-15	-	(0.28)	0.28	-	5.06	0.15
4	इरकॉन -एसपीएससीपीएल	2015-16	19.52	19.52	-	0.30	5.36	6.18
		2014-15	41.17	41.17	-	0.08	13.43	10.28
5	इरकॉन -एफकॉन	2015-16	83.59	77.40	6.19	2.09	39.99	38.50
		2014-15	47.07	45.17	1.90	7.69	48.44	54.81
6	सीसीएफबी	2015-16	3.23	1.85	1.38	-	29.31	19.96
		2014-15	1.47	5.50	(4.03)	0.02	131.95	126.53
7	आईएसटीपीएल	2015-16	103.90	100.94	2.96	442.63	41.52	476.06
		2014-15	83.13	90.96	(7.83)	487.06	55.01	536.94
8	सीईआरएल	2015-16	-	0.02	(0.02)	66.34	32.34	62.60
		2014-15	0.01	0.02	(0.01)	9.56	26.50	35.06
9	सीईडब्ल्यूआरएल	2015-16	-	0.02	(0.02)	11.20	11.33	21.53
		2014-15	0.01	0.02	(0.01)	0.57	0.68	0.24

क्र.सं	संयुक्त रुप से नियंत्रित निकाय	वित्त वर्ष	विवरण					
			आय	व्यय	लाभ	स्थिर परिसंपत्तियां	चालू/ गैर-चालू परिसंपत्तियां	देयताएं
10	एमसीआरएल	2015-16	-	-	-	0.02	0.53	0.54
		2014-15	-	-	-	-	-	-
11	जेसीआरएल	2015-16	-	-	-	-	-	0.02
		2014-15	-	-	-	-	-	-
	कुल	2015-16	211.05	200.07	10.98	522.58	179.49	626.84
		2014-15	173.24	182.73	(9.49)	504.98	295.95	765.95

(घ) संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों में आकस्मिक देयताओं को नोट 29 (च) में प्रकट किया गया है।

39. संबधित पक्ष प्रकटन:

क. उद्यम जहां नियंत्रण विद्यमान है :

(i) सहायक कंपनियां:

- इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)
- भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)
- इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)
- इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)

(ii) संयुक्त उद्यम:

- गैरनिगमित संयुक्त उद्यम : उपर्युक्त नोट सं 38(क) के अनुसार।
- संयुक्त उद्यम कम्पनियां : उपर्युक्त नोट सं 38(ख) के समान।

ख. प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक:
निदेशक : श्री मोहन तिवारी, श्री एम.के.सिंह, श्री दीपक सबलोक तथा श्री हितेश खन्ना,
कंपनी सचिव - श्रीमती सुमीता शर्मा

ग. संबंधित पक्षों के साथ लेन-देनों का प्रकटीकरण

(रुपये करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान संव्यवहार		करारो/व्यवसथाओं का विवरण
	2015-16	2014-15	संव्यवहार की प्रकृति
1. प्रमुख प्रबंधन कार्मिको (उपुर्यक्त ख) का पारिश्रमिक और अन्य स्वतंत्र निदेशको का बैठक शुल्क	नोट सं. 40 के अनुसार		
2. वस्तुओं और सेवाओं की खरीद (सीएसआर व्ययो सहित)/स्थिर परिसंपत्तियों का पट्टा /कोई अन्य संव्यवहार (कृपया स्पष्ट करें)			
सहाकय कंपनियां (सहित)			
इरकॉन आईएसएल	0.19	0.46	सीएसआर गतिविधियां
इरकॉन आईएसएल	6.62	6.17	मशीनों को किराए पर लेना
इरकॉन आईएसएल	6.70	17.83	श्रमशक्ति आपूर्ति
कुल	**13.51**	**24.46**	
3. वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/ब्याज आय/कोई अन्य संव्यवहार (कृपया स्पष्ट करें)			
सहाकय कंपनियां (सहित)			
इरकॉन आईएसएल	0.42	0.92	परामर्श सहित कार्य प्राप्तियां एमएफसी
इरकॉन आईएसएल	3.91	-	ऋण पर ब्याज
इरकॉन आईएसएल	0.18	0.10	परिसरों के लिए किराया

विवरण	वर्ष के दौरान संव्यवहार		करारो/व्यवसथाओं का विवरण
	2015-16	2014-15	संव्यवहार की प्रकृति
इरकॉन आईएसएल	0.12	0.17	अन्य प्रचालन पावतियां-एमएफसी
आईएसजीटीए	0.02	-	परिसरों के लिए किराया
आईएसजीटीए	27.99	-	कार्य पावतियां
आईपीबीटीलएल	0.03	-	परिसरों के लिए किराया
आईपीबीटीलएल	53.44	-	कार्य पावतियां
संयुक्त उद्यम (सहित)			
आईएसटीपीएल	0.07	-	परिसरों के लिए किराया
सीसीएफबी	25.26	-	ऋण पर ब्याज
सीईआरएल	182.30	27.67	परामर्श एवं कार्य प्राप्तियां
सीईआरएल	4.92	-	ऋण पर ब्याज
सीईडब्ल्यूआरएल	22.33	53.64	परामर्श एवं प्राप्तियां
सीईडब्ल्यूआरएल	0.43	-	ऋण पर ब्याज
इरकॉन एफकॉन जेवी	0.78	-	ऋण पर ब्याज
कुल	**322.20**	**82.50**	
4. सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश			
सहायक कंपनियां			
इरकॉन आईएसएल	-	25.00	
आइईआरएसडीसी	-	-	
इरकॉन पीबी टोलवे लि.	-	90.00	
इरकॉन एसजी टोलवे लि.	70.00	-	
संयुक्त उद्यम			
सीईआरएल	39.00	1.16	
सीईडब्ल्यूआरएल	-	1.16	
एमसीआरएल	0.01	-	
5. सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को ऋण			
सहायक कंपनियां			
इरकॉन आईएसएल			
संवितरित ऋण	-	6.50	
ऋण का पुनर्भुगतान	(4.00)	(23.15)	
संयुक्त उद्यम			
सीसीएफबी	5.05*	7.12	
सीईआरएल	9.00	30.00	
सीईडब्ल्यूआरएल	19.50	-	
इरकॉन एफकान्स जेवी	(18.11)	18.11	
6. प्रतिनियुक्ति के कार्मिकों का व्यय, किराए, अन्य विविध व्ययों की प्रतिपूर्ति			
सहायक कंपनियां			
इरकॉन आईएसएल	3.40	3.60	
आईआरएसडीसी	1.48	0.99	
आईएसजीटीएल	1.55	-	
आईपीबीटीएल	0.40	-	
संयुक्त उद्यम			
आईएसटीपीएल	0.21	1.98	
कुल	**7.04**	**6.57**	

संबंधित पक्षों को/से देय राशियों का प्रकटन

(रुपये करोड़ में)

विवरण	राशि	
	31-3-2016 को	31-3-2015 को
प्राप्य राशियां		
(1) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश	**356.15**	**247.14**
सहायक कंपनियां	**245.40**	**175.40**
आईआईएसएल	65.00	65.00
आईआरएसडीसी	20.40	20.40
इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	90.00	90.00
इरकॉन एसजी टोलवे लिमिटेड	70.00	-
संयुक्त उद्यम	**110.75**	**71.74**
सीसीएफबी	5.53	5.53
आईएसटीपीएल	63.87	63.87
सीईआरएल	40.17	1.17
सीईडब्ल्यूआरएल	1.17	1.17
एमसीआरएल	0.01	-
(2) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम से बकाया ऋण	**86.00**	**175.55**
सहायक कंपनियां	**27.50**	**31.50**
आईआईएसएल	27.50	31.50
संयुक्त उद्यम	**58.50**	**144.05**
सीसीएफबी	-*	95.94
सीईआरएल	39.00	30.00
सीईडब्ल्यूआरएल	19.50	-
इरकॉन एफकान्स जेवी	-	18.11
(3) अन्य सेवाओं और प्रतिपूर्ति आदि हेतु		
सहायक कंपनियां		
आईआईएसएल	2.19	3.23
आईआरएसडीसी	0.36	0.27
आईपीबीटीएल	0.21	-
आईएसजीटीएल	19.04	-
संयुक्त उद्यम		
सीसीएफबी	-	0.78
आईएसटीपीएल	7.22	7.25
सीईआरएल	67.28	4.43
सीईडब्ल्यूआरएल	3.88	0.41

विवरण	राशि	
	31-3-2016 को	31-3-2015 को
देय राशि		
1) अन्य सेवाओं हेतु		
सहायक कंपनियां		
आईआईएसएल	9.41	7.26
आईएसजीटीएल	30.17	-
संयुक्त उद्यम		
सीईआरएल	18.48	-

***शेयरधारक ऋण की सम्पूर्ण शेष राशि को मोजांबीक सरकार के साथ 21.10.2015 को हस्ताक्षरित समझौता करार के आधार पर मोजांबीक सरकार से वसूली योग्य राशि में हस्तांतरित किया गया है।**

40. निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण :-

(रुपये करोड़ में)

क्रसं	विवरण	2015-16	2014-15
I	वेतन और भत्ते*	1.74	1.78
II	भविष्य निधि पेंशन में अंशदान	0.20	0.10
III	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	0.03	0.03
IV	बैठक शुल्क	0.00	0.02
V	अन्य लाभ	0.27	0.27
	कुल	**2.24**	**2.20**

* वर्ष 2015-16 के आंकडों में वर्ष के दौरान भुगतान किए गए रु.0.47 करोड़ रुपए के पीआरपी (13-14) शामिल हैं, जबकि 14-15 में वर्ष के दौरान भुगतान किए गए पीआरपी (12-13) शामिल है।

निदेशकों को कंपनी की ओर से आवास और कार भी प्रदान की गई है जिसकी वसूली लागू नियमानुसार की गई है।

41. वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 द्वारा एएस 28 अधिसूचना परिसंपत्तियों का ह्रास इंस्टीट्यूट आफॅ चार्टेड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी एएस 28 परियोजना के अनुसार वर्ष के दौरान उगाई की जाने वाली शुद्ध राशि या लागत से कम के आधार पर वसूल की जाने वाली राशि के आंकलन द्वारा वैयक्तिक परिसपंत्तियों के ह्रास का अनुमान निकाला है । ह्रास हानि शून्य रुपए (0.87 करोड़ . रुपए) है।

42. विदेशी ग्राहकों को किराए पर दिए गए इंजनों के लिए पट्टा करार का नवीकरण 31.12.2015 को किया गया है। इंजनों के अनुरक्षण के लिए बचे हुए कलपुर्जे और भंडारण अनावश्यक हो गए है और इसलिए उन्हें व्यर्य के लिए प्रभारित किया गया है।

43. कर्मचारी लाभ पर एएस-15 के अंतर्गत प्रकटन

भविष्य निधि

कंपनी एक पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि के नियत अंशदान का भुगतान करती है तथा यह ट्रस्ट इस निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगी। ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित है कि वह ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज के न्यूनतम दर का भुगतान करेगी। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि कंपनी के दायित्व से अधिक है। वर्ष के दौरान कंपनी ने ट्रस्ट में 10.14 करोड़ रुपए (9.91 करोड़ रुपए) का अंशदान किया है।

उपदान

कंपनी ने अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, शारीरिक अक्षमता या मृत्यु के कारण अपने रोजगार को समाप्त करने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रुप में कपनी के कर्मचारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इरकॉन ने कर्मचारी सामूहिक भविष्य निधि योजना को क्रियान्वित किया है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015-16 मे सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। ट्रस्ट की निधि का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। कंपनी ने ट्रस्ट को 66.31 करोड़ रुपए (31.03.2015 को प्रावधान) का भुगतान किया है और वर्ष 2015-16 के दौरान इसे लेखांकित किया गया है। वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर 31.03.2016 को देयत सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया है।

पेंशन

कंपनी ने सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक कंपनी में 15 वर्ष की सेवा(अन्य सीपीएसई मे सेवा सहित) पूरी करने वाले आईडीए के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले सभी नियमित कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.04.2009 से इरकॉन सुनिश्चित अंशदायी अधिवर्षिता पेशन योजना, 2009 क्रियान्वित की है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015-16 में सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। 01.04.2009 से 28.02.2016 तक की सम्पूर्ण अवधि के लिए 29.99 करोड़ रुपए कंपनी के अंशदान भाग का भुगतान कर दिया गया है और इसे वर्ष 2015-16 के दौरान लेखांकित किया गया है। 29.99 करोड़ रुपए की कुल राशि में से 26.18 करोड़ रुपए की राशि के लिए 31.03.2015 को प्रावधान किया गया है। मार्च 2016 में 0.05 करोड़ रुपए की देयता के लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी ने सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को अधिवर्षिता, चिकित्सा तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान 12 करोड़ रुपए के एकमुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिहार्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। यह एक स्वैच्छिक कल्याण उपाय होने के कारण कंपनी कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। तथापि, कंपनी ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर **4.20 करोड़ रुपए** (7.33 करोड़ रुपए) का भी प्रावधान किया है।

छुट्टी नगदीकरण

कंपनी के नियमों के अनुसार छुट्टी नगदीकरण के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है, केवल विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर। चूंकि, विदेशी कार्यों को अकार्य दिवस माना जाता है, इसलिए ऐसे कर्मचारियों के प्रति दायित्व के लिए संचित आधार पर बहियों में प्रावधान किया जाता है क्योंकि इस राशि का भुगतान कर्मचारियों को वापस आने पर किया जाता है।

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल हैं, गृह नगर या भारत में वह स्थान जहां वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, बैगेज भत्ता सहित व्यवस्था करना। इस खाते में देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ली जाती है।

दिनांक 31.03.2016 को विभिन्न कर्मचारी लाभों को लाभ हानि खात के विवरण तथा तुलन पत्र में निम्नानुसार सारबद्ध किया गया हैः

i) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रुपये करोड़ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के प्रारम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	66.31 (61.85)	79.90 (76.95)	0.13 (0.14)	1.28 (1.29)
ब्याज लागत	5.30 (4.95)	6.39 (6.16)	0.01 (0.01)	0.10 (0.10)
चालू सेवा लागत	3.57 (3.37)	4.69 (4.63)	0.01 (-)	0.06 (0.06)
पूर्व सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	(4.65) ((3.70))	(5.65) ((8.78))	(0.21) ((0.01))	(0.03) ((0.03))
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	1.54 ((0.15))	(4.43) (0.95)	0.30 ((0.02))	(0.07) ((0.14))
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	72.06 (66.31)	80.90 (79.90)	0.23 (0.13)	1.34 (1.28)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोडक़र।

ii) योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रुपये करोड़ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
अंशदान	66.31 (-)	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	(2.43) (-)	- (-)	- (-)	- (-)
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	3.08 (-)	- (-)	- (-)	- (-)
अवधि के अन्त में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	66.96 (-)	- (-)	- (-)	- (-)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोडक़र।

iii) तुलन पत्र में मान्य राशि

(रुपये करोड़ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	72.06 (66.31)	80.90 (79.90)	0.23 (0.13)	1.34 (1.28)
अवधि के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	66.96 (-)	- (-)	- (-)	- (-)
वित्तपोषण स्थिति	(5.11) ((66.31))	(80.90) ((79.90))	(0.23) ((0.13))	(1.34) ((1.28))
अनुमानित के उपर वास्तविक में अधिक	3.08 (-)	- (-)	- (-)	- (-)
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता	(5.11) ((66.31))	(80.90) ((79.90))	(0.23) ((0.13))	(1.34) ((1.28))

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोडक़र।

iv) लाभ हानि की विवरणिका में मान्य व्यय

(रुपये करोड़ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
चालू सेवा लागत	3.57 (3.37)	4.69 (4.63)	0.01 (-)	0.06 (0.06)
पूर्व सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
ब्याज लागत	5.30 (4.95)	6.39 (6.16)	0.01 (0.01)	0.10 (0.10)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
वर्ष में निवल वास्तविक (लाभ)/हानि	(1.54) ((0.15))	(4.43) (0.94)	0.30 ((0.02))	(0.07) ((0.14))
लाभ हानि विवरणिका में मान्य व्यय	7.33 (8.16)	6.65 (11.73)	0.32 (-)	0.09 (0.02)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोडक़र।

धारक कंपनी द्वारा अगले वर्ष उपदान के लिए रु.7.99 करोड़, छुट्टी नकदीकरण के लिए 11.42 करोड़ रुपए, एलटीसी के लिए 0.15 करोड़ रुपए तथा सेवानिवृत्ति लाभों के लिए 0.19 करोड़ रुपए का अंशदान करने की संभावना है।

v) वास्तविक अनुमान

क. प्रयुक्त पद्धति	प्रत्याशित इकाई ऋण पद्धति
ख. रियायत दर	7.50 %
ग. क्षतिपूर्ति स्तर मे वृद्धि की दर	8.00 %
घ. सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों की औसत उत्कृष्ट सेवा	12.12 वर्ष
ड. लाभ दायित्वों की अनुमानित अवधि	12.12 वर्ष

vi) वर्तमान और पिछली 4 अवधियों के लिए राशि निम्नानुसार हैं:

क. उपदान:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012
निर्धारित लाभ दायित्व	72.06	66.31	61.85	53.87	49.63
योजना परिसम्पतियां	66.96	-	-	-	-
सरप्लस/(डैफिसेट)	(5.11)	(66.31)	(61.85)	(53.87)	(49.63)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन	0.36	0.15	(3.12)	(1.13)	(1.01)
योजना परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	3.08	-	-	-	-

ख. छुट्टी नकदीकरण (विदेशी परियोजनाओं पर तैनात कर्मचारियों को छोडकर):

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012
निर्धारित लाभ दायित्व	80.90	79.90	76.95	61.34	55.61
योजना परिसम्पतियां	-	-	-	-	-
सरप्लस/(डैफिसेट)	(80.90)	(79.90)	(76.95)	(61.34)	(55.61)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन	7.44	(0.95)	(13.46)	(0.04)	5.18
योजना परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	-	-	-	-	-

ग. एल टी सी

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012
निर्धारित लाभ दायित्व	0.23	0.13	0.14	0.08	-
योजना परिसम्पतियां	-	-	-	-	-
सरप्लस/(डैफिसेट)	(0.23)	(0.13)	(0.14)	(0.08)	-
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन	(0.38)	0.02	(0.07)	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	-	-	-	-	-

घ. अन्य सेवानिवृत्ति लाभ:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012
निर्धारित लाभ दायित्व	1.34	1.27	1.29	1.41	1.57
योजना परिसम्पतियां	-	-	-	-	-
सरप्लस/(डैफिसेट)	(1.34)	(1.27)	(1.29)	(1.41)	(1.57)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन	0.11	0.14	0.28	0.35	0.06
योजना परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	-	-	-	-	-

44. प्रगतिरत संविदाओं के लिए निर्माण संविदाओं पर लेखांकन मानक -7 के अंतर्गत प्रकटन *

(रुपये करोड़ में)

	विवरण	31मार्च 2016 तक	31मार्च 2015 तक
(क)	इस अवधि के दौरान राजस्व के रुप में स्वीकृत संविदा राजस्व	2829.56	2883.55
(ख)	वहन लागतों की समग्र राशि तथा स्वीकृत लाभ (घटा स्वीकृत हानियां)	19547.91	20667.13
(ग)	ग्राहकों के प्राप्त अग्रिमों की राशि	837.85	847.83
(घ)	प्रतिधारणों की राशि (ग्राहकों द्वारा)	99.63	100.56
(ड.)	संविदा कार्य के लिए ग्राहकों से देय सकल राशि	479.13	434.12

* 31.03.2016 तक पूरी की गई परियोजनाओं को छोडक़र

45. कम्पनी को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कम्पनी के अधीन आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006(एमएसएमईडी अधिनियम) के अधीन नहीं आते हैं। इस सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु तथा मघ्यम उद्यम के प्रति 31 मार्च 2016 तक कोई देय नहीं है।

46. (i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि है **रु. 6.03 करोड़** (रु 4.93 करोड़)।

(ii) वर्ष के दौरान कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर **6.15 करोड़ रुपए** (6.72 करोड़ रुपए) की अपेक्षित राशि की तुलना में **6.03 करोड़ रुपए** (4.93 करोड़ रुपए) खर्च किए हैं। इस व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(रुपये करोड़ में**)**

क्रसं	विवरण	2015-16	2014-15
1.	भूख, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखरेख तथा स्वच्छता का संवर्धन और सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना।	4.84	3.08
2.	शिक्षा का संवर्धन	0.90	0.76
3.	लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण का संवर्धन	0.18	0.02
4.	पर्यावरणीय धारणीयता सुनिश्चित करना	0.05	1.04
5.	राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति का संरक्षण	-	0.52
6.	प्रधान मंत्री राहत कोष तथा सामाजिक आर्थिक विकास व राहत के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य निधि में अंशदान	-	0.50
7.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	0.18	0.80
	कुल	**6.15**	**6.72**

(iii) वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	नकद में	नकद में अभी भुगतान किया जाना है	कुल
1.	परिसंपत्तियों का निर्माण और अधिग्रहण	-	-	-
2.	अन्य प्रयोजन	6.15	-	6.15

सीएसआर पर किए गए कुल व्यय में से **0.19 करोड़ रुपए** (0.46 करोड़ रुपए) कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन आईएसएल के माध्यम से किए गए हैं।

47. प्रति शेयर मूलभूत आमदनी का परिकलन निवल कर पश्चात लाभ के **379.27 करोड़ रुपए** (579.39 करोड़ रुपए) को (197,96,000) पूर्ण प्रदत्त 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के साथ भाग करके किया जाता है। प्रति शेयर विलयित आमदनी लागू नहीं है क्योंकि यहां काई विलयन शामिल नहीं है।

48. वर्ष के दौरान, कंपनी ने चालू वर्ष के आय/व्यय के रुप में प्रत्येक मामले में 1,00,000 रुपए (पूर्व में 50,000 रुपये) तक के पूर्व अवधि तथा पूर्व प्रदत्त आय/व्यय के रुप में माने जाने संबंधी अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन के कारण, वर्ष के लिए पूर्व अवधि आय/व्यय 0.02 करोड़ रुपए तक कम हो गया है और पूर्वप्रदत्त व्यय शून्य करोड़ रुपए तक कम हुआ है। इसके परिणामस्वरुप, करपूर्व लाभ में 0.02 करोड़ रुपए की कमी आई है।

49. कंपनी ने तीन देशों में क्रियान्वित की जा रही विदेशी परियोजनाओं के लिए संविदाओं को प्राप्त कराने और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एजेंटों/परामर्शदाताओं को नियुक्त किया है। मई 2003 में जारी कंपनी के दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि परियोजना प्रमुख एजेंटों के कार्यनिष्पादन पर परियोजना समन्वयकर्ता को तिमाही रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें दर्शाया जाएगा कि एजेंट से सेवाओं से संतुष्ट हैं या नहीं। एजेंस/परामर्शदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के आकलन के लंबित होने के कारण धारक कंपनी ने 2.04 करोड़ रुपए के व्यय को लेखांकित नहीं किया है और तदनुसार उन्हें 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में प्रभारित नहीं किया गया है। इसे आकलन वर्ष में लेखा बहियों में लेखांकित किया जाएगा।

50. पिछले वर्ष के आंकडों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के साथ समायोजित करने के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, पुनःसमूहित, पुनःव्यवस्थित तथा पुनःनिर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से अलग दर्शाने के लिए उन्हें कोष्ठक में प्रस्तुत किया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी.के. ढींगरा एंड कपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000250एन

विपुल गिरोत्रा
साझेदार
स.सं. 084312

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

एम.के.सिंह
निदेशक वित्त
डीआईएन 06607392

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 00191363

सुमिता शर्मा
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः02.09.2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक वं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटनेशनल लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 02 सितंबर 2016 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद 143 (6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है। मेरे लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ विशिष्ट नहीं आया है जो सांविधिक लेखपरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रश्न उठाता हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निमित्त और उनकी ओर से

(मीनाक्षी मिश्रा)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक,
रेलवे -वाणिज्यिक, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 27 सितंबर, 2016

समेकित

वित्तीय विवरण

2015-16

फॉर्म एओसी-1

31.03.2016 को सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाता विवरण
(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित खंड 129 के उपखंड (9) के प्रथम प्रावधान के अनुसरण में)

भाग- क : सहयक कंपनियां

परिशिष्ट-ज

क्र.सं	सहायक कंपनी का नाम	सहायक कंपनी का नाम	रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	शेयरपूंजी	आरक्षित निधि व अतिरेक	कुल परिसंपत्ति	कुल देयता	निवेश	टर्नओवर/ कुल आय	कर पूर्व लाभ	कर के लिए प्रावधान	कर पश्चात लाभ	प्रस्तावित लाभांश	शेयरधारिता का प्रतिशत
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड	01.04.2015 से 31.03.2016	रुपये	65.00	37.34	189.99	87.65	शून्य	81.87	22.61	8.39	14.22	शून्य	100.00%
2	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लि.	01.04.2015 से 31.03.2016	रुपये	40.00	4.58	47.47	2.89	शून्य	2.44	2.44	1.29	1.15	शून्य	51.00%
3	इरकॉन पीबी टोलवे लि.	01.04.2015 से 31.03.2016	रुपये	90.00	2.64	120.22	27.58	शून्य	5.78	5.61	1.88	3.73	शून्य	100.00%
4	इरकॉन शिवपूरी गूना टोलवे लिमिटेड	01.04.2015 से 31.03.2016	रुपये	33.00	(0.77)	89.93	57.70	शून्य	0.26	(1.14)	(0.37)	(0.77)	शून्य	100.00%
*आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि सहित। शेयरों का आवंटन वितत्तीय वर्ष 2016-17 में किया गया।														

भाग - ख: संयुक्त उपक्रम

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं	संयुक्त उद्यमों का नाम	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि	वर्ष के अंत को कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यमों के शेयर			महत्वपूर्ण प्रभाव होने का वर्णन	गैर-समेकन के लिए कारण	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के प्रति निवल संपत्ति		वर्ष लाभ/ (हानि)	समेकन में विचारार्थ (इरकॉन का भाग)	समेकन में विचारार्थ नहीं(अन्य का भाग)
			संख्या	संयुक्त उद्यमों में निवेश की राशि	धारिता प्रतिशत का स्तर							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*		*10*	*11*	*12*
	संयुक्त उद्यम कंपनियां											
1	कंपैनिया डोस कैमिनोस डे फेरो डा बेरा (एसएआरएल) मोजांबीक	31.12.2015	1,250,000	5.53	25.00%	शेयरधारिता	लागू नहीं		10.29	5.13	1.28	3.85
2	इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा.लि.	31.03.2016	63,870,000	63.87	50.00%	शेयरधारिता	लागू नहीं		8.08	5.91	2.95	2.96
3	छत्तीसगढ इस्ट रेलवे लिमिटेड	31.03.2016	40,170,000	40.17	26.00%	शेयरधारिता	लागू नहीं		36.09	(0.08)	(0.02)	(0.06)
4	छत्तीसगढ इस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड	31.03.2016	1,170,000	1.17	26.00%	शेयरधारिता	लागू नहीं		1.12	(0.06)	(0.02)	(0.04)
5	महानदी कोल रेल लिमिटेड	31.03.2016	13,000	0.01	26.00%	शेयरधारिता	लागू नहीं		0.01	-	-	-
6	झारखंड सेंट्रल रेल लिमिटेड	31.03.2016	-	-	26.00%	शेयरधारिता	लागू नहीं		(0.02)	-	-	-
	गैरनिगमित संयुक्त उद्यम						लागू नहीं					
1	इरकॉन-एसपीएससीपीएल	31.03.2016			50.00%	लागू नहीं	लागू नहीं		-	(1.04)	(0.52)	(0.52)
2	इरकॉन-एफकॉन	31.03.2016			53.00%	लागू नहीं	लागू नहीं		3.79	8.00	4.24	3.76
3	रीकॉन	31.03.2016			49.00%	लागू नहीं	लागू नहीं		9.93	0.54	0.26	0.28
4	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर (आईएमसीसी)	31.03.2016			9.50%	लागू नहीं	लागू नहीं		2.83	(0.18)	(0.02)	(0.16)
5	मेट्रो टनलिंग ग्रुट (एमटीजी)	31.03.2016			9.50%	लागू नहीं	लागू नहीं		5.64	2.19	0.21	1.98

वी.के. ढींगरा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
1-ई/15, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110 055

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों

1. समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) तथा इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को संयुक्त रुप से समूह कहा जाएगा) और इसकी संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2016 को समेकित तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण और समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं (जिन्हें यहां आके समेकित वित्तीय विवरण कहा जाएगा)।

2. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अपेक्षाओं की शर्तों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इसके संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों सहित समूह के समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन तथा समेकित रोकड़ प्रवाह के सबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं। समूह सहित कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकाडों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करता हे और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी है, जिनका प्रयोग उपर्युक्त अनुसार धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन के लिए किया गया है।

3. लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपने विचार अभिव्यक्ति करना है।

लेखापरीक्षा के दौरान, हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों तथा उन विषयों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट मे शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने लेखापरीक्षा अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस तथ्य का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या समेकित वित्तीय विवरण तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती है। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक और समेकित वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के जोखिम पर निर्भर करता है। इन जोखिम आकलनों को करने के लिए लेखापरीक्षक धारक कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो सही और वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं, किन्तु यह विचार व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं कि क्या धारक कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध मे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों को कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा नीतियों की उपयुक्तता और धारक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा बनाए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन और समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा नीचे दिए गए पैरा अन्य मुद्द में संदर्भित अपनी रिपोर्ट की शर्तों के अनुसार अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारे वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

4. मत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और नीचे उल्लिखित अनुसार सहायक कंपनियों के उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना प्रदान करता है और भारत में सामान्यत स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप सही एवं वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करता है, जो उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2016 को कंपनी के समेकित कार्यकलापों की स्थिति, और इसके लाभ और इसके रोकड़ प्रवाह को दर्शाता है।

5. विषय पर बल

i) हम आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80आईए के अंतर्गत दावित कटौती को अनुपति प्रदान न किए जाने और भारत में अन्य देशों की स्थायी इकाइयों द्वारा अर्जित आय की करयोग्यता के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में किए गए आयकर प्रावधानों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं. 35 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। दोनों ही मुद्दों को कंपनी ने संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया गया है।

ii) कार्यनिष्पादन के लंबित मूल्यांकन के लिए तीन देशों में परियोजनाओं के संबंध में विदेशी एजेंसी कमिशन/परामर्श प्रभारों के प्रति 2.04 करोड़ रुपए के गैर प्रावधान के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों के नोअ सं.52 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

विषय पर बल के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।

6. अन्य मुद्दे

(क) हमने चार सहायक कंपनियों और नौ संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनका वित्तीय विवरण 31 मार्च 2016 को 1,117.24 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियों तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 298.25 करोड़ रुपए का कुल राजस्व तथा (8.53) करोड़ रुपए के निवल रोकड प्रवाह को प्रदर्शित करता है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण में प्रदर्शित किया गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, जहां तक यह इन सहायक कंपनियो, संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों और संबद्ध कंपनियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों का संबंध है, और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) तथा (11) की शर्तों के अनुसार हमारी रिपोर्ट अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर पूर्णत आश्रित है, जहां तक उपर्युक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों और संबद्ध कंपनियों का संबंध है।

(ख) हमने एक संयुक्त रुप से नियंत्रित निकाय के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनका वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च 2016 को 32.88 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियों तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 19.53 करोड़ रुपए के कुल राजस्व और (0.38) करोड़ रुपए निवल रोकड प्रवाह को प्रदर्शित करता है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण में प्रदर्शित किया गया है। इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की गई है और ये हमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, जहां तक यह इन सहायक कंपनियो, संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों और संबद्ध कंपनियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों का संबंध है , और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) तथा (11) की शर्तों के अनुसार हमारी रिपोर्ट अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणो/वित्तीय सूचना पर पूर्णत आश्रित है, जहां तक उपर्युक्त सहायक कंपनियो, संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों और संबद्ध कंपनियों का संबंध है। हमारे मतानुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना समूह के लिए तथ्यात्मक नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, और नीचे प्रस्तुत अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, हमारे द्वारा किए गए कार्य की हमारी विश्वसनियता, अन्य लेखापरीक्षको की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण / वित्तीय सूचना के संबंध मे उपर्युक्त विषयों के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।

7. अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

I. कंपनी अधिनियम के खंड 143(3) के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार हम उल्लेख करते हैं किः

(क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

(ख) हमारे मतानुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने संबंधि विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा लेखे की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत हुआ है।

(ग) शाखा लेखापरीक्षाकों द्वारा अधिनियम के अनच्छेद 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित धारक कंपनी, भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनियो कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें/ अन्य लेखापरीक्षकों, जैसा भी लागू हो, को भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा इसकी उचित व्यवस्था की गई है।

(घ) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ-हानि का विवरण तथा समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा बहायों और उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्नों से मेल खाते हैं, जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

(ड.) हमारे मतानुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरुप हैं।

(च) सरकारी कंपनी होने के कारण, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं जीएसआर 463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 अनुसार अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(छ) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों पर प्रचालनिक कुशलता का संबंध है, अनुबंध-क पर हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें, जो धारक कंपनी की लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर आधारित है। हमारी रिपोर्ट, धारक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता तथा प्रचालनिक कुशलता पर अर्हक मत अभिव्यक्त करती है।

(ज) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:

(i) समूह और इसकी संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है - वित्तीय विवरण के नोट सं. 31, 34 और 35 का संदर्भ लें।

(ii) समेकित वित्तीय विवरणों में दीर्घकालीन संविदाओं पर सामग्रीगत अपरिहार्य घाटों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित प्रावधान किया है, जिसका उल्लेख ऐसे मदों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं. 28(ख) में अपरिहार्य घाटों मे किया गया है, क्योंकि यह समूह से संबंधित है। समूह और इसके संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों में काई डैरिवेटिव संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई सामग्रीगत अपरिहार्य घाटे हुए थे।

(iii) धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियो तथा भारत में निगमित संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनियों द्वारा ऐसी किसी राशि को कंपनी के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी। हमारा मत इस विषय के संबंध में अर्हक नहीं है।

कृते वी.के.ढींगरा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएम - 000250एन

विपुल गिरोत्रा
साझोदार
सदस्यता सं.084312

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02 सितंबर, 2016

अनुबंध-क
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों की समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के खंड "अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओ" पर रिपोर्ट के अंतर्गत पैरा-छ में संदर्भित ।

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड 143 के उप खंड 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन मे 31 मार्च 2016 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी का निदेशक मंडल तथा इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वितत्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट मं उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डो की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (दिशानिर्देश नोट)के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल है - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निभर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलबध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिम वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जोः-

(1) उन रिकार्डो के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करते हैं।

(2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार

करने के लिए यथा आवश्यकत रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणो के अनुसार ही किया गया है।

(3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नही लग पाएगा। इसके अतिरक्ति, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तो में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

अर्हत मत

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार, 31 मार्च 2016 को सामग्रीगत कमजोरियां चिह्नित की गई हैः

(i) कंपनी में कोई एकीकृत ईआरपी प्रणाली नहीं है। कंपनी द्वारा प्रयोग किए जा रहे विभिन्न साफ्टवेयर पैकेज साफटवेयर लिंक तथा उनके बीच मेनुअल हस्तक्षेप अंतर के माध्यम से इंटरफेस किया जाता है। इसके कारण विसंगत वित्तीय रिपोर्टिंग की संभावना हो सकती है।

(ii) कंपनी के पास कुशल आंतरिक लेखापरीक्षा संरचना नहीं है ताकि व्यापक कार्यक्षेत्र के साथ सभी प्रमुख क्षेत्रों के कवरेज को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखापरक्षा रिपोर्टिंग की समीक्षा का तंत्र कमजोर है। इसके कारण कमजोर जांचों और शेषों तथा वित्तीय अनियमितताओं की संभावना है जिसके परिणामस्वरुप विकृत वित्तीय रिपोर्टिंग सामने आती है।

सामग्रीगत खामी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी है या कमियों का संयोजन है, जिससे कि युक्तिसंगत संभावना है कि कंपनी की वार्षिक या आंतरिक वित्तीय विवरणों का सामग्रीगत दुर्विवरण का समय आधार पर निवारण या संसूचन नहीं किया जा सकेगा।

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत खामियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोडक़र, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सभी सामग्रीगत पहलुओं मे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2016 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमने कंपनी के 31 मार्च 2016 के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रयुक्त लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और स्तर के निर्धारण के लिए उपर्युक्त चयनित और रिपोर्टिड सामग्रीगत खामियों पर विचार किया है और हमारे मतानुसार ये सामग्रीगत खामियां कंपनी के वित्तीय विवरणों को प्रभावित नहीं करते हैं।

अन्य मुद्दे

चार सहायक कंपनियों और नौ संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनियों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और प्रचालकनक कुशलता पर अधिनियम के खंड 143 (3) (i) के अंतर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

कृते वी.के.ढींगरा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएम - 000250एन

विपुल गिरोत्रा
साझोदार
सदस्यता सं.084312

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02 सितंबर, 2016

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (सीआईएन - यू45203डीएल1976जीओआई008171)

समेकित तुलन पत्र

31 मार्च 2016 को

(रुपये करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
I.	**इक्विटी और देयताएं**					
1	**शेयरधारकों की निधियां**					
	(क) शेयर पूंजी	2	**19.80**		19.80	
	(ख) आरक्षित निधियां और अधिशेष	3	**3,477.00**	**3,496.80**	3,284.65	3,304.45
2	**अल्प हित**			**21.84**		21.28
3	**गैर-चालू देयताएं**					
	(क) दीर्घकालीन ऋण	4	**131.19**		170.80	
	(ख) दीर्घकालीन देयताएं	5	**1,393.29**		495.40	
	(ग) दीर्घकालीन प्रावधान	6	**205.74**	**1,730.22**	419.42	1,085.62
4	**चालू देयताएं**					
	(क) व्यापार देय	7	**412.38**		468.60	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	8	**2,488.78**		1,721.67	
	(ग) अल्पकालीन प्रावधान	9	**766.45**	**3,667.61**	834.99	3,025.26
	कुल			**8,916.47**		7,436.61
II.	**परिसंपत्तियां**					
1	**गैर-चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) नियत परिसंत्तियां					
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां	10	**156.08**		177.57	
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	10	**513.99**		558.57	
	(iii) प्रगतिरत मूर्त परिसंपत्तियां	11	**21.40**		15.14	
	(iv) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	12	**143.28**		15.29	
	(ख) गैर-चालू निवेश	13	**554.67**		429.54	
	(ग) आस्थिगित कर परिसपत्ति (निवल)	14	**211.30**		267.91	
	(घ) दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	15	**597.96**		609.31	
	(ड.) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	16	**46.46**	**2,245.14**	66.61	2,139.94
2	**चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) वर्तमान निवेश	17	**131.99**		66.06	
	(ख) दरसूचियां	18	**149.01**		124.34	
	(ग) व्यापार प्राप्य	19	**682.13**		596.69	
	(घ) रोकड़ व बैंक शेष	20	**4,739.55**		3,432.69	
	(ड.) अल्पकालीन ऋण और अग्रिम	21	**515.31**		428.51	
	(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां	22	**453.34**	**6,671.33**	648.38	5,296.67
	कुल			**8,916.47**		7,436.61
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां का सार	1				
IV.	वित्तीय विवरण के भाग के रुप में नोट	2-53				

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी.के. ढींगरा एंड कपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000250एन

विपुल गिरोत्रा
साझेदार
स.सं. 084312

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

एम.के.सिंह
निदेशक वित्त
डीआईएन 06607392

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 00191363

सुमिता शर्मा
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः02.09.2016

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (सीआईएन - यू45203डीएल1976जीओआई008171)

समेकित लाभ और हानि का विवरण

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपये करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	**राजस्व:**			
	प्रचालन से राजस्व	23	2,472.26	3,037.64
	अन्य आय	24	437.26	267.33
	कुल राजस्व		**2,909.52**	**3,304.97**
II.	**व्यय:**			
	प्रचालनिक तथा प्रशासनिक व्यय	25		
	- प्रचालनिक व्यय		1,988.06	2,122.00
	- प्रशासनिक व्यय		30.51	33.69
	कर्मचारी लाभ व्यय	26	180.86	198.72
	वित्तीय लागतें	27	33.32	32.79
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन तथा हानि	10	74.25	57.25
	कुल व्यय		**2,307.00**	**2,444.45**
III.	**कर पूर्व लाभ (I - II)**		602.52	860.52
IV.	कर व्यय :			
	(1) चालू कर			
	- वर्ष के लिए		141.78	203.84
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		5.07	40.77
	(2) आस्थगित कर (निवल)	14	56.61	32.78
	कुल कर व्यय		203.46	277.39
V.	**वर्ष के लिए लाभ (अल्प हित के समायोजन से पूर्व) (III-IV))**		399.06	583.13
VI.	(आय)/घाटों में जमा/ (घटा)अल्प हित		(0.56)	(0.97)
VII.	**वर्ष के लिए लाभ (III-IV)**		**398.50**	**582.16**
VIII.	प्रति शेयर आमदनी - मूलभूत तथा विलयित (रु.में)	50	201.30	294.08
IX.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
VIII.	पूर्व अवधि समायोजन	29		
IX.	समेकित वित्तीय विवरण के भाग के रुप में नोट	2-53		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी.के. ढींगरा एंड कपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000250एन

विपुल गिरोत्रा
साझेदार
स.सं. 084312

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

एम.के.सिंह
निदेशक वित्त
डीआईएन 06607392

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 00191363

सुमिता शर्मा
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः02.09.2016

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (सीआईएन - यू45203डीएल1976जीओआई008171)

समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपये करोड़ में)

विवरण	नोट सं.	2015-16	2014-15
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		**602.52**	860.52
निम्न के लिए समायोजन:			
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि		**74.34**	57.32
निवेश की किश्तों पर छूट		**0.01**	0.01
परिसंपतियों(निवल) की बिक्री पर हानि/(लाभ)		**0.99**	1.41
ब्याज आय		**(245.25)**	(223.69)
लाभांश आय		**(5.05)**	(3.21)
प्रावधान - जमा (पश्चलिखित) (निवल)		**42.66**	(13.22)
आस्थगित कर		**56.61**	32.78
(आय)/हानियों में अल्प हित		**(0.56)**	(0.97)
विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		**(91.69)**	(20.73)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**(1)**	**434.58**	**690.22**
निम्न के लिए समायोजन:			
व्यापार प्राप्यों/ऋण और अग्रिम में कमी (वृद्धि)		**(138.59)**	191.52
मालसूचियों में कमी (वृद्धि)		**(24.67)**	(0.15)
अन्य परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि)		**244.22**	(193.93)
व्यापार देय राशियों में कमी (वृद्धि)		**(56.22)**	(123.14)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में कमी (वृद्धि)		**1,173.51**	123.03
अल्पसंख्यक हित में (कमी)/वृद्धि		**0.56**	0.96
	(2)	**1,198.81**	**(1.71)**
प्रचालन से सृजित रोकड़	**(1+2)**	**1,633.39**	**688.51**
प्रदत्त आयकर		**(107.54)**	(152.89)
प्रचालन गतिविधियों से निवल नगदी	**(क)**	**1,525.85**	**535.62**
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद		**(147.85)**	(31.91)
निवेश संपत्ति की खरीद		**0.00**	(15.84)
स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री		**4.39**	2.31
संयुक्त उपक्रम को ऋण		**(21.09)**	(37.14)
संयुक्त उपक्रम से ऋण का पुनर्भुगतान		**71.56**	-
प्राप्त ब्याज		**216.22**	240.99
प्राप्त लाभांश		**5.05**	3.21
बांड्स और इकिवटी में निवेश		**(125.19)**	-
(निवेश) / बैंक जमा राशिया की परिपक्वता (3 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि)		**(67.31)**	(871.56)
चालू निवेश (निवल) की (खरीद) /बिक्री		**(65.93)**	134.96
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी	**(ख)**	**(130.15)**	**(574.98)**
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
प्रदत्त लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)		**(219.20)**	(190.73)
दीर्घकालीन ऋणा का पुनर्भुगतान		**(25.01)**	(31.41)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी	**(ग)**	**(244.21)**	**(222.14)**
विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव	**(घ)**	**88.06**	**19.90**
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	**(क+ख+ग+घ)**	**1,239.55**	**(241.60)**
नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक)	**(ड.)**	**1,366.95**	**1,608.55**
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम)	**(च)**	**2,606.50**	**1,366.95**
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	**(च - ड.)**	**1,239.55**	**(241.60)**

नोट:

1. समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण को लेखांकन मानक-3/रोकड प्रवाह विवरण के रुप मे निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया है।
2. नगदी तथा नगदी समतुल्यों में कैश-इन-हैंड तथा बैंकों में शेष शामिल हैं।
3. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े रोकड़ के आऊटफ्लो को दर्शाते हैं।
4. पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां कहीं आवश्यक हुआ पुनः समूहित किए गए हैं।
5. नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम) में ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के प्रति 1275.18 करोड़ रु. (642.86 करोड़ रु) जिस पर उन्हें ब्याज दिया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी.के. ढींगरा एंड कपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000250एन

विपुल गिरोत्रा
साझेदार
स.सं. 084312

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

एम.के.सिंह
निदेशक वित्त
डीआईएन 06607392

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 00191363

सुमिता शर्मा
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः02.09.2016

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

(i) समूह संबंधी सूचना

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) टर्नकी आधार पर तथा अन्यथा रेल परियोजनओं के निष्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त एक सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी है। कंपनी गुणवत्ता, पर्यावरण तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए एक आईएसओ प्रमाणित कंपनी ; अनुसूची-क की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तथा एक मिनि रत्न श्रेणी-। कंपनी है। रेल निर्माण कंपनी के रुप में अपना व्यवसाय (सामूहिक रुप से समूह में) आरंभ करने के पश्चात, इसने अपनी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के साथ सड़क, भवन निर्माण, इलैक्ट्रिकल उपस्टेशन तथा संवितरण, हवाईअड्डा निर्माण, वाणिज्यिक परिसरों तथा मैट्रो निर्माण कार्यों के क्षेत्रों में धीरे-धीरे अपने व्यापार का विस्तार किया है। यह समूह घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कार्यरत है।

(ii) तैयार करने के आधार

क) ये समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर प्रोदभवन आधार पर तथा निरन्तर तथा वस्तुता के आधारभूत भारत में सामान्यत् स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों (जीएएपी) की तर्ज पर तैयार किए जाते हैं। सामान्यत् स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों (जीएएपी) में कंपनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम-7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत धारा-133 तथा अधिनियम के प्रावधानों (अधिसूचित स्तर तक) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार अनिवार्य लेखांकन मानक शामिल हैं। लेखांकन नीतियों का निरंतर अनुप्रयोग किया गया है, उन स्थानों को छोडकर जहां नए रुप से जारी लेखांकन मानकों को आरंभिक तौर पर अपनाया गया है या लेखांकन नीति में परिवर्तन की अपेक्षा अनुसार मौजूदा लेखांकन मानक को संशोधित किया गया है।

ख) वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अपेक्षित है कि प्रबंधन ऐसे अनुमान और आंकडे त़ैयार करे जो परिसंपत्तियों और देयताओं की रिपोर्टिंग राशि तथा वित्तीय विवरणों की तिथि को आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और वर्ष के लिए राजस्व और व्यय की रिपोर्टिंग राशि शामिल है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। भावी परिणाम इन अनुमानों में अंतर के कारण हो सकता है और उस अवधि मे वास्तविक परिणाम और प्रदान किए गए अनुमानों के बीच अंतर के कारण भी हो सकता है।

ग) समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रूपए में दर्शाए जाते हैं तथा सभी मूल्य करोड़ रुपए सहित दो दशमलव बिन्दुओं के निकटवर्ती रूप में होते हैं बशर्ते अन्यथा दर्शाया गया हो।

(iii) समेकित वित्तीय विवरण

(क) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों को अंतर-समूह शेषों तथा अंतर-समूह संव्यवहारों पर अवास्तविक लाभ/हानि को समाप्त करने के पश्चात, परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय जैसे समान मदों के बही मूल्य को जोड़कर रेखा-दर-रेखा आधार पर समेकित किया जाता है, और यथासंभव कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के समान ही प्रस्तुत किया जाता है।

(ख) संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों में कंपनी का हित इंट्रा-समूह संव्यवहारों पर वसूल न किए गए लाभ/हानि को अलग करने के पश्चात परिसंपत्तियों के बही मूल्य, देयताओं, आय और व्ययों के एक साथ जोड़कर रेखा-दर-रेखा आधार पर आनुपातिक रुप में समेकित किया जाता है।

(ग) संयुक्त रुप से नियंत्रित प्रचालनों के मामले में, राजस्व में कंपनी का भाग, संयुक्त व्यय, परिसंपत्तियों तथा देयताओं को क्रमशः राजस्व, व्ययों, परिसंपत्तियों तथा देयताओं में शामिल किया जाता है।

(घ) कंपनी के शेयरधारकों के प्रति शुद्ध आय का आकलन करने के लिए आय के प्रति वर्ष के लिए समेकित सहायक कंपनियों के शुद्ध लाभ में अल्पसंख्यक हित को चिह्नित और समायोजित किया गया है। शुद्ध परिसंपत्तियों के उनके भाग को समेकित तुलन पत्र में पृथक रुप से चिह्नित और प्रस्तुत किया गया है।

(iv) विदेशी मुद्रा संव्यवहार

क) भारतीय प्रचालनों के संव्यवहार

विदेशी मुद्रा सौदों का रूपान्तरण निम्न रीति से किया जाता हैः

i) समस्त विदेशी मुद्रा सौदों का भारतीय मुद्रा रूपांतरण सौदे की तारीख पर प्रचलित दर पर किया जाता है।

ii) स्थिर परिसंपत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख

पर दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।

iii) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपतियों के मूल्य परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।

iv) विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक मदों और आकस्मिक देयताओं को प्रत्येक तुलनपत्र तिथि को प्रचालित समापन क्रय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

ख) एकीकृत विदेशी प्रचालनों में संव्यवहार

विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा संव्यवहारों का परिवर्तन निम्न प्रकार किया जाता है।

i) राजस्व मदों को अंतरण की तिथि को विद्यमान दर के आधार पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

ii) स्थिर परिसम्पत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख को विद्यमान दर पर परिवतिर्त किया जाता है।

iii) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपत्तियों का मूल्य परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।

iv) मुद्रित मदें तथा आकस्मिक देयताएं प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को प्रचालित अंतिम क्रय का उपयाग करके परिवतिर्त की जाती हैं।

ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) पर रूपान्तरणों के परिणामस्वरूप निवल विनिमय अंतरों को वर्ष के लिए आय या व्यय के रुप में लिया गया है।

घ) गैर एकीकृत विदेशी प्रचालनों के संव्यवहार

गैर-एकीकृत विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित प्रकार से रूपांतरित किया जाता हैं -

iv) परिसम्पत्तियों तथा दायित्व, मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक दोनों को अंतिम क्रय दर पर रूपांतरित किया जाता है।

v) आय और व्यय मदों को संव्यवहार की तिथि को दर पर रूपांतरित किया जाता है।

vi) सभी परिणामी विनियम अंतर को शुद्ध निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि में एकत्र किया जाता है तथा इसे उसी अवधि में आय या व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें निपटान पर लाभ या हानि को पहुंचाया गया है।

(v) स्थिर परिसम्पत्तियाँ

मूर्त परिसंपत्तियां

(क) मूर्त परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास तथा अर्जन घाटों, यदि कोई हो, को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।

(ख) मशीनरी स्पेयर्स जो केवल मूर्त परिसंपत्तियों के मद के संबंध में उपयोग किए जा सकते हैं और जिनका उपयोग अधिनियमित होने की प्रत्याक्षी है, उन्हें पूंजीगत तथा ऐसी मूर्त परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल पर मूल्यह्रासित/परिशोधन किया जाता है।

(ग) वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख तक किए गए निर्माण अवधि के दौरान प्रासांगिक व्यय को पूंजीगत किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

(क) अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब यह संभावना हो कि भावी आर्थिक लाभ, जो उस परिसंपत्ति के परिणामस्वरुप हैं, वे उपक्रम में प्रवाहित होंगे और परिसंपत्ति के मूल्य का विश्वसनियता के साथ मापन किया जा सकेगा। अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रकटन ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षति, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

(ख) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां किए गए तथा लागत पर वहन चालू व्यय को दर्शाती हैं।

(ग) टोल एकत्रण अधिकारों को दर्शाने वाले कैरिज-वे निर्माण, प्रचालन तथा हस्तांतरण आधार पर परियोजनाओं के निर्माण और अनुरक्षण से संबंधित निर्माण कार्य, प्रचालन और सेवाओं को प्रदान करने पर विचार करते हुए प्राप्त किया जाता है। ऐसे कैरिज-वे की लागत में क्रियान्वयन चरण के दौरान निर्माण लागत और अन्य प्रचालनपूर्व लागतें तथा एनएचएआई को देय ऋणात्मक अनुदान शामिल है।

प्रगतिरत पूंजीगत कार्य

निर्माण गतिविधियों से संबंधित सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्ययों

को पूंजीकृत और लागत पर मूल्यित किया गया है।

(vi) निवेश

क. गैर-चालू निवेशों का मूल्यांकन लागत पर मूल्य में स्थायी गिरावट के लिए प्रावधान को घटाकर किया जाता है, यदि कोई हो।

ख. चालू निवेशों को लागत पर या उचित मूल्य पर, जो भी कम हो, आंका जाता है।

ग. भूमि या भवनों में निवेश, जिसका प्रयोजन व्यापक स्तर पर कंपनी द्वारा प्रयोग या प्रचालन के लिए के लिए नहीं है, उसे निवेश परिसंपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेश परिसंपत्तियों को लागत, संचित मूल्यह्रास और संचित हानियों, यदि कोई हो, के निवल के रुप में उल्लिखित किया जाता है।

(vii) मालसूचियां

क) प्रगतिरत निर्माण कार्य

प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के आउटकम को विश्वसनियता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यित किया जाता है।

ख) अन्य

i) लागत लाभ ठेकों में, सभी सामग्रियों, स्पेयर्स और भंडारों जो संविदा की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य नहीं है उन्हें नीचे (iii) के अनुसार दर सूची मूल्य के रुप में दर्शाया गया है।

ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी संविदाओं के संबंध में, सभी सामग्रियों (पूंजीकृत को छोड़कर) के उपयोग को वर्ष लाभ और हानि लेखा को प्रभारित किया जाता है।

iii) मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

iv) अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(viii) रोकड़ एवं बैंक अधिशेष

रोकड़ एंव बैंक शेष में बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, उपलब्ध चैक, मांग जमा तथा तुलन पत्र की तिथि से 12 महीने के भीतर की अवधि में परिपक्व होने वाली बैंक जमा खाते शामिल होते है।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

(ix) अनुदान

(क) एनएचएआई से निर्माण अवधि के दौरान प्राप्त पूंजीगत अनुदान को शेयरधारक निधि के भाग के रुप में लेखांकित किया गया है क्योंकि यह इक्विटी सहायत की प्रकृति के समान है और इसे पूंजी आरक्षित निधि के रुप में माना जाता है।

(ख) एनएचएआई से निर्माण अवधि के दौरान प्राप्त राजस्व अनुदान को लेखांकित किया गया है और प्राप्त होने पर इसे आय के भाग के रुप में प्राप्त किया जाएगा व माना जाएगा तथा इसे लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाएगा।

(ग) प्रचालनिक अवधि के दौरान एनएचएआई को देय ऋणात्मक अनुदान को निर्माण चरण की समाप्ति पर लेखांकित किया जाएगा और इसे आस्थगित भुगतान देयता पर अमूर्त भुगतान देयता की पहचान पर अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत टोल एकत्रण अधिकारों के भाग के रुप में पूंजीकृत किया जाएगा।

(x) प्रावधान

क. अनुरक्षण के लिए प्रावधान

i) लागत जमा निविदा में, जहां लागत प्रतिपूर्ति योग्य हो वहां अनुरक्षण के लिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

ii) संविदागत बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के मामलों में समूह का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसमें संविदागत बाध्यता, उप ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

iii) प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में प्रत्येक आंकलित संविदा में प्रबंधन के जोखिम अनुमान के आधार पर अभिकल्प गारंटी अवधि के दौरान अनिश्चित व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है। तथापि, यह न्यूनतम 50 लाख रुपए तथा अधिकतम ग्राहक के साथ संविदा करार में विनिर्दिष्ट अभिकल्प गारंटी की राशि के बराबर होगा।

ख) विनियोजन के लिए प्रावधान

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशाक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

ग़) संदिग्ध ऋणों/ अग्रिमों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋण/अग्रिमों के लिए प्रावधान किया जाता है, जब देयों की अवधि को ध्यान में रखे बिना इनकी वसूली अनिश्चित हो । तीन वर्षों से अधिक अवधि के बकायों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है बशर्ते यह राशि वसूलनीय समझी जाय। ऋणों/अग्रिमों को बट्टे खाते डाल दिया जाता है, जब उनकी अनिश्चितता स्थापित हो जाए।

घ) अन्य

प्रावधान किए जाते हैं जब :-

i) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में समूह का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,

ii) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की सम्भावना हो, और

iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

(xi) राजस्व मान्यता

(क) संविदा राजस्व मान्यता

संविदा राजस्व का अनुमान उस स्तर तक लगाया जाता है जहां तक यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ समूह को मिलते रहेंगे तथा राजस्वों का विश्वसनीय तौर पर आकलन किया जा सकेगा। संविदा प्रकृति के आधार पर राजस्व का अनुमान निम्न रूप में किया जाता है :

(i) लागत लाभ ठेकों में राजस्व का आकलन ग्राहकों को भेजे जाने वाले बिलों में व्यय की स्वीकार्य मदों और उन पर निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रभारित करके किया जाता है।

(ii) नियत मूल्य ठेकों में राजस्व का आकलन प्रमाणित कार्य की सम्पूर्ण लागत तथा पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए आनुपातिक लाभ को शामिल करके किया जाता है । पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का निर्धारण उस तारीख को लगाई गई लागत के ठेके की कुल अनुमानित लागत के अनुपात के रुप में किया जाता है ।

इस अवधि में किसी भी हानि के लिए पूर्ण प्रावधान होता है।

(iii) समूह के पक्ष में दिए गए दावों/मध्यस्थता (उस पर ब्याज सहित), जो संविदा की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की प्रकृति में है, को संविदा राजस्व पर लेखांकित किया जाता है, जब उन्हें प्रदान किया गया है और जब ऐसे दावों/अवार्डों की वसूली की पूर्ण निश्चितता हो।

राजस्व में बिक्रीकर/वेट/डब्ल्यूसीटी/सेवाकर आदि सम्मिलित नहीं हैं, जिसमें इसे सोचा गया है।

(ख) टॉल शुल्क

सुविधाओं के प्रयोक्ताओं से टोल शुल्क एकत्रण को उस समय लेखांकित किया जाता है जब वे देय होते हैं और वसूली निश्चित हो जाती है। स्मार्ट कार्डों की बिक्री से आय को उस समय लेखांकित किया जाता है जब कार्डों के प्रयोक्ताओं से राशि प्राप्त हो जाती है।

(ग) अन्य राजस्व मान्यता

(i) लाभांश आय को उस समय लेखांकित किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(ii) ब्याज आय को बकाया राशि और लागू ब्याज दर का ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(xii) पट्टे

i) प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों की पट्टा अदायगी अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि लेखा विवरण में आय के रूप में लिया गया है।

ii) प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की पट्टा आय को पट्टा अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में लिया गया है।

(xiii) निर्णीत हर्जाना और वृद्धि

i) संविदागत बाध्यताओं के कारण उत्पन्न विलंबों के परिणामस्वरुप निर्णीत हर्जानों/दंडों (एलडी) और संभावित रुप से ठेकेदारों द्वारा रोक दिया गया हो/विवादित हों, को इस संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात ही संविदा लागत के प्रति समायोजित किया जाता है। तथापि, ग्राहक द्वारा वसूले गए/रोके गए निर्णीत हर्जानों को वसूली में लेखांकित किया जाता है और संविदा राजस्व के प्रति समायोजित किया जाता है। दंड लगाए जाने के उनके अधिकार के मद्देनजर ग्राहक द्वारा समय विस्तार दिए जाने वाले मामलों में संभावित निर्णीत हर्जानों को आकस्मिक देयता के रुप में दर्शाया जाता है।

ii) वृद्धि प्राप्य/देय को ठेके के प्रावधान के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। वृद्धि प्राप्य लेकिन परियोजना लेखों को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व प्रमाणित न हो तो, उसे चालू कार्य में शामिल किया जाता है।

(xiv) अनुसंधान और विकास व्यय

अनुसंधान से संबंधित राजस्व व्यय को लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। उत्पादों की विकास लागत को लाभ हानि विवरण में तब तक प्रभारित नहीं किया जाता है जब तक कि उत्पाद की तकनीकी व्यवहार्यता सिद्ध न हो जाए और ऐसे मामले में ऐसे व्ययों को पूंजीकृत किया जाता है।

(xv) संसाधनों को जुटाने पर व्यय

संसाधनों को जुटाने के लिए नई परियोजनाओं पर आरम्भिक ठेका व्ययों का निर्धारण उस कार्य के वर्ष में प्रगतिरत निर्माण कार्य के रुप में किया जाता है जिसे वित्त वर्ष के अन्त में ठेके के पूरा होने के स्तर पर उसी प्रतिशत में आगामी वर्षों के लिए परियोजना में पूर्व दरों पर प्रभारित माना जाएगा ।

(xvi) मूल्यह्रास एवं परिशोधन

मूर्त परिसंपत्तियां

क) मूर्त पसिंपत्तियों पर मूल्ह्रास का प्रावधाना कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-।। में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर सीधी लाइन आधार (एसएलएम) पर किया जाता है।

ख) पट्टे की भूमि के संबंध में (पट्टे से इतर) मूल्यह्रास पट्टे की अवधि के अनुपात में प्रदान किया जाता है।

ग) वर्ष के दौरान पृथक रुप से 5000 रू. तक की लागत वाली मूर्त परिसम्पत्तियों को पहचान के लिए 1 रुपए के टोकन मूल्य के आधार पर पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

साफ्टवेयर की लागत को को उक्त साफ्टवेयर के सफलतापूर्वक प्रचालित होने की तिथि से सीधी रेखा आधार पर 36 महीनों के अवधि में परिशोधित किया जाएगा बशर्ते प्रत्येक वित्त वर्ष में अंत में इसकी समीक्षा हो। तथापि, प्रत्येक मामले मे 1 लाख रुपए तक की साफटवेयर लागत को पहचान के लिए 1 रुपए के टोकन मूल्य को रखते हुए क्रय के वर्ष मे पूर्णत परिशोधित किया जाएगा।

(xvii) क्षति

किसी परिसंपत्ति को क्षतिपूर्ण तब माना जाता है जब उक्त परिसंपत्ति की वसूलनीय मूल्य परिसंपत्ति की वहन लागत से अधिक हो जाता है। इंपेयर्ड हानि को उस वर्ष के लाभ हानि खाते में लेखांकित किया जाता है, जिसमें परिसंपत्ति को क्षति के रुप में पहचाना गया है। पूर्व लेखांकन अवधि में लेखांकित इंपेयर्ड क्षति को रिवर्स किया जाता है यदि वसूलीयोग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है और ऐसी हानियां अब विद्यमान नहीं हैं या कम हो गई हैं। व्युत्क्रम या आंशिक हानियों को लाभ व हानि विवरण में लेखांकित किया जाएगा।

(xviii) उधार लागतें

i) सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रुप में प्राभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं।

ii) पूँजीगत परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उतरदायी उधार लागतों को पूंजीगत किया जाता है।

(xix) कर्मचारी लाभ

(क) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

i) प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किए जाने के लिए संभावित अल्पकालीन कर्मचारी लाभों की गैर-रियायती राशि को उस अवधि के दौरान व्यय के रुप में लेखांकित किया जाएगा जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

(ख) सेवा पश्चात लाभ तथा अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

i) भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के रुप में सेवानिवृत्ति लाभ परिभाषित अंशदान योजना है। भविष्य निधि ट्रस्ट तथा पेंशन ट्रस्ट के लिए अंशदान को उस वर्ष के लिए लाभ हानि खाते के विवरण में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष अंशदान देय है।

ii) समूह ने उपदान ट्रस्ट का निर्माण किया है। उपदान ट्रस्त में अंशदान वास्तविक आधार पर मूल्यांकन को परिवर्तित करके उस वर्ष के लाभ हानि विवरण में किया गया है जिस वर्ष वह देय है।

iii) दीर्घकालीन छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर वर्ष के अंत में किया गया है।

(xx) पूर्व अवधि समायोजन और अन्य मदें

i) आय/व्यय से संबधित पूर्व अवधि और पूर्वदत व्यय जो प्रत्येक मामले में 100000 रू से अधिक न हों, उन्हें चालू वर्ष का आय/व्यय माना जाता है।

ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबधित व्ययों को व्यय-भार के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(xxi) कर

i) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है। अतिरिक्त करों या दायित्वों, यदि कोई हो, जैसे ही और जब निर्धारण पूरा होता है, उनका प्रबन्ध/अदायगी कर दी जाती है।

ii) आस्थिगित कर परिसंपत्त्यिों का निर्धारण केवल उसी स्तर तक किया जाता है, जहां युक्तिसंगत निश्चितता हो कि आस्थगित पर परिसंपत्तियों को छोड़ कर पर्याप्त भावी आय उपलब्ध होगी, यदि वहां गैर-आमेलित मूल्यह्रास या हानियां होती हैं तो इन्हें उस स्थिति में निर्धारित किया जाएगा जब वहां वास्तविक निश्चितता हो कि उसकी वसूली के लिए पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध होगी।

iii) आस्थगित आयकर का निर्धारण तुलनपत्र की तारीख तक बनाई गई या वास्तविक रूप से बनाई गई कर दरों और कर कानूनों के आधार पर किया जाता है।

(xxii). खण्ड रिपोर्टिंग

कंपनी ने परियोजना की भौगोलिक अवस्थिति यथा, देशीय और अंतर्राष्ट्रीय आधार पर दो प्राथमिक रिपोर्टिंग खण्डों की और निर्माण व्यवसाय और परिसम्पतियों को पट्टे पर देने और इसके प्रचालन (पट्टा व प्रचालन) पट्टे पर और प्रचालन के आधार पर दो द्वितीयक रिपोर्टिंग खंडों की पहचान की है।

(xxiii) प्रति शेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की संख्या का औसत है। प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

(xxiv) आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।

i. भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हो, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या

ii. वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हो; या

iii. एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

ख) आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

2. शेयर पूंजी

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2016 को	31मार्च 2015 को
प्राधिकृत		
10,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु.		
(25,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु.)(v)	**100.00**	**25.00**
निगमित, अभिदत्त और प्रदत्त		
1,97,96,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु. के - पूर्णत प्रदत्त		
(1,97,96,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु. के - पूर्णत प्रदत्त)	**19.80**	**19.80**
कुल	**19.80**	**19.80**

i) धारित शोयरों की संख्या का वितरण:

विवरण	31मार्च 2016 को		31मार्च 2015 को	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार को	**19,742,400**	**99.729%**	19,742,400	99.729%
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	**48,800**	**0.247%**	48,800	0.247%
बैंक आफ इंडिया	**4,800**	**0.024%**	4,800	0.024%
कुल	**19,796,000**	**100%**	**19,796,000**	**100%**

ii) रोकड़ से इतर जारी शेयर

पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी बांड शेयर : वित्त वर्ष 2012-13 में 1:1 के अनुपात में पूर्णत प्रदत्त बोनस शेयरों के रुप में प्रत्येक 10 रुपए के 98,98,000 इक्विटी शेयर।

iii) शेयरों के साथ संलग्न शर्तें/ अधिकार :

(क) वोटिंग

कंपनी में केवल 10 रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है।

(ख) लाभांश

कंपनी भारतीय रुपए में लाभांश की घोषणा और भुगतान करती है। अंतरिम लाभांश की स्थिति को छोड़ कर निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के बाद ही जारी किए जाते हैं।

(ग) दिवालियापन

कंपनी के दिवालियेपन की स्थिति में शेयरधारक सभी प्रेफरेंशियर राशियों के वितरण के पश्चात, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इनका संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगी ।

iv) इक्विटी शेयरों और शेयर पूंजी की संख्या का पुनर्विनियोजन:

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
	शेयरों की संख्या	करोड़ रुपए	शेयरों की संख्या	करोड़ रुपए
वर्ष के आरंभ में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	**19,796,000**	**19.80**	19,796,000	19.80
जमाः वर्ष के दौरान जारी शेयर	**-**	**-**	-	-
वर्ष के अंत में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	**19,796,000**	**19.80**	**19,796,000**	**19.80**

v) दिनांक 22.12.2015 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि को अनुमोदन प्रदान किया गया था और दिनांक 13.04.2016 के पत्र के तहत रेल मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त हुआ।

3. आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(रुपये करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31मार्च 2016 को		31मार्च 2015 को	
क. पूंजी आरक्षित निधि	(i)		**14.15**		14.15
ख. सीएसआर आराक्षित निधि					
आरंभिक शेष		**-**		1.71	
घटा :- लाभ और हानि विवरण में अंतरण		**-**	**-**	1.71	-
ग. विदेशी विनिमय उच्चावचन आरक्षित निधि			**(2.90)**		0.73
घ. सामान्य आरक्षित निधि					
अधिशेष		**3,269.77**		2,904.81	
जोड़ें: लाभ और हानि विवरण मं अधिशेष से अंतरित (संदर्भ (ड.)नीचे		**195.98**	**3,465.75**	364.96	3,269.77
ड. लाभ और हानि विवरण में अधिशेष					
चालू वर्ष के लिए निवल लाभ		**398.50**		582.16	
विनियोजन					
जमा:					
- सीएसआर गतिविधि आरक्षित निधि से अंतरण		**-**		1.71	
घटा:					
-अंतरिम लाभांश		**79.18**		79.18	
(प्रति शेयर लाभांश रु. 40/- (रु. 40/-)					
-प्रस्तावित लाभांश		**89.08**		102.94	
(प्रति शेयर लाभांश 45/- (रु. 52/-)					
-अंतरिम लाभांश पर कर		**16.12**		15.83	
-प्रस्तावित लाभांश पर कर		**18.14**		20.96	
-सामान्य आरक्षित निधियों में अंतरण		**195.98**	**-**	364.96	-
कुल			**3,477.00**		**3,284.65**

पूंजीगत आरक्षित निधि में एनएचएआई से प्राप्त पूंजीगत अनुदान को दर्शाया गया है।

4. दीर्घकालीन देयताएं

(रुपये करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
(क) सावधि ऋण (रक्षित)					
बैंक से			**113.58**		162.60
(ख) सावधि ऋण (अरक्षित)					
अन्य पक्षों से					
- साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड		**41.48**		25.64	
- सीएसआईडीसीएल		**6.22**			
- राइट्स लिमिटेड		**-**		34.77	
- सीएफएम		**18.41**	**66.11**	16.46	76.87
पूर्ण योग (क+ख)			**179.69**		239.47
घटा : "अन्य चालू देयतएं" के अंतर्गत चालू परिपक्व राशियां (संदर्भ नोट 8)			**48.50**		68.67
कुल			**131.19**		**170.80**

फुट नोट:

(i) इरकॉन सोमा टॉलीवे प्रा.लि(आईएसटीपीएल) द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से लिए गए ऋण के 50% भाग पर मूल दर में परिवर्तन और वर्तमान में 10.85 प्रतिशत प्रति वर्ष (31 मार्च 2015 को 11.25 प्रतिशत प्रति वर्ष) की दर से ब्याज के कारण वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ऋणदाता बैंक जमा सावधि प्रीमियम जमा 0.75 प्रतिशत के मूल दर पर लगाया गया है। ऋण का पुनर्भुगतान दिसंबर 2011 से सितंबर 2022 तक 40 समान तिमाही किश्तों में किया जाएगा जो रु 3,40,00,000/- से रु. 30,00,00,000/-होगा। यह ऋण निम्नानुसार रक्षित होगाः

क) अचल संवर्धनीय परिसंपत्तियों, यदि कोई हो, पर प्रथम प्रभार और मॉर्टगेज;

ख) इस परियोजना से संबंधित वर्तमान तथा भावी दोनों प्रकार की चल परिसंपत्तियां का प्रथम प्रभार और आडमार। इसमें रियायत करार में परिभाषित अनुसार परियोजना परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं बशर्ते एनएचएआई द्वारा सहमति प्रदान की जाए।

ग) एस्क्रो खाते सहित ऋणदाताओं के सभी बैंक खाते (खातों) पर प्रथम प्रभार ऐस्क्रो करार के प्रावधान के अनुसार प्राथमिकताओं के प्रवाह के स्तर तक ही होगा और इससे आगे तथा अप्रार्थित पूंजी (वर्तमान तथा भावी) के लिए नहीं होगा बशर्ते यह रियायत करार के अंतर्गत अनुमेय स्तर तक होगा।

घ) प्रतिस्थापन के अधिकार के मामले में ऋणदाता के सभी अधिकारों, हित और दायित्वों हेतु या देनदार के पक्ष में कार्य निर्धारण के रुप में प्रभारित होगा।

ड.) ऋण पत्र, गारंटी और कार्यनिष्पादन बांडों (यदि कोई हो), के अंतर्गत परियोजना के संबंध में सभी ऋणदाता अधिकारों तथा हितों पर प्रभारित अनुसार प्रथम प्रभार, जो ऋणदाता द्वारा परियोजना के संबंध में किसी संविदा के किसी पक्ष द्वारा प्रदान की गई है।

च) बीमा संविदाओं की प्रक्रियाओं के भीतर सभी बीमा संविदाओं पर अधिकार, एस्क्रो करार के अंतर्गत जमा कराया जाएगा और बीमा करारों में एस्क्रो बैंक को घाटा अदाता के रुप में नामित किया जाएगा।

छ) ऋणदाता की जारी तथा प्रदत्त और वोटिंग शेयर पूंजी में धारक कंपनी की शेयर धारिता के 30 प्रतिशत तथा आईएसटीपीएल में स्टेकधारण के 21 प्रतिशत के लिए धारक कंपनी की गैर-निपटान शपत।

(ii) संयुक्त उद्यम कंपनी यथा छत्तीसगढ पूर्वी रेलवे लिमिटेड और छत्तीगढ पूर्व पश्चिम रेलवे द्वारा साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड तथा सीएसआईडीसी से ऋण के 26 प्रतिशत भाग पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि 5 वर्ष होगी जिसमें परियोजना निर्माण में शामिल समय नहीं होगा अर्थात ऋण करार की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक सीमित मोरेटोरियम अवधि।

(iii) सीसीएफबी द्वारा राइट्स लिमिटेड से लिए गए ऋण के 26 प्रतिशत भाग को दिनांक 21.10.2015 को हस्ताक्षरित करार के निपटान के दृष्टिगत मोजांबीक सरकार से देयों के साथ समायोजित किया गया है।

(iv) सीएफएम पर रु. 18.41 करोड़ (रु. 16.46 करोड़) की राशि के लिए बकाया ऋण सीसीएफबी द्वारा लिए गए ऋण क 25 प्रतिशत भाग है जिस पर लिबोर की दर से (छह माह) से ब्याज लगेगा जमा 3 प्रतिशत अतिरिक्त। यह ऋण 16 वार्षिक किश्तों में 8 वर्षों की अवधि में द्वि-वार्षिक आधार पर पुनर्भुगतान किया जाएगा, और इसकी मूल राशि तथा ब्याज की राशि की प्रथम किश्त 1 जुलाई 2011 को और अंतिम किश्त 1 जनवरी 2019 को देय होगी। तथापि, मोजांबीक सरकार द्वारा रियायत करार को समाप्त किए जाने के कारण, रु. 18.41 करोड़ (रु. 16.46 करोड़) के सभी बकाया भुगतान (ब्याज सहित) फरवरी 2012 से भुगमान के लिए ओवरड्यू हैं।

5. दीर्घकालीन देयताएं

(रुपये करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
(क)व्यापार देय			
" - सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग (नोट 45 का संदर्भ लें)"		-	-
- अन्य		**5.82**	8.38
(ख) अन्य देयताएं			
- ग्राहकों से अग्रिम	(i)	**944.41**	88.40
- प्रतिधारण राशि/प्रतिभूति जमा		**145.56**	101.12
- एनएचएआई को देय आस्थगित ऋण देयता		**297.50**	297.50
कुल		**1,393.29**	**495.40**

फुट नोट:

i) ग्राहकों से अग्रिमों पर देय ब्याज शामिल है - शून्य रु. (रु. 12.40 करोड़)

6. दीर्घकालीन प्रावधान

(रुपये करोड़ में)

विवरण		31मार्च 2016 को		31मार्च 2015 को	
(क)	**कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान: (नोट सं 28 और 46 का संदर्भ लें)**				
i)	उपदान	**0.03**		61.81	
ii)	छुट्टी वेतन	**73.15**		76.30	
iii)	सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान	**1.21**		1.20	
iv)	सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ	**0.82**		1.36	
v)	यात्रा छुट्टी रियायत	**0.20**	**75.41**	0.12	140.79
(ख)	**अन्य प्रावधान:** (नोट सं 28 का संदर्भ लें)				
i)	विसंग्रहण	**0.54**		7.89	
ii)	अनुरक्षण	**69.62**		164.79	
iii)	डिजाईन गारंटी	**60.17**		105.36	
iv)	अन्य व्यय	**-**	**130.33**	0.59	278.63
कुल			**205.74**		**419.42**

7. व्यापार देय राशियां

(रुपये करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
व्यापार देय राशियां			
" - सूक्ष्म, लधु तथा मध्यम उद्योग (नोट 48 का संदर्भ लें)"			
- अन्य			
(क) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता		**402.41**	460.31
(ख) संबंधित पक्ष		**4.84**	4.58
(ग) अन्य		**5.13**	3.71
कुल		**412.38**	**468.60**

8. अन्य चालू देयताएं

(रुपये करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31मार्च 2016 को		31मार्च 2015 को	
(क) दीर्घकालीन ऋणों की चालू परिवक्वता			**48.50**		68.67
(ख) ऋणों पर संचित ब्याज और देय			**-**		1.28
(ग) अग्रिम ठेका प्राप्तियां			**83.53**		30.09
(घ) ग्राहकों से अग्रिम	(i)		**1,799.09**		1,056.62
(ड.) जमा राशियां व प्रतिधारण राशि			**469.43**		493.57
(च) सांविधिक देय		**248.32**		212.59	
घटा :- विरोध में जमा राशि		**(203.45)**	**44.87**	(184.31)	28.28
(छ) बही ओवरड्राफ्ट			**0.02**		0.10
(ज) स्टाफ			**7.63**		1.79
(झ) अन्य	(ii)		**35.71**		41.27
कुल			**2,488.78**		**1,721.67**

फुट नोट:

i) (क) ग्राहकों से अग्रिम राशियों पर देय ब्याज सहित - **रु. 79.54 करोड़** (रु. 67.96 करोड़)।
(ख) छत्तीसगढ पूर्वी रेलवे लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी से प्राप्त **15.79 करोड़ रुपए** (शून्य रुपए) सहित।
(ग) छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी से प्राप्त **0.57 करोड़ रुपए** (2.40 करोड़ रुपए) सहित।

ii) बकाया व अन्य देयताओं सहित।

9. अल्पकालीन प्रावधान

(रुपये करोड़ में)

	विवरण	31मार्च 2016 को			31मार्च 2015 को		
(क)	**"कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान: (नोट सं 28 और 46 का संदर्भ लें)"**						
i)	उपदान		**0.00**			4.52	
ii)	छुट्टी वेतन के लिए		**10.03**			6.94	
iii)	सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान		**0.13**			0.08	
iv)	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ		**3.38**			5.97	
v)	पेंशन		**-**			26.18	
vi)	कार्यनिष्पादन संबंधित वेतन		**12.30**			18.82	
vii)	छुट्टी यात्रा रियायत		**0.03**	**25.87**		0.01	62.52
(ख)	**अन्य प्रावधान: (नोट सं 28 का संदर्भ लें)**						
i)	विसंग्रहण के लिए		**23.12**			40.59	
ii)	अनुरक्षण के लिए		**69.69**			37.01	
iii)	प्रत्याशित घाटा		**22.17**			12.56	
iv)	अभिकल्प गारंटी		**45.79**			52.72	
v)	कानूनी मामले		**78.76**			72.05	
vi)	अन्य व्यय		**96.41**			49.68	
vii)	आय कर	**962.73**			913.86		
	घटाः अग्रिम कर (टीडीएस सहित)	**(665.31)**	**297.42**		(529.89)	383.97	
viii)	प्रस्तावित लाभांश		**89.09**			102.93	
ix)	लाभांश पर कर (प्रस्तावित)		**18.13**	**740.58**		20.96	772.47
कुल				**766.45**			**834.99**

10. स्थिर परिसंपत्तियां

(रुपये करोड़ में)

	स्थिर परिसंपत्तिया	फुट नोट	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास				क्षति	निवल ब्लॉक	01.04.2015 को
			01.04.2015 को	जमा	बिक्री/ समायोजन	31-3-2016 को	31-3-2016 तक	वर्ष के लिए	बिकी/ समायोजन	31-3-2016 तक	31.03.2016 को	31.03.2016 को	
क	**मूर्त परिसंपत्तियां**												
	स्वामित्व भूमि		2.31	-	-	**2.31**	-	-	-	-	-	2.31	2.31
	पट्टे की भूमि	(v)	36.39	-	-	**36.39**	0.19	0.01	-	0.20	-	36.19	36.20
	पट्टे के भवन	(iv)	43.11	0.48	-	**43.59**	6.57	0.90	-	7.47	-	36.12	36.54
	पूर्णस्वामित्व भवन/फ्लैट आवासीय	(i)	8.73	-	-	**8.73**	2.69	2.45	-	5.14	-	3.59	6.04
	पूर्णस्वामित्व भवन/फ्लैट गैर आवासीय		7.17	0.12	(0.03)	**7.26**	1.14	1.51	-	2.65	-	4.61	6.03
	संयंत्र और मशीनरी	(i & ii)	372.65	2.46	(7.34)	**367.77**	286.51	21.57	(2.14)	305.94	0.87	60.96	85.27
	सर्वेक्षण संयंत्र		3.35	0.82	(0.33)	**3.84**	3.10	0.07	(0.33)	2.84	-	1.00	0.25
	कम्प्यूटर		8.62	0.80	(0.57)	**8.85**	7.72	0.53	(0.56)	7.69	-	1.16	0.90
	मोबाईल हैंडसेट		0.21	0.03	(0.07)	**0.17**	0.18	0.01	(0.06)	0.13	-	0.04	0.03
	कार्यालय उपस्कर		7.30	0.99	(1.37)	**6.92**	6.13	0.42	(1.33)	5.22	-	1.70	1.17
	फर्नीचर, जुडनार और फर्निशिंग		8.44	0.62	(0.54)	**8.52**	7.34	0.30	(0.54)	7.10	-	1.42	1.10
	कैरबन, कैम्प और उपस्थायी शैड		4.69	6.10	(0.41)	**10.38**	4.59	0.55	(0.40)	4.74	-	5.64	0.10
	वाहन		14.47	0.02	(1.78)	**12.71**	12.84	0.23	(1.70)	11.37	-	1.34	1.63
	चालू वर्ष का जोड़		**517.44**	**12.44**	**(12.44)**	**517.44**	**339.00**	**28.55**	**(7.06)**	**360.49**	**0.87**	**156.08**	**177.57**
	पिछले वर्ष के आंकड़े		504.34	27.23	(14.13)	**517.44**	338.58	10.83	(10.41)	339.00	0.87	177.57	165.76
ख	**अमूर्त परिसंपत्तियां**												
	सॉफ्टवेयर		1.98	0.12	(0.01)	**2.09**	1.95	0.05	(0.01)	1.99		0.10	0.03
	पट्टा अधिकार		73.34	1.04	-	**74.38**	1.25	1.33	-	2.58		71.80	72.09
	कैरिजवे		691.99	-	-	**691.99**	205.54	44.36	-	249.90		442.09	486.45
	चालू वर्ष का जोड़		**767.31**	**1.16**	**(0.01)**	**768.46**	**208.74**	**45.74**	**(0.01)**	**254.47**	**-**	**513.99**	**558.57**
	पिछले वर्ष के आंकड़े		744.61	22.70	-	**767.31**	163.16	45.58	-	208.74	-	558.57	581.45
	चालू वर्ष का सकल योग		**1,284.75**	**13.60**	**(12.45)**	**1,285.90**	**547.74**	**74.29**	**(7.07)**	**614.96**	**0.87**	**670.07**	**736.14**
	पिछले वर्ष के आंकड़े		1,248.95	49.93	(14.13)	1,284.75	501.74	56.41	(10.41)	547.74	-	736.14	747.21

फुट नोट:

i) नियत परिसंपत्तियां जिनकी मरम्मत संभव नहीं है और निपटान के लिए रखी गई हैं उन्हें बिक्री/समायोजन कॉलम में शामिल किया गया है और निवल बही मूल्य पर अन्य चालू परिसंपत्तियों में हस्तांतरित किया गया है:

(रुपये करोड़ में)

परिसंपति ब्लाक	मार्च 2016 को		मार्च 2015 को	
	सकल ब्लॉक	निवल ब्लाक	सकल ब्लॉक	निवल ब्लाक
संयंत्र एवं मशीनरी	-	-	-	-
फ्रीहोल्ड भवन - आवासीय	-	-	0.38	0.28
कुल	-	-	**0.38**	**0.28**

ii) अल्प पट्टा व स्टेंडबाय पर इंजन सहित (संदर्भ नाट 38 II)

iii) वर्ष के लिए मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति का आवंटन निम्नानुसार है :-

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तिया पर मूल्यह्रास	74.20	56.34
परिशोधन हानि	-	0.87
वर्ष के दौरान पूंजीकृत मूल्यह्रास	0.05	0.04
लाभ और हानि विवरण को अग्रेणीत	74.25	57.25
वर्ष क दौरान पूंजीकत मूल्यह्रास	0.09	0.07
कुल	**74.34**	**57.32**

iv) इसमें 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि(सकल मूल्य 5.30 करोड़ रु) शामिल है जिसके लिए करार को अंतिम रुप दिया जाना है।

v) कंपनी द्वारा केन्द्रीय निरीक्षण सेल के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि सहित लीज होल्ड भूमि (सकल मूल्य 0.82 कराड़ रुपए)। भवन के निर्माण के लिए समय विस्तार हेतु उपयुक्त प्राधिकरण को अनुरोध कर दिया गया है।

vi) वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर परिसंपत्तियों में महत्वपूर्ण भागों के लिए भिन्न जीवनकाल को स्वीकार करके मूल्यह्रास परिवर्तन से संबंधित लेखांकन नीति को परिवर्तित किया है। इस परिवर्तन के कारण वर्ष के लिए मूल्यह्रास 16.01 करोड़ रुपए अधिक हो गया है और कर पूर्व लाभ 16.01 करोड़ रुपए तक कम हो गया है।

vii) वर्ष के दौरान, कंपनी ने लेखांकन नीतियों के अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अमूर्त परिसंपत्तियों के परिशोधन के लिए अपनी नीति में परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन के कारण वर्ष के लिए मूल्यह्रास 0.10 करोड़ रुपए कम हो गया है और कर पूर्व लाभ 0.01 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है।

11. प्रगतिरत अमूर्त परिसंपत्तियां

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2016 को	31मार्च 2015 को
सेप का क्रियान्वयन		
आरंभिक शेष	**15.14**	10.72
वर्ष के दौरान संवर्धन	**6.26**	4.42
कुल	**21.40**	**15.14**

ब्यौरा :-		
1. सेप का क्रियान्वयन	1.01	5.43
2. रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास	20.39	9.71

12. पूंजीगत चालू कार्य*

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2016 को		31मार्च 2015 को	
आरंभिक शेष		**15.29**		22.09
वर्ष के दौरान जमाः				
- कार्यशील व्यय	**127.45**		9.43	
मूल्यह्रास	**0.04**		0.02	
- वेतन, पारिश्रमिक व लाभ	**1.16**		0.37	
- भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	**0.02**		0.02	
- अभिकल्प, आरेखण, व्यापार विकास एवं परामर्श प्रभार	**16.23**		0.34	
- किराया - गैर आवासीय	**0.07**		0.02	
- दरें व कर	**0.19**		4.40	
- वाहन प्रचालन एवं अनुरक्षण	**0.04**		0.04	
उर्जा, बिजली और जल प्रभार	**-**		0.01	
- बीमा	**0.16**		-	
- यात्रा व्यय	**0.03**		0.03	
- मुद्रण और स्टेशनरी	**0.01**		-	
- विधि एवं व्यावसायिक प्रभार	**0.67**		-	
- बैंक तथा अन्य वित्तीय प्रभार	**0.04**		-	
- विज्ञापन एवं प्रचार	**0.02**		0.01	
- ब्याज व्यय	**4.77**		0.89	
- विविध प्रचालनिक व्यय	**1.24**	**152.14**	0.10	15.68
घटा :-				
वर्ष के दौरान पूंजीकरण		**1.17**		**22.48**
निवेश परिसंपत्ति में हस्तांतरित		**22.98**		-
कुल		**143.28**		**15.29**

***प्रगतिरत पूंजीगत कार्य का ब्यौरा**		
1. सीसीएम, गुडगांव में कार्यालय भवन	12.20	4.82
2. वाणिज्यिक परिसर, नोएडा सेक्टर - 01	0.04	-
3. वाणिज्यिक परिसर, नोएडा सेक्टर - 48	0.07	-
4. वाणिज्यिक परिसर, नोएडा सेक्टर - 125	0.03	-
5. रिटेल मॉल, नोएडा सेक्टर - 43	0.31	-
6. सीआईसी नोएडा में अग्निशमन एवं सिविल निर्माण कार्य	-	0.12
7. शिवपुरी गूना में केंप और कारवांन	0.84	-
8. कोलकाता में कार्यालय भवन	0.66	0.26
9. बहुउद्देशीय परिसर	-	0.69
10. बीकानेर फलौदा राजमार्ग परियोजना	45.73	-
11. शिवपुरी गूना राजमार्ग परियोजना	6.55	-
12. रेल गलियारे (I और III), छत्तीसगढ	76.82	9.40
13. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	0.02	-
	143.28	15.29

13. गैर-चालू निवेश

(रुपये करोड़ में)

	विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को		
			संख्या		राशि (करोड़ में)	संख्या		राशि (करोड़ में)
क	**निवेश संपत्ति**							
	पुराने एयरपोर्ट रोड, बैंगलोर में एसआरओ भवन			**3.04**			3.04	
	घटाः -निवेश संपत्ति पर संचित मूल्यह्रास			**0.09**	**2.95**		0.04	3.00
	नोएडा में लीजहोल्ड भूमि				**260.36**			260.36
	कुल (क)				**263.31**			**263.36**
ख	**अन्य निवेश (लागत पर)**							
	कोट किए गए							
	बांडों में निवेश							
	8.00% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के 1,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड		**163,131**		**16.31**	163,131		16.31
	7.21% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के 1,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड		**500**	**49.96**		500		49.96
	घटाः प्रीमियम का परिशोधन			**0.01**	**49.95**			
	8.23% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के 1,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड		**500,000**		**50.00**	500,000		50.00
	8.35% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के 10,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड		**500**	**49.91**		500	49.92	
	घटा : प्रीमियम का परिशोधन			**-**	**49.91**		0.01	49.91
	7.15% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के 10,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड		**250**		**24.98**	-		-
	7.07% के भारतीय रेलवे वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआरएफसी) के प्रति 1000 रुपए के बांड		**302,000**		**30.20**	-		-
	7.14% के एनएचएआई के कर मुक्त प्रति 1000 रुपए के बांड		**199,989**		**20.00**	-		-
					-			-
	7.02% के एनएचएआई के कर मुक्त प्रति 10,00,000 रुपए के बांड		**500**		**50.01**	-		-
	कुल (ख)				**291.36**			**166.18**
	कुल				**554.67**			**429.54**

कोट किए/बिना कोट किए निवेशों का प्रकटन:-		रुपये करोड़ में	रुपये करोड़ में
कोट किए गए निवेश का पूर्ण योग	- खाता मूल्य	291.36	166.18
	- बाजार मूल्य	292.98	175.61

14. आस्थगित कर परिसम्पतियां (निवल)

(रुपये करोड़ में)

विवरण	01-04-2015 को	वर्ष के दौरान योग (लोप)	31 मार्च 2016 को
	कुल	कुल	कुल
परिसम्पतियाँ			
प्रावधान :			
- अनुरक्षण और विसंग्रहण	50.22	(11.18)	**39.04**
- भावी हानियां	4.35	3.32	**7.67**
- संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों	41.58	(9.34)	**32.24**
- उपदान के लिए	23.10	(23.06)	**0.04**
- छुट्टी यात्रा रियायत	0.04	0.04	**0.08**
- विधिक मामलों	24.94	2.32	**27.26**
- अभिकल्प गारंटी	54.71	(18.04)	**36.67**
- अन्य व्यय	19.43	14.62	**34.05**
व्यय	-	-	**-**
- कर प्रयोजन के लिए अनुमति, जब प्रदत्त हो	47.06	(12.14)	**34.92**
- मूल्यह्रास	2.39	(3.10)	**(0.71)**
- प्रारंभिक व्यय का 3/5 भाग	0.09	(0.05)	**0.04**
	267.91	(56.61)	**211.30**
देयता	-	-	**-**
	-	-	**-**
निवल आस्थगित कर संपत्ति (देयता)	**267.91**	**(56.61)**	**211.30**
पिछले वर्ष	300.69	(32.78)	**267.91**

आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयता को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक -22 (आय) पर कर के लिए लेखांकन के अनुसार बहियों में प्रविष्ट किया गया है।

15. दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम

(रुपये करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को		
क. रक्षित वसूली योग्य							
कर्मचारी ऋण और अग्रिम			**1.55**			1.65	
सामग्री और मशीनरी के लिए ठेकेदारों को अग्रिम			**28.07**	**29.62**		25.29	26.94
ख. अरक्षित वसूली योग्य							
संबंधित पक्षों से ऋण और अग्रिम							
संयुक्त उपक्रम	(i)						
- कंपैनिया डोस कमीनोस डी फेरो डा बेरा सर्ल (नोट 35 का संदर्भ लें)			**-**			40.61	
- छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड			**14.43**			-	
- छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड			**28.86**	**43.29**		22.20	62.81
अन्य ऋण एवं अग्रिम							
प्रतिभूति जमा							
- सरकारी विभाग			**0.60**			0.41	
- अन्य			**0.46**	**1.06**		0.54	0.95
कर प्राधिकारीः							
- आयकर विभाग में जमा							
अग्रिम कर/टीडीएस		**716.69**			562.45		
घटाःकर के लिए प्रावधान		**(665.31)**	**51.38**		(529.89)	32.56	
- आयकर विभाग में जमा			**210.85**	**262.23**		253.77	286.33
मोजांबीक सरकार से वसूली योगय			**32.25**			-	
कर्मचारी ऋण और अग्रिम			**0.56**			0.73	
सरकारी विभागों में जमा			**0.05**			0.14	
ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम			**226.36**			230.18	
पूर्व भुगतान व्यय			**1.68**			0.26	
अन्य			**0.86**	**261.76**		0.97	232.28
ग. वसूलीयोग्य संदिग्ध							
संबंधित पक्षों को ऋण							
संयुक्त उद्यम							
- कंपैनिया डोस कमीनोस डी फेरो डा बेरा सर्ल (नोट 35 का संदर्भ लें)			**-**			25.46	
ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम							
			-			8.71	
			-			34.17	
घटा :- संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			**-**	**-**		34.17	-
कुल				**597.96**			**609.31**

फुट नोट:

(i) ऋण पर ब्याज तत्व है और यह पूंजीगत व्यय /मध्यस्थता व्यय के लिए है तथा इनके पुनर्भुगतान की अवधि 2 से 10 वर्ष है।

(ii) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य रुपए (शून्य रुपए) है।

16. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
क. दीर्घकालीन व्यापार प्राप्य				
अरक्षित वसूली योग्य				
- ग्राहक के पास प्रतिधारण राशि	**0.36**		27.43	
- ग्राहक के पास फंसी राशियां	**2.44**	**2.80**	22.62	50.05
ख. अन्य				
i) रक्षित वसूली योग्य				
पर अर्जित ब्याज :				
- स्टाफ को अग्रिम		**0.90**		0.87
ii) अरक्षित वसूली योग्य				
"12 माह से अधिक के लिए सावधि जमा		**17.71**		0.41
{(फुट नोट (i) का संदर्भ लें }"				
पर अर्जित ब्याज :				
- स्टाफ को अग्रिम	**0.27**		0.33	
-ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं व अन्य को अग्रिम	**20.77**		14.50	
संयुक्त उद्यम				
- छत्तीसगढ पूर्वी रेलवे लिमिटेड	**3.72**		0.45	
- छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड	**0.29**	**25.05**	-	15.28
iii) संदिग्ध समझे गए				
पर अर्जित ब्याज :				
संयुक्त उद्यम				
- कंपैनिया डोस कमीनोस डी फेरो डा बेरा सर्ल	-		0.19	
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओ व अन्यों को अग्रिम	-		0.40	
	-		0.59	
घटा :- संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	0.59	-
कुल		**46.46**		**66.61**

फुट नोट :

(i) (क) **0.41 करोड़ रुपए** (0.41 करोड़ रुपए) के लिए एफडीआर सहित।

(ख) इरकॉन सोमा टोलवे प्रा.लि. (आईएसटीपीएल) के एक तिमाही के मूल राशि तथा तीन माह के ब्याज दायितव के प्रति प्रमुख बैंक के साथ ऋण सेवा आरक्षित खाते (डीएसआरए) के रुप में अनुरक्षित 17.30 करोड़ रुपए के एफडीआर (यथा 34.60 करोड़ रुपए की आवधि जमा के 50 प्रतिशत का भाग) सहित।

(ii) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य(शून्य रुपए) है।

17. चालू निवेश

	विवरण	31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को		
		संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)		संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	
क	**गैर व्यापार निवेश**						
	कोट किया गया						
	म्यूचुवल फंड में निवेश						
	यूटीआई म्यूचुवल फंड, दैनिक लाभांश योजना	**36,454**	**3.72**		106,836	10.89	
	एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड-दैनिक डिविडेंड योजना	**1,283,478**	**128.27**		300,718	30.17	
	एसबीआई डेट फंड सीरीज - ए- 14		-	**131.99**	25,000,000	25.00	66.06
	कुल			**131.99**			**66.06**

कोट किए गए निवेश के प्रति प्रकटन :	रुपये करोड़ में	रुपये करोड़ में
कोट किए गए निवेश का योग - बहि मूल्य	131.99	66.06
- बाजार मूल्य	132.48	68.39

18. मालसूचियाँ

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
क. सामग्री एंव भंडारः				
- हाथ में	96.36		42.54	
- तृतीय पक्षों के पास	1.78		25.81	
- मार्गस्थ	-		0.11	
		98.14		68.46
ख. लागत पर प्रगतिरत निर्माणाधीन कार्य		50.87		55.88
कुल		**149.01**		**124.34**

19. व्यापार प्राप्य

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
अनारक्षित :				
देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के बकाया ऋण				
- वसूली योग्य	**51.03**		70.20	
- संदिग्ध समझे गए और प्रवधान किया गया	**16.08**	**67.11**	16.25	86.45
देय तिथि से छह महीने से कम की अवधि के बकाया ऋण				
व्यापार प्राप्य	**451.55**		415.73	
- वसूली योग्य	**-**	**451.55**	-	415.73
- संदिग्ध समझे गए और प्रवधान किया गया				
- ग्राहक के पास प्रतिधारण राशि				
- वसूली योग्य	**60.42**		62.58	
- संदिग्ध समझे गए और प्रवधान किया गया	**8.07**	**68.49**	9.88	72.46
- ग्राहक द्वारा रोकी गई राशि	**119.13**		48.18	
- वसूली योग्य	**5.99**	**125.12**	4.50	52.68
- संदिग्ध समझे गए और प्रवधान किया गया		**712.27**		627.32
घटाएँ, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		**30.14**		30.63
कुल		**682.13**		**596.69**

फुट नोट:

(i) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य(शून्य रुपए) है।

(ii) सहायक कपनियों से देय राशिया सहित

(रुपये करोड़ में)

विवरण	वर्ष के अंत में शेष	
	31.03.2016	**31.03.2015**
देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के बकाया ऋण		
व्यापार प्राप्य		
छत्तीसगढ पूर्वी रेलवे लिमिटेड	**48.70**	3.28
छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड	**2.87**	0.30
कुल	**51.57**	**3.58**

20. रोकड़ और बैंक शेष

(रुपये करोड़ में)

	विवरण	फुट नोट	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
	रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य					
क)	हाथ रोकड़	(i)		**0.63**		0.60
ख)	हाथ में चैक/ड्राफ्ट			**4.96**		0.21
ग)	बैंकों में शेष					
	चालू खातों में	(ii)	**112.18**		227.98	
	फ्लैक्सी खातों में	(iii)	**205.28**		177.04	
	सावधि जमा खातों में(तीन महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाले)	(iii)	**2,283.45**	**2,600.91**	946.12	1351.14
घ)	पारगमन में प्रेषण			**-**		15.00
	अन्य बैंकों में शेष					
	सावधि जमा खातों में(तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीनों से कम की परिपक्वता अवधि वाले) (ii)	(iii)		**2,133.05**		2065.74
	कुल			**4,739.55**		**3,432.69**

फुट नोट :

i) रोकड़ इंप्रेस्ट सहित हस्थ रोकड़ **0.01 करोड़ रुपए** (0.01 करोड़ रुपए)

ii) क) **38.42 करोड़ रुपए** के एस्क्रो खाते के अंतर्गत शेष सहित जिसे बीओटी परियोजना के लिए एनएचएआई के साथ रियायत करार के रुप में खोला गया था।

ख) बांग्लादेश सीमाशुल्क विभाग के पक्ष में जारी एल/सी तथा बीजी के प्रति **2.00 करोड़ रुपए** की मार्जिन राशि सहित।

iii) ग्राहक निधि सहित जिस पर ब्याज उन्हें प्रदान किया गया हैः

(रुपये करोड़ में)

विवरण	वर्ष के अंत में शेष	
	31.03.2016	**31.03.2015**
फ्लैक्सी खाते में	**166.19**	100.44
सावधि जमा खाते में (3 महीनों से कम की परिपक्वता अवधि सहित)	**1,275.18**	624.86
सावधि जमा खाते में (3 महीनों से अधिक किन्तु 12 महीनों तक की परिपक्वता अवधि सहित)	**56.18**	54.82
कुल	**1,497.55**	**780.12**

21. अल्पकालीन ऋण और अग्रिम

(रुपये करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
क. रक्षित वसूली योग्य					
स्टाफ ऋण व अग्रिम		**0.62**		0.66	
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकदारों को अग्रिम		**21.95**	**22.57**	9.15	9.81
ख. आरक्षित, वसूली योग्य					
संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम					
ऋण					
संयुक्त उद्यम (नोट 40 का संदर्भ लें)	(i)				
- इरकॉन-एफकॉन जेवी		**-**		9.06	
अन्य वसूली योग्य					
संयुक्त उद्यम (नोट 40 का संदर्भ लें)	(ii)	**4.82**	**4.82**	5.96	15.02
अन्य ऋण और अग्रिमः					
प्रतिभूति जमा राशियां					
- सरकारी विभाग		**11.82**		6.22	
- अन्य		**1.45**	**13.27**	1.36	7.58
कर प्राधिकारी					
- बिक्री कर (टीडीएस सहित)	**224.96**			204.06	
घटा :- संरक्षण के अधीन जमा	**(203.45)**	**21.51**		(184.31)	19.75
-मूल्य संवर्धन कर		**146.54**			115.66
- सेवाकर इनपुट नामे		**0.37**	**168.42**		0.10
मोजांबीक सरकार से वसूली योग्य		**71.20**			105.01
एनएचएआई से वसूली योग्य		**25.74**			2.15
सीएफएम		**4.29**			4.52
अंतर-निगम जमा		**2.85**			2.85
कर्मचारी ऋण व अग्रिम		**1.21**			1.82
ठेकदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		**170.09**			125.99
बयाना जमा राशि		**0.39**			0.55
पूर्वप्रदत्त भुगतान		**4.35**			5.20
अन्य		**26.11**	**306.23**		12.50
ग. संदिग्ध समझे गए					
स्टाफ ऋण व अग्रिम		**0.01**			-
ठेकदारों व आपूर्तिकर्ताओं को ऋण		**9.73**			9.87
सरकारी विभागों से जमा		**1.73**			2.38
बिक्री कर (टीडीस सहित)		**34.97**			35.31
मूल्य संवर्धन कर		**7.18**			7.18
अग्रिम कर/टीडीएस		**0.10**			
अन्य		**9.29**			0.01
		63.01			54.75
घटाः- संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान		**63.01**	**-**		54.75
कुल			**515.31**		**428.51**

फुट नोट:

(i) ऋण ब्याज धारित है और यह कार्यशील पूंजीगत अपेक्षाआ के लिए है।

(ii) संयुक्त उपक्रमों से वसूलीयोग्य राशि सहित।

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
(क) सीसीएफबी	-	0.59
(ख) इरकॉन-एफकॉन जेवी	**0.32**	0.80
(ग) आईएमसीसी	-	0.15
(घ आईएसटीपीएल	**3.61**	3.58
(ड.) रीकॉन - सीटा सर्ल	**0.89**	0.84
	4.82	**5.96**

(iii) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य(शून्य) है।

(iv) निदेशकों से देय राशियों का विवरण

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
कर्मचारी ऋण व अग्रिमों सहित निदेशको से देय राशि	-	
	-	-

22. अन्य चालू परिसम्पतियाँ

(रुपये करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
क) निम्न पर प्रोदभूत ब्याज:			
कार्मिकों को ऋण और अग्रिम(रक्षित)		**0.17**	0.15
बांड		**12.65**	14.21
स्टाफ ऋण और अग्रिम (अरक्षित)		**0.15**	0.13
त्रण हेतु			
भारतीय रेल कल्याण संगठन को ऋण		-	0.20
- इरकॉन एफकॉन जे वी		-	0.12
निम्न पर जमा व अग्रिम :			
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता एवं अन्य		**29.15**	17.62
- बैंकों में जमा राशि		**92.38**	82.84
ख) प्रगतिरत ठेका कार्य (वसूलनीय मूल्य पर)		**35.03**	126.06
ग) बिल योग्य राजस्व	(i)	**282.35**	405.32
घ) निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्ति	(ii)	**1.46**	1.73
कुल		**453.34**	**648.38**

फुट नोट:

(i) (क) ग्राहक द्वारा प्रमाणित **12.49 करोड़ रुपए** (196.08 करोड़ रुपए) मूल्य के कार्य सहित किंतु रिर्पोटिग तिथि को बिल तैयार नहा किया गया है। .
(ख) छत्तीसगढ पूर्वी रेलवे लिमिटेड से **6.95 करोड़ रुपए** (12.22 करोड़ रुपए) सहित
(ग) छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड से **25.47 करोड़ रुपए** (36.76 करोड़ रुपए) सहित

(ii) मितव्ययी रुप से मरम्मत न किए जा सकने वाली तथा निपटान के लिए अलग रखी गई नियत परिसंपत्तियां (वसूली योग्य मूल्य तथा बुक मूल्य से कम)

परिसंपत्तियों का ब्लाक	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
	सकल ब्लाक	निवल ब्लाक	सकल ब्लाक	निवल ब्लाक
संयंत्र एवं मशीनरी	12.40	1.18	17.16	1.45
फ्रीहोल्ड भवन - आवासीय	0.38	0.28	0.38	0.28
कुल	**12.78**	**1.46**	**17.54**	**1.73**

(iii) समूह , फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य

निदेशकों से देय राशियों का ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
कर्मचारी ऋण व अग्रिम पर संचित ब्याज सहित निदेशकों से देय राशि	-	-
कुल	**-**	**-**

23. प्रचालन से राजस्व

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु
ठेका राजस्व	**2,323.07**	2,899.95
एमएफसी पट्टा	**14.75**	8.09
लोको पट्टा	**34.19**	42.77
मशीन किराया प्रभार	**7.90**	1.31
टोलवे	**78.61**	77.67
अन्य प्रचालनिक प्राप्तियां	**15.50**	17.09
पूर्व अवधि संविदा राजस्व (नोट 29 का संदर्भ लें)	**(1.76)**	(9.24)
कुल	**2,472.26**	**3,037.64**

24. अन्य आय

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	
कर मुक्त बांड पर ब्याज		**15.62**		16.02
बैंक ब्याज - सकल	**251.10**		223.96	
घटाः ग्राहकों को पारित किए जाने वाला ब्याज	**60.83**	**190.27**	36.23	187.73
वापस आए आयकर पर ब्याज		**2.76**		3.42
कर्मचारी अग्रिम पर ब्याज		**0.28**		0.33
संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज				
- सीसीएफबी	**25.26**		-	
- सीईआरएल	**4.92**		0.67	
- सीईडब्ल्यूआरएल	**0.43**		-	
- इरकॉन एफकॉन जेवी	**0.39**	**31.00**	0.14	0.81
अन्य अग्रिमों पर ब्याज		**5.26**		8.57
सावधि परिपक्वता योजना में निवेश		**0.06**		6.81
विनिमय उच्चावचन लाभ	**128.10**		45.05	
घटा : विनिमय उच्चावचन हानि	**36.41**	**91.69**	24.32	20.73
लाभांश आय		**5.05**		3.21
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ		**0.90**		2.02
विविध		**24.12**		17.34
ऋण और इक्विअी क लिए बट्टा खाता प्रावधान- सीसीएफबी		**25.65**		-
प्रचालन क दौरान एनएचआईए से अनुदान		**21.17**		-
पूर्व अवधि अन्य आय (नोट 29 का संदर्भ लें)		**23.43**		0.34
कुल		**437.26**		**267.33**

25. प्रचालनिक व्यय तथा प्रशासनिक व्यय

(रुपये करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	प्रचालनिक व्यय				प्रशासनिक व्यय	
		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रयुक्त सामग्री और भंडारण							
आरंभिक शेष		68.35		39.32		-	-
जमाः वर्ष के दौरान खरीद		389.59		223.77		-	-
		457.94		263.09		-	-
घटाः अंतिम शेष		98.14	**359.80**	68.35	194.74	-	-
कार्यगत व्यय			**1,504.68**		1,812.54	-	-
डब्ल्यूआईपी में (वृद्धि) / कमी			**5.01**		28.66	-	-
अभिकल्प, आरेखण, व्यवसाय विकास व परामर्श प्रभार			**29.98**		24.94	-	-

विवरण	फुट नोट	प्रचालनिक व्यय		प्रशासनिक व्यय	
		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु
निरीक्षण,भू तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि		**5.12**	1.87	-	-
मशीनरी की मरम्मत तथा अनुरक्षण		**14.73**	27.67	-	-
मशीनरी का किराया प्रभार		**3.48**	7.44	-	-
निवल विनिमय उच्चावचन हानि				-	-
किराया-गैर आवासीय (नोट 37 (I)ख का संदर्भ लें)		**5.00**	3.83	0.30	0.38
दर एवं कर		**31.18**	19.13	0.64	2.16
वाहन प्रचालन व अनुरक्षण		**8.89**	9.70	1.21	0.91
मरम्मत और रखरखाव					
- क्ररिज वे		**54.89**	7.22		
- भवन		**0.12**	0.13	0.55	0.42
- कार्यालय तथा अन्य		**2.60**	3.52	2.74	2.81
बिजली, विद्युत व जल प्रसार		**3.54**	4.73	1.61	1.55
बीमा		**6.61**	7.29	0.03	0.14
यात्रा और वाहन		**9.30**	8.95	2.70	2.64
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		**1.33**	1.65	0.44	0.55
डाक टिकट, टेलीफोन, टेलेक्स		**1.85**	2.43	0.51	0.45
विधिक और व्यावसायिक प्रसार		**4.89**	7.27	3.28	2.54
सुरक्षा सेवाएं		**4.11**	4.39	0.24	0.14
व्यवसाय संर्वधन		**0.84**	0.98	0.20	0.16
बट्टा खाताः					
- अशोध्य ऋण		**0.33**	2.37	-	-
- अशोध्य अग्रिम		**0.59**	0.97	-	-
- परिसंपत्तियां		**0.02**	-	-	-
परिसंपत्ति तथा भंडार की बिक्री से हानि		**-**	-	1.89	3.43
निवेश पर प्रदत प्रीमियम का परिशोधन		**-**	-	0.01	0.01
निदेशकों की फीस		**-**	-	-	0.02
चंदा		**-**	-	0.01	0.05
लेखापरीक्षकों की फीस	(i)	**-**	-	0.61	0.49
विज्ञापन और प्रसार		**-**	-	3.77	3.51
प्रशिक्षण और भर्ती		**-**	-	0.53	0.60
प्राथमिक व्यय बट्टा खाता				1.38	1.58
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट 49 का संदर्भ लें)		**-**	-	6.25	6.70
विवित व्यय		**4.81**	9.04	1.14	1.73
पूर्व अवधि व्यय (नोट 29 का संदर्भ लें)		**(3.55)**	0.27	0.47	0.72
प्रावधान (जमा - पश्चलिखित) (नोट 28 का संदर्भ लें)		**42.66**	(13.22)	-	-
प्रावधान / उपयोग की गई आरक्षित निधियां (नोट 28 का संदर्भ लें)		**(114.75)**	(56.51)	-	-
कुल		**1,988.06**	**2,122.00**	**30.51**	**33.69**

फुट नोट:

(रुपये करोड़ में)

(i)	**सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी**	**2015-16**	2014-15
	(i) लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	**0.38**	0.28
	(ii) कर लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	**0.10**	0.07
	(iii) प्रमाणीकरण फीस	**0.04**	0.02
	(iv) यात्रा और तुरन्त देय व्यय		
	- स्थानीय	**0.08**	0.09
	- विदेशी	**0.01**	0.03
	कुल	**0.61**	**0.49**

26. कर्मचारी लाभांश व्यय

(रुपये करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु		
		प्रचालनिक	प्रशासनिक	कुल	प्रचालनिक	प्रशासनिक	कुल
वेतन, पारिश्रमिक तथा बोनस(i)(नोट 38(I)(क) का संदर्भ लें)	(i)	**108.83**	**37.56**	**146.39**	123.93	39.77	163.70
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में प्रावधान		**6.67**	**3.76**	**10.43**	6.69	3.40	10.09
विदेश सेवा अंशदान		**0.40**	**0.20**	**0.60**	0.48	0.30	0.78
सेवानिवृत्ति लाभ		**13.04**	**8.42**	**21.46**	11.69	10.09	21.78
कर्मचारी कल्याण		**1.50**	**0.48**	**1.98**	1.89	0.48	2.37
कुल		**130.44**	**50.42**	**180.86**	**144.68**	**54.04**	**198.72**

फुट नोट

(i) गैर-मौद्रिक पर्क पर आयकर शामिल है **0.33 करोड़ रुपए** (0.33 करोड़ रुपए)

27. वित्तीय लागत

(रुपये करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
ब्याज व्यय	(i)	**24.02**	23.40
अन्य वित्त लागत			
- बैंक गारंटी तथा अन्य प्रभार		**9.30**	9.39
कुल		**33.32**	**32.79**

फुट नोट

(i) (क) **7.58 करोड़ रुपए** (शून्य रुपए) के आयकर पर ब्याज शामिल है ।
(ख) **0.06 करोड़ रुपए** (शून्य रुपए) के सेवा कर पर ब्याज शामिल है ।

28. प्रावधान (निवल)

(रुपये करोड़ में)

विवरण	1-4-2015 को शेष			2015-16 के दौरान					31-3-2016 को शेष		
	दीर्घकालीन	अल्पकालीन	कुल	अतिरेक	बट्टा खाता	उपयोग	विनिमय लाभ	विनिमय हानि	दीर्घकालीन	अल्पकालीन	कल
क कर्मचारी संबंधित											
(i) सेवानिवृत्ति लाभ											
उपदान	61.81	4.52	66.33	2.23	-	68.53	-	-	0.03	0.00	**0.03**
छुट्टी वेतन के लिए	76.30	6.94	83.24	7.69	0.35	7.48	-	0.08	73.15	10.03	**83.18**
सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान	1.20	0.08	1.28	0.09	-	0.03	-	-	1.21	0.13	**1.34**
सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ	1.36	5.97	7.33	2.84	-	5.97	-	-	0.82	3.38	**4.20**
पेंशन	-	26.18	26.18	3.37	1.57	27.98	-	-	-	-	**0.00**
सेवानिवृत्ति लाभों का योग (i)	140.67	43.69	184.36	16.22	1.92	109.99	-	0.08	75.21	13.54	**88.75**
(ii) अन्य											
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	-	18.82	18.82	5.68	4.25	7.95	-	-	-	12.30	**12.30**
छुट्टी यात्रा रियायत	0.12	0.01	0.13	0.31	-	0.21	-	-	0.20	0.03	**0.23**
अन्य लाभों का योग (ii)	0.12	18.83	18.95	5.99	4.25	8.16	-	-	0.20	12.33	**12.53**
कुल कर्मचारी संबंधी प्रावधान (i+ii)	**140.79**	**62.52**	**203.31**	**22.21**	**6.17**	**118.15**	**-**	**0.08**	75.41	25.87	**101.28**
ख अन्य											
विसंग्रहण	7.89	40.59	48.48	3.32	17.49	8.58	2.11	0.04	0.54	23.12	**23.66**
अनुरक्षण	164.79	37.01	201.80	44.07	23.53	80.84	3.12	0.93	69.62	69.69	**139.31**
प्रत्याशित हानि	-	12.56	12.56	12.00	-	2.39	-	-	-	22.17	**22.17**
अभिकल्प गारंटी	105.36	52.72	158.08	-	49.95	-	2.17	-	60.17	45.79	**105.96**
संदिग्ध ऋण के लिए	-	16.25	16.25	0.50	0.34	0.33	-	-	-	16.08	**16.08**
संदिग्ध अग्रिम के लिए	34.76	69.13	103.89	0.61	26.71	0.73	-	0.01	-	77.07	**77.07**
निवेश के मूल्य का आवधन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
देयताएं (विधि मामले)	-	72.05	72.05	6.78	-	0.07	-	-	-	78.76	**78.76**
अन्य व्यय	0.59	49.68	50.27	68.31	0.56	21.81	-	0.20	-	96.41	**96.41**
आयकर	-	913.86	913.86	146.98	0.39	97.92	0.01	0.21	-	962.73	**962.73**
लाभांश (अंतरिम तथा प्रस्तावित)	-	102.93	102.93	168.27	-	182.11	-	-	-	89.09	**89.09**
लाभांश पर कर (अंतरिम तथा प्रस्तावित)	-	20.96	20.96	34.25	-	37.08	-	-	-	18.13	**18.13**
कुल अन्य प्रावधान (ख)	**313.39**	**1,387.74**	**1,701.13**	**485.09**	**118.97**	**431.86**	**7.41**	**1.39**	130.33	1,499.04	**1,629.37**
सकल योग (ग = क+ख)	**454.18**	**1,450.26**	**1,904.44**	**507.30**	**125.14**	**550.01**	**7.41**	**1.47**	205.74	1,524.91	**1,730.65**
घ घटा: अलग से विचार किए गए											
नोट 19 में संदिग्ध समझे गए ऋण	-	16.25	16.25						-	16.08	**16.08**
नोट 19 में संदिग्ध समझे गए अग्रिम		14.38	14.38							14.06	**14.06**
नोट 15, 16, 21 में विचारित संदिग्ध अग्रीम के लिए	34.76	54.75	89.51						-	63.01	**63.01**
नोट 26 में विचारित सेवानिवृत्ति लाभ				16.22	1.92	109.99					
वेतन पारिश्रमिक तथा लाभों में शामिल पीआरपी तथा एलटीसी				5.99	4.25	8.16					
नोट सं. 24 में विचाराधीन सीसीएफबी में ऋण का पश्चलेखन					25.65						

विवरण	1-4-2015 को शेष			2015-16 के दौरान					31-3-2016 को शेष		
	दीर्घकालीन	अल्पकालीन	कुल	अतिरेक	बट्टा खाता	उपयोग	विनिमय लाभ	विनिमय हानि	दीर्घकालीन	अल्पकालीन	कल
भुगतान किए गए/पृथक विचारित कर				146.98	0.39	97.92					
भुगतान किए गए /पृथक रुप से विचारित लाभांश				168.27	-	182.11					
भुगतान किए गए/पृथक विचारित निगमित कर				34.25	-	37.08					
कुल (घ)	**34.76**	**85.38**	**120.14**	**371.71**	**32.21**	**435.26**	**-**	**-**	-	93.15	**93.15**
निवलः चालू वर्ष (ग - घ)	419.42	1,364.88	1,784.30	135.59	92.93	114.75	7.41	1.47	205.74	1,431.76	1,637.50
पिछले वर्ष	407.15	1,366.08	1,786.53	111.84	138.28	56.51	21.84	3.37	351.03	1,352.99	1,773.23

नोट:

नोट 25 के विचारार्थ निवल प्रावधान (जमा/बट्टाखाता)	42.66		
नोट 25 के विचारार्थ उपयोग किए गए प्रावधान		114.75	
नोट 26 के विचारार्थ सेवानिवृत्ति लाभ प्रावधान			(95.69)
वेतन एवं पारिश्रमिक में नोट 26 के विचारार्थ निष्पादन संबंधी वेतन एवं एलटीसी			(6.42)

29. पूर्व अवधि समायोजन

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	
पूर्व अवधि मदें				
आय :				
प्रचालन से राजस्व	**(1.76)**		(9.24)	
जमा राशि/ऋणों पर ब्याज आय	**19.20**		0.03	
विविध	**4.23**		0.31	
		21.67		(8.90)
व्यय:				
कार्य व्यय	**(3.55)**		0.27	
प्रशासनिक व्यय	**-**		0.55	
अन्य	**0.47**		0.17	
		(3.08)		0.99
कुल		**24.75**		**(9.89)**

30. क) समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा - 129 (3) की अपेक्षाओं और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, जो 1 अप्रैल 2015 से आरंभ वित्तीय वर्ष से लागू है, के आधार पर तैयार किए गए है। तदनुसार, कंपनी (जिसे धारक कंपनी भी कहा जाएगा), इसकी सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम (संयुक्त रुप से समूह कहा जाएगा) को समेकित वित्तीय विवरण में निम्नानुसार सम्मिलित किया गया हैः

सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यमों का नाम	मूल राष्ट्र	प्रतिशत भाग	
		31.03.2016	31.03.2015
सहायक कंपनियां:			
1. इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	भारत	100.00%	100.00%
2. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)	भारत	51.00%	51.00%
3. इरकॉन पीबीटोलवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
4. इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	भारत	100.00%	-
संयुक्त उद्यम:			
1. रीकॉन	भारत	49.00%	49.00%
2. कंपैनिया डोस कैमिनोस डी फिरो डा बेरा एसएआरएल (सीसीएफबी)	मोजांबिक	25.00%	25.00%
3. इरकॉन-सोमा टॉलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल)	भारत	50.00%	50.00%
4. इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कोट्रेक्टर (आईएमसीसी)	भारत	9.50%	9.50%
5. मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एमटीजी)	भारत	9.50%	9.50%
6. इरकॉन-एसपीएससीएल	भारत	50.00%	50.00%
7. इरकॉन-एफकॉन्स संयुक्त उद्यम	भारत	53.00%	53.00%
8. छत्तीसगढ पूवी रेल लिमिटेड (सीईआरएल)	भारत	26.00%	26.00%
9. छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेल लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)	भारत	26.00%	26.00%
10. महानदी कोल रेल लिमिटेड (एमसीआरएल)	भारत	26.00%	26.00%
11. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)	भारत	26.00%	-

ख) समेकन के उदेश्य से निकायों द्वारा प्रयुक्त वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग तिथि वही है जो कंपनी की है केवल संयुक्त उद्यम कंपनी कंपैनिया डोस कैमिनोस डी फिरो डा बेरा एसएआरएस (सीसीएफबी) को छोड़कर जो कलैडर वर्ष का अनुसरण करते है। इस संयुक्त उद्यम में 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016 तक कोई सामग्रीगत संव्यवहार नहीं हुआ है।

ग) जहां तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरण समरुपी लेखांकन नीतियों का प्रयोग करके तैयार किए गए है जैसे समान परिस्थितियों में संव्यवहार और समान घटनाएं और इसे पृथक वित्तीय विवरणों के रुप मे धारक कंपनी के अनुसार समान रुप से प्रस्तुत किया गया है। धारक कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमो की लेखांकन नीतियों में अंतर, यदि कोई हो, तथ्यात्मक नहीं है।

31. आकस्मिक देयताएं

क) समूह के विरूद्ध वे दावे जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है 1218.37 करोड़ रूपए हैं जिसके लिए 111.39 करोड़ रुपए का निवल प्रावधान है (1279.09 करोड़ रूपए जो 46.69 करोड़ रुपए का निवल प्रावधान) हैं। इसके प्रति कंपनी ने **842.20 करोड़ रुपए** (821.69 करोड़ रुपए) का प्रति दावा किया है। यदि समूह के विरुद्ध दावा क्रियान्वित हो जाता है तो ग्राहकों से **710.57 करोड़ रुपए** (748.02 करोड़ रुपए) के दावे की धनवापसी ली जाएगी। दावे पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

ख) कम्पनी के विरूद्ध अदालत में कर्मचारियों/अन्यों से सबंधित कुछ मामले लम्बित हैं, जिसकी देयता निश्चित नहीं है।

ग) विवादास्पद प्रत्यक्ष कर मांगें जिनके लिए अपील की गई है **261.16 करोड़ रूपए** (132.66 करोड़ रूपए) हैं। जिनमें से शून्य रूपए (शून्य रूपए) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है ।

घ) विवादास्पद अप्रत्यक्ष कर मांगें जिनके लिए अपील की गई है **229.95 करोड़ रूपए** (186.06 करोड़ रूपए) हैं, जिनमें से **139.27 करोड़ रूपए** (114.16 करोड़ रूपए) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है ।

ड़) संयुक्त उद्यमों के संबंध में:

(i) रियायत करार के समाप्त होने की स्थिति मे देय राशियों, यदि कोई हो, में किसी प्रकार की कमी के 50 प्रतिशत को पूरा करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी, इरकॉन, सोमा टॉलवे प्राइवेट लिमिटेड, को दी गई मियादी ऋण के प्रति पंजाब नेशनल बैक को शपत के रुप में है। इसके प्रति कंपनी का अधिकतम दायित्व **113.58 करोड़ रुपए** (162.60 करोड़ रूपए) है।

(ii) इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कोंट्रैक्टर को **1.24 करोड़ रुपए** (1.24 करोड़ रुपए) का इंडैमनिटी बांड।

(iii) इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कोट्रैक्टर की **4.25 करोड़ रुपए** (4.25 करोड़ रुपए) की सेवा कर देयता और **1.01 करोड़ रुपए** (2.02 करोड़ रुपए) रुपए का सेवा कर।

(iv) मेट्रो टनलिंग ग्रुप के मामले में क्रेन्दीय सीमाशुल्क को **1.54 करोड़ रुपए** (1.54 करोड़ रुपए) की निगमित गारंटी।

(v) इरकॉन-आरसीएस-पिफलिडरर के मामले में **1.40 करोड़ रुपए** (1.40 करोड़ रुपए) की बैंक गारंटी ।

(vi) इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कोट्रेक्टर के मामले में शून्य रुपए (5.29 करोड़ रुपए) तथा मेट्रो टनलिंग ग्रुप के मामले मे **1.05 करोड़ रुपए** (0.88 करोड़ रुपए) की आयकर देयता।

(vii) मैसर्स साई इंजीनियर्स द्वारा अंतरराष्ट्रीय मेट्रो सिविल कोंट्रेक्टर के विरुद्ध **0.02 करोड़ रुपए** (0.02 करोड़ रुपए) का वसूली मुकदमा।

(viii) भैरब रेल पुल परियोजना, बांग्लादेश के लिए **56.60 करोड़** रुपए (51.34 करोड़ रुपए) हेतु इरकॉन-एफकान संयुक्त उद्यम के मामले में बैंक गारंटी।

च) ग्राहकों द्वारा समय विस्तार के आवेदन के निपटान के लंबित होने के कारण, समूह ग्राहकों को **9.27 करोड़ रुपए** (56.70 करोड़ रुपए) के स्तर तक तरलता क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए आकस्मिक रुप से दायी है।

32. प्रतिबद्धताएं

(क) अग्रिमों के शुद्ध पूंजी लेखे में शामिल किए जाने के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि (अग्रिम का निवल) **134.98 करोड़ रूपए** (91.03 करोड़ रूपए)है।

(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं

संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों को निधियां/गारंटी उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्धताः

i. सहायक कंपनियों, इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल),इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल), इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल) को बैंक गारंटी जारी करने के लिए भारतीय ओवरसीज बैंक तथा इंडसिंड बैंक को **150.00 करोड़ रुपए** (10.00 करोड़ रुपए)की काउंटर बैंक गारंटी। 150 करोड़ रुपए की कुल सीमा में से, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा इंडसिंड बैंक ने क्रमशः 41.52 करोड़ रुपए तथा 41.15 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जारी की है। इसलिए, बैंक गारंटी जारी करने की शेष सीमा **67.33 करोड़ रुपए** (10 करोड़ रुपए) है।

ii. संयुक्त उद्यम, इरकॉन-एफकान्स को ऋण पत्र जारी करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को **33.40 करोड़ रुपए** (38.66 करोड़ रुपए)की काउंटर बैंक गारंटी।

iii. संयुक्त उद्यम इरकॉन सोमा टॉलवे प्रा.लि. में कंपनी की वर्तमान धारिता के 21% (प्रत्येक 10 रुपए के 1,34,12,700 शेयर) के गैर-निपटान के लिए पंजाब नेशनल बैंक से शपतपत्र, **13.41 करोड़ रुपए** (13.41 करोड़ रुपए)।

33. कंपनी श्रीलंका परियोजनाओं पर कर के लिए **7.96 करोड़ रुपए** (76.28 करोड़ रुपए) के लिए दायी है, जिसकी सीधी प्रतिपूर्ति श्रीलंका रेल द्वारा श्रीलंका इनलैंड राजस्व विभाग को की जाएगी। इसलिए, लेखा बहियों में इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

34.(क) आकलन वर्ष 2000-01 से, धारक कंपनी आज की तिथि तक अर्हत अवसंरचनात्मक निर्माण परियोजनाओं के संबंध में आयकर रिटर्न में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80आईए के अंतर्गत कटौती का दावा कर रही है।

धारक कंपनी ने आकलन वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2007-08, जिसके संबंध मे आयकर विभाग ने सीआईटी(ए)द्वारा कटौती की अनुमति प्रदान की है, को छोड़कर सभी आकलन वर्षो के लिए उक्त कटौती के लिए सीआईटी(ए) द्वारा अनुमति प्रदान न किए जाने पर आईटीएटी के समक्ष अपील दायर की है।

तदनुसार, धारक कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2000-2001 से धारा 801-आईए के अन्तर्गत कटौती पर विचार किए बिना कर का प्रावधान किया है। धारा 80 आईए के अंतर्गत कटौती की गई कुल राशि है **1016.32 करोड़ रूपए** (925.63 करोड़ रूपए) जिसका कर प्रभाव है **406.39 करोड़ रूपए** (315.70 करोड़ रूपए)

(ख) धारक कंपनी को भारत में कर के लिए वैश्विक आय की स्थिति प्रदान की गई है। भारत से बाहर इसकी स्थायी स्थापनाओं द्वारा अर्जित आय को कतिपय निपटान की गई विधिक स्थितियों के अनुसार छूट प्रदान करते हुए कुल आय से अलग रखा गया है क्योंकि ऐसी आय पर स्रोत राष्ट्र द्वारा आयकर लगाया जा सकता है ना कि भारत द्वारा। किन्तु सीटीआई (अपील) भारत से बाहर अर्जित विदेशी मुद्रा के संबंध में इरकॉन द्वारा की गई व्यवस्था और विदेशी आय को बाहर रखने के स्थान पर आकलन वर्ष 2006-07, 2008-09 तथा 2009-10 के लिए भारत से बाहर भुगतान किए गए कर के लिए ऋण का प्रावधान किया है।

न्यायाधिकारीय डीसीआईटी ने भी समान रुप से आकलन वर्ष 2010-11 से आकलन आरंभ कर दिया है। कंपनी ने विवादास्पद सभी आकलन वर्षों के लिए आयकर अपील अधिकारण को अपील दायर की है।

तदनुसार, धारक कंपनी नें वित्तीय वर्ष 2006-07 से वर्ष 2013-14 के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 में 185.36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 229.71 का प्रावधान संबंधित वर्षों में किया गया है।

35 (क) बीओटी आधार पर मोजांबीक सरकार द्वारा प्रदान की गई रेल परियोजना के निष्पादन के लिए वर्ष 2004 में मोजांबीक के कानूनों के अनुसार निगमित सीसीएफबी नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी में धारक कंपनी की इक्विटी भागीदारी 25 प्रतिशत की है और इसने 1.25 मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान किया गया है। कंपनी में अन्य स्टेकधारक हैं राइट्स और सीएफएम, मोजांबीक जिनकी शेयरधारिता क्रमशः 26 प्रतिशत और 49 प्रतिशत है। धारक कंपनी ने सीसीएफबी को संचित ब्याज सहित कुल राशि 93.43 करोड़ रुपए (21.124 मिलियन अमरीकी डालर) का शेयरधारक ऋण उपलब्ध कराया है जिसमें से धारक कंपनी को दिनांक 28.02.2013 को 4.42 करोड़ रुपए (0.999 मिलियन अमरीकी डालर) की राशि ऋण के आंशिक पुनःभुगतान के रुप में प्राप्त हुई है।

(ख) हालांकि, परियोजना पूरा हो गयी थी, मोजांबीक सरकार ने 09 नवंबर 2011 को रियायत करार को समाप्त कर दिया तथा 8 दिसंबर 2011 को परियोजना को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। सीसीएफबी ने आईसीसी नियमों के अंतर्गत मोजांबीक सरकार के विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया आरंभ कर दी है और मई 2013 को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के साथ मध्यस्थता के लिए अनुरोध दायर किया है ।

(ग) आरंभ की गई कानूनी प्रक्रिया और परिणामी अनिश्चितता के दृष्टिगत, प्रबंधन ने ब्याज आय को स्वीकार न करने के विवेक पर विचार किया है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन ये ही विवेकपूर्ण समझता है कि ऋण, संचित ब्याज, ऋणों आदि के प्रति विदेशी मुद्रा में सीसीएफबी से देय राशियों के संबंध में किसी प्रकार के विनिमय अंतरों की पहचान न की जाए। अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान सहित इन्हें 31 मार्च 2011 के विनिमय दर पर प्रकट किया गया था, जिसके परिणामस्वरुप 21 मार्च 2015 तक विनिमय अज्ञात लाभ **25.74 करोड़ रुपए** (31 मार्च 2014 को समाप्त हाने वाले पिछले वर्ष 20.15 करोड़ रुपए) है।

(घ) धारक कंपनी ने आगे मध्यस्थता व्ययों को पूरा करने के लिए सीसीएफबी को सक्षम बनाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 15 जनवरी 2015 को सीसीएफबी मोजांबीक के साथ एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। 31 मार्च 2016 तक समय समय पर (पिछले वर्ष 7.12 करोड़ रुपए जो 1.142 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य है) 12.83 करोड़ रुपए (1.947 मिलियन अमरीकी डालर) की राशि ऋण के रुप में प्रदान की गई है।

(ड.) दिनांक 21.10.2015 को मोजांबीक सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इरकॉन को 40.31 मिलियन अमरीकी डालर (ठेकेदार के रुप में इरकॉन के दावे के प्रति 4 मिलियन अमरीकी डालर सहित)मिलेंगे। इरकॉन के भाग के लिए 17.93 मिलियन अमरीकी डालर (121.71 करोड़ रुपए के समान) की पहली किश्त जनवरी 2016 को प्राप्त हो गई है। 5.595 मिलियन अमरीकी डालर की प्रत्येक किश्त 18 अक्तूबर 2016, 18 अक्तूबर 2017, 18 अक्तूबर 2018 तथा 18 अक्तूबर 2018 को देय हैं। मोजांबीक सरकार ने 31 मार्च 2016 के पश्चात शेष देय राशि के प्रति संपुष्ट ऋण पत्र जारी किया है (31 मई 2016 को पुष्टि प्राप्त हो गई है)। उपर्युक्त भुगतान धारक कंपनी द्वारा इक्विटी अंशदान, शेयरधारक ऋण, निपटान करार की तिथि को संचित ब्याज, प्रबंधन तथा अन्य सेवाओं/प्रभारों के प्रति देय राशि के भुगतान के प्रति है। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थता व्ययों की प्रतिपूर्ति नीतिगत शेयरधारक यथा राइट्स लिमिटेड तथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को 5 मिलियन अमरीकी डालर की समग्र सीमा के भीतर करार के अनुसार वास्तविक राशि के मद्देनजर की जाएगी।

(च) अपफ्रंट भुगतान तथा रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात ऋणपत्र के निर्धारण के दृष्टिगत, शुल्कों, ऋणों और ब्याज आदि के प्रति देय राशियों की वसूली निश्चित हो गई है। तदनुसार, निपटान करार की तिथि को शयरधारक ऋण पर ब्याज, अनिश्चित शुल्क तथा वर्ष के दौरान निर्धारित लेखांकन नीति-11 के अनुसार विनिमय अंतर तथा संदिग्ध ऋण के प्रावधानों के लिए 25.65 करोड़ रुपए की राशि तथा इक्विटी हानि के प्रावधानों के लिए पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए 5.53 करोड़ रुपए के प्रावधान को वर्ष के दौरान पश्चलिखित किया गया है। शेयरधारक ऋण की संपूर्ण राशि (अपफ्रंट भुगतान के प्राप्त होने के पश्चात) (12.435 मिलियन अमरीकी डालर(नोट 15 और 21 में दर्शाए अनुसार 81.97 करोड़ रुपए के समतुल्य)के संपूर्ण शेष को ऋण राशि से हस्तांतरिक करके मोजांबीक सरकार या उनकी नामिति एजेंसी से वसूलीयोग्य राशि में डाल दिया गया है। धारक कंपनी सीसीएफबी में अपनी शेयरधारिता को

भी मोजांबीक सरकार या उसकी नामिति एजेंसी को हस्तांतरिक करेगी। तदनुसार, इक्विटी में निवेश को अभी भी कंपनी के वित्तीय विवरणों में सीसीएफबी में निवेश के भाग के रुप में दशाया जा रहा है।

36. क) ऋणदाताओं, अग्रिमों, देनदारों तथा सामग्री के अन्तर्गत दर्शाए गए कुछ शेष पुष्टिकरण/पुनर्विनियोजन/समायोजन के मद्देनजर हैं, यदि कोई हो। पक्षों की पुष्टि के लिए समूह को पत्र भेज रही हैं। तथापि, समूह इस संबंध में वसूलनीयता/भुगतान के संबंध मे किसी प्रकार के सामग्रीगत विवाद की आशंका नहीं करता है।

ख) प्रबन्धन के मतानुसार, वसूली पर चालू परिस्थितियों ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया है, को उस मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए जिस मूल्य पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

37. (क) विदेशी मुद्रा में आय (संचित आधार पर):

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
i) कार्य प्राप्तियाँ और लोको पट्टा	**344.11**	806.60
ii) बैंक ब्याज	**6.26**	11.23
iii) अन्य ब्याज	**25.27**	0.02
vi) विदेशी विनिमय उच्चावचन लाभ (निवल)	**91.69**	19.87
v) अन्य	**17.99**	6.69
कुल	**485.32**	**844.41**

(ख) विदेशी मुद्रा में व्यय (संचय आधार पर):

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
i) प्रचालन व्यय	**316.06**	381.26
ii) परामर्शदात्री प्रभार	**32.16**	24.86
कुल	**348.22**	**406.12**

(ग) आयातों का सीआईएफ मूल्य (उपर्युक्त (ख) (i) सहित):

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
i) सामग्री	**123.88**	159.45*
ii) उपभोज्य, अवयव तथा पुर्जे	**0.19**	-
कुल	**124.07**	**159.45**

*आयातों को कार्यशील व्ययों में बुक किया गया है।

(घ) प्रयुक्त सामग्री एवं भंडारण:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2015-16		2014-15	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
i) आयातित	**117.54**	**24.62**	159.45	45.02
ii) स्वदेशी	**359.80**	**75.38**	194.74	54.98
कुल	**477.34**	**100.00**	**354.19**	**100.00**

(ड़) अनहैज्ड विदेशी मुदा जोखिम का प्रकटन:

अनहैज्ड विदेशी मुदा जोखिम का प्रकटन निम्न प्रकार हैः

(रुपये करोड़ में)

विवरण	मुद्रा	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
		विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में	विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में
परिसंपत्तियां :					
ठेकेदारों को अग्रिम					
	डीजेडडी	**3.71**	**2.26**	-	-
	यूरो	**0.01**	**0.42**	0.06	4.36
	एलकेआर	**2.82**	**1.28**	0.40	0.19
	ईटीबी	**0.49**	**1.52**	-	-
	एमवाईआर	**0.00**	**0.05**	0.02	0.30
	एनपीआर	**1.77**	**1.00**	1.76	1.10
	एमजेडएन	**0.06**	**0.08**	0.06	0.10
	यूएसडी	**-**	**-**	0.00	0.08
व्यापार प्राप्य					
	बीटीएन	**0.26**	**0.26**	-	-
	बीडीटी	**1.65**	**1.39**	1.41	1.13
	डीजेडडी	**89.81**	**54.75**	51.29	32.83
	यूरो	**1.07**	**78.39**	0.46	31.41
	एमवाईआर	**0.40**	**6.90**	0.04	0.69
	यूएसडी	**0.92**	**60.90**	2.43	151.09
रोकड एवं बैंक शेष					
	बीटीएन	**0.90**	**0.90**	-	-
	बीडीटी	**0.93**	**0.79**	0.13	0.10
	डीजेडडी	**12.65**	**7.72**	29.63	18.96
	ईटीबी	**-**	**-**	0.00	0.01
	यूरो	**0.78**	**57.79**	1.30	89.32
	एलकेआर	**45.96**	**20.86**	19.46	9.14
	एमवाईआर	**3.97**	**67.29**	1.69	28.50
	एमजेडएन	**0.03**	**0.03**	0.03	0.05
	यूएसडी	**1.17**	**76.45**	6.88	428.27
	एनपीआर	**-**	**-**	0.01	0.01
अन्य परिसंपत्तियां					
	बीडीटी	**-**	**-**	1.38	1.11
	डीजेडडी	**40.20**	**24.52**	16.17	10.35
	ईटीबी	**0.19**	**0.59**	1.13	3.45
	यूरो	**0.94**	**70.02**	0.43	29.54
	एलकेआर	**7.67**	**3.48**	16.18	7.60
	एमवाईआर	**0.99**	**16.75**	0.14	2.43
	यूएसडी	**0.52**	**34.51**	1.94	120.47
	एनपीआर	**2.24**	**1.40**	2.24	1.40

विवरण	मुद्रा	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
		विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में	विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में
देयताएं					
ग्राहकों से अग्रिम					
	बीटीएन	**2.13**	**2.13**	-	-
	बीडीटी	**0.72**	**0.57**	0.84	0.67
	यूरो	**0.19**	**14.41**	0.39	26.87
	यूएसडी	**0.07**	**4.17**	0.16	9.98
व्यापार देय					
	बीटीएन	**0.59**	**0.59**	-	-
	एयूडी	**0.01**	**0.71**	0.01	0.71
	बीडीटी	**-**	**-**	0.02	0.02
	डीजेडडी	**25.02**	**15.26**	13.92	8.91
	यूरो	**0.82**	**56.28**	0.92	63.10
	जेपीवाई	**10.10**	**5.25**	10.10	5.25
	एलकेआर	**14.27**	**6.47**	14.20	6.67
	एमवाईआर	**0.48**	**8.22**	0.42	7.07
	एमजेडएन	**4.13**	**5.35**	4.13	6.97
	यूएसडी	**1.03**	**50.42**	0.84	52.10
अन्य देयताएं					
	बीटीएन	**0.36**	**0.36**		
	बीडीटी	**0.50**	**0.42**	0.38	0.31
	डीजेडडी	**14.42**	**8.80**	30.90	19.77
	ईटीबी	**0.02**	**0.06**	0.02	0.05
	यूरो	**0.09**	**6.48**	0.19	13.01
	एलकेआर	**9.89**	**4.49**	17.51	8.22
	एमवाईआर	**0.03**	**0.49**	4.26	71.91
	यूएसडी	**1.13**	**74.67**	0.83	51.67
	एनपीआर	**0.03**	**0.02**	0.03	0.02

विवरण	मुद्रा	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
		विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में	विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में
	आरएम	**1.05**	**17.83**	-	-

असम्मिलित विदेशी मुद्रा प्रकटन प्राकृतिक रुप से सम्मिलित हैं।

38. पट्टे संबधित प्रकटन:

I. प्रचालनिक पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां:

समूह की पट्टा व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग, कार्यालय, गेस्टहाउस तथा ट्रांजिट कैंपों के लिए परिसरों को प्रचालनिक पट्टे के संबंध में हैं। अधिकतर पट्टा व्यवस्था रद्द किए जाने योग्य हैं और सामान्यत् आपसी सहमति से नवीकृत किये जाते है। वर्ष के दौरान पट्टा भुगतानों की राशि निम्नानुसार हैः

क. कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के परिसरों के संबंध मे पट्टा भुगतान (शुद्ध वसूलियां) -
रु. 4.26 करोड़ (रु. 5.78 करोड़) (नोट सं.26 पर वेतन और पारिश्रमिक सहित)

ख. कार्यालय परिसरों, गेस्टहाउसों और ट्रांजिट कैंपों के संबंध में पट्टा भुगतान -
रु. 5.30 करोड़ (रु. 4.21 करोड़) (नोट सं.25 पर प्रचालन एवं प्रशासनिक व्ययों सहित)

ग. रद्द न किए जा सकने वाले पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैः

(रुपये करोड़ में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
देय	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

II. प्रचालनिक पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां:

(क) समूह ने कतिपय वाणिज्यिक/आवासीय परिसरों को प्रचालनिक पट्टे पर दिया है, जिन्हें संबंधित करारों के अनुसार उपयुक्त नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है।

(ख) समूह ने दिनांक 31.12.2015 तक विदेशी ग्राहक को वेट लीज आधार पर संयंत्र और मशीनरी (लोकोमोटिव) उपलब्ध कराए हैं।

(ग) समूह ने 19 बहुउद्देशीय परिसरों विभिन्न उप-ठेकेदारों को उपठेके पर दिया है।

(घ) वर्ष के दौरान प्राप्त पट्टा किराये की राशि निम्नानुसार हैः

1. गैर आवासीय परिसरों के संबंध में पट्टा किराया - **रु. 7.39 करोड़** (रु. 7.02 करोड़) (नोट 24 मे विविध आय मे शामिल किया गया है)
2. इंजनों के संबंध में पट्टा किराया - **रु. 34.19 करोड़** (रु. 42.77 करोड़) (नोट 23 में इंजन पट्टे में शामिल किया गया है)
3. 19 बहुउद्देशीय परिसरो को उपठेके के संबंध में पट्टा किराया - **रु. 14.75 करोड़** (रु. 8.09 करोड़) (नोट 23 में इंजन पट्टे में शामिल किया गया है)

(ड.) निम्नलिखित प्रत्यके अवधि के लिए रद्द न किए जा सकने वाले प्रचालनिक पट्टे के संबंध में 31.03.2016 को प्राप्य भावी न्यूनतम पट्टा किराया निम्नानुसार हैः

(रुपये करोड़ में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
परिसर	0.34	0.66	शून्य
इंजन	शून्य	शून्य	शून्य
बहुउद्देशीय परिसर (एमएफसी)	12.63 (13.86)	1.70 (13.95)	शून्य

च. वर्ष के दौरान पट्टे पर दी गई संपत्ति का ब्यौरा :

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को		
	परिसर	इंजन	एमएफसी	परिसर	इंजन	एमएफसी
परिसिंपत्तियों की सकल वहन राशि	**10.00**	**35.66**	**97.27**	6.96	35.66	95.94
वर्ष के लिए मूल्यहास	**0.18**	**-**	**1.72**	0.14	1.16	1.47
वर्ष के लिए क्षति हानि	**-**	**-**	**-**	-	-	-
संचित मूल्यह्रास	**1.44**	**33.87**	**3.35**	1.22	33.87	1.63

39. खण्ड रिपोर्टिंग :

प्राथमिक खण्ड सूचना (भौगोलिक)

(रुपये करोड़ में)

विवरण	अंतर्राष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
क. आवर्त्त						
प्रचालन से राजस्व	**434.34**	877.53	**2037.92**	2160.11	**2472.26**	3037.64
अन्य आय	**60.30**	39.17	**376.96**	228.16	**437.26**	267.33
कुल राजस्व	**494.64**	**916.70**	**2414.88**	**2388.27**	**2909.52**	**3304.97**
ख. परिणाम						
प्रावधान मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ	**223.67**	477.86	**519.78**	450.09	**743.45**	927.95
घटाएँ-प्रावधान और पश्चलिखित (निवल)	**27.00**	(75.15)	**15.66**	61.93	**42.66**	(13.22)
मूल्यह्रास	**14.60**	6.51	**59.65**	50.74	**74.25**	57.25
ब्याज	**0.23**	0.14	**23.79**	23.26	**24.02**	23.40
कर पूर्व लाभ	**181.84**	546.36	**420.68**	314.16	**602.52**	860.52
लाभ/हानियो में अल्प ब्याज	**-**	-	**0.56**	0.97	**0.56**	0.97
कर व्यय	**132.40**	209.19	**71.06**	68.20	**203.46**	277.39
कर पश्चात् लाभ	**49.44**	**337.17**	**349.06**	**244.99**	**398.50**	**582.16**
ग. अन्य सूचना						
परिसंपत्तियां	**649.05**	1244.22	**8267.42**	6192.39	**8916.47**	7436.61
स्थिर परिसंपत्तियां शामिल हैं (निवल ब्लाक)	**55.42**	82.39	**779.33**	684.18	**834.75**	766.57
देयताएं	**589.47**	862.71	**4808.36**	3248.17	**5397.83**	4110.88
पूंजीगत व्यय : अचल परिसंपत्तियों को जोडकर	**0.44**	24.57	**13.16**	18.56	**13.60**	43.13

गौण खण्ड सूचना (व्यवसाय):

(रुपये करोड़ में)

विवरण	सेगमेट आय		सेगमेंट परिसंपत्तियां		अचल परिसंपत्तियों को जोड़कर	
	2015-16	2014-15	**2015-16**	2014-15	**2015-16**	2014-15
निर्माण, आदि	2344.71	2909.10	8254.72	6787.88	13.17	41.75
पट्टा प्रचालन	48.94	50.87	177.60	106.66	0.36	1.10
टोलवे	78.61	77.67	484.15	542.07	0.07	0.28
कुल	**2472.26**	**3037.64**	**8916.47**	**7436.61**	**13.60**	**43.13**

40. संयुक्त उद्यमों (जेवी)के संबंध में प्रकटन

(क) गैर-निगमित संयुक्त उद्यमः

i) प्रचालनरत परियोजनाओं हेतुः

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2016	**2015**
1.	इरकॉन - एसपीएससीपीएल	इरकॉन, भारत एसपीएससीपीएल, भारत	50.00 50.00	50.00 50.00
2.	इरकॉन-एफकौन	इरकॉन, भारत एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारत	53.00 47.00	53.00 47.00
3.	एक्सप्रेस फ्रेट कंसार्टियम	मित्सुई, जापान इरकॉन, भारत टाटा प्रोजेक्ट लि., भारत	51.00 30.00 19.00	-

ii) उन परियोजनाओं हेतु जो पूरी हो गई हैंः

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2016	**2015**
1	रीकॉन	इरकॉन, भारत राइटस, भारत	49.00 51.00	49.00 51.00
2	रीकॉन-सीटा एस ए आर एल	रीकान, भारत सी इ टी ए, मोजांबिक	49.00 51.00	49.00 51.00
3	इरकॉन कोबरा- इलियोप	इरकॉन, भारत कोबरा, स्पेन इलियोप, स्पेन	61.22 34.35 4.43	61.22 34.35 4.43
4	इरकॉन-श्री भवानी बिल्डर्स	इरकॉन, भारत श्री भवानी बिल्डर्स, भारत	24.21 75.79	24.21 75.79
5	इरकॉन-एसएमजे परियोजना संयुक्त उद्यम	इरकॉन भारत संबर मित्रा जाया, इंडोनेशिया	55.00 45.00	55.00 45.00
6	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रेक्टर (आईएमसीसी)	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2016	2015
7	मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एमटीजी)	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
8	इरकॉन-गन्नौन डंकर्ली	इरकॉन, भारत गन्नौन डंकर्ली	55.70 44.30	55.70 44.30
9	इरकॉन आरसीएस- फ्लीडरर	इरकॉन, भारत रायलसीमा कंक्रीट स्लीपर प्रा. लि., भारत फ्लीडरर इन्फ्रास्ट्रकचर टैकनीक जी एम बी एच एण्ड क., जर्मनी	65.08 21.87 13.05	65.08 21.87 13.05

(ख) संयुक्त उद्यम कंपनियांः

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	शेयर व उनका मूल राष्ट्र	स्वामित्व का अनुपात	
			31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
1	सीसीएफबी (कम्पनिया डोस कैमिनोस डे फैरा डा बेरा एस एआरएल) मोजाम्बिक	इरकॉन, भारत राइट्स भारत सीएफएम, मोजाम्बिक	**25.00** **26.00** **49.00**	25.00 26.00 49.00
2	इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल)	इरकॉन, भारत सोमा इंटरप्राइजेज़ लि. भारत	**50.00** **50.00**	50.00 50.00
3	छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लि. (सीईआरएल)	इरकॉन, भारत एसईसीएल, भारत सीएसआईडीसी	**26.00** **64.00** **10.00**	26.00 64.00 10.00
4	छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि. (सीईडब्ल्यूआरएल)	इरकॉन, भारत एसईसीएल, भारत सीएसआईडीसी	**26.00** **64.00** **10.00**	26.00 64.00 10.00
5	महानदी कोल रेलवे लि. .(एमसीआरएल)	इरकॉन, भारत एमसीएल, भारत जीओओ, भारत	**26.00** **64.00** **10.00**	-
6	झारखंड सेंट्रल रेलवे लि. .(जीसीआरएल)	इरकॉन, भारत सीसीएल, भारत जीओजे, भारत	**26.00** **64.00** **10.00**	-

ग) समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों में हितों से संबंधित परिसंत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय (समूह और संयुक्त उद्यम के बीच संव्यवहारो के प्रभाव को समाप्त किए बिना प्रत्येक)में धारक कंपनी का भाग निम्नानुसार हैः

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	2015-16	2014-15
1.	**स्थिर संपत्तियां**	**522.58**	504.98
2.	अन्य गैर चालू संपत्तियां	**34.81**	26.45
3.	**चालू परिसंपत्तियां**		
क)	दरसूचियां	**11.27**	21.62
ख)	व्यापार प्राप्य	**-**	0.67
ग)	रोकड व बैंक शेष	**53.32**	73.12
घ)	अल्पकालीन ऋण और अग्रिम	**47.64**	39.33
ड.)	अन्य चालू परिसंपत्तियां	**31.45**	134.76
4.	**गैर चालू देयताएं**		
क)	दीर्घकालीन देयताएं	**499.50**	543.05
5.	**चालू देयताएं**		
क)	व्यापार प्राप्य	**23.71**	17.30
ख)	अन्य चालू देयताएं	**101.54**	205.31
ग)	अल्पकालीन प्रावधान	**0.11**	0.29
6.	**आय**	**211.05**	173.24
7.	**व्यय**	**200.07**	182.73

घ. संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों में आकस्मिक देयताओं को नोट 31(ङ) में प्रकट किया गया है।

41. संबधित पक्ष प्रकटन

क. उद्यम जहां नियंत्रण विद्यमान है :

(i) सहायक कंपनियांः

- इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)
- भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)
- इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)
- इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)

(ii) संयुक्त उद्यमः

- गैरनिगमित संयुक्त उद्यम : उपर्युक्त नोट सं 40(क) के अनुसार।
- संयुक्त उद्यम कम्पनियां : उपर्युक्त नोट सं 40(ख) के समान।

ख. प्रमुख प्रबन्धन कार्मिकः
निदेशक : श्री मोहन तिवारी, श्री एम.के.सिंह, श्री दीपक सबलोक तथा श्री हितेश खन्ना,
कंपनी सचिव - श्रीमती सुमीता शर्मा

ग. संबंधित पक्षों के साथ लेन-देनों का प्रकटीकरण (उस स्तर तक जहां समेकित नहीं किया गया है)

(रुपये करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान संव्यवहार		ठेकों/व्यवस्थाओं का विवरण
	2015-16	2014-15	संव्यवहार की प्रकृति
1. प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक	**नोट सं. 43 के अनुसार**		
2. वस्तुओं और सेवाओं का विकय			
संयुक्त उद्यम			
सीईआरएल	**182.30**	27.67	परामर्श एवं कार्य पावतियां
सीईडब्ल्यूआरएल	**22.33**	53.64	परामर्शदात्री पावतियां
कुल	**204.63**	**81.31**	
3.संयुक्त उद्यमो को त्रण			
संयुक्त उद्यम			
सीसीएफबी	**-***	5.34	
सीईआरएल	**6.66**	22.20	
सीईडब्ल्यूआरएल	**14.43**	-	
इरकॉन एफकान्स जेवी	**-**	9.06	
कुल	**21.09**	**36.60**	
4. प्रतिनियुक्ति कार्मिकों संबंधी व्यय, किराया और अन्य विविध व्ययों की प्रतिपूर्ति			
संयुक्त उद्यम			
आईएसटीपीएल	**0.11**	0.99	
कुल	**0.11**	**0.99**	

संबंधित पक्षों को /से देय राशि का प्रकटन (समेकित न किए गए स्तर तक):

(रुपये करोड़ में)

विवरण	राशि	
	31-3-2016 को	31-3-2015 को
प्राप्त किए जाने योग्य राशि		
(1) संयुक्त उद्यमों को बकाया त्रण	**43.29**	**97.33**
सीसीएफबी	-*	66.07
सीईआरएल	28.86	22.20
सीईडब्ल्यूआरएल	14.43	-
इरकॉन एफकान्स जेवी	-	9.06
(2) संयुक्त उद्यमों को अन्य सेवाएं, प्रतिपूति आदि	**56.59**	**8.55**
सीसीएफबी	-	0.59
आईएसटीपीएल	3.61	3.58
सीईआरएल	49.79	3.28
सीईडब्ल्यूआरएल	2.87	0.30
इरकॉन-एफकॉन जेवी	0.32	0.80

***शेयरधारक ऋण की सम्पूर्ण शेष राशि को मोजांबीक सरकार के साथ 21.10.2015 को हस्ताक्षरित समझौता करार के आधार पर मोजांबीक सरकार से वसूली योग्य राशि में हस्तांतरित किया गया है।**

42. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अंतर्गत निदेशों के अनुसार मूल कंपनी, सहायक कंपनियो, संबद्ध और संयुक्त उद्यमों की निवल परिसंपत्तियो और लाभ में भागीदारी का प्रकटनः

(रुपये करोड़ में)

क्रसं	निकाय का नाम	2015-16				2014-15			
		निवल परिसंपत्तिया यथा कुल संपत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ या हानि मे भाग (कर पश्चात)		निवल परिसंपत्तिया यथा कुल संपत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ या हानि मे भाग (कर पश्चात)	
		समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रुप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रुप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रुप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रुप में	राशि
क	**धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड**	**88.28**	**3085.17**	**91.96**	**364.58**	93.60	3,092.59	99.11	576.98
ख	**सहायक कंपनियां**								
1	इरकॉनआईएसएल	**2.87**	**100.40**	**3.69**	**14.63**	1.98	65.57	1.94	11.27
2	आईआरएसडीसी	**1.28**	**44.95**	**0.29**	**1.15**	1.31	43.44	0.34	1.98
3	इरकॉन पीबी टॉलवे लिमिटेड	**3.27**	**114.50**	**0.94**	**3.73**	2.69	88.91	(0.19)	(1.09)
4	इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लि.	**1.66**	**57.91**	**(0.19)**	**(0.77)**	-	-	-	-
	सहायक कंपनी मे अल्पाधिकार	**(0.62)**	**(21.84)**	**(0.14)**	**(0.56)**	(0.64)	(21.28)	(0.17)	(0.97)
ग	**संयुक्त उद्यम**								
	भारतीय								
1	रीकॉन	**0.15**	**5.28**	**0.07**	**0.27**	0.29	9.67	0.04	0.25
2	आईएसटीपीएल	**0.33**	**11.70**	**0.75**	**2.96**	0.16	5.13	(1.35)	(7.83)
3	सीईआरएल	**1.89**	**66.04**	**(0.01)**	**(0.02)**	0.03	1.12	-	(0.01)
4	सीईडब्ल्यूआरएल	**0.21**	**7.29**	**(0.01)**	**(0.02)**	0.03	1.12	-	(0.01)
5	इरकॉन-एसपीएससीपीएल	**0.02**	**0.62**	**(0.40)**	**(1.58)**	0.10	3.24	0.56	3.24
6	इरकॉन-एफकान्स	**0.18**	**6.18**	**1.56**	**6.19**	0.04	1.33	0.33	1.91
7	आईएमसीसी	**0.08**	**2.83**	**-**	**(0.01)**	0.10	3.38	(0.01)	(0.04)
8	एमटीजी	**0.16**	**5.64**	**0.06**	**0.23**	0.16	5.42	0.05	0.28
9	एमसीआरएल	**(0.01)**	**(0.51)**	**-**	**-**	-	-	-	-
10	जेसीआरएल	**-**	**(0.02)**	**(0.01)**	**(0.02)**	-	-	-	-
	विदेशी								
1	सीसीएफबी	**0.25**	**8.62**	**1.44**	**5.70**	0.15	4.81	(0.65)	(3.80)
	कुल	**100.00**	**3494.76**	**100.00**	**396.46**	**100.00**	**3,304.45**	**100.00**	**582.16**

43. निदेशकों का पारिश्रमिक विवरण निम्न प्रकार है :-

(रुपये करोड़ में)

क्रसं	विवरण	2015-16	2014-15
I	वेतन और भत्ते*	1.74	1.78
II	भविष्य निधि, पेशन में अंशदान	0.20	0.10
III	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	0.03	0.03
IV	अन्य लाभ	0.27	0.27
	कुल	**2.24**	**2.20**

* वर्ष 2015-16 के आंकडों में वर्ष के दौरान भुगतान किए गए रु.0.47 करोड़ रुपए के पीआरपी (13-14) शामिल हैं, जबकि 14-15 मे वर्ष के दौरान भुगतान किए गए रु.0.64 करोड़ रुपए के पीआरपी (12-13) शामिल है।

निदेशकों को कंपनी की ओर से आवास और कार भी प्रदान की गई है जिसकी वसूली लागू नियमानुसार की गई है।

44. वर्ष के दौरान धारक कंपनी ने कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 द्वारा एएस 28 अधिसूचना परिसंपत्तियों का ह्रास इंस्टीट्यूट आफॅ चार्टेड एकाउंटेंटस् आफ इंडिया द्वारा जारी एएस 28 परियोजना के अनुसार वर्ष के दौरान उगाई की जाने वाली शुद्व राशि या लागत से कम के आधार पर वसूल की जाने वाली राशि के आंकलन द्वारा वैयक्तिक परिसपंत्तियों के ह्रास का अनुमान निकाला है । तदनुसार, शून्य (0.87 करोड़ रुपए) की हानि के लिए प्रावधान किया गया है।

45. विदेशी ग्राहकों को किराए पर दिए गए इंजनों के लिए पट्टा करार का नवीकरण 31.12.2015 को किया गया है। इंजनों के अनुरक्षण के लिए बचे हुए कलपुर्जे और भंडारण अनावश्यक हो गए है और इसलिए उन्हें व्यर्य के लिए प्रभारित किया गया है।

46. कर्मचारी लाभ पर एएस-15 के अंतर्गत प्रकटन,

भविष्य निधि

कंपनी एक पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि के नियत अंशदान का भुगतान करती है तथा यह ट्रस्ट इस निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगी। ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित है कि वह ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज के न्यूनतम दर का भुगतान करेगी। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि कंपनी के दायित्व से अधिक है। वर्ष के दौरान कंपनी ने ट्रस्ट में 10.14 करोड़ रुपए (9.91 करोड़ रुपए) का अंशदान किया है।

उपदान

कंपनी ने अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, शारीरिक अक्षमता या मृत्यु के कारण अपने रोजगार को समाप्त करने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रुप मे कपनी के कर्मचारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इरकॉन ने कर्मचारी सामूहिक भविष्य निधि योजना को क्रियान्वित किया है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015-16 मे सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। ट्रस्ट की निधि का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। कंपनी ने ट्रस्ट को **66.31 करोड़ रुपए** (31.03.2015 को प्रावधान) का भुगतान किया है और वर्ष 2015-16 के दौरान इसे लेखांकित किया गया है। वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर 31.03.2016 को देयत सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया है।

पेंशन

कंपनी ने सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक कंपनी में 15 वर्ष की सेवा(अन्य सीपीएसई मे सेवा सहित) पूरी करने वाले आईडीए के वेतनमान मे वेतन प्राप्त करने वाले सभी नियमित कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.04.2009 से इरकॉन सुनिश्चित अंशदायी अधिवर्षिता पेंशन योजना, 2009 क्रियान्वित की है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015-16 मे सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। 01.04.2009 से 28.02.2016 तक की सम्पूर्ण अवधि के लिए 29.99 करोड़ रुपए कंपनी के अंशदान भाग का भुगतान कर दिया गया है और इसे वर्ष 2015-16 के दौरान लेखांकित किया गया है। 29.99 करोड़ रुपए की कुल राशि में से 26.18 करोड़ रुपए की राशि के लिए 31.03.2015 को प्रावधान किया गया है। मार्च 2016 में 0.05 करोड़ रुपए की देयता के लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी ने सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को अधिवर्षिता, चिकित्सा तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान 12 करोड़ रुपए के एकमुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिहार्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। यह एक स्वैच्छिक कल्याण उपाय होने के कारण कंपनी कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। तथापि, कंपनी ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर 4.20 करोड़ रुपए (7.33 करोड़ रुपए) का भी प्रावधान किया है।

छुट्टी नगदीकरण

कंपनी के नियमों के अनुसार छुट्टी नगदीकरण के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है, केवल विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर। चूंकि, विदेशी कार्यों को अकार्य दिवस माना जाता है, इसलिए ऐसे कर्मचारियों के प्रति दायित्व के लिए संचित आधार पर बहियों में प्रावधान किया जाता है क्योंकि इस राशि का भुगतान कर्मचारियों को वापस आने पर किया जाता है।

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल है गृह नगर या भारत में वह स्थान जहां वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, बैगेज भत्ता सहित व्यवस्था करना। इस खाते में देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ली जाती है।

दिनांक 31.03.2016 को विभिन्न कर्मचारी लाभों को लाभ हानि खात के विवरण तथा तुलन पत्र में निम्नानुसार सारबद्ध किया गया हैः

i) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रुपये करोड़ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के प्रारम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	66.31 (61.85)	79.90 (76.95)	0.13 (0.14)	1.28 (1.29)
ब्याज लागत	5.30 (4.95)	6.39 (6.16)	0.01 (0.01)	0.10 (0.10)
चालू सेवा लागत	3.57 (3.37)	4.69 (4.63)	0.01 (-)	0.06 (0.06)
पूर्व सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	(4.65) ((3.70))	(5.65) ((8.78))	(0.21) ((0.01))	(0.03) ((0.03))
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	1.54 ((0.15))	(4.43) (0.95)	0.30 ((0.02))	(0.07) ((0.14))
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	72.06 (66.31)	80.90 (79.90)	0.23 (0.13)	1.34 (1.28)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोडक़र।

ii) योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रुपये करोड़ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
अंशदान	66.31 (-)	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	(2.43) (-)	- (-)	- (-)	- (-)
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	3.08 (-)	- (-)	- (-)	- (-)
अवधि के अन्त में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	66.96 (-)	- (-)	- (-)	- (-)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

iii) तुलन पत्र में मान्य राशि

(रुपये करोड़ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	72.06 (66.31)	80.90 (79.90)	0.23 (0.13)	1.34 (1.28)
अवधि के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	66.96 (-)	- (-)	- (-)	- (-)
वित्तपोषण स्थिति	(5.11) ((66.31))	(80.90) ((79.90))	(0.23) ((0.13))	(1.34) ((1.28))
अनुमानित के उपर वास्तविक में अधिक	3.08 (-)	- (-)	- (-)	- (-)
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता	(5.11) ((66.31))	(80.90) ((79.90))	(0.23) ((0.13))	(1.34) ((1.28))

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोडक़र।

iv) लाभ हानि की विवरणिका में मान्य व्यय

(रुपये करोड़ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
चालू सेवा लागत	3.57 (3.37)	4.69 (4.63)	0.01 (-)	0.06 (0.06)
पूर्व सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
ब्याज लागत	5.30 (4.95)	6.39 (6.16)	0.01 (0.01)	0.10 (0.10)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
वर्ष में निवल वास्तविक (लाभ)/हानि	(1.54) ((0.15))	(4.43) (0.94)	0.30 ((0.02))	(0.07) ((0.14))
लाभ हानि विवरणिका में मान्य व्यय	7.33 (8.16)	6.65 (11.73)	0.32 (-)	0.09 (0.02)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोडक़र।

धारक कंपनी द्वारा अगले वर्ष उपदान के लिए रु.7.99 करोड़, छुट्टी नकदीकरण के लिए 11.42 करोड़ रुपए, एलटीसी के लिए 0.15 करोड़ रुपए तथा सेवानिवृत्ति लाभों के लिए 0.19 करोड़ रुपए का अंशदान करने की संभावना है।

v) वास्तविक अनुमान

क. प्रयुक्त पद्धति	अनुमानित इकाई ऋण पद्धति
ख. रियायत दर	7.50 %
ग. क्षतिपूर्ति स्तर मे वृद्धि की दर	8.00 %
घ. सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों की औसत उत्कृष्ट सेवा	12.12 वर्ष
ड. लाभ दायित्वों की अनुमानित अवधि	12.12 वर्ष

vi) वर्तमान और पिछली 4 अवधियो के लिए राशि निम्नानुसार है:

क. उपदान:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012
निर्धारित लाभ दायित्व	**72.06**	66.31	61.85	53.87	49.63
योजना परिसम्पतियां	**66.96**	-	-	-	-
सरप्लस/(डैफिसेट)	**(5.11)**	(66.31)	(61.85)	(53.87)	(49.63)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन	**0.36**	0.15	(3.12)	(1.13)	(1.01)
योजना परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	**3.08**	-	-	-	-

ख. छुट्टी नकदीकरण (विदेशी परियोजनाओं पर तैनात कर्मचारियों को छोडकर):

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012
निर्धारित लाभ दायित्व	**80.90**	79.90	76.95	61.34	55.61
योजना परिसम्पतियां	**-**	-	-	-	-
सरप्लस/(डैफिसेट)	**(80.90)**	(79.90)	(76.95)	(61.34)	(55.61)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन	**7.44**	(0.95)	(13.46)	(0.04)	5.18
योजना परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	**-**	-	-	-	-

ग. एलटीसी:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012
निर्धारित लाभ दायित्व	**0.23**	0.13	0.14	0.08	-
योजना परिसम्पतियां	**-**	-	-	-	-
सरप्लस/(डैफिसेट)	**(0.23)**	(0.13)	(0.14)	(0.08)	-
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन	**(0.38)**	0.02	(0.07)	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	**-**	-	-	-	-

घ. अन्य सेवानिवृत्ति लाभ:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012
निर्धारित लाभ दायित्व	**1.34**	1.27	1.29	1.41	1.57
योजना परिसम्पतियां	**-**	-	-	-	-
सरप्लस/(डैफिसेट)	**(1.34)**	(1.27)	(1.29)	(1.41)	(1.57)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन	**0.11**	0.14	0.28	0.35	0.06
योजना परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	**-**	-	-	-	-

47. प्रगतिरत संविदाओं के लिए निर्माण संविदाओं पर लेखांकन मानक -7 के अंतर्गत प्रकटन *

(रुपये करोड़ में)

विवरण		31मार्च 2016 तक	31मार्च 2015 तक
(क)	इस अवधि के दौरान राजस्व के रुप में स्वीकृत संविदा राजस्व	**2829.56**	2883.55
(ख)	वहन लागतों की समग्र राशि तथा स्वीकृत लाभ (घटा स्वीकृत हानियां)	**19547.91**	20667.13
(ग)	ग्राहकों के प्राप्त अग्रिमों की राशि	**837.85**	847.83
(घ)	प्रतिधारणों की राशि (ग्राहकों द्वारा)	**99.63**	100.56
(ड.)	ठेके के कार्य के लिए ग्राहको से दय सकल राशि	**479.13**	434.12

* 31.03.2016 को सम्पन्न परियोजनाओं को छोड़कर

48. कम्पनी को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कम्पनी के अधीन आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006(एमएसएमईडी अधिनियम) के अधीन नहीं आते हैं। इस सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के प्रति 31 मार्च 2016 तक कोई देय नहीं है।

49. (i) वर्ष के दौरान धारक कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि है **रु. 6.03 करोड़** (रु. 4.03 करोड़)।

(ii) वर्ष के दौरान धारक कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर **6.26 करोड़ रुपए** (6.72 करोड़ रुपए) की अपेक्षित राशि की तुलना में **6.03 करोड़ रुपए** (4.93 करोड़ रुपए) खर्च किए हैं। इस व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(रुपये करोड़ में)

क्रसं	विवरण	2015-16	2014-15
1.	भूख, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखरेख तथा स्वच्छता का संवर्धन और सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना।	**4.90**	3.06
2.	शिक्षा का संवर्धन	**0.94**	0.76
3.	लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण का संवर्धन	**0.18**	0.02
4.	पर्यावरणीय धारणीयता सुनिश्चित करना	**0.05**	1.04
5.	राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति का संरक्षण		0.52
6.	प्रधान मंत्री राहत कोष तथा सामाजिक आर्थिक विकास व राहत के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य निधि में अंशदान	-	0.50
7.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	**0.18**	0.80
	कुल	**6.26**	**6.70**

(iii) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	रोकड़ में	रोकड़ में अभी भुगतान किया जाना है	कुल
1.	परिसंपत्तियों का निर्माण और अधिग्रहण	-	-	-
2.	अन्य प्रयोजन	6.26	-	6.26

50. प्रति शेयर मूलभूत आमदनी का परिकलन निवल कर पश्चात लाभ के 398.50 करोड़ रुपए (582.16 करोड़ रुपए) को (197,96,000) पूर्ण प्रदत्त 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के साथ भाग करके किया जाता है। प्रति शेयर विलयित आमदनी लागू नहीं है क्योंकि यहां काई विलयन शामिल नहीं है।

51. वर्ष के दौरान, कंपनी ने चालू वर्ष के आय/व्यय के रुप में प्रत्येक मामले में 100000 रुपए (पूर्व में 50,000) तक के पूर्व अवधि तथा पूर्व प्रदत्त आय/व्यय के रुप में माने जाने संबंधी अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन के कारण, वर्ष के लिए पूर्व अवधि आय/व्यय 0.02 करोड़ रुपए तक कम हो गया है और पूर्वप्रदत्त व्यय शून्य करोड़ रुपए तक कम हुआ है। इसके परिणामस्वरुप, करपूर्व लाभ में 0.02 करोड़ रुपए की कमी आई है।

52. कंपनी ने तीन देशों में क्रियान्वित की जा रही विदेशी परियोजनाओं के लिए संविदाओं को प्राप्त कराने और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एजेंटों/परामर्शदाताओं को नियुक्त किया है। मई 2003 में जारी कंपनी के दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि परियोजना प्रमुख एजेंटों के कार्यनिष्पादन पर परियोजना समन्वयकर्ता को तिमाही रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें दर्शाया जाएगा एजेंट से सेवाओं से संतुष्ट हैं या नहीं। एजेंसी/परामर्शदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के आकलन के लंबित होने के कारण, धारक कंपनी ने 2.04 करोड़ रुपए के व्यय को लेखांकित नहीं किया है और तदनुसर, उन्हें 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में प्रभारित नहीं किया गया है। इसे आकलन वर्ष में लेखा बहियों में लेखांकित किया जाएगा।

53. पिछले वर्ष के आंकडों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के साथ समायोजित करने के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, पुनःसमूहित, पुनःव्यवस्थित तथा पुनःनिर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से अलग दर्शाने के लिए उन्हें कोष्ठक में प्रस्तुत किया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी.के. ढींगरा एंड कपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000250एन

विपुल गिरोत्रा
साझेदार
स.सं. 084312

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

एम.के.सिंह
निदेशक वित्त
डीआईएन 06607392

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 00191363

सुमिता शर्मा
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः02.09.2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 129 (4)के साथ पठित खंड 143 (6) (ख) के अंर्तगत भारत के नियंत्रक वं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटनेशनल लिमिटेड का समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के 129(4) के साथ पठित अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद 129 (4) के साथ पठित अनुच्छेद 143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 02 सितंबर 2016 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद 143 (6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इनटरनेशनल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने दो सहायक कंपनियों यथा इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड तथा इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है किन्तु इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए सहायक कंपनियों और संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों (अनुबंध के अनुसार) की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। इसके अतिरिक्त,सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति या अनुपूरक लेखापरीक्षा के आयोजन के लिए अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) तथा 143 (6)(क) कंपैनिया डोस कमीनोस डी फेरो डी बेरा, एसए पर लागू नहीं होता है क्योंकि यह विदेश में उनके संबंधित काननों के अंतर्गत निगमित निजी निकाय है। तदनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा इस कंपनी के लिए ना तो सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की गई है और ना ही अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरे लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ विशिष्ट नहीं आया है जो सांविधिक लेखपरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रश्न उठाता हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निमित्त और उनकी ओर से

(मीनाक्षी मिश्रा)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक,
(रेलवे -वाणिज्यिक), नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 27 सितंबर, 2016

अनुबंध

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली की सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की सूची जिनके लिए वर्ष 2014-15 हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी

सहायक कंपनियां:

1. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)
2. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)

संयुक्त उद्यम

1. रीकॉन
2. इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल)
3. इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कोट्रैक्टरर्स (आईएमसीसी)
4. मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एमटीजी)
5. इरकॉन-एसपीएससीपीएल
6. इरकॉन-एफकॉन जेवी
7. छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)
8. छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)
9. महानदी कोल रेल लिमिटेड (एमसीआरएल)
10. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)

लेखापरीक्षा अधिकारी

इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017
टेली: +91-11-29565666 फैक्स: +91-11-26522000/26854000,
ई-मेल : Info@ircon.org, वेबसाइट : www.ircon.org
सीआईएन : U45203DL1976GOI008171

www.censer.in (M) 9810118199